VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

अप्रैल 2023

# मासिक समसामयिकी


8468022022 | 9019066066 www.visionias.in


दिल्ली | जयपुर | हैदराबाद | अहमदाबाद | प्रयागराज | लखनऊ
पुणे | चंडीगढ़ | गुवाहाटी | भोपाल | राँची

फाउंडेशन कोर्स
सामान्य अध्ययन
प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2024
इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम
• प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
• मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
• एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
• अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
• योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
• नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन
• सीसैट कक्षाएं
• PT 365 कक्षाएं
• MAINS 365 कक्षाएं
• PT टेस्ट सीरीज
• मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
• निबंध टेस्ट सीरीज
• सीसैट टेस्ट सीरीज
• निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
• करेंट अफेयर्स मैगजीन
लाइव / ऑनलाइन कक्षाएं भी उपलब्ध
Scan the QR CODE to download VISION IAS app
DELHI
30 मई, 9 AM | 15 मार्च, 1 PM
JAIPUR
15 मई, 3 PM
LUCKNOW
7 जून, 9 AM
BHOPAL
5 जुलाई

ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़
देश के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम के इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम का लाभ उठाएं
प्रारंभिक
✓ सामान्य अध्ययन ✓ सीसैट
for PRELIMS 2023: 30 April
प्रारंभिक 2023 के लिए 30 अप्रैल
for PRELIMS 2024: 14 May
प्रारंभिक 2024 के लिए 14 मई
मुख्य
✓ सामान्य अध्ययन ✓ निबंध ✓ दर्शनशास्त्र
for MAINS 2023: 4 June
मुख्य 2023 के लिए 4 जून
for MAINS 2024: 14 May
मुख्य 2024 के लिए 14 मई
Scan the QR CODE to download VISION IAS app

# विषय-सूची


1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance) 7

1.1. मूल ढांचे का सिद्धांत (Basic Structure Doctrine) ....7

1.2. भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण (Democratic Decentralisation in India)....9

1.3. सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) ....12

1.4. अंतर्राज्यीय सीमा विवाद (Inter-state Border Disputes)....14

1.5. आधार (Aadhaar) ....16

1.6. भारत में भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण (Land Records Modernization in India)....19

1.7. ऑनलाइन गेमिंग का विनियमन (Regulation of Online Gaming) ....22

1.8. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts) ....24

1.8.1. ग्रामीण-शहरी क्षेत्र (Rural-Urban Areas) ....24

1.8.2. राष्ट्रीय दल का दर्जा (National Party Status) ....25

1.8.3. राज्यपाल (Governor)....25

1.8.4. केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (Central Administrative Tribunal: CAT)....26

1.8.5. न्यायपालिका में प्रौद्योगिकी (Technology in Judiciary)....26

1.8.6. इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (India Justice Report) ....27

1.8.7. वचन विबंधन (प्रॉमिसरी एस्टॉपेल) का सिद्धांत (Doctrine of Promissory Estoppel)....28

1.8.8. सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2023 {Cinematograph (Amendment) Bill, 2023}....28

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations) 29

2.1. भारत-भूटान (India-Bhutan)....29

2.2. भारत-लैटिन अमेरिका (India-Latin America)....31

2.3. भारत, ईरान और आर्मेनिया: एक त्रि-पक्षीय समूह (India, Iran, Armenia Trilateral)....34

2.4. कॉम्प्रिहेंसिव ऐंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership: CPTPP) ....35

2.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts) ....37

2.5.1. अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (International Fund of Agricultural Development: IFAD)....37

2.5.2. उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) {North Atlantic Treaty Organizatio (NATO)}....38

2.5.3. G7 देशों की बैठक (G7 Meeting)....39

2.5.4. संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग (United Nations Statistical Commission)....39

2.5.5. उत्तरी सागर शिखर सम्मेलन (North Sea Summit)....40

2.5.6. चाबहार बंदरगाह (Chabahar Port)....41

2.5.7. गुड फ्राइडे एग्रीमेंट {Good Friday Agreement (GFA)}....41
2.5.8. ऑपरेशन कावेरी (Operation Kaveri) ....41

3. अर्थव्यवस्था (Economy) 42

3.1. विदेश व्यापार नीति 2023 (Foreign Trade Policy 2023)....42
3.1.1. व्यापार सुविधा और व्यापार सुगमता (Trade Facilitation and Ease of Doing Business)....43
3.1.2. विदेश व्यापार नीति-2023 के तहत निर्यात को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहलें (Export Promotion Initiatives by FTP 2023)....45
3.1.3. विदेश व्यापार नीति-2023 के तहत शुरू की गई अन्य पहलें (Other initiatives by FTP 2023)....46

3.2. वि-डॉलरीकरण (De-dollarization) ....48

3.3. गिग अर्थव्यवस्था (Gig Economy)....51

3.4. स्टैंड-अप इंडिया (Stand-up India) ....54

3.5. ट्रांसफर प्राइसिंग (Transfer Pricing) ....56

3.6. मार्केट इन क्रिप्टो एसेट्स {Markets in Crypto Assets (MiCA)} ....57
3.6.1. डिजिटल सर्विसेज़ एक्ट (Digital Services Act)....60

3.7. राष्ट्रीय गैस ग्रिड (National Gas Grid) ....61

3.8. जलीय कृषि क्षेत्रक (Aquaculture Sector) ....63

3.9. कृषि-प्रौद्योगिकी (Agri Tech)....66

3.10. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts) ....68
3.10.1. प्रत्यक्ष कर आँकड़े (Direct Tax Statistics)....68
3.10.2. डब्बा (बॉक्स) ट्रेडिंग {Dabba (Box) Trading} ....68
3.10.3. महिला सम्मान बचत प्रमाण-पत्र {Mahila Samman Savings Certificates (MSSC)}....68
3.10.4. ग्रीन डिपॉजिट (Green Deposits) ....69
3.10.5. रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (REITs) और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (InvITs) {Real Estate Investment Trusts (REITs) and Infrastructure Investment Trusts (INVITS)} ....69
3.10.6. बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग {Business Environment Rankings (BER)} ....70
3.10.7. एक रिपोर्ट के अनुसार, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) भारत के डिजिटल उपभोग मूल्य को 2030 तक 320-340 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ा सकता है {Open Network for Digital Commerce (ONDC) May Drive India Digital Consumption to USD 320-340 Billion by 2030: Report} ....70
3.10.8. उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) 5.0 {UDAN (Ude Desh ka Aam Nagrik) 5.0} ....71
3.10.9. कोच्चि वाटर मेट्रो (Kochi Water Metro) ....71
3.10.10. लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 {Logistic Performance Index (LPI) 2023}....72
3.10.11. नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल (मरीन) {National Logistics Portal Marine (NLPM)}....72

3.10.12. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र से जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विपणन और लॉजिस्टिक्स विकास (PTP-NER) योजना {Marketing and Logistics Development for Promotion of Tribal Products from North Eastern Region (PTP-NER)} ....72
3.10.13. डकार घोषणा-पत्र (Dakar Declaration)....73
3.10.14. राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति, 2023 (National Devices Policy, 2023)....73
3.10.15. साथी (सीड ट्रेसेब्लिटी, ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री: साथी/SATHI) पोर्टल {Sathi (Seed Traceability, Authentication and Holistic Inventory) Portal}....74
3.10.16. मिलेट्स और अन्य प्राचीन अनाजों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पहल (Millets and OtHer Ancient Grains International ReSearcH Initiative: MAHARISHI/ महर्षि) ....74
3.10.17. मिड-डे मील की दाल (Mid-Day Meal Pulses)....74

**4. सुरक्षा (Security) 76**

4.1. अंतरिक्ष का शस्त्रीकरण (Weaponization of Space)....76

4.2. वामपंथी उग्रवाद (Left Wing Extremism: LWE) ....79

4.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts) ....81
4.3.1. विश्व सैन्य व्यय के रुझान (Trends in World Military Expenditure) ....81
4.3.2. कमांड साइबर ऑपरेशंस एंड सपोर्ट विंग्स {Command Cyber Operations and Support Wings (CCOSW)} 82
4.3.3. पहला एंटी-स्पाइवेयर घोषणा-पत्र (First Anti-Spyware Declaration) ....82
4.3.4. रैंसमवेयर रिपोर्ट, 2022 (Ransomware Report-2022)....83
4.3.5. केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो {Central Bureau of Narcotics (CBN)} ....83
4.3.6. प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल (Pralay Ballistic Missile) ....84
4.3.7. सुर्ख़ियों में रहे अभ्यास (Exercises in News)....84

**5. पर्यावरण (Environment) 85**

5.1. प्रोजेक्ट टाइगर (Project Tiger)....85

5.2. प्रोजेक्ट एलीफेंट (Project Elephant) ....88

5.3. चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy) ....91

5.4. भूजल (Groundwater) ....94

5.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts) ....97
5.5.1. राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 {State Energy Efficiency Index (SEEI) 2021-22} ....97
5.5.2. जल निकायों की पहली गणना (First Census of Water Bodies) ....98
5.5.3. प्रयाग प्लेटफॉर्म (Prayag Platform)....98
5.5.4. पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र {Eco-Sensitive Zones (ESZ)}....99
5.5.5. प्रोसोपिस चिलेंसिस (Prosopis Chilensis)....99
5.5.6. पर्यावरण सांख्यिकी 2023 (Environment Statistics 2023)....100

5.5.7. कृषि खाद्य प्रणालियां (Agrifood Systems) ....................100
5.5.8. ओपन-सोर्स सीड्स मूवमेंट {Open-Source Seeds Movement (OSSM)} ....................100
5.5.9. फ्लाई-ऐश (Fly-Ash) ....................101
5.5.10. कार्बन बाजार सुधार (Carbon Market Reforms) ....................102
5.5.11. मिशन 50K-EV4ECO (Mission 50K-EV4ECO) ....................102
5.5.12. समुद्री सतह का तापमान {Sea Surface Temperature (SST)} ....................103
5.5.13. उर्ध्वगामी आकाशीय बिजली या उर्ध्वगामी चमक (Upward Lightning or Upward Flashes) ....................103
5.5.14. पशु जन्म नियंत्रण (ABC) नियमावली, 2023 (Animal Birth Control Rules, 2023) ....................104

**6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues) 105**

6.1. स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (National Curriculum Framework For School Education: NCFSE) ....................105

6.2. नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क (National Credit Framework: NCrF) ....................107

6.3. 2019-20 के लिए 7वां राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (NHA) अनुमान {7th National Health Accounts (NHA) Estimates (For 2019-20)} ....................109

6.4. विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट , 2023 (State of World Population Report 2023) ....................111

6.5. वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2023 (Global Food Policy Report 2023) ....................112

6.6. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts) ....................113
6.6.1. ट्रिपल थ्रेट रिपोर्ट (Triple Threat Report) ....................113
6.6.2. बाल संदिग्धों का आंकलन (Assessment of Child Suspects) ....................114
6.6.3. सरोगेसी के लिए ट्रिपल टेस्ट (Triple Tests For Surrogacy) ....................115
6.6.4. त्रुटि सुधार (Errata) ....................115

**7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology) 116**

7.1. भारतीय अंतरिक्ष नीति - 2023 (Indian Space Policy - 2023) ....................116

7.2. LIGO-इंडिया परियोजना (Ligo-India Project) ....................119

7.3. डार्क मैटर का मानचित्रण (Dark Matter Map) ....................122

7.4. राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (National Quantum Mission: NQM) ....................124

7.5. ज्यूपिटर आइसी मून्स एक्सप्लोरर मिशन {JUpiter ICy Moons Explorer (JUICE) Mission} ....................126

7.6. उभरते खतरों के लिए तैयारी और लचीलापन पहल (Preparedness and Resilience for Emerging Threats initiative: PRET) ....................129

7.7. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts) ....................130
7.7.1. दुर्लभ भू-तत्व (Rare Earth Elements: REE) ....................130
7.7.2. ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट (Blockchain Project) ....................130

7.7.3. सपोर्ट फॉर अपग्रेडेशन, प्रिवेंटिव रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट ( सुप्रीम/Supreme) {Support For Up-Gradation Preventive Repair & Maintenance of Equipment (Supreme)}....131
7.7.4. पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल-2 (पोएम-2) {PSLV Orbital Experimental Module-2 (POEM-2)}131
7.7.5. ट्रोपोस्फेरिक एमिशंस मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन (TEMPO) इंस्ट्रूमेंट {Tropospheric Emissions Monitoring of Pollution (TEMPO) Instrument}....132
7.7.6. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आयन साइक्लोट्रॉन (EMIC) तरंगे {Electromagnetic Ion Cyclotron (EMIC) Waves}....132
7.7.7. डीप लर्निंग जियोमैग्नेटिक पर्टर्बेशन (DAGGER) मॉडल {Deep Learning Geomagnetic Perturbation (DAGGER) Model}....133
7.7.8. मैग्नेटो रेजिस्टेंस (Magneto Resistance)....133
7.7.9. यूरेनियम का नया समस्थानिक (New Uranium Isotope)....133
7.7.10. द स्टेट ऑफ़ द वर्ल्डस चिल्ड्रन (SOWC) 2023 रिपोर्ट {State of the World's Children (SOWC) 2023 Report}....134
7.7.11. द बिग कैच-अप (The Big Catch-Up)....134
7.7.12. शिंग्रिक्स वैक्सीन (Shingrix Vaccine)....134
7.7.13. नो योर मेडिसिन (अपनी दवा को जानो) (Know Your Medicine)....135
7.7.14. सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार (International Prize in Statistics)....135

**8. संस्कृति (Culture) 136**

8.1. उच्चतर शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपराएं (Indian Knowledge Systems in Higher Education)....136
8.2. राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन (National Mission For Cultural Mapping: NMCM)....137
8.3. राजा रवि वर्मा (Raja Ravi Varma)....140
8.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)....141
8.4.1. वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन, 2023 (Global Buddhist Summit 2023)....141
8.4.2. सांची (Sanchi)....141
8.4.3. मनमदुरै मृदभांड (Manamadurai Pottery)....141
8.4.4. लद्दाख की काष्ठ नक्काशी कला (Ladakh's Wood Carvings)....142
8.4.5. नगरी दुबराज चावल (Nagri Dubraj Rice)....142
8.4.6. पुष्करालु/पुष्करम महोत्सव (Pushkaralu/Pushkaram Festival)....142
8.4.7. हक्की पिक्की (Hakki Pikki)....142
8.4.8. अभिलेख पटल (Abhilekh Patal)....143

**9. नीतिशास्त्र (Ethics) 144**

9.1. प्रवासन से जुड़ी नैतिकता (Ethics of Migration)....144

**10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News) 148**

10.1. सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (Credit Guarantee Scheme For Micro and Small Enterprises: CGMSE)....148

10.2. फेम (हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण) योजना {FAME (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicle) Scheme}........................................................................149

**11. परिशिष्ट (Appendix) 151**

| नोट: | |
|---|---|
| **प्रिय अभ्यर्थियों,**<br>करेंट अफेयर्स को पढ़ने के पश्चात् दी गयी जानकारी या सूचना को याद करना और लंबे समय तक स्मरण में रखना लेखों को समझने जितना ही महत्वपूर्ण है। मासिक समसामयिकी मैगज़ीन से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए, हमने निम्नलिखित नई विशेषताओं को इसमें शामिल किया है: | |
| | विभिन्न अवधारणाओं और विषयों की आसानी से पहचान तथा उन्हें स्मरण में बनाए रखने के लिए मैगज़ीन में बॉक्स, तालिकाओं आदि में विभिन्न रंगों का उपयोग किया गया है। |
| QUIZ | पढ़ी गई जानकारी का मूल्यांकन करने और उसे स्मरण में बनाए रखने के लिए प्रश्न एक महत्वपूर्ण उपकरण हैं। इसे सक्षम करने के लिए हम प्रश्नों के अभ्यास हेतु मैगज़ीन में प्रत्येक खंड के अंत में एक स्मार्ट क्विज़ को शामिल कर रहे हैं। |
| | विषय को सुगमता पूर्वक समझने और सूचनाओं को याद रखने के लिए विभिन्न प्रकार के इन्फोग्राफिक्स को भी जोड़ा गया है। इससे उत्तर लेखन में भी सूचना के प्रभावी प्रस्तुतीकरण में मदद मिलेगी। |
| NEWS | सुर्ख़ियों में रहे स्थानों और व्यक्तियों को मानचित्र, तालिकाओं और चित्रों के माध्यम से वस्तुनिष्ठ तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इससे तथ्यात्मक जानकारी को आसानी से स्मरण रखने में मदद मिलेगी। |

**Copyright © by Vision IAS**

*All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.*

# 1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance)

## 1.1. मूल ढांचे का सिद्धांत (Basic Structure Doctrine)

### सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, ऐतिहासिक केशवानंद भारती निर्णय (1973) के **50 वर्ष** पूरे हुए हैं। इस वाद से जुड़े निर्णय में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था।

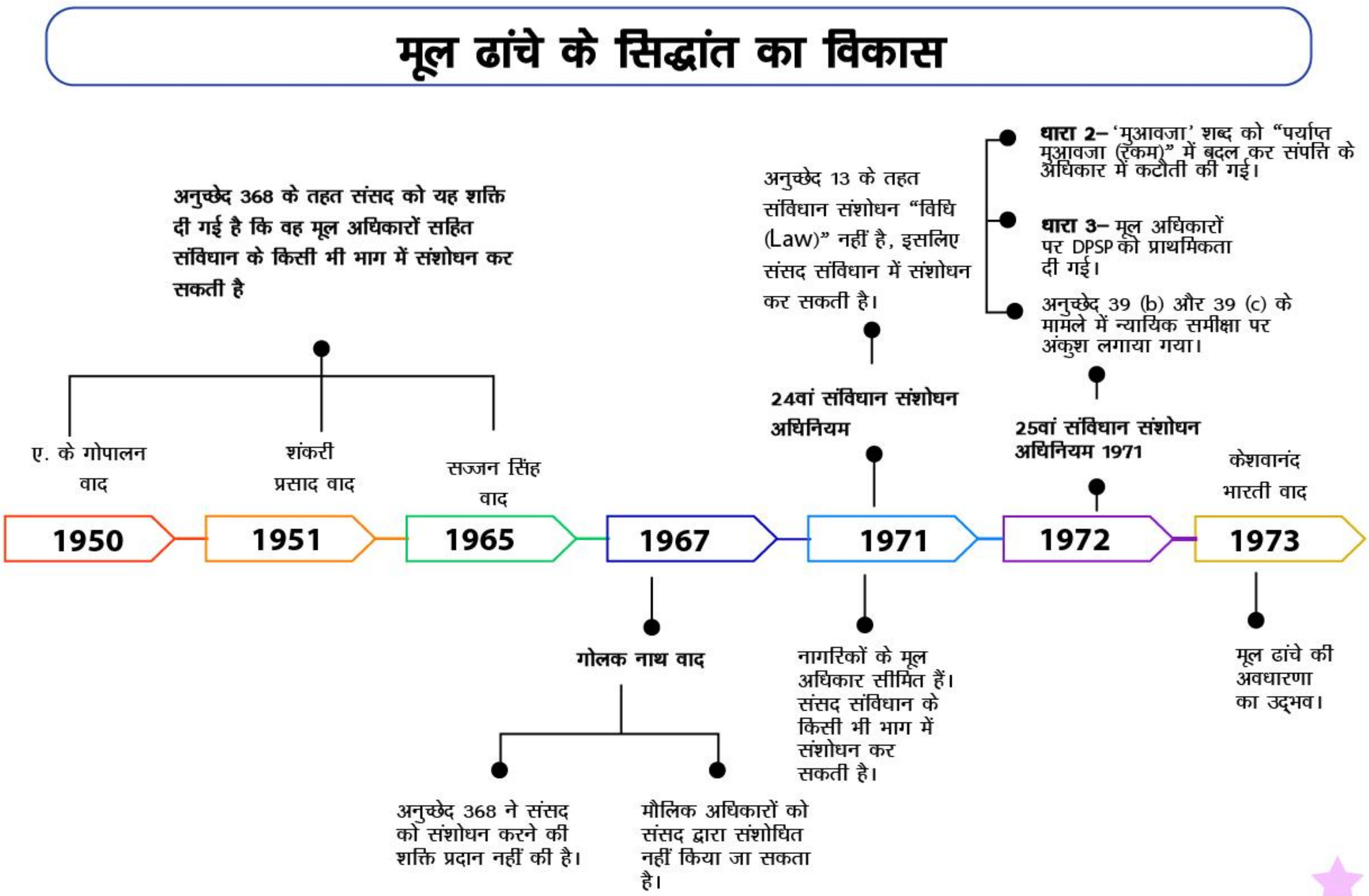


### केशवानंद भारती वाद, 1973 के बारे में

- यह वाद केरल सरकार के विरुद्ध दायर एक याचिका से संबंधित था। **केरल भूमि सुधार अधिनियम, 1963** के तहत केरल सरकार द्वारा जमींदारों और मठों के पास मौजूद भूमि का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया गया था। राज्य सरकार के इस निर्णय को **"केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य" वाद** में चुनौती दी गई थी। इस याचिका में राज्य सरकार पर भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 25, 26 और 31** में निहित मूल अधिकारों के अतिक्रमण का आरोप लगाया गया था।
- इस वाद की सुनवाई **13 न्यायाधीशों की एक पीठ द्वारा की गई थी। यह सुप्रीम कोर्ट में गठित अब तक की सबसे बड़ी पीठ है।**
- **इस वाद के मुख्य निष्कर्ष:**
  - **मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया:** सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में **24वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार** रखा था। साथ ही, यह निर्णय दिया था कि **संसद को संविधान के किसी भी या सभी प्रावधानों (मूल अधिकारों सहित) में संशोधन करने की शक्ति** प्राप्त है, बशर्ते संशोधन द्वारा **संविधान की मूलभूत विशेषताओं या मूल सिद्धांतों में परिवर्तन या उनकी क्षति अथवा लोप नहीं** होना चाहिए।
    - इसे **"मूल ढांचे के सिद्धांत"** के रूप में जाना जाता है।

- **गोलकनाथ वाद के निर्णय को पलट दिया गया:** सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया, दोनों शामिल हैं। साथ ही, संसद की संविधान संशोधन करने की ये शक्तियां एवं विधायी शक्तियां अलग-अलग हैं।
- **अन्य निर्णय:** सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की अपनी शक्ति को कम करने वाले हिस्सों को छोड़कर **25वें एवं 29वें संशोधन** के अन्य भाग की वैधता को बनाए रखा। साथ ही, यह भी कहा कि उद्देशिका (Preamble) संविधान का एक भाग है, इसलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है।

**कुछ सिद्धांत, जो वर्तमान में "मूल ढांचे" का भाग हैं**

- भारत की संप्रभुता,
- नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा,
- कल्याणकारी राज्य का निर्माण,
- संविधान की सर्वोच्चता,
- गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक सरकार,
- संविधान का पंथनिरपेक्ष और संघीय स्वरूप,
- विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण,
- राष्ट्र की एकता और अखंडता,
- न्यायिक समीक्षा का अधिकार,
- मौलिक अधिकारों और राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के बीच सामंजस्य व संतुलन आदि।

**मूल ढांचे के सिद्धांत के बारे में**

- मूल ढांचे के सिद्धांत के अनुसार, **संविधान में कुछ ऐसी मूलभूत विशेषताएं विद्यमान हैं, जिन्हें संविधान संशोधन के माध्यम से संसद द्वारा संशोधित या निरस्त नहीं** किया जा सकता है।
- भारत के **संविधान में कहीं भी "मूल ढांचा" पद का उल्लेख नहीं** किया गया है।

**मूल ढांचे के सिद्धांत का महत्त्व**

- यह संविधान में संशोधन करने की **संसद की शक्ति को उचित रूप से नियंत्रित** करता है।
- यह सुनिश्चित करता है कि **संविधान एक जीवंत दस्तावेज बना रहे।** साथ ही, अपने मूलभूत मूल्यों और सिद्धांतों को संरक्षित करते हुए समय के साथ बदलती परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करता रहे।
- इसके तहत **कानून का शासन, शक्तियों का पृथक्करण और न्यायपालिका की स्वतंत्रता** जैसे कई सिद्धांतों को मूल ढांचे में शामिल किया गया है। ये भारत में **संवैधानिक कानून का आधार** बन गए हैं।
- यह सुनिश्चित करता है कि **संविधान का संघीय ढांचा कमजोर न हो।**
- **यह संविधान की व्याख्या करते समय भारतीय न्यायपालिका के दृष्टिकोण को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।**

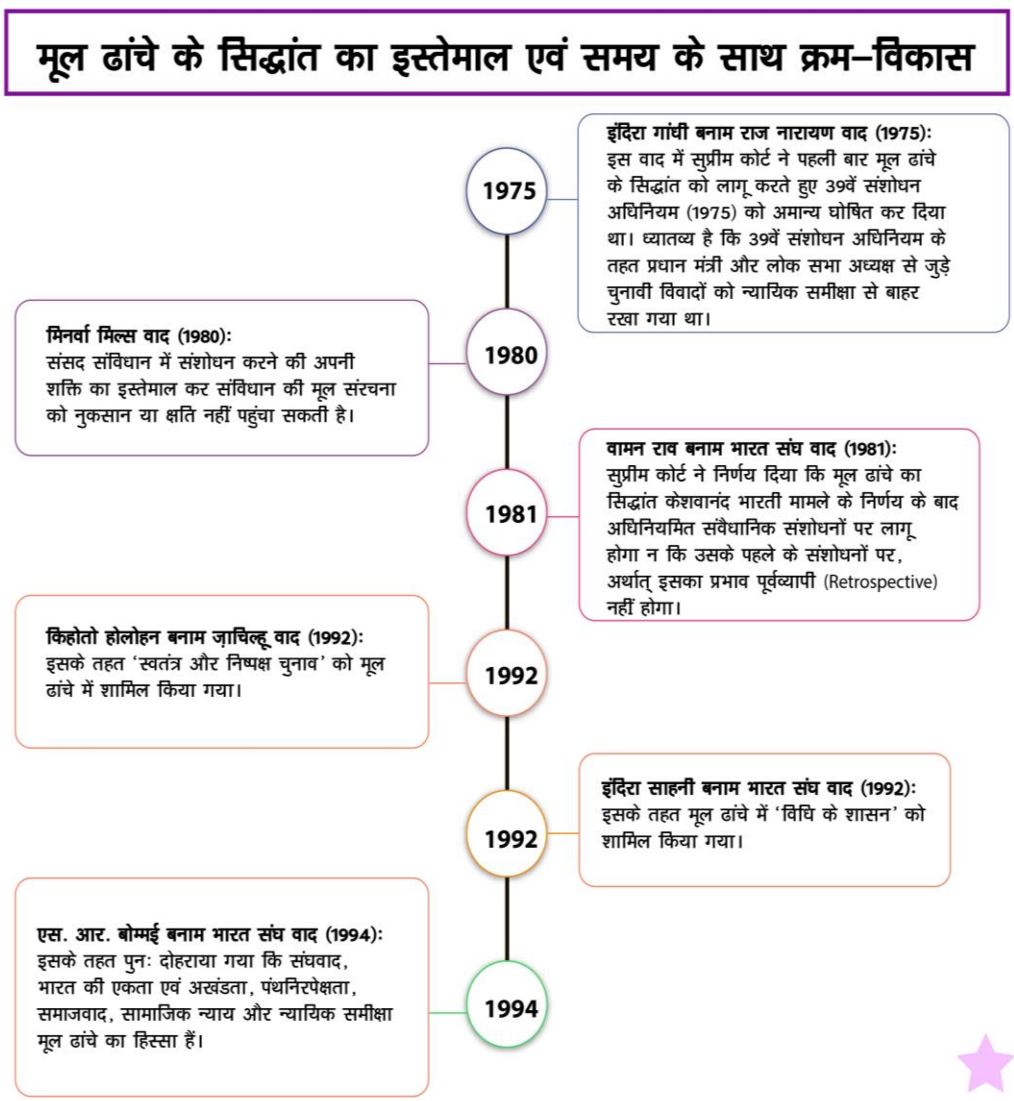


**मूल ढांचे के सिद्धांत के संबंध में प्रमुख चुनौतियां**

- **मूल ढांचे के दायरे को परिभाषित नहीं किया गया है:** 'मूल ढांचे' में क्या-क्या शामिल हैं, इस संदर्भ में प्रायः विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे मूल ढांचे की अलग-

अलग व्याख्या और भ्रम की संभावना बनी रहती है।

- **न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) का विस्तार होता है:** मूल ढांचे के सिद्धांत के उपयोग से न्यायालय, जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा पारित संविधान संशोधनों को अमान्य घोषित करने में समर्थ हो जाते हैं।
    - उदाहरण के लिए, 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार के लिए पारित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC)[1] अधिनियम को रद्द कर दिया था।
- **संसदीय संप्रभुता के साथ संघर्ष की स्थिति बनी रहती है:** अक्सर ऐसा माना जाता है कि यह सिद्धांत संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्तियों पर एक सीमा आरोपित करता है। इसे संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत के समक्ष एक चुनौती के रूप में माना जाता है।
    - उदाहरण के लिए, जम्मू और कश्मीर को प्राप्त विशेष दर्जे को हटाने के कदम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इसका आधार यह था कि यह कदम संघवाद, पंथनिरपेक्षता और आत्मनिर्णय के अधिकार (Right to Self-Determination) को कमजोर करता है। ध्यातव्य है कि 2019 में जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य को प्राप्त विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया गया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम की संवैधानिकता को बरकरार रखा है।
- **संविधान संशोधन में कठिनाई होती है:** इस सिद्धांत के कारण संविधान में संशोधन करना कठिन हो सकता है, भले ही ऐसे संशोधन बदलती सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अनिवार्य ही क्यों न हों।

**आगे की राह**

- **परिभाषा में स्पष्टता होनी चाहिए:** सुप्रीम कोर्ट द्वारा मूल ढांचे को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता है। साथ ही, कोर्ट द्वारा उन मूल्यों एवं मौलिक सिद्धांतों को भी परिभाषित किया जाना चाहिए, जिन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता है।
- **इस सिद्धांत के अनुप्रयोग में निरंतरता होनी चाहिए:** इस सिद्धांत को सभी मामलों में सतत रूप से लागू किया जाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि राज्य के किसी भी अंग द्वारा संविधान की मूल विशेषताओं के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सके।
- **न्यायिक सक्रियता को सीमित किया जाना चाहिए:** न्यायालयों को संविधान की व्याख्या तथा मूल ढांचे के संरक्षण संबंधी कार्यों में संयम बरतना चाहिए। साथ ही, न्यायालयों को शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत और संसद की भूमिका का भी सम्मान करना चाहिए।
- **जन जागरूकता और जन भागीदारी होनी चाहिए:** मूल ढांचे के सिद्धांत के महत्त्व और देश के शासन पर इसके प्रभाव को समझने के लिए जन जागरूकता और जन भागीदारी की आवश्यकता है। इससे मूल ढांचे के सिद्धांत के प्रति जन समर्थन के निर्माण और संविधान के संरक्षण में इसकी निरंतर प्रासंगिकता को बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

## 1.2. भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण (Democratic Decentralisation in India)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

वर्ष 2023 में **भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों के 30 वर्ष पूरे** हो गए हैं। 73वें और 74वें संशोधन के परिणामस्वरूप ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की स्थापना हुई थी। इससे एक **त्रिस्तरीय संघीय ढांचे** का निर्माण हुआ था।

| 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों के बारे में | |
|---|---|
| **73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992** | **74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992** |
| • **पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान** किया गया।<br>• भारत के संविधान में **एक नया भाग, अर्थात् भाग-IX को जोड़ा** गया। साथ ही, इस भाग में **अनुच्छेद 243 से लेकर 243(O)** तक प्रावधान शामिल हैं।<br>• संविधान में **एक नई सूची अर्थात् 11वीं अनुसूची को जोड़ा** गया। इस सूची में **पंचायतों के लिए 29 कार्यात्मक विषय** शामिल हैं। | • **शहरी स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा प्रदान** किया गया।<br>• संविधान में **भाग IX-A को जोड़ा** गया। इसमें **अनुच्छेद 243-P से लेकर 243-ZG** तक प्रावधान शामिल हैं।<br>• संविधान में **12वीं अनुसूची को जोड़ा** गया। इस सूची में नगर पालिकाओं के लिए **18 कार्यात्मक विषय** शामिल हैं। |

**अन्य संबंधित तथ्य**

- पंचायती राज मंत्रालय ने **मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से 24 अप्रैल को मध्य प्रदेश के रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस (NPRD)**[2] मनाया था। ध्यातव्य है कि **मध्य प्रदेश** 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 में दी गई 3-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है।
- **इस अवसर पर,**

---

[1] National Judicial Appointments Commission

[2] National Panchayati Raj Day

- प्रधान मंत्री ने एकीकृत ई-ग्राम स्वराज और गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल का उद्घाटन किया।
    - ई-ग्राम स्वराज और GeM पोर्टल को एकीकृत करने का उद्देश्य पंचायतों को ई-ग्रामस्वराज प्लेटफॉर्म का लाभ प्रदान करते हुए सीधे GeM के माध्यम से अपनी वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद करने हेतु सक्षम बनाना है।
- इस दौरान प्रधान मंत्री ने **चुनिंदा लाभार्थियों को स्वामित्व (SVAMITVA) संपत्ति कार्ड सौंपे।** यह देश में स्वामित्व योजना के तहत 1.25 करोड़ संपत्ति कार्ड वितरण की उपलब्धि का प्रतीक था। **स्वामित्व योजना- गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण योजना (SVAMITVA)[3] है।**

**भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बारे में**

- भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय **केंद्र/राज्य सरकारों से स्थानीय सरकारों, जैसे- पंचायत और नगरपालिका को शक्ति, संसाधनों तथा निर्णय-निर्माण के अधिकार के हस्तांतरण** से है।
- **संसद ने 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों को 1992 में पारित** किया था। इन्हें 1993 में लागू किया गया था। ये अत्यंत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन थे, जिन्होंने **भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत की थी।**

**भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बाद की उल्लेखनीय उपलब्धियां**

- **महिलाओं और वंचित समुदायों का सशक्तीकरण:** 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद से निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का अनुपात लगातार बढ़ रहा है।
    - वर्तमान में, **स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (EWRs) की हिस्सेदारी लगभग 49% है, जिनकी संख्या 14 लाख से अधिक है। साथ ही, इन संस्थाओं में 4,00,000 से अधिक सदस्य अनुसूचित जाति (SCs) और अनुसूचित जनजाति (STs) से संबंधित हैं।**
    - **राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और केरल** जैसे राज्यों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या उनके पुरुष समकक्षों की संख्या से अधिक हो गई है।
- **महिलाओं और SCs/STs के बढ़ते प्रतिनिधित्व के कारण सकारात्मक प्रभाव:** इसके कारण **महिलाओं के लिए समुदाय आधारित कल्याण पर किए जाने वाले व्यय में वृद्धि के साथ-साथ अपराधों की रिपोर्टिंग में भी बढ़ोतरी** हुई है। साथ ही, अनुसूचित जाति के सरपंच/प्रधानों द्वारा इस जाति की बस्तियों में **सार्वजनिक वस्तुएं उपलब्ध कराने हेतु निवेश किए जाने की अधिक संभावना है।** इससे भारत के पूर्ण रूप से पृथक गांवों में एक उल्लेखनीय परिवर्तन हो सकता है।
- **राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा:** इन अधिनियमों के कारण धन (Funds), कार्यों (Functions) और पदाधिकारियों (Functionaries) के हस्तांतरण के संबंध में अलग-अलग राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हुई है। उदाहरण के लिए-
    - केरल ने सभी 29 कार्यों को पंचायतों को हस्तांतरित कर दिया है,
    - बिहार ने "पंचायत सरकार" के विचार को प्रतिपादित किया है और
    - विविध राज्यों, जैसे- ओडिशा ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा को 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है।

**लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के समक्ष चुनौतियां**

- **सीमित शक्तियां और संसाधन:** पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) और नगरीय स्थानीय निकायों (ULBs) को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पुलिसिंग जैसे प्रमुख क्षेत्रकों में कोई नियंत्रण प्राप्त नहीं होता है। साथ ही, ये केंद्र और राज्य सरकार के अनुदानों पर निर्भर होते हैं। इससे विकास योजनाओं को स्वतंत्र रूप से क्रियान्वित करने की उनकी क्षमता बाधित होती है।
- **आर्थिक असमानताएं:** कुछ राज्यों और जिलों के पास अन्य की तुलना में बेहतर संसाधन व अवसंरचनाएं उपलब्ध होती हैं। **इससे असमान विकास को बढ़ावा मिलता है।**
- **नौकरशाही से संबंधित बाधाएं:** PRIs और ULBs को अपनी योजनाओं व परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में नौकरशाही से संबंधित बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इन बाधाओं में अनुमोदन में विलंब, अदक्ष कार्यान्वयन और भ्रष्टाचार शामिल हैं।
- **राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी:** नियंत्रण खोने के भय से केंद्र और राज्य सरकारें प्रायः सत्ता एवं शक्तियों के प्रभावी हस्तांतरण के लिए इच्छुक नहीं होती हैं।

[3] Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas

- वित्त आयोग की नियुक्ति में विलंब इसका एक प्रमुख उदाहरण है। साथ ही, इस आयोग की सिफारिशों को शायद ही कभी बजटीय योजनाओं में शामिल किया जाता है। यह **स्थानीय सरकारों की वित्तीय स्वायत्तता को भी कम करता है।**

- **समानांतर निकायों का निर्माण:** कई राज्यों ने पंचायतों को सौंपे गए कार्यों को संभालने के लिए समानांतर निकायों का निर्माण किया है। **उदाहरण के लिए**, हाल ही में हरियाणा सरकार ने स्थानीय निकायों के कार्यों की देखरेख के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक **ग्रामीण विकास एजेंसी** सृजित की है।
- **सामाजिक असमानताएं:** महिलाओं और वंचित समुदायों को प्रायः स्थानीय निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यह भेदभाव उनकी भागीदारी और प्रभाव को सीमित करता है।
- **उत्तरदायित्व का अभाव:** स्थानीय निर्णय-निर्माण की प्रक्रियाओं में प्रायः उत्तरदायित्व और पारदर्शिता की कमी होती है। इसके कारण **भ्रष्टाचार तथा संसाधनों के दुरुपयोग को बढ़ावा** मिल सकता है।
- **कमजोर क्षमता निर्माण:** प्रायः PRIs और ULBs के पास अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए आवश्यक तकनीकी व प्रशासनिक क्षमता की कमी होती है।

**भारत में पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदम**

- **राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA):** इसे स्थानीय विकास की जरूरतों के प्रति PRIs को अधिक उत्तरदायी बनाने तथा उनकी क्षमताओं को विकसित और मजबूत करने हेतु शुरू किया गया है।
- **ई-ग्राम स्वराज:** यह उपयोगकर्ता के अनुकूल एक वेब-आधारित पोर्टल है। इसके जरिए ग्राम पंचायतों की योजना, लेखा-जोखा और निगरानी कार्यों को एकीकृत किया गया है।
- **सबकी योजना सबका विकास - जन योजना अभियान (People's Plan Campaign: PPC):** इसे देश भर में ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (GPDPs) को तैयार करने के लिए शुरू किया गया है। इन योजनाओं को एक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाता है जहां कोई भी सरकार की प्रमुख योजनाओं की स्थिति देख सकता है।
- **पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (Backward Regions Grants Fund: BRGF):** इसके तहत, कुछ चिन्हित पिछड़े जिलों में स्थानीय स्तर पर बुनियादी ढांचे और अन्य विकास आवश्यकताओं में विद्यमान कमियों को दूर करने के लिए फंड दिए जाते हैं।
- **राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान:** यह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। यह संस्थान ग्रामीण विकास से जुड़े अधिकारियों, PRIs के निर्वाचित प्रतिनिधियों, बैंकरों, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों की क्षमता निर्माण का काम करता है।
- **राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार:** इसके तहत अलग-अलग मानदंडों और संकेतकों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों का चयन कर उन्हें अवार्ड दिया जाता है।
- **स्वामित्व (SWAMITVA) योजना:** इसका उद्देश्य गांव में अपने घरों के मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी कर उन्हें "रिकॉर्ड ऑफ़ राइट्स (संपत्ति अधिकार अभिलेख)' प्रदान करना है। इस प्रकार यह भूमि के स्वामित्व के मामले में सटीक डेटा उपलब्ध कराकर PRIs को सशक्त बनाता है।

**आगे की राह**

- **वित्तीय हस्तांतरण को मजबूत करना:** इस लक्ष्य को वित्त आयोगों से धन के अधिक आवंटन के माध्यम से और वित्त-पोषण के नवीन स्रोतों, जैसे- नगरपालिका बॉण्ड आदि का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है।
- **क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण:** पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों का निरंतर क्षमता-निर्माण करने एवं उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है। इसे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान जैसे समर्पित प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करके और क्षेत्रीय भाषाओं में प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करके प्राप्त किया जा सकता है।
- **कानून के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाना:** यह सहभागितापूर्ण योजना-निर्माण, बजट और योजनाओं के सार्वजनिक प्रकटीकरण तथा निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में नागरिकों की अधिकतम भागीदारी के माध्यम से संभव हो सकता है।
- **प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना:** ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन जैसे ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म का कुशल कार्यान्वयन करना चाहिए। साथ ही, इनके संबंध में जागरूकता का प्रसार करना चाहिए। ये प्लेटफॉर्म नागरिकों को PRIs के साथ परस्पर संपर्क स्थापित करने और सूचना तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं।
- **महिलाओं की भूमिका को मजबूत करना:** एक संसदीय पैनल ने अपनी रिपोर्ट में "सरपंच पति" या "प्रधान पति" की प्रचलित अवधारणाओं को रोकने की मांग की थी। रिपोर्ट में इसके लिए पंचायती राज संस्थाओं की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने और उनके क्षमता-निर्माण के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाने पर बल दिया गया था। "सरपंच पति" या "प्रधान पति" पद निर्वाचित महिला सरपंचों के लिए प्रॉक्सी के रूप में कार्य करने वाले उनके पति को संदर्भित करता है।

## 1.3. सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने भारत में सहकारी संघवाद के महत्त्व को रेखांकित किया है।

**सहकारी संघवाद के बारे में**

- सहकारी संघवाद **संघ और राज्यों के बीच क्षैतिज संबंध को प्रकट** करता है। साथ ही, यह दर्शाता है कि दोनों में से कोई भी एक-दूसरे से ऊपर नहीं है।
    - सहकारी संघवाद में परिकल्पना की जाती है कि राष्ट्रीय और राज्य एजेंसियां **सरकारी कार्यों को संयुक्त रूप से पूर्ण करेंगी, न कि अलग-अलग।**
- भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच **सहयोग को सुनिश्चित करने के लिए कई विधियों को उपबंधित किया गया है।**
- **नीति/NITI (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) आयोग** भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
    - नीति आयोग की कुछ प्रमुख भूमिकाओं में सहयोग-आधारित नीति-निर्माण, केंद्र-राज्य संवाद, राज्यों को प्रोत्साहन देना और निगरानी एवं मूल्यांकन करना शामिल हैं।

**सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए उपबंधित संवैधानिक प्रावधान**

- **7वीं अनुसूची**- यह **समनुषंगिता के सिद्धांत** (Principle of Subsidiarity) के आधार पर संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों का निर्धारण करती है।
- **अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाएं।**
- **एकीकृत न्याय प्रणाली**- यह राज्यों के साथ-साथ केंद्रीय कानूनों को भी लागू करने के लिए उत्तरदायी है।
- **अंतर-राज्य परिषद**- केंद्र और राज्यों के बीच साझा हित के विषय पर चर्चा एवं जांच करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत इसके गठन का प्रावधान किया गया है।
- **अनुच्छेद 261 के तहत उपबंधित पूर्ण विश्वास और पूर्ण मान्यता संबंधी खंड**- इसके तहत प्रावधान किया गया है कि संघ और प्रत्येक राज्य के सभी सार्वजनिक अधिनियमों, अभिलेखों एवं न्यायिक कार्यवाहियों को देश भर में पूर्ण विश्वास तथा मान्यता प्राप्त होगी।
- **क्षेत्रीय परिषदें**- इनकी स्थापना अलग-अलग क्षेत्रों के मध्य समन्वय सुनिश्चित करने के लिए की गई है। साथ ही, इन्हें **राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत सांविधिक निकायों** के रूप में स्थापित किया गया है।
- **वित्त आयोग**- संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की अनुशंसा करने के लिए **अनुच्छेद 280 के तहत इसकी स्थापना हेतु उपबंध किया गया है।**
- **अनुच्छेद 279A के तहत GST परिषद**- यह GST की दरों और इसके कार्यान्वयन के तौर-तरीकों को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है।

**भारत में सहकारी संघवाद की आवश्यकता**

- **क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने हेतु:** राज्यों को सामाजिक-आर्थिक और अवसंरचना संबंधी अंतराल को समाप्त करने हेतु केंद्र सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए। इस सहयोग के माध्यम से वे समावेशी और संतुलित विकास प्राप्त कर सकते हैं।
- **नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु:** केंद्र सरकार की नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पर्याप्त सहयोग की आवश्यकता होती है, क्योंकि कई नीतियां राज्यों द्वारा लागू की जाती हैं।
- **संसाधनों की साझेदारी हेतु:** सहकारी संघवाद संसाधनों के उचित और समान बंटवारे की सुविधा प्रदान करता है। इससे विकास के लिए सभी राज्यों की संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित होती है।
- **लोकतंत्र को मजबूत करने हेतु:** सहकारी संघवाद राज्यों को अधिक स्वायत्तता देते हुए सत्ता के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देता है। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में लोगों की विविध आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखा गया है।

**शब्दावली को जानें**

**प्रतिस्पर्धी संघवाद (Cooperative Federalism)**

- यह **राज्यों और केंद्र सरकार के बीच ऊर्ध्वाधर संबंध** को संदर्भित करता है, जबकि राज्य आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं।
- इसके लिए नीति आयोग **स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक** आदि के माध्यम से राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है।
- इस संदर्भ में, नीति आयोग **आकांक्षी जिलों के प्रदर्शन के लिए डेल्टा रैंकिंग** भी जारी करता है।

- **उभरते मुद्दों पर सहयोग हेतु:** सहकारी संघवाद यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों को एक समन्वित तरीके से निपटाया जाए। समन्वित तरीके से आशय है कि सरकार के सभी स्तर एक साझा लक्ष्य की दिशा में साथ मिलकर कार्य करें।

**भारत में सहकारी संघवाद के समक्ष चुनौतियां:**

- **सत्ता का अत्यधिक-केंद्रीकरण:** कुछ मामलों में केंद्र को राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां प्राप्त है। साथ ही, केंद्र द्वारा ऐसे नियम और विनियम अधिरोपित कर दिए जाते हैं, जो कुछ राज्यों को अपने लिए भेदभावपूर्ण प्रतीत होते हैं। परिणामतः केंद्र और राज्यों के बीच हितों के टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
    - उदाहरण के लिए, कोविड महामारी के दौरान आपदा प्रबंधन अधिनियम का उपयोग केंद्र द्वारा प्रभावी रूप से राज्यों की उपेक्षा करने और पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने हेतु किया गया था।

- **राजनीतिक मतभेद:** केंद्र सरकार पर विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों को लक्षित करने तथा उन्हें वित्त एवं संसाधनों से वंचित करने हेतु अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया जाता है।
- **अंतर-राज्य विवाद:** प्रायः केंद्र सरकार से जल और भूमि जैसे संसाधनों पर अलग-अलग राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों में मध्यस्थता करने के लिए मांग की जाती है। इस प्रकार की मध्यस्थता में केंद्र सरकार की पक्षपात करने के लिए आलोचना की जाती है।
- **विविधता:** भारत की विविधता अलग-अलग क्षेत्रों के लिए नीति निर्माण हेतु एक अनुकूलित दृष्टिकोण (Customized Approach) की मांग करती है। इससे केंद्र व राज्य सरकारों के बीच सहयोग और भी कठिन बन जाता है।
- **राज्य के मामलों में हस्तक्षेप:** इसके कारण राज्यों की स्वायत्तता में कमी हो गई है।
  - उदाहरण के लिए, नए कृषि कानूनों पर उत्पन्न हालिया विवाद ने केंद्र सरकार और राज्यों के बीच तनाव को उजागर किया है। ध्यातव्य है कि इन कानूनों का कई राज्य विरोध कर रहे हैं।

**भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम**

- 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद **केंद्रीय कर राजस्व में राज्यों का हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया** गया है।
- **राज्यों को** अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर **अपने व्यय की योजना बनाने की स्वतंत्रता है।**
- **केंद्र प्रायोजित योजनाओं का पुनर्गठन किया गया है।**
- उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (UDAY) के तहत **वित्तीय क्षेत्रक के बेलआउट संबंधी कार्यक्रम को कार्यान्वित** किया गया है।
- **राज्यवार ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग तैयार की गई है।**
- **वस्तु एवं सेवा कर (GST) प्रणाली को लागू किया गया है।**
- **नीति आयोग द्वारा विविध कदम उठाए गए हैं, जैसे:**
  - **प्रधान मंत्री/कैबिनेट मंत्रियों और सभी मुख्यमंत्रियों के बीच बैठकें आयोजित करना;**
  - राष्ट्रीय महत्त्व के विषयों पर **मुख्यमंत्रियों के उपसमूह का गठन करना;**
  - **राज्यों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना;**
  - राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पदाधिकारियों को **नीतिगत समर्थन प्रदान करना और उनकी क्षमता का विकास करना;**
  - पिछड़े जिलों के विकास के लिए **आकांक्षी जिला कार्यक्रम** की शुरुआत करना;
  - **भूमि पट्टे पर देने और कृषि विपणन सुधारों के लिए आदर्श कानून तैयार करना।**
  - उत्तर-पूर्वी राज्यों, हिमालयी राज्यों और द्वीपीय राज्यक्षेत्रों के विकास के लिए **क्षेत्र-विशिष्ट पहलें करना।**
  - शिक्षा और स्वास्थ्य में बदलाव शुरू करने हेतु **"मानव पूंजी परिवर्तन के लिए संधारणीय कार्रवाई" (SATH)[4] कार्यक्रम** का आरंभ किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत **भविष्य के तीन 'रोल मॉडल' राज्यों की पहचान करना और उनका निर्माण करना** भी शामिल है।

**भारत में सहकारी संघवाद को मजबूत करने के लिए आगे की राह:**

- **स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना:** पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों जैसी स्वशासन इकाइयों को विकासात्मक गतिविधियों को प्रारंभ करने हेतु सशक्त बनाया जाना चाहिए। साथ ही, उन्हें विकास प्रक्रिया में अधिक प्रभावी भूमिका निभाने के लिए भी सक्षम बनाया जाना चाहिए।
- **वित्तीय हस्तांतरण करना:** राज्यों के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने और राजकोषीय संघवाद को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी को बढ़ाया जाना चाहिए।
- **सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना: विविध विवादास्पद मुद्दों (विशेष रूप से भूमि, श्रम और प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मुद्दों)** पर राज्यों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना चाहिए।
- **केंद्र-राज्य विवादों का समाधान करना:** भारत के सुप्रीम कोर्ट ने जल के बंटवारे, अंतर-राज्य सीमाओं और अन्य मुद्दों से संबंधित विवादों का समाधान करने के लिए अलग-अलग अधिकरणों की स्थापना की है।
  - यह **विश्वास-निर्माण तथा समन्वय एवं सहयोग के लिए अनुकूल परिवेश बनाने** में सहायता करेगा।
- **पैरा डिप्लोमेसी (Paradiplomacy) को बढ़ावा देना:** प्रायः राज्य व्यापार, वाणिज्य, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), शिक्षा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के क्षेत्रों में राजनयिक उपाय अपनाने हेतु बेहतर तरीके से तैयार होते हैं। इसलिए, पैरा डिप्लोमेसी सहकारी संघवाद का एक बड़ा उदाहरण बनकर उभर रहा है, जो राज्यों को देश के विकास में समान भागीदार बना रहा है। पैरा डिप्लोमेसी से तात्पर्य विदेश नीति के विकेंद्रीकरण से है।
  - भारत की G20 की अध्यक्षता तथा अलग-अलग शहरों में आयोजित बैठकें सहकारी संघवाद को और बढ़ावा देंगी।
- **समावेशी निर्णय-निर्माण सुनिश्चित करना:** शासन में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए समावेशी निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया सुनिश्चित करनी चाहिए। इस प्रक्रिया में नागरिक समाज संगठनों सहित सभी हितधारक शामिल होने चाहिए।

---

[4] Sustainable Action for Transforming Human Capital

संघवाद के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए।

वीकली फोकस #51: अनूठा भारतीय संघवादः उभरते विषय और नई चिंताएं

## 1.4. अंतर्राज्यीय सीमा विवाद (Inter-state Border Disputes)

### सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **असम और अरुणाचल प्रदेश** ने दशकों से चल रहे अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए **एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर** किए हैं।

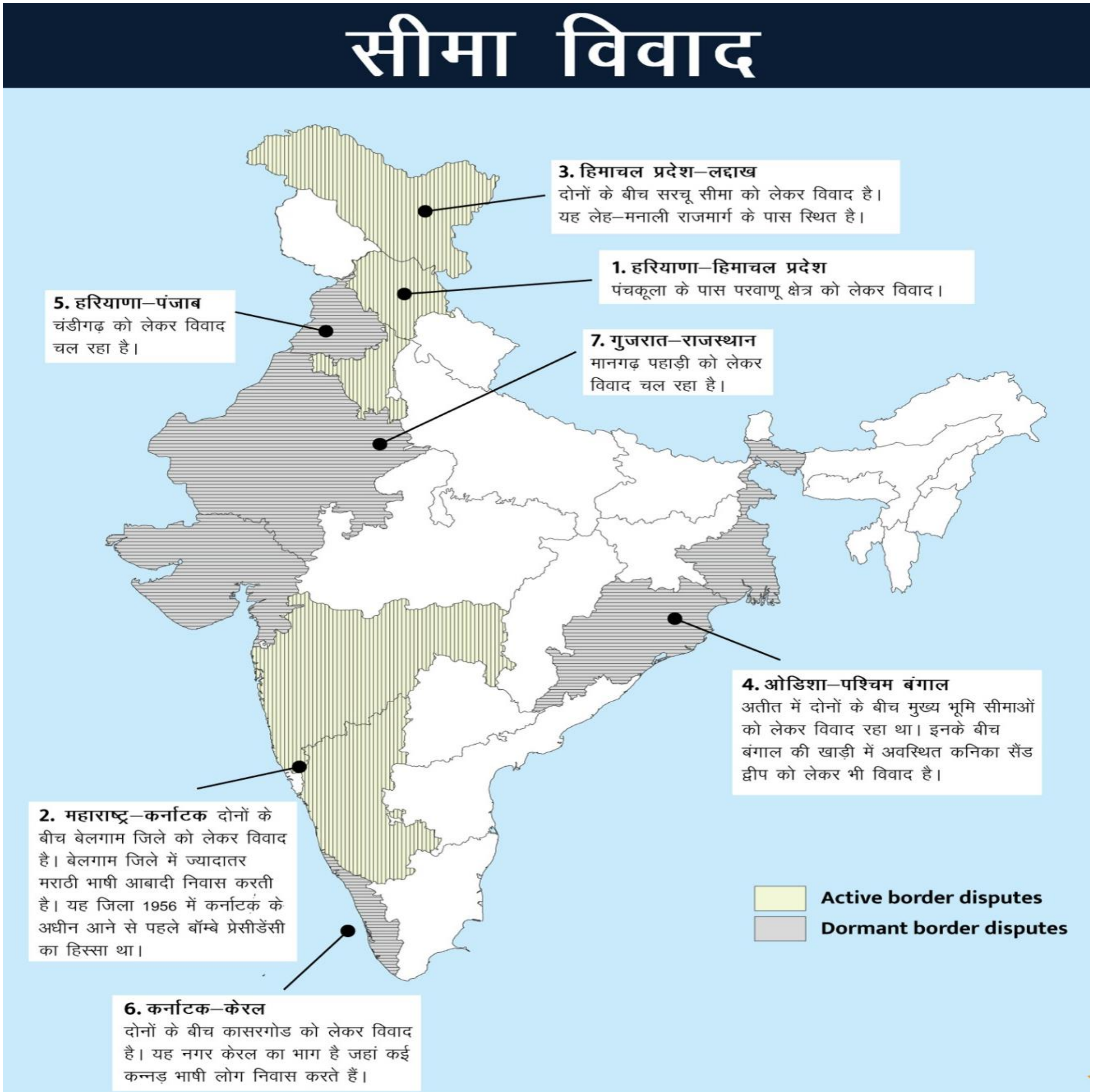

**अन्य संबंधित तथ्य**

- यह सीमा विवाद दोनों राज्यों के मध्य 123 गांवों को लेकर चल रहा है। ये गांव अरुणाचल प्रदेश के 12 और असम के 8 जिलों में स्थित हैं।
- इस समझौते के तहत, **दोनों राज्य सरकारें इस बात पर सहमत हुई हैं कि भविष्य में** इस विवाद में इन 123 गांवों के अलावा **कोई नया क्षेत्र या गांव शामिल नहीं किया** जाएगा।
- हस्ताक्षरित MoU के अनुसार, **इनमें से 34 गांवों के विवाद का समाधान पहले ही कर लिया गया है।**
    - **जुलाई 2022 की नमसाई घोषणा-पत्र (Namsai Declaration) के माध्यम से 37 गांवों के विवादों का समाधान किया गया था।**
    - इसके तहत एक सहमति बनी है कि 71 गांवों में से अरुणाचल प्रदेश के एक गांव को असम में शामिल किया जाएगा, शेष बचे 70 गांवों में से 10 गांव असम में ही बने रहेंगे और 60 गांवों को असम से लेकर अरुणाचल प्रदेश को सौंप दिया जाएगा।

- दोनों राज्यों की ओर से विवाद का समाधान करने की शुरुआत 2022 में **12 क्षेत्रीय समितियों के गठन** के साथ हुई थी।
    - इन समितियों द्वारा दिए गए सुझावों को **दोनों राज्यों ने स्वीकार** कर लिया है।

**अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के कारण**

- **औपनिवेशिक विरासत:** अंग्रेज़ अपने शासन को सरल एवं आसान बनाना चाहते थे, जिससे भारत में प्रशासनिक एकीकरण तो हुआ किंतु सांस्कृतिक एवं भाषाई एकीकरण न हो सका। इससे **लोगों की व्यक्तिगत पहचान और उनके आवासीय क्षेत्रों के बीच असंतुलन स्थापित** हो गया।
- **अलग-अलग भौगोलिक विशेषताएं:** दोनों राज्यों की सीमाओं पर नदियों, पहाड़ियों और जंगलों के रूप में **जटिल भू-भाग मौजूद हैं।** इससे दोनों राज्यों की **भौतिक सीमाओं को स्पष्ट रूप से दर्शाना** कठिन हो जाता है।
- **सीमा विवाद के समाधान के लिए अपर्याप्त तंत्र:** भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 131 में न्यायिक निवारण (Judicial Redressal) और अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद (Inter-state Council) का प्रावधान** किया गया है। दुर्भाग्यवश, न्यायिक निवारण से राजनीतिक विवादों का समाधान संभव नहीं है और अंतर्राज्यीय सीमा विवादों के निपटान के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है।
    - अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक **भी कभी-कभी ही होती है।** पिछले 16 वर्षों में **केवल दो बैठकें** ही हुई हैं।

**राज्यों के बीच विवादों का समाधान करने के तरीके**

- **न्यायिक निवारण:** सुप्रीम कोर्ट अपनी **आरंभिक अधिकारिता** के तहत राज्यों के बीच विवादों का निर्णय करता है। संविधान के **अनुच्छेद 131** में यह प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट को **निम्नलिखित विवादों में आरंभिक अधिकारिता प्राप्त होगी:**
    - भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद; या
    - एक ओर भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों तथा दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच विवाद; या
    - दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद।
- **अंतर्राज्यीय परिषद (ISC):** अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को राज्यों के बीच विवादों का समाधान करने के लिए **अंतर्राज्यीय परिषद गठित** करने की शक्ति प्रदान करता है। परिषद की परिकल्पना राज्यों और केंद्र के बीच **चर्चा के लिए एक मंच** के रूप में की गई है। **इसके निम्नलिखित कर्तव्य हैं:**
    - राज्यों के बीच जो **विवाद** उत्पन्न हो गए हैं, उनकी जांच करना और उन पर **सलाह देना;**
    - **कुछ या सभी राज्यों** अथवा संघ और एक या एक से अधिक राज्यों के **साझा हित** से संबंधित विषयों की जांच करना एवं उन पर विचार-विमर्श करना, या
    - ऐसे किसी विषय पर सिफारिश करना और विशेषतः उस विषय के संबंध में नीति एवं कार्रवाई के बेहतर समन्वय के लिए सिफारिश करना।
- **क्षेत्रीय परिषदें (Zonal Councils):** ये **राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956** द्वारा गठित वैधानिक निकाय हैं। इनका उद्देश्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्र के बीच **सहयोग और समन्वय को बढ़ावा** देना है। ये **केवल विचार-विमर्शी एवं सलाहकारी निकाय** हैं।

- **गठित आयोगों/ समितियों की गैर-बाध्यकारी प्रकृति:** सामान्य तौर पर **वास्तविक या जमीनी स्थिति** को समझने के लिए समितियों का गठन किया जाता है। हालांकि, इनकी सफलता इनके **प्रभावी कार्यान्वयन** पर निर्भर करती है। चूंकि अलग-अलग समूहों के **राजनीतिक हित भी अलग-अलग होते हैं,** इसलिए ये समूह समितियों की सिफारिशों को नजरअंदाज कर देते हैं या उनका क्रियान्वयन उचित तरह से नहीं करते हैं।
  - उदाहरण के लिए- वर्ष 1966 में केंद्र ने **महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल** में सीमा विवाद के समाधान के लिए भारत के **पूर्व मुख्य न्यायाधीश मेहरचंद महाजन के नेतृत्व में महाजन आयोग** का गठन किया था। हालांकि, **बेलगाम के संबंध में** आयोग की सिफारिशों को **महाराष्ट्र** ने अस्वीकार कर दिया था।
- **राजनीतिक मतभेद:** राजनीतिक विचारधाराओं में अंतर, दल से संबद्धता और क्षेत्रीय हित भी अंतर्राज्यीय सीमा विवाद का कारण बन सकते हैं। राजनीतिक दल एवं नेता, ऐसे विवादों को लोगों को संगठित करने और चुनावी लाभ प्राप्त करने के एक माध्यम के रूप में उपयोग करते हैं।
- **राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव:** अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के समाधान के लिए दीर्घकालिक प्रयासों और राजनीतिक प्रतिबद्धता का अभाव रहता है, जिसके कारण ये विवाद बने रहते हैं। इससे राज्यों की सीमाओं पर तनाव और संघर्ष की स्थिति में वृद्धि होती है।

**आगे की राह**

- **आपसी समझौते के दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए:** सरकार को किसी ऐसे दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए, जिससे विवाद के पक्षकार सभी राज्यों को फायदा हो। इसमें किसी एक राज्य को क्षति और दूसरे राज्य को लाभ की स्थिति नहीं होनी चाहिए। इस तरह के विवाद का **निवारण,** केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व होना चाहिए। साथ ही, केंद्र सरकार को राज्यों को **उचित मुआवजा** भी समय पर देना चाहिए।
- **मुख्य मुद्दों को समझना चाहिए:** नीति-निर्माताओं को **विवाद के मुख्य मुद्दों को समझना** चाहिए। ऐसे विवादों के हल के लिए केंद्र सरकार की मध्यस्थता से एक **राजनीतिक समाधान** खोजने हेतु और अधिक प्रयास किए जाने चाहिए। साथ ही, यह समाधान **सभी पक्षों पर बाध्यकारी भी होना चाहिए।**
- **लोगों के बीच जागरूकता में वृद्धि करनी चाहिए:** राजनेताओं को **व्यवस्थित और शांतिपूर्ण सीमाओं के लाभों** के बारे में जागरूकता बढ़ानी चाहिए। राजनेताओं को इस बात का आश्वासन देना चाहिए कि यदि सीमाओं पर शांति होगी तो बेहतर **अवसंरचना, कनेक्टिविटी और विकास** संभव होगा।
- **सभी हितधारकों को शामिल करना चाहिए:** स्थानीय लोगों को शामिल करने से **सरकार और लोगों के बीच की दूरी कम** होगी। इससे दोनों के मध्य संपर्क में भी वृद्धि होगी।
  - सरकार को **गैर-सरकारी संगठनों, नागरिक समाजों एवं छात्र संगठनों की सहायता से 'पारस्परिक सह-अस्तित्व और विकास'** की अवधारणा का प्रचार-प्रसार करना चाहिए।
- **उचित पुनर्वास नीति तैयार करनी चाहिए:** कई बार सीमा विवाद का समाधान लोगों के विस्थापन का कारण बन जाता है। लोगों के अनुकूल समाधान नीति **विवाद-समाधान प्रक्रिया को** शान्तिपूर्ण बनाएगी। साथ ही, लोगों के बीच **विश्वास को बढ़ाने** में भी सहायक होगी।
- **लोगों के हित को सर्वोपरि रखना चाहिए:** ग्रामीण स्तर पर अंतर्राज्यीय सीमा विवाद का हल करने से वास्तविक शिकायतों का समाधान हो सकता है। साथ ही, प्रभावी समाधान के लिए लोगों के हितों को वरीयता दी जानी चाहिए।

## 1.5. आधार (Aadhaar)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने सरकारी मंत्रालयों एवं विभागों के अलावा अन्य संस्थाओं को भी आधार प्रमाणीकरण के प्रयोग में सक्षम बनाने हेतु नियमों को प्रस्तावित किया है। इसका प्रस्ताव नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के वितरण को और अधिक बेहतर बनाने के लिए किया गया है।

**अन्य संबंधित तथ्य**

- **आधार अधिनियम में 2019 में संशोधन किया गया था। इस संशोधन में अन्य संस्थाओं को** भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI)[5] की स्वीकृति

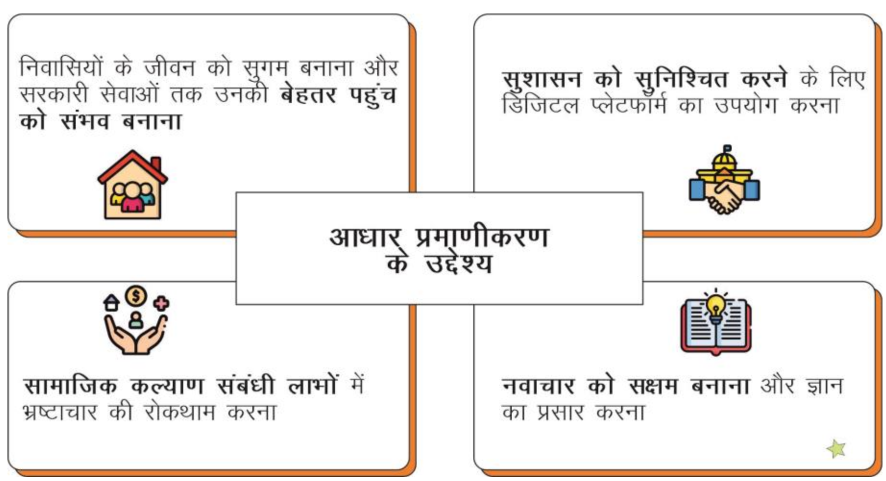


[5] Unique Identification Authority of India

के साथ आधार प्रमाणीकरण को लागू करने की अनुमति दी गई है। बशर्ते उनके द्वारा **सुरक्षा और गोपनीयता संबंधी मानकों का अनुपालन** किया गया हो।

- वर्तमान में, मंत्रालयों और विभागों को **2020 के नियमों के तहत आधार प्रमाणीकरण को लागू करने की अनुमति दी** गई है।
  - यह अनुमति **सुशासन के हित में, सार्वजनिक धन के रिसाव को रोकने, नवाचार को सक्षम बनाने तथा ज्ञान का प्रसार** करने जैसे उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दी गई है।
- इसके अतिरिक्त, 2019 के संशोधन में उपबंध किया गया है कि यदि UIDAI **बैंकों और दूरसंचार कंपनियों** जैसी संस्थाओं द्वारा **गोपनीयता एवं सुरक्षा संबंधी मानकों के अनुपालन** से संतुष्ट हो जाता है, तो इन संस्थाओं को भी प्रमाणीकरण करने की अनुमति दी जा सकती है।
- अब, यह प्रस्तावित किया गया है कि **मंत्रालय या विभाग के अलावा कोई भी संस्था,** जो आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करना चाहती है, उसे केंद्र या राज्य स्तर पर **संबंधित मंत्रालय/विभाग को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत** करना होगा।

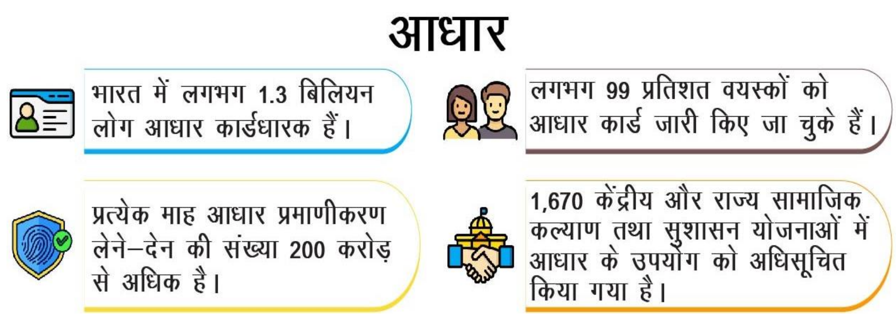


**आधार से संबंधित मुद्दे**

- **त्रुटिपूर्ण डेटाबेस:** भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) की रिपोर्ट (2022) के अनुसार, **UIDAI द्वारा जारी की गई आधार संख्या की प्रमाणिकता संदेहास्पद है। इस संदेह के कारण अधूरी जानकारी, पर्याप्त या उचित दस्तावेजीकरण का अभाव और त्रुटिपूर्ण बायोमेट्रिक हैं।** इसके परिणामस्वरूप, एक ही व्यक्ति को कई या डुप्लीकेट आधार कार्ड जारी किए जा रहे हैं।
- **निवास की स्थिति से संबंधित चिंताएं:** आवेदन करने वाला व्यक्ति भारत में आधार नियमों द्वारा **निर्दिष्ट अवधि हेतु भारत का निवासी था या नहीं,** इसकी जांच करने के लिए UIDAI ने **कोई विशिष्ट प्रमाण, दस्तावेज या प्रक्रिया निर्धारित नहीं की है।**
- **प्रमाणीकरण संबंधी त्रुटियों (Authentication errors) की घटनाएं:** उपयोगकर्ताओं में प्रमाणीकरण गतिविधियों की सफलता दर असंतोष का कारण बनी हुई है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि अनेक स्थितियों में आधार का **बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण विफल हो जाता है।**
  - वर्ष 2019 में एक सर्वेक्षण किया गया था। इसमें शामिल **2.5 प्रतिशत लोगों ने बताया कि उनके आधार में विद्यमान कुछ समस्याओं के कारण उन्हें कल्याणकारी सेवाओं का लाभ प्राप्त नहीं** हो सका है।

- **प्रणालीगत सुभेद्यता:** इसमें अन्य फोटो पहचान पत्रों में मौजूद **मानक सुरक्षा तत्वों जैसे माइक्रोचिप, होलोग्राम या आधिकारिक मुहर आदि का अभाव** है। इससे आधार की **जाली कॉपी बनाने या इसमें दर्ज जानकारियों में फेर-बदल करने की** संभावना बढ़ जाती है।
- **डेटा के लीक होने और गोपनीयता संबंधी चिंताएं:** आधार के संचालन में सुरक्षा संबंधी खामियां मौजूद हैं। इसके कारण **आसानी से डेटा लीक हो सकता है।**

- **बाल आधार (Bal Aadhaar):** पांच वर्ष से कम आयु के अवयस्क बच्चों को **उनके माता-पिता के बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल करके** आधार संख्या जारी की जाती है। यह आधार अधिनियम के मूल सिद्धांत के खिलाफ है।
    - **CAG की रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि** UIDAI ने 31 मार्च, 2019 तक बाल आधार जारी करने पर 310 करोड़ रुपये खर्च किए। इस खर्च को आसानी से टाला जा सकता था।
- **बायोमेट्रिक्स को अपडेट करना:** किसी व्यक्ति के जीवनकाल में बायोमेट्रिक्स हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं। इसलिए, बायोमेट्रिक्स को समय-समय पर **अपडेट** किए जाने की भी आवश्यकता होती है।

**आधार प्रणाली को मजबूत करने के लिए की गई पहलें**

- **निम्नलिखित विषयों को शामिल करते हुए आधार 2.0 के लिए एक रूपरेखा तैयार की गई है:**
    - निवासी केंद्रित सेवाओं पर निरंतर ध्यान केंद्रित करना;
    - आधार का उपयोग बढ़ाना;
    - आधार पर लोगों के विश्वास को और मजबूत करना;
    - नई तकनीकों को अपनाना; तथा
    - अंतर्राष्ट्रीय पहुंच को बढ़ाना।

**भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI)**

सत्यमेव जयते
Unique Identification Authority of India

मुख्यालय: दिल्ली

**उत्पत्ति (Genesis):** यह एक वैधानिक प्राधिकरण है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Meity) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 2016 में आधार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों तहत स्थापित किया गया था।

- आरंभ में, UIDAI तत्कालीन योजना आयोग के एक संबद्ध कार्यालय के रूप में कार्यरत था। वर्तमान में, नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान ले लिया है।

**क्षेत्रीय कार्यालय:** इसके देश के विभिन्न हिस्सों में **डेटा केंद्र और प्रौद्योगिकी केंद्र** सहित **8 क्षेत्रीय कार्यालय** हैं।

**कार्य:** UIDAI का गठन भारतीय निवासियों हेतु **विशिष्ट पहचान संख्या (UID) अर्थात् 'आधार' जारी करने** के लिए किया गया है। आधार अधिनियम, 2016 के तहत UIDAI निम्नलिखित हेतु उत्तरदायी है:

- आधार के सभी चरणों का संचालन और प्रबंधन करने सहित आधार एनरॉलमेंट एवं प्रमाणीकरण करना।
- व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने हेतु नीति, प्रक्रिया और प्रणाली विकसित करना।
- व्यक्तियों की पहचान संबंधी जानकारी और प्रमाणीकरण रिकॉर्ड की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

- **बायोमेट्रिक्स आधारित डी-डुप्लीकेशन:** वर्तमान में बायोमेट्रिक सेवा प्रदाता (Biometric Service Providers: BSPs) डी-डुप्लीकेशन के लिए **10 फिंगरप्रिंट और दो आइरिस (Iris) के साथ-साथ अन्य बायोमेट्रिक विशेषता के रूप में चेहरे की छवि** का भी उपयोग कर रहे हैं।
- **बायोमेट्रिक्स धोखाधड़ी का पता लगाना:** वर्तमान में BSPs नामांकन के दौरान मिश्रित बायोमेट्रिक्स, गलत उंगलियों, गैर-मानवीय उंगलियों, कृत्रिम उंगलियों (Gummy fingers), आइरिस की उल्टी (Inverted) छवियों और आंखों को बंद करने आदि का पता लगा सकते हैं।
    - UIDAI ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML) तकनीक का उपयोग करके द्वि-स्तरीय प्रमाणीकरण की शुरुआत की है। इससे फिंगरप्रिंट की असलियत (Liveness) को सत्यापित करना आसान हो जाएगा और धोखे के किसी भी प्रयास की संभावना को समाप्त किया जा सकेगा।
- **ऑपरेटरों का निरीक्षण:** UIDAI ऑपरेटरों के बीच **विकृत व्यवहार का पता लगाने के लिए** नियमित रूप से निरीक्षण करता है।
- **अन्य:**
    - **सभी नए वयस्कों के नामांकनों की गुणवत्ता जांच के लिए** राज्य सरकारों को शामिल किया गया है।
    - आधार अपडेट के लिए **आवश्यक सहायक दस्तावेजों की एक अपडेटेड और उपयोगकर्ता के अनुकूल सूची** को लागू किया गया है।
    - सिस्टम के दुरुपयोग को रोकने के लिए **नामांकन मशीनों में जीपीएस फेंसिंग (GPS fencing)** का प्रयोग किया गया है।

- जीपीएस फेंसिंग का आशय आभासी भौगोलिक सीमा के निर्माण से है। इससे यदि कोई UIDAI तंत्र में जबरन हस्तक्षेप करने का प्रयास करेगा, तो इसकी सूचना तुरंत मिल जाती है।

**आगे की राह**

- **निवास की स्थिति का प्रमाणन करना:** UIDAI को इसके लिए स्व-घोषणा के अलावा **एक अन्य प्रक्रिया और कुछ आवश्यक दस्तावेज** भी निर्धारित करने चाहिए। इससे **आवेदकों के निवास की स्थिति की पुष्टि और प्रमाणीकरण** आसान हो जाएगा।
- **शिकायत प्रणाली को मजबूत करना:** UIDAI शिकायतों/आरोपों को दर्ज करने के लिए **एकल केंद्रीकृत प्रणाली की शुरुआत** कर सकता है। इससे **ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में वृद्धि हो सकती है।**
- **डिजिटल ढांचे को मजबूत बनाना:** बिजली, इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी जैसे **उपयुक्त डिजिटल नेटवर्क** को स्थापित करना महत्वपूर्ण है। साथ ही, आधार लिंकिंग को सही ढंग से सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। इसके अलावा, सरकार को **परिवारों की डिजिटल साक्षरता और कौशल** में निवेश करना चाहिए, **ताकि लोग डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने में सक्षम हो सकें। इससे आधार की उपयोगिता में वृद्धि होगी।**

**आधार अधिनियम की संवैधानिकता (न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ)**

- **आधार (वित्तीय एवं अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016** को **सुप्रीम कोर्ट में चुनौती** दी गई थी। इस चुनौती का आधार अधिनियम को **धन विधेयक के रूप में पारित** करना और इसलिए इस प्रक्रिया में **संसद के ऊपरी सदन को महत्त्व नहीं** दिया जाना था।
- अपने 2018 के निर्णय में, सुप्रीम कोर्ट ने आधार अधिनियम की **संवैधानिकता** की पुष्टि की थी।
- **मुख्य निष्कर्ष:**
  - इस अधिनियम को संसद द्वारा **सक्षम रूप से** पारित किया गया था, भले ही इसे धन विधेयक के रूप में पारित किया गया हो।
  - यह अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 के तहत प्रदत्त **मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं** करता है।
  - **समाज कल्याण योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार अनिवार्य** होगा। इसे लोगों पर **बैंक खाता खुलवाने या मोबाइल एवं इंटरनेट कनेक्शन के लिए एक अनिवार्य शर्त के रूप में नहीं थोपा** जा सकता है।

- **व्यापक डेटा संरक्षण कानून:** वर्ष 2017 में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि **निजता एक मौलिक अधिकार** है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को **डेटा सुरक्षा के लिए एक सुदृढ़ व्यवस्था** लागू करने के लिए कहा है। **एक मजबूत डेटा सुरक्षा फ्रेमवर्क** आवश्यक है, क्योंकि यह
  - **नागरिकों की गोपनीयता** की रक्षा करेगा,
  - कंपनियों और सरकारों को **मनमाने तरीके से डेटा एकत्र** करने से रोकेगा,
  - उपयुक्त डेटा प्रबंधन को प्रोत्साहित करने के लिए डेटा उल्लंघनों हेतु **कंपनियों और सरकारों को जवाबदेह ठहराएगा।**

## 1.6. भारत में भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण (Land Records Modernization in India)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भूमि अभिलेखों के लिए **"राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली"** (NGDRS)[6] को अपनाया है। साथ ही, **विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या (ULPIN)[7] या भू-आधार** को 26 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने अपना लिया है।

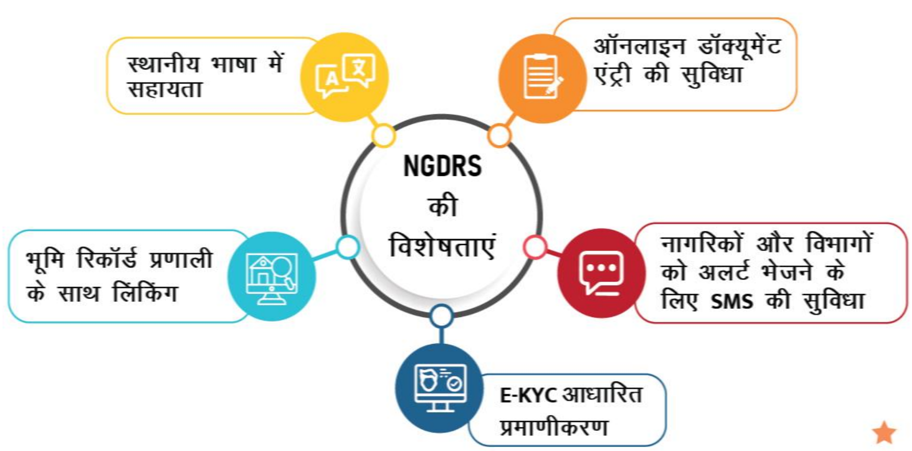


**राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली (NGDRS) के बारे में**

- **एप्लीकेशन:** NGDRS देश के **दस्तावेज पंजीकरण विभागों के लिए विकसित** किया गया एक साझा, समरूप और स्थान-अनुकूल बनाने योग्य **एप्लीकेशन (सॉफ्टवेयर)** है।

[6] National Generic Document Registration System

[7] Unique Land Parcel Identification Number

- **प्रारंभकर्ता:** इसे **ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन भूमि संसाधन विभाग (DoLR) ने आरंभ** किया है।
- **राज्य-विशिष्ट:** NGDRS **राज्यों को** अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सॉफ्टवेयर को आकार देने की सुविधा प्रदान करता है।
- **नागरिक सेवाएं:** यह एप्लिकेशन संपत्ति और दस्तावेज पंजीकरण के लिए एक पूर्ण यूजर इंटरफेस प्रदान करता है। इस प्रकार **नागरिकों को भूमि खरीदने की प्रक्रिया को ऑनलाइन आगे बढ़ने में सक्षम** बनाता है।
- **उद्देश्य:**
    - **वन नेशन वन सॉफ्टवेयर** के विचार को सक्षम बनाना।
    - संपत्ति मूल्यांकन (शुल्कों की स्वतः गणना सहित) और ऑनलाइन दस्तावेज जमा करने को सक्षम करके **नागरिक सशक्तीकरण।**
    - पंजीकरण प्रक्रिया में सभी हितधारकों के लिए **एकल मंच** उपलब्ध कराना।

**विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या (ULPIN) या भू-आधार के बारे में**

- **ULPIN:** विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या, **डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP)** का हिस्सा है। यह किसी भूखंड को आवंटित एक **14-अंकीय (अक्षरांकीय) पहचान संख्या** है।
    - इसे राष्ट्रीय **सूचना विज्ञान केंद्र (NIC)** द्वारा विकसित किया गया है।
- **पहचान का आधार:** भूखंड की पहचान, भूखंड के **देशांतर और अक्षांश निर्देशांकों** पर आधारित होती है। इसके अतिरिक्त, यह कार्य विस्तृत सर्वेक्षणों और जियो-रेफरेंस्ड भू-संपत्ति मानचित्रों (Cadastral Maps) पर निर्भर करता है।
- **महत्त्व:** यह नागरिकों को **सिंगल विंडो सेवा प्रदान करता है; राज्यों में मानकीकरण को सुनिश्चित करता है; भूमि अभिलेखों (रिकॉर्ड्स) के साझाकरण को सुगम बनाता है; सरकारी भूमि का संरक्षण करता है और पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है।**

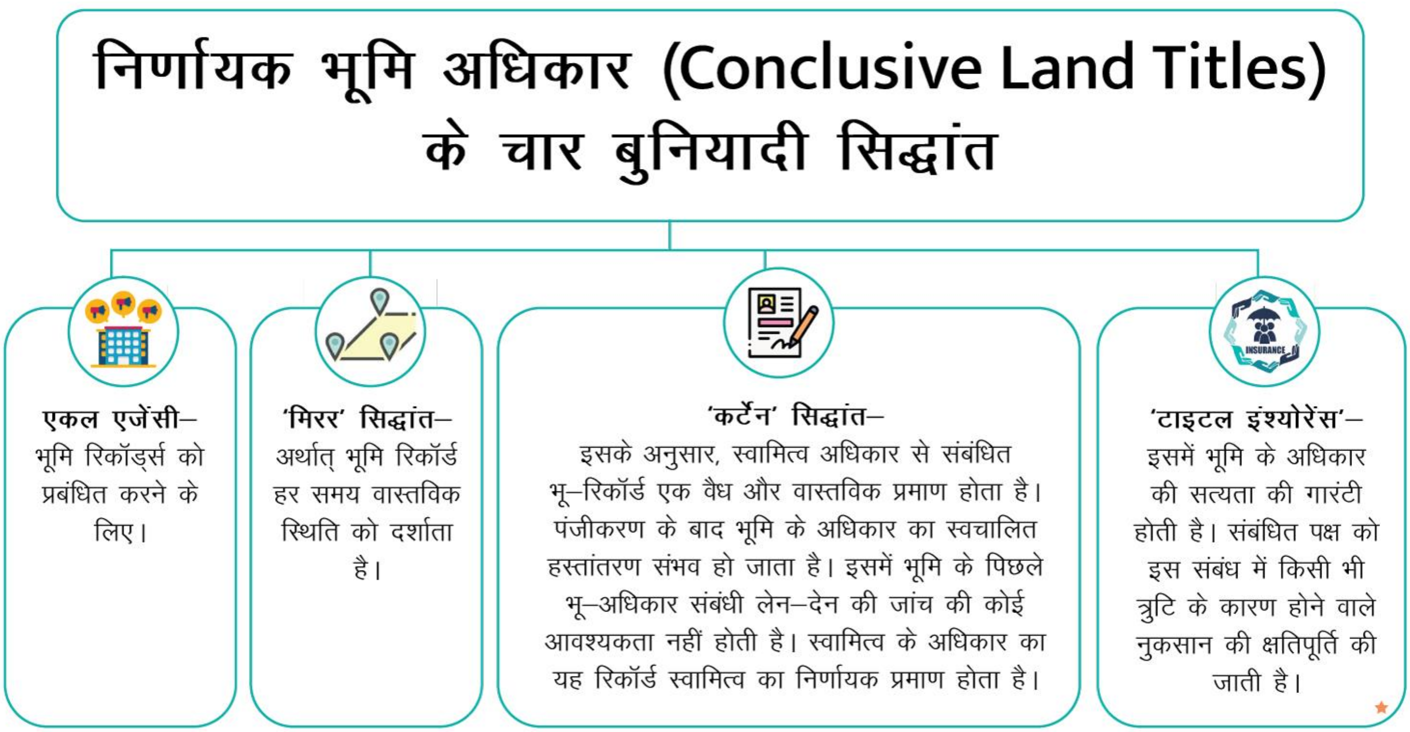


**भारत में भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण की आवश्यकता**

- **निर्णायक भू-स्वामित्व (Conclusive Land Titling) की ओर बढ़ना:** भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का उद्देश्य **वर्तमान अनुमान आधारित भू-स्वामित्व (Presumptive Titles) प्रणाली की बजाय निर्णायक भूस्वामी की प्रणाली को अपनाना** है।
    - वर्तमान में भारत में, किसी संपत्ति का स्वामित्व **अनुमान आधारित भूस्वामित्व (अधिकार अभिलेख- RoR)** के माध्यम से सिद्ध होता है, अर्थात दस्तावेजों की एक श्रृंखला जो वर्तमान भू-स्वामी को बीते हुए वर्षों के दौरान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्वामित्व के हस्तांतरण का प्रमाण प्रदान करती है।
    - साथ ही, पंजीकरण अधिनियम 1908 के अनुसार**, अनुमान आधारित भू-स्वामित्व का अर्थ है कि राज्य ऐसे अधिकारों के लिए कोई गारंटी नहीं देता है।**

- **भूमि विवाद:** वर्ष 2017 में दक्ष सोसाइटी द्वारा एक्सेस टू जस्टिस नामक एक सर्वेक्षण कराया गया था। इसके अनुसार, भारत में सभी दीवानी मुकदमों का **66% भाग भूमि या संपत्ति विवादों से संबंधित** है और भूमि अधिग्रहण विवाद की औसत लंबित अवधि 20 वर्ष है।
- **भूमि अभिलेखों का मानकीकरण:** भूमि अभिलेख प्रबंधन की प्रणाली अलग-अलग **राज्यों में अलग-अलग** है। स्वामित्व अधिकारों के पंजीकरण और अभिलेखीकरण के लिए पूरे देश में मानक प्रक्रिया को अपनाने की आवश्यकता होती है।
  - भूमि और उसका प्रबंधन विषय संविधान की 7वीं अनुसूची की **राज्य सूची की प्रविष्टि 18 व 45 के तहत राज्य सरकारों के विधायी एवं प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में शामिल हैं।**
- **वर्तमान प्रणाली में विद्यमान कठिनाइयां:** अभिलेख रखने की मैन्युअल प्रणाली बोझिल और अपारदर्शी है तथा इनमें हेर-फेर की जा सकती है। साथ ही, प्रशासन द्वारा इसे **प्रशासित करना भी कठिन** हो गया है।
- **भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण के अन्य लाभ-**
  - दस्तावेज पंजीकरण की **प्रक्रिया के चरणों और पंजीकरण में लगने वाले समय में कमी आएगी।**
  - नए पंजीकरण के साथ भूमि के स्वामित्व का **स्वत: अपडेशन हो जाएगा।**
  - भूमि अभिलेखों के लिए **नागरिक सेवाओं हेतु एक सिंगल विंडो उपलब्ध करवाएगा।**
  - **क्रेडिट सुविधाओं के लिए ई-लिंकेज** के रूप में स्पष्ट भूमि अधिकार, संस्थागत ऋण तक आसान पहुंच आदि प्रदान करेगा।

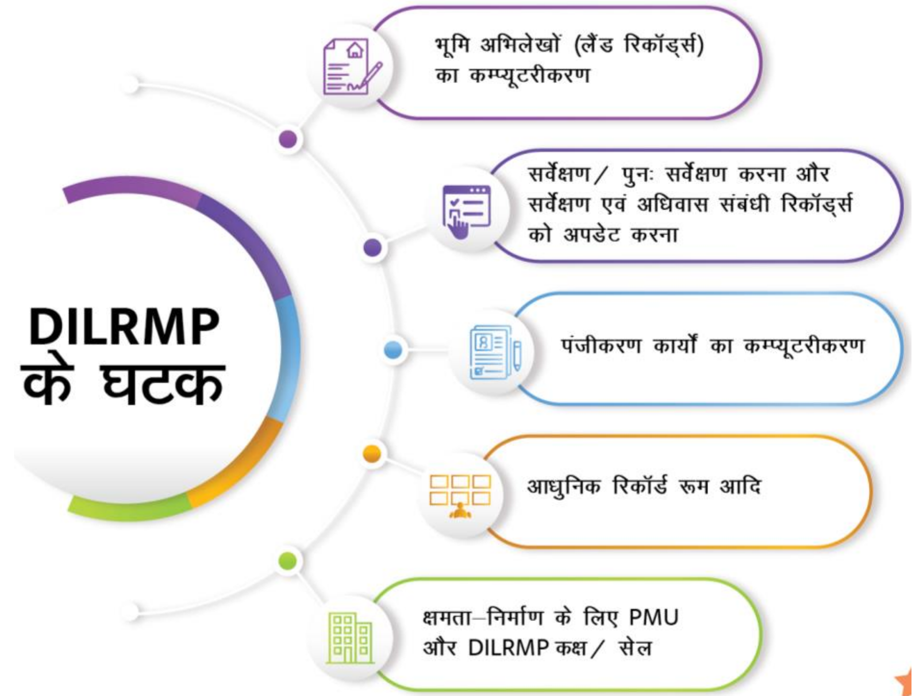


**भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण की दिशा में अन्य प्रयास**

- **डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP):** DoLR द्वारा इस कार्यक्रम को 2016 से **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना के रूप में** कार्यान्वित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 100% वित्त-पोषित है।
  - यह 2008 में शुरू किए गए **राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (NLRMP) का एक पुनर्गठित संस्करण** है।
  - यह देश भर में एक उपयुक्त **एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली (ILIMS)**[8] विकसित करने का प्रयास करता है। साथ ही, अलग-अलग राज्य इसमें अपनी राज्य-विशिष्ट आवश्यकताओं को प्रासंगिकता और उपयुक्तता के अनुसार शामिल कर सकते हैं।

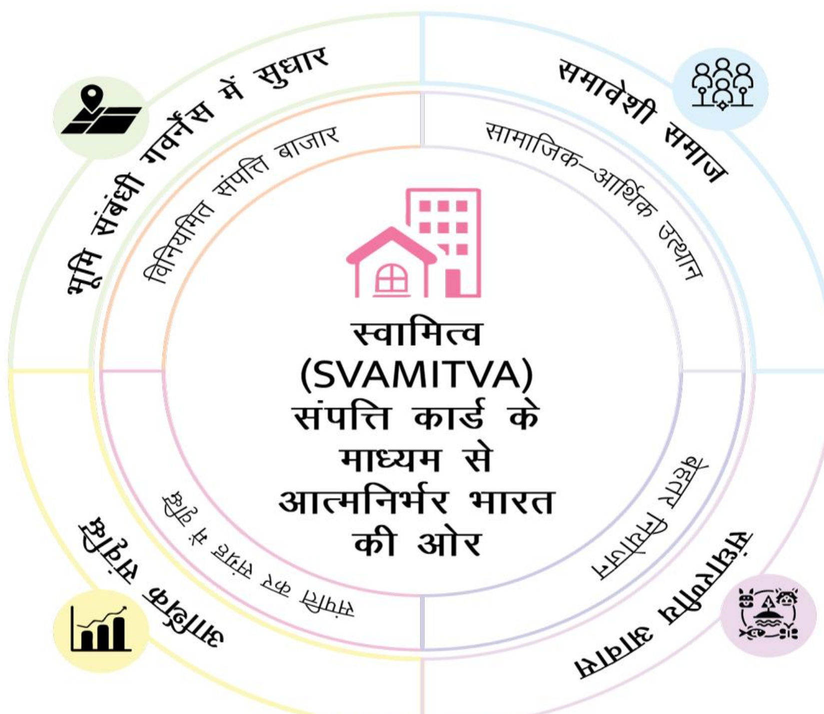


---

[8] Integrated Land Information Management System

- **गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण (स्वामित्व) योजना:** यह **पंचायती राज मंत्रालय** द्वारा **2021** में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं-
  - ड्रोन तकनीक के उपयोग द्वारा भूखंडों का मानचित्रण करके ग्रामीण (आबादी) क्षेत्रों में **संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व** स्थापित करना और
  - संपत्ति के स्वामियों को कानूनी स्वामित्व कार्ड (संपत्ति कार्ड/स्वामित्व विलेख) जारी करने के साथ-साथ गांव के **घर के स्वामियों को 'अधिकार अभिलेख' प्रदान करना।**

**भू-अभिलेख आधुनिकीकरण के सर्वोत्तम अभ्यास**

- कर्नाटक का भूमि-कावेरी (BHOOMI – KAVERI) कार्यक्रम;
- आंध्र प्रदेश की मी-सेवा;
- राजस्थान का धरा ऐप;
- नीति आयोग द्वारा भूमि अभिलेख प्रबंधन के लिए ब्लॉकचेन के उपयोग का प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आदि।

**निष्कर्ष**

वर्तमान भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण प्रक्रिया में विरासत के मुद्दों से निपटने के साथ-साथ **निर्णायक भू-स्वामित्व अधिकार प्रणाली को अपनाया** जाना चाहिए। साथ ही, यह डिजिटलीकरण प्रोग्राम **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचैन टेक्नोलॉजी जैसी अगली पीढ़ी की तकनीकों को अपना** सकता है। इन तकनीकों के प्रयोग से स्पष्ट भूमि अधिकार और म्यूटेशन (दाखिल/ख़ारिज) के स्वचालित अभिलेख की एक प्रणाली तैयार की जा सकती है।

## 1.7. ऑनलाइन गेमिंग का विनियमन (Regulation of Online Gaming)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeiTY) ने आई.टी. नियम अथवा सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021** में संशोधन किया है।

**अन्य संबंधित तथ्य**

- इन संशोधनों का उद्देश्य ऑनलाइन गेम और सरकारी कार्य से संबंधित नकली या झूठी भ्रामक जानकारी के संबंध में **ऑनलाइन गेमिंग और सोशल मीडिया मध्यवर्तियों** द्वारा अधिक व्यापक स्तर पर उचित सूचनाओं का प्रसार करना है।
- आई.टी. नियम, 2021 और इसके संशोधनों को **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 87** के तहत लाया गया है।
- आई.टी. नियम, 2021 को **सोशल मीडिया मध्यवर्तियों को विनियमित** करने हेतु लाया गया था।

***फेक न्यूज के विनियमन के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया मासिक करेंट अफेयर्स पत्रिका के मार्च 2023 संस्करण में प्रकाशित आलेख 1.6. "फेक न्यूज का विनियमन" का संदर्भ लें।***

**ऑनलाइन गेमिंग पर नियमों की मुख्य विशेषताएं**

- **स्पष्ट परिभाषाएं:**
  - **"ऑनलाइन गेम"** का अर्थ **इंटरनेट के माध्यम से खेला जाने वाला** एक गेम है और इसे खेलने के लिए एक उपयोगकर्ता को कंप्यूटर संसाधन या मध्यवर्ती का सहारा लेना होता है।
  - **"ऑनलाइन गेमिंग मध्यवर्ती (OGI)"** का अर्थ किसी भी ऐसे मध्यवर्ती से है, जो अपने कंप्यूटर संसाधन के उपयोगकर्ताओं को एक या अधिक ऑनलाइन गेम खेलने में सक्षम बनाता है।
- **मध्यवर्तियों की भूमिका:** किसी भी ऐसे **ऑनलाइन गेम को होस्ट, प्रकाशित या साझा नहीं** करने के लिए पर्याप्त प्रयास करना-
  - जो **उपयोगकर्ता को नुकसान पहुंचा** सकता है अथवा
  - जिसे केंद्र सरकार द्वारा नामित **ऑनलाइन गेमिंग स्व-विनियामक निकाय/निकायों (SRBs) द्वारा अनुमत ऑनलाइन गेम के रूप में सत्यापित नहीं** किया गया है।
  - मध्यवर्ती को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि **प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन या स्थानापन्न विज्ञापन या ऐसे ऑनलाइन गेम का प्रचार जो कि एक अनुमत ऑनलाइन गेम नहीं है, को होस्ट नहीं** किया जाता है।
- **OGI पर अतिरिक्त दायित्व:** संशोधित नियमों के तहत OGI को **रियल मनी के लेन-देन से जुड़े ऑनलाइन गेम के संबंध में** अतिरिक्त दायित्व सौंपे गए हैं। **इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:**
  - ऐसे गेम्स पर स्व-विनियामक निकाय द्वारा **सत्यापन चिन्ह प्रदर्शित** करना;

- अपने उपयोगकर्ताओं को **जमा धन निकालने या भुगतान** के लिए नीति के बारे में सूचित करना;
  - उपयोगकर्ताओं के **KYC विवरण प्राप्त** करना; और
  - तृतीय पक्षों द्वारा उपयोगकर्ताओं को **क्रेडिट नहीं देना या उनका वित्त-पोषण नहीं** करना।
- **एक से अधिक SRBs:** ऑनलाइन गेम को अनुमत के रूप में सत्यापित करने के उद्देश्य से MeiTY **कई SRBs** को अधिसूचित कर सकता है। **एक SRB को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना चाहिए:**
  - उसे कंपनी अधिनियम 2013 की **धारा 8 (गैर-लाभकारी संस्था) के तहत पंजीकृत कंपनी के रूप में होना चाहिए।**
  - **वह ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के प्रतिनिधि के रूप में हो** और जिम्मेदार तरीके से ऑनलाइन गेम को बढ़ावा दे रहा हो।
  - **उसके द्वारा शिकायत निवारण, आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल, प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग** से संबंधित प्रावधानों को शामिल किया गया हो। साथ ही, सदस्यता के लिए स्पष्ट मानदंड निर्धारित किए गए हों।
    - **आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल:** एक व्यापारिक सौदा, जिसमें खरीदार और विक्रेता एक-दूसरे पक्ष को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं।
- **SRBs का प्राधिकार:** SRB किसी भी खेल को अनुमत खेल के रूप में वर्गीकृत कर सकता है, यदि वह संतुष्ट है कि:
  - ऑनलाइन गेम में किसी नतीजे पर **दांव लगाना शामिल नहीं** है,
  - **OGI और गेम संबंधित नियमों तथा एक अनुबंध (वर्तमान में 18 वर्ष) में प्रवेश करने के लिए कानून के तहत निर्धारित अपेक्षाओं का अनुपालन** करते हों, और
  - OGI और गेम सुरक्षा उपायों के संबंध में **SRB द्वारा बनाए गए ढांचे का अनुपालन** करते हों।
- **निषेध:** किसी भी प्रकार के **जुए (विज्ञापनों सहित) वाले ऑनलाइन गेम निषिद्ध** होंगे।

**ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों को विनियमित करने से संबंधित चिंताएं**

- **कौशल के खेल बनाम संयोग के खेल:** भारतीय कानून संयोग के खेल पर रोक लगाते हुए कौशल के खेल की अनुमति देते हैं। हालांकि, किसी भी पद की कोई निर्धारित परिभाषा नहीं दी गई है। **नियमों में कौशल के खेल और संयोग के खेल को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं** किया गया है।
- **विदेशी निवेश में बाधाएं:** भारत **सट्टेबाजी और जुए में FDI की अनुमति नहीं** देता है, इसलिए कौशल के खेल को परिभाषित करने में स्पष्टता की कमी इस क्षेत्र में विदेशी निवेश को बाधित कर सकती है।
  - साथ ही, इस क्षेत्र में अस्पष्टता सट्टेबाजी और जुए में विदेशी निवेश के लिए अवैध तरीकों को बढ़ावा दे सकती है।
- **SRB का विवेकाधिकार:** इस संदर्भ में पता लगाने कि क्या ऑनलाइन गेम में दांव लगाना, अर्थात संयोग का तत्व शामिल है या नहीं, **SRBs के पास व्यक्तिपरक विवेकाधिकार** उपलब्ध है।

- **राज्यों में अलग-अलग कानून:** भारत के संविधान के अनुसार **जुआ (चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन) और सट्टेबाजी राज्य सूची के विषय हैं।** इन्हें राज्य सूची की **प्रविष्टि 34** में शामिल किया गया है। इसका अर्थ है कि **प्रत्येक राज्य ऑनलाइन गेमिंग** को विनियमित करने के लिए **कानून** बना सकता है और वे कानून केंद्र सरकार के इन नियमों पर अधिभावी होंगे।
    - यह **अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग कानूनी ढांचे के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है।** उदाहरण के लिए, हाल ही में **तमिलनाडु ने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, असम और ओडिशा के अनुरूप ऑनलाइन रियल मनी गेम पर प्रतिबंध** लगा दिया है।

**आगे की राह**

संशोधित आई.टी. नियम **ऑनलाइन गेमिंग पारितंत्र को महत्वपूर्ण स्पष्टता** प्रदान करते हैं। ऑनलाइन गेमिंग के प्रभावी विनियमन के लिए इन नियमों में स्पष्ट परिभाषाएं, बहु-हितधारक संलग्नता (राज्य और केंद्र सरकारों सहित) शामिल होनी चाहिए। साथ ही, इन नियमों में **इस उद्योग के आकार और महत्त्व को भी स्वीकृति प्रदान** किए जाने की आवश्यकता है।

## 1.8. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

### 1.8.1. ग्रामीण-शहरी क्षेत्र (Rural-Urban Areas)

- प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) ने भारत में ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों की परिभाषा में बदलाव करने का सुझाव दिया है
- EAC-PM ने **'शहरी/ग्रामीण भारत क्या है' शीर्षक से एक वर्किंग पेपर** जारी किया है। इस पेपर में यह सुझाव दिया गया है कि **ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए सरकार को अधिक गतिशील दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।**
- **ग्रामीण और शहरी बस्तियों की वर्तमान परिभाषा**
    - वर्ष 2017 तक की स्थिति के अनुसार, **कोई भी बस्ती जिसे 'शहरी' नहीं माना जाता है, उसे स्वतः 'ग्रामीण' मान** लिया जाता है।
    - **शहरी बस्तियां 2 प्रकार की होती हैं-**
        - **प्रशासनिक रूप से शहरी बस्तियां:** ये ऐसी बस्तियां हैं, जो शहरी स्थानीय निकाय (ULB) द्वारा शासित होती हैं।
        - **जनगणना के आधार पर शहरी बस्तियां: ये ऐसी बस्तियां हैं-**
            - ✓ **जिनकी जनसंख्या 5000 से अधिक होती है,**
            - ✓ **जिनकी 75 प्रतिशत पुरुष जनसंख्या गैर-कृषि क्षेत्र में कार्य करती हैं, और**
            - ✓ **जिनका जन-घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. या इससे अधिक होता है।**

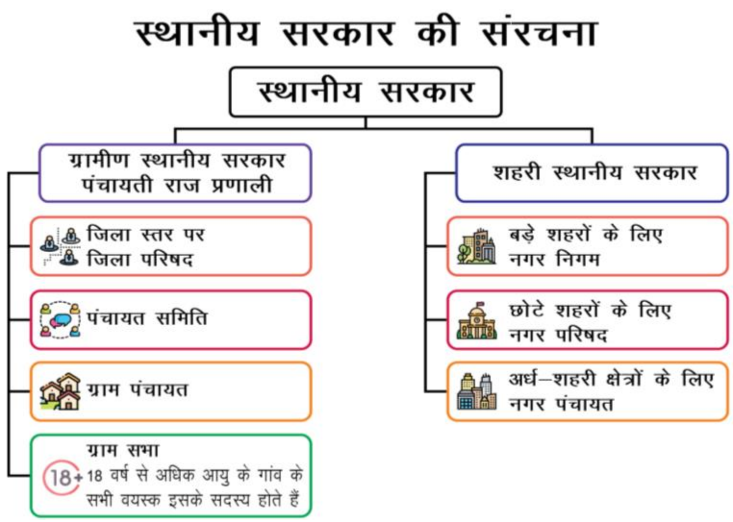


- **बस्तियों की वर्तमान परिभाषा से संबंधित समस्याएं**
    - वर्तमान वर्गीकरण भारत में **शहरीकरण की बढ़ती गति और विस्तार को शामिल करने में अपर्याप्त** सिद्ध हो रहा है।
    - **वास्तविक शहरी क्षेत्रों में पंचायतें मानव संसाधन के मामले में सक्षम नहीं हैं।**
    - ग्रामीण प्रशासनिक पंचायतों को ULBs में **रूपांतरित करने की गति अत्यंत धीमी** है। इस कारण **सेवाओं के त्रुटिपूर्ण मानक लागू** कर दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, स्थानीय सार्वजनिक वस्तुएं (पेयजल आदि) भी पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं।
- **EAC-PM द्वारा प्रस्तुत किए गए समाधान**
    - **"ट्रिगर मैकेनिज्म" अपनाया जाना चाहिए।** इससे निर्धारित शर्तें पूरी करने के साथ ही ग्रामीण बस्तियां स्वतः शहरी बस्तियां बन जाएंगी।
    - मंत्रालयों को ग्रामीण बस्ती की परिभाषा को निर्धारित करने के लिए **जनगणना और बस्तियों से जुड़े उन अन्य संकेतकों का उपयोग** करना चाहिए, जो उनके कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त हों।

## 1.8.2. राष्ट्रीय दल का दर्जा (National Party Status)

- **चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968** के तहत अब **ECI द्वारा मान्यता प्राप्त छह राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं।** चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 राष्ट्रीय या राज्य दल के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए मानदंड निर्धारित करता है।
    - **वर्तमान में मान्यता प्राप्त छह राष्ट्रीय दल हैं:** भारतीय जनता पार्टी (BJP), भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC), बहुजन समाज पार्टी (BSP), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) (मार्क्सवादी), नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP) और आम आदमी पार्टी (AAP)।
    - तृणमूल कांग्रेस (TMC), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) से **राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया है।**
- **निर्वाचन आयोग ने 2014 और 2019 के लोक सभा चुनावों तथा 2014 के बाद से 21 राज्य विधान सभा चुनावों में राजनीतिक दलों के प्रदर्शन की समीक्षा** के बाद उपर्युक्त निर्णय लिया है।

| किसी दल का राष्ट्रीय दर्जा कैसे निर्धारित किया जाता है? | राष्ट्रीय दल के दर्जा के क्या लाभ हैं? |
|---|---|
| • **लोक सभा, राज्य विधान सभा चुनावों में वोट:** उस दल को लोक सभा या विधान सभा चुनावों में **चार या अधिक राज्यों में कम से कम 6 प्रतिशत वोट** प्राप्त होने चाहिए। इसके अलावा, **लोक सभा में उस दल के कम से कम चार सदस्य** होने चाहिए।<br>• **लोक सभा में सीटें:** उस दल को कुल लोक सभा सीटों का कम से कम **2 प्रतिशत** प्राप्त होना चाहिए और इन सीटों के उम्मीदवार **कम से कम तीन राज्यों से होने चाहिए।**<br>• उसे **कम से कम चार राज्यों में एक राज्य दल** के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। | • पूरे भारत में इसके द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों को **इसके आरक्षित चुनाव चिह्न को अनन्य तौर पर आवंटित** किया जाता है।<br>• **किसी उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव करने के लिए केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है,** ताकि वह नामांकन दाखिल कर सके।<br>• आम चुनाव के दौरान **आकाशवाणी/दूरदर्शन पर प्रसारण की सुविधाएं** प्राप्त होती हैं।<br>• यह **अधिकतम 40-स्टार प्रचारक नामांकित** कर सकता है, जबकि अन्य दलों को अधिकतम 20-स्टार प्रचारक नामांकित करने की ही अनुमति होती है। |

## 1.8.3. राज्यपाल (Governor)

- तमिलनाडु विधान सभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से आग्रह किया है कि वह राज्यपाल द्वारा विधेयकों को मंजूरी देने के लिए समय सीमा निर्धारित करे।
- यह प्रस्ताव इसलिए पारित किया गया है, क्योंकि **राज्यपाल ने लगभग 20 विधेयकों को अभी तक अपनी सहमति नहीं दी है।**
- जब कोई **विधेयक** राज्य विधान मंडल से पारित किए जाने के बाद **राज्यपाल को भेजा जाता है,** तब उसके पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं:
    - वह विधेयक पर अपनी **सहमति देता है,** या
    - **वह अपनी सहमति रोक लेता है,** या
    - वह **विधेयक पर पुनर्विचार के लिए (यदि यह धन विधेयक नहीं है) इसे राज्य विधायिका को लौटा** सकता है। हालांकि, यदि विधेयक संशोधन के साथ या बिना संशोधन के **फिर से पारित हो जाता है,** तो राज्यपाल को अपनी **सहमति देना अनिवार्य** हो जाता है, या
    - वह **विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित** रख लेता है।

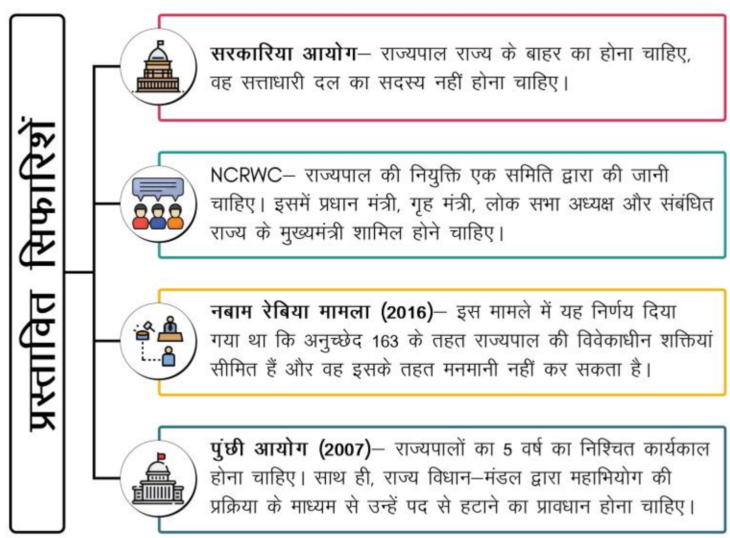


- **हाल के वर्षों में राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच संबंधों में निम्नलिखित मुद्दे उभरकर आए हैं:**
    - किसी विषय पर मतभेद होने की स्थिति में **राज्यपाल और राज्य सरकार को सार्वजनिक रूप से किस तरह से संवाद करना चाहिए, इसके लिए प्रावधानों का अभाव है।**

    - उदाहरण के लिए- हाल ही में **पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल** की राज्य सरकारों व राज्यपालों के बीच कटु एवं द्वेषपूर्ण संवाद देखा गया है।
  - कानून-व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा आदि को लेकर राज्य प्रशासन पर **नकारात्मक टिप्पणियां** सामने आई हैं।
  - **संवैधानिक और वैधानिक भूमिकाओं के बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं है।** इस मामले में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति (चांसलर) के रूप में राज्यपाल की भूमिका विवाद का एक प्रमुख बिंदु रहा है।
  - **विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग** भी मतभेद का एक प्रमुख मुद्दा रहा है। इसका एक प्रमुख उदाहरण विधायिका के सदस्यों की अयोग्यता पर निर्णय लेने में लगने वाला समय है।
  - **राज्यपाल को पद से हटाने** के लिए कोई लिखित आधार या प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है।

### 1.8.4. केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (Central Administrative Tribunal: CAT)

- हाल ही में कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या पर ध्यान दिया है।
- 31 दिसंबर, 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार अधिकरण की **अलग-अलग पीठों में 80,545 मामले लंबित** हैं। इनमें से लगभग **1350 मामले ऐसे हैं, जो पिछले दस वर्षों से भी अधिक समय से लंबित** हैं।
  - CAT (प्रक्रिया) नियम, 1987 के अनुसार जहां तक संभव हो, **प्रत्येक आवेदन पर उसके पंजीकरण की तारीख से छह महीने के भीतर सुनवाई की जानी चाहिए और निर्णय किया** जाना चाहिए।
- **लंबित मामलों के कारण**
  - **सदस्यों की पर्याप्त संख्या की अनुपलब्धता।**
    - CAT की कुछ पीठें तो ऐसी हैं, जो **स्वीकृत संख्या के 50 प्रतिशत के साथ काम** कर रही हैं।
  - CAT द्वारा **एडवांस केस इंफॉर्मेशन सिस्टम** को लागू करने पर विचार किया जा रहा है। यह सिस्टम **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग** के माध्यम से मामलों की सुनवाई की सुविधा प्रदान करेगा। साथ ही, अधिकरण के कामकाज को **पूर्णतया डिजिटलीकृत करेगा।**
- **सिफारिशें:**
  - CAT द्वारा **पेंशन से जुड़े मामलों, वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े मामलों तथा 10 साल से ज्यादा पुराने मामलों** का निपटान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए।
  - अधिकरण में **मौजूदा रिक्तियों को भरने की दिशा में ठोस कदम उठाए** जाने की जरूरत है।

**केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT)**

मुख्यालय: नई दिल्ली

**उत्पत्ति:** इसे संविधान के अनुच्छेद **323A** के तहत 1985 में **प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985** के द्वारा स्थापित किया गया था।

**उद्देश्य:** **संघ या अन्य प्राधिकरणों के मामलों** के संबंध में लोक सेवाओं/ पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों से संबंधित **विवादों और शिकायतों का न्यायनिर्णयन करना।**

**अन्य महत्वपूर्ण जानकारी:**
- यह वाद (Case) का निर्णय करने में **नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों** को ध्यान में रखता है तथा यह सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं है।
- सरकार ने **215 संगठनों को CAT के अधिकार क्षेत्र में** लाने के लिए अधिसूचना जारी की है।
- भारत भर में **CAT के 19 खंडपीठ (बेंच) और 19 सर्किट बेंच हैं।**
- **संबंधित उच्च न्यायालय** (चन्द्र कुमार वाद) में **CAT के आदेशों के विरुद्ध अपील** की जाती है।

### 1.8.5. न्यायपालिका में प्रौद्योगिकी (Technology in Judiciary)

- सुप्रीम कोर्ट ने **निचली अदालतों के रिकॉर्ड्स के डिजिटलीकरण को सुनिश्चित करने के लिए सभी उच्च न्यायालयों को निर्देश जारी** किए हैं। इसका उद्देश्य न्यायपालिका में **दक्षता, प्रक्रियागत समानता और सहजता को बढ़ाने के लिए** प्रौद्योगिकी के अनुकूलन को बढ़ावा देना है।
  - रिकॉर्ड के रूपांतरण के लिए सुप्रीम कोर्ट की **ई-समिति ने मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है।** इसके तहत सभी उच्च न्यायालयों को एक **डिजिटलीकरण सेल, न्यायिक डिजिटल रिपॉजिटरी और एक मानकीकृत प्रणाली स्थापित** करने का निर्देश दिया गया है।
- **न्यायपालिका में प्रौद्योगिकी के उपयोग की आवश्यकता क्यों है?**
  - महामारी जैसी स्थितियों में भी कार्यवाहियों को जारी रखने और लोगों की भागीदारी दरों में सुधार करने के लिए।
  - त्वरित व लागत प्रभावी न्याय वितरण सुनिश्चित करने के लिए।
  - न्यायालयों में लंबित मामलों के बोझ को कम करने के लिए।

- पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए।
- न्याय को समान रूप से सुलभ बनाकर ग्रामीण-शहरी अंतर को समाप्त करने के लिए।

- **न्याय के वितरण में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में आने वाली चुनौतियां:**
  - डिजिटल डिवाइड,
  - लोगों में तकनीकी जानकारी की कमी,
  - आरंभिक पूंजी गहनता,
  - साइबर सुरक्षा का जोखिम आदि।
- **इस संबंध में आरंभ की गई अन्य पहलें**
  - **ई-कोर्ट मिशन:** यह न्यायपालिका के डिजिटलीकरण के लिए एक मिशन मोड परियोजना है।
  - अदालत, पुलिस, जेल प्रशासन जैसे हितधारकों के बीच डेटा और सूचना के निर्बाध हस्तांतरण को सक्षम बनाने के लिए **इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम** (ICJS) की शुरुआत की गई है।
  - सुप्रीम कोर्ट ने **फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ़ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स (FASTER)** लॉन्च किया है। यह एक सॉफ्टवेयर है, जो इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से सुरक्षित रूप से न्यायालय के आदेशों को तेजी से प्रसारित करता है।
  - **सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर (SUVAS/ सुवास)** अंग्रेजी में दिए गए निर्णयों का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करता है।

### 1.8.6. इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (India Justice Report)

- यह **IJR का तीसरा संस्करण** है। इस रिपोर्ट को **टाटा ट्रस्ट ने जारी** किया है। इसे सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, दक्ष, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी जैसे कई नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधियों **के सहयोग से जारी** किया गया है।
  - यह रिपोर्ट प्रत्येक राज्य के **प्रमुख न्याय वितरण तंत्रों** (न्यायपालिका, पुलिस, जेल और विधिक सहायता) को क्षमतावान बनाने में उनकी प्रगति का आकलन करती है एवं रैंक प्रदान करती है।
- **रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:**

| | |
|---|---|
| **न्यायपालिका** | • सिक्किम उच्च न्यायालय और चंडीगढ़ की जिला अदालतों को छोड़कर देश में **कोई भी न्यायालय न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या के साथ कार्य नहीं** कर रहा है।<br>• जिला न्यायालय स्तर पर कोई भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश न्यायाधीशों के अपने सभी **SC, ST और OBC कोटे को पूरी तरह से नहीं भर सका है।**<br>• उच्च न्यायालयों में SC, ST और OBC वर्ग के न्यायाधीशों पर डेटा उपलब्ध नहीं है। |
| **पुलिस** | • **एक भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश, पुलिस में महिलाओं के लिए आरक्षित कोटे** को पूरा नहीं करता है।<br>• केवल कर्नाटक ने पुलिस बल में **SC, ST और OBC** के लिए अनिवार्य कोटा भर लिया है।<br>• 19 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में **शहरी पुलिस स्टेशन अपने समकक्ष ग्रामीण पुलिस स्टेशनों की तुलना में अधिक आबादी को सेवा** प्रदान करते हैं। |
| **जेल** | • अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा तथा मध्य प्रदेश को छोड़कर, सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में विचाराधीन कैदियों की संख्या 60 प्रतिशत से अधिक है।<br>• वर्ष 2020-21 में 24 राज्यों में कुल कैदियों में **केवल 5 प्रतिशत कैदी ही शिक्षित थे।** |
| **विधिक सहायता** | • **विधिक सेवा क्लीनिकों की संख्या 14,159** (2020) से कम होकर **4,742** (2022) रह गई है।<br>• **लोक अदालतों ने 2021-2022 में 7,322 करोड़ रुपये मूल्य के मामलों का निपटारा** किया है। |
| **राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC)** | • मार्च 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार सभी 25 SHRCs में कुल **33,312 मामले लंबित हैं।**<br>• सभी 25 SHRCs में **औसतन 44 प्रतिशत रिक्तियां** हैं। |

### 1.8.7. वचन विबंधन (प्रॉमिसरी एस्टॉपेल) का सिद्धांत (Doctrine of Promissory Estoppel)

- **अग्निपथ योजना से संबंधित एक सुनवाई में,** वादी (सिविल कार्रवाई में न्यायालय जाने वाले पक्ष) ने **वचन विबंधन** के सिद्धांत का हवाला दिया है।
- वचन विबंधन एक **अवधारणा है, जो संविदात्मक कानूनों (Contractual laws)** के रूप में विकसित हुई है।
    - यह सिद्धांत अनिवार्य रूप से एक **"वचनदाता"** को इस आधार पर एक **समझौते से पीछे हटने से रोकता है कि ऐसा कोई "औपचारिक विचारण"** नहीं हुआ है।
    - इसे एक **वादी द्वारा समझौते के निष्पादन को सुनिश्चित** करने या समझौते को पूरा करने में विफलता के लिए **मुआवजे की मांग हेतु लागू** करवाया जाता है।
- **छगनलाल केशवलाल मेहता बनाम पटेल नरणदास हरिभाई वाद (1981) में, सुप्रीम कोर्ट ने एक चेकलिस्ट को सूचीबद्ध कर** आदेश दिया था कि इस सिद्धांत को कब लागू किया जा सकता है।

### 1.8.8. सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2023 {Cinematograph (Amendment)  Bill, 2023}

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2023 को मंजूरी प्रदान की।
- इसमें **इंटरनेट पर पायरेटेड फिल्म कंटेंट के प्रसारण** को रोकने के प्रावधान शामिल हैं।
    - इसमें **फिल्मों** को उनके 'U', 'A', और 'UA' आधारित मौजूदा प्रमाणन की बजाय **आयु-वर्ग के आधार पर प्रमाणित** करने का प्रावधान किया गया है।
        - "U" प्रमाणन **सभी आयु वर्ग के लिए सार्वजनिक प्रदर्शन** करने से संबंधित है। "A" प्रमाणन **वयस्क आयु वर्ग के दर्शकों** के लिए है तथा "UA" प्रमाणन **सभी आयु वर्ग के लिए सार्वजनिक प्रदर्शन से संबंधित** है, लेकिन 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए अभिभावकों की निगरानी में प्रदर्शन की अनुमति है। "S"  प्रमाणन **चिकित्सकों, वैज्ञानिकों जैसे विशेष श्रेणी के दर्शकों के लिए है।**
    - संशोधन के तहत 12 वर्ष के स्थान पर नए वर्गीकरण **"UA-7+, UA-13+ और UA-16+"** को शामिल करने का प्रावधान किया गया है।


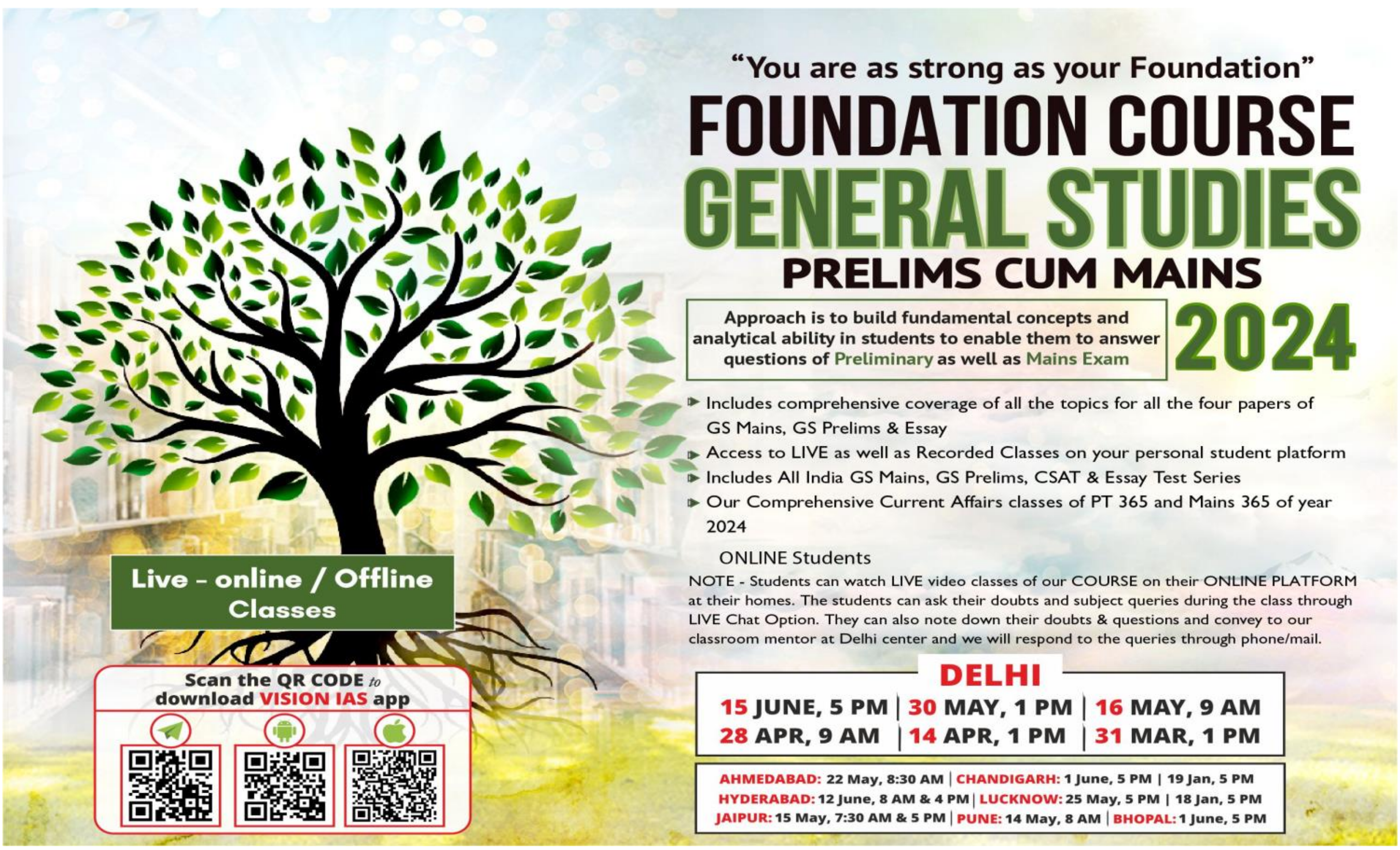

# 2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

## 2.1. भारत-भूटान (India-Bhutan)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल में, भूटान नरेश भारत की यात्रा पर आए थे। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना था।

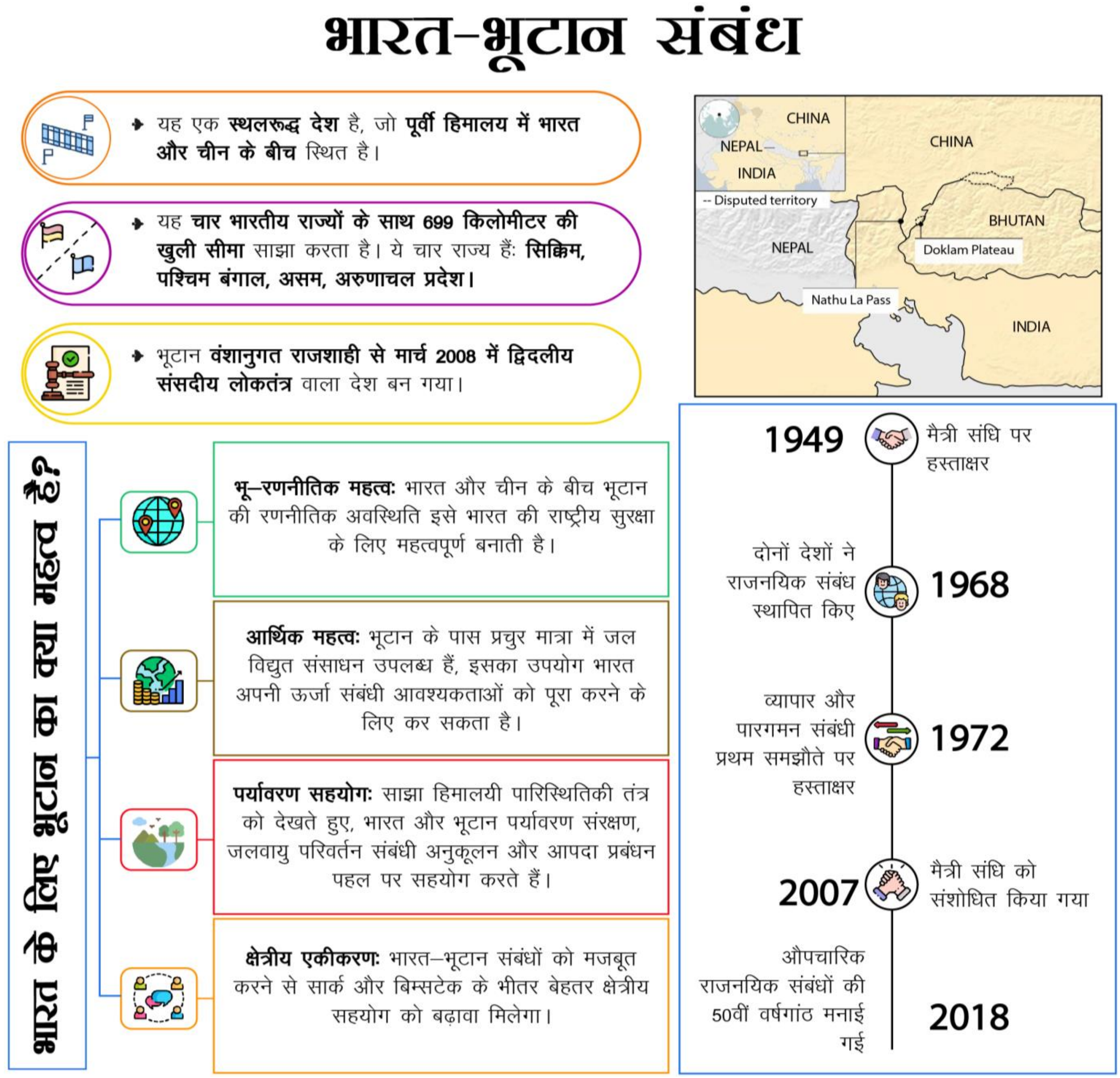


**यात्रा के परिणाम**

- **भूटान को समर्थन:**
  - पांच वर्ष की अवधि के लिए अतिरिक्त **स्टैंडबाय क्रेडिट सुविधा (SCF) प्रदान की जाएगी।**
    - **SCF के तहत निम्न आय वाले देशों को उनकी अल्पकालिक भुगतान संतुलन आवश्यकताओं की पूर्ति** हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

- भूटान को **तीसरे अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट गेटवे जैसे डिजिटल बुनियादी ढांचे की स्थापना में सहायता** प्रदान की जाएगी।
    - **अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट गेटवे** एक देश के घरेलू नेटवर्क और दूसरे देश के घरेलू नेटवर्क में इलेक्ट्रॉनिक संचार (अर्थात् वॉयस, डेटा और मल्टीमीडिया इमेज/ वीडियो) के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है।
    - भारत में **मुंबई, चेन्नई, अगरतला जैसे स्थानों में कई अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट गेटवे** स्थापित किए गए हैं।
- **भारत के राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क के साथ भूटान के ड्रुक रिसर्च एंड एजुकेशन नेटवर्क (ड्रुकरेन/ DrukRen) का समेकन** किया जाएगा। यह **ई-लर्निंग** के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सहयोग परियोजना है।

- **जलविद्युत:** भूटान में **मांगदेछू, चूखा, बसोछु, पुनातसांगछू-I, संकोश परियोजना** जैसे जलविद्युत संयंत्रों की स्थापना पर चर्चा की गई है।
- **सुरक्षा: जयगांव** (पश्चिम बंगाल, भारत) और **फुंतशोलिंग** (भूटान) में पहली एकीकृत चेक पोस्ट (Integrated Check Post) की स्थापना पर सहमति बनी है।
- **कनेक्टिविटी: कोकराझार (असम)-गेलेफू रेल लिंक** में तेजी लाई गई है। साथ ही, **गेलेफू हवाई अड्डे के निर्माण** हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए सहायता प्रदान की गई है।

**सहयोग के क्षेत्र**

- **जलविद्युत:** भूटान के साथ पारस्परिक रूप से लाभप्रद जलविद्युत सहयोग दोनों देशों के द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग का मूल आधार है।
- **व्यापार:** भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और वर्ष 2021-22 में यह व्यापार लगभग 1,422 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया था।
    - **भारत से भूटान को निर्यात की गई मुख्य मदें:** खनिज उत्पाद, मशीनरी और यांत्रिक उपकरण, विद्युत उपकरण, धातु, वाहन, सब्जियां आदि।
    - **भूटान से भारत को निर्यात की गई मुख्य मदें:** विद्युत, फेरो-सिलिकॉन, पोर्टलैंड सीमेंट, डोलोमाइट, सिलिकॉन के कैल्शियम कार्बाइड, सीमेंट क्लिंकर, लकड़ी के उत्पाद, इलायची, फल आदि।
- **सांस्कृतिक संबंध:**
    - **बौद्ध धर्म** दोनों देशों को समान विचारधाराओं के आधार पर जोड़ता है।
    - वर्ष 2003 में स्थापित **भारत-भूटान फाउंडेशन का उद्देश्य सांस्कृतिक क्षेत्र में लोगों के मध्य आपसी आदान-प्रदान को बढ़ाना है।**
- **सुरक्षा:** पश्चिमी भूटान में भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल (IMTRAT) को स्थायी रूप से स्थित किया गया है। यह दल रॉयल भूटान सेना की सहायता करता है और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करता है।
    - **भारतीय वायु सेना की पूर्वी वायु कमान, भूटान को वायु सुरक्षा प्रदान करती है,** क्योंकि भूटान की अपनी वायु सेना नहीं है।
    - भारत के सीमा सड़क संगठन ने **परियोजना 'दंतक' के तहत** भूटान में अधिकांश सड़कों का निर्माण किया है।

**संबंध सुधारने में विद्यमान चुनौतियां:**

- **चीनी प्रभाव:** चीन और भूटान के मध्य निम्नलिखित क्षेत्रों पर विवाद है:
    - **उत्तर में पसमलुंग और जकारलुंग घाटियां,** दोनों ही भूटान के लिए सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं।
    - **पश्चिम में डोकलाम, ड्रामाना, शखातो, याक चू, चरिथांग चू, सिंचुलुंग्पा और लैंगमारपो घाटियां।**
        - भारत डोकलाम पर भूटान के दावे का समर्थन करता है, क्योंकि यह **भारत की सुरक्षा के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है।**
        - **चीन का इस क्षेत्र पर प्रभुत्व सिलीगुड़ी कॉरिडोर को खतरे में डाल सकता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक के माध्यम** से भारतीय मुख्य भूमि को उसके **पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है।**
- **जलविद्युत व्यापार से संबंधित मुद्दे:** विद्युत खरीद नीति में भारत द्वारा किए गए बदलाव, भूटान को नेशनल पावर ग्रिड में शामिल करने से इनकार करना आदि ने आपसी संबंधों में कटुता पैदा की है।
- **विद्रोही संगठनों के ठिकाने:** यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (ULFA), नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (NDFB) जैसे विद्रोही संगठन दक्षिणी भूटान के घने जंगलों को अपने ठिकाने के रूप में इस्तेमाल करते हुए भारत के विरुद्ध कार्य करते हैं।
    - **ऑपरेशन ऑल क्लियर (2003-04)** भूटान द्वारा इन विद्रोही संगठनों के खिलाफ की गई पहली कार्रवाई थी।
- **BBIN पहल:** इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार हेतु भारत द्वारा प्रस्तावित **बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल मोटर वाहन समझौता (BBIN-MVA)** पर्यावरण संबंधी चिंताओं के कारण भूटान द्वारा रोक दिया गया है।
- **व्यापार तक पहुंच:** भूटान अपनी पहुंच को बांग्लादेश तक बढ़ाकर अपने बाजार में विविधता ला रहा है। साथ ही, इन दोनों देशों ने 2021 में एक तरजीही व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं।


©Vision IAS

**आगे की राह**

- **त्रिपक्षीय वार्ता शुरू करना:** भारत, चीन और भूटान के बीच त्रिपक्षीय संवाद से अनिश्चितताओं को कम किया जा सकता है, क्योंकि इसके बिना शांति और संघर्ष (जैसे- डोकलाम) से जुड़े प्रश्नों को हल नहीं किया जा सकता है।
- **आर्थिक संबंधों में विविधता लाना:** अभी के लिए, भूटान और भारत के आर्थिक संबंधों में जलविद्युत परियोजनाओं का ही प्रभुत्व बना हुआ है।
    - दोनों देशों के बीच फिनटेक, स्पेस टेक और बायोटेक जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने से एक मजबूत साझेदारी निर्मित हो सकती है।
- **लोगों के मध्य संबंधों में सुधार:** सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को बौद्ध धर्म और दोनों देशों के बीच अधिक पर्यटकों के आवागमन को प्रोत्साहित करके प्रेरित किया जा सकता है।
- **सुरक्षा उपाय:**
    - आपराधिक मामलों में सूचना को रियल टाइम में साझा करने हेतु **दोनों देशों के बीच संपर्क बिंदुओं और तंत्रों की स्थापना की जानी चाहिए।**
    - सीमा चौकियों पर तैनात **कानून प्रवर्तन कर्मियों की क्षमता के निर्माण और कौशल विकास हेतु प्रयास करने चाहिए।**
    - भारत-भूटान सीमा के लिए देश-प्रत्यावर्तन (Repatriation) हेतु एक **मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का विकास किया जाना चाहिए।**

## 2.2. भारत-लैटिन अमेरिका (India-Latin America)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, भारतीय विदेश मंत्री ने चार लैटिन अमेरिकी देशों- **पनामा, गुयाना, कोलंबिया और डोमिनिकन गणराज्य** की यात्रा की है।

**अन्य संबंधित तथ्य**

- एस. जयशंकर इन देशों की द्विपक्षीय यात्रा करने वाले पहले भारतीय विदेश मंत्री हैं।
- वे **भारत और मध्य अमेरिकी एकीकरण प्रणाली (SICA)[9] की विदेश मंत्रिस्तरीय बैठक** में भी शामिल हुए।
- इसके साथ ही उन्होंने **चौथी भारत-कैरिकॉम मंत्रिस्तरीय बैठक** की सह-अध्यक्षता भी की। **कैरिकॉम का पूर्ण रूप कैरेबियाई समुदाय एवं साझा बाजार (CARICOM)[10] है।**

**बैठक का महत्त्व**

| | |
|---|---|
| **गुयाना** | • गुयाना विश्व के **सबसे बड़े तेल भंडार वाले देशों** में से एक है। यह भारत के लिए अपने तेल स्रोतों में विविधता लाने हेतु महत्वपूर्ण है।<br>• गुयाना के भीतर कनेक्टिविटी और गतिशीलता में सुधार करने के लिए एक **भारत निर्मित नौका एमवी मा लिशा (MV Ma Lisha)** को गुयाना को सौंपा गया है। |
| **पनामा** | • वर्ष 2022 में पनामा के साथ 610 मिलियन डॉलर का वार्षिक व्यापार हुआ था। इस प्रकार यह **भारत का सबसे बड़ा मध्य अमेरिकी व्यापारिक भागीदार है।**<br>• यहां भारतीय प्रवासियों की बड़ी संख्या मौजूद है।<br>• इसकी भौगोलिक अवस्थिति **भारत के लिए लैटिन अमेरिकी क्षेत्र में प्रवेश द्वार** के रूप में कार्य करती है। एक समुद्री केंद्र के रूप में यह अपनी **विशिष्ट लॉजिस्टिक क्षमताओं को प्रदर्शित** करता है। |
| **कोलंबिया** | • इसके साथ **2023-26 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम** पर हस्ताक्षर किए गए हैं।<br>• यह भारत को **कच्चे तेल, कोयले** आदि की आपूर्ति करता है। |
| **डोमिनिकन गणराज्य** | • **डोमिनिकन गणराज्य में भारत के दूतावास का उद्घाटन** किया गया है।<br>• **भारत के ऑटोमोबाइल डीलरों** जैसे कि बजाज, हीरो, रॉयल एनफील्ड आदि ने डोमिनिकन गणराज्य में स्थानीय डीलरशिप्स स्थापित की हैं। |

[9] Central American Integration System

[10] Caribbean Community and Common Market

**भारत-लैटिन अमेरिका संबंधों का महत्त्व**

- **व्यापार संबंध:** भारत और लैटिन अमेरिकी देशों के बीच वर्ष 2022 में व्यापार **50 बिलियन अमेरिकी डॉलर** के सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुँच गया था। यदि समस्त लैटिन अमेरिका एक देश होता, तो वह 2022-23 में भारत का पांचवां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार होता।
    - रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण, लैटिन अमेरिका से भारत के खाद्य तेल आयात में वृद्धि हुई है। ध्यातव्य है कि **यूक्रेन, भारत को सूरजमुखी तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता** रहा है।

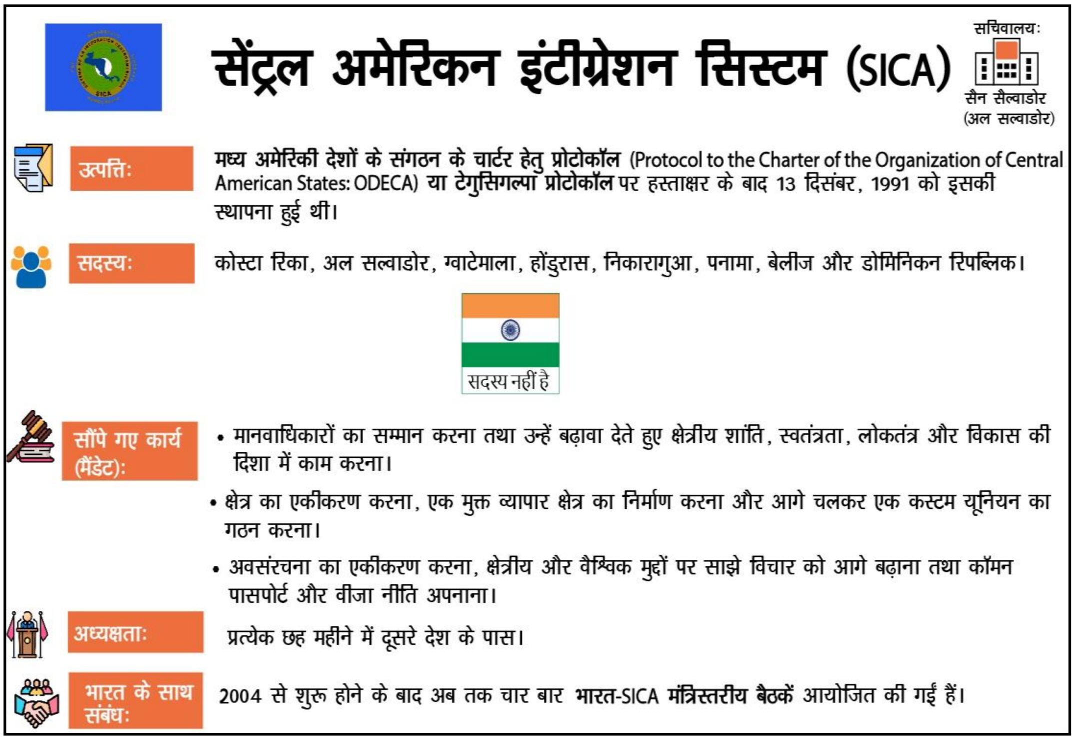


- **भारतीय व्यवसायों के लिए निवेश के अवसर:** भारतीय व्यवसायों के लिए, लैटिन अमेरिका तथाकथित **'गोल्डीलॉक्स जोन'** में स्थित है। 'गोल्डीलॉक्स जोन' व्यापार की दृष्टि से एक आकर्षक स्थल है, जो अमेरिका और यूरोप के अत्यधिक विनियमित प्रतिस्पर्धी बाजारों और कम क्रय क्षमता वाले अफ्रीका के निम्न प्रतिस्पर्धी बाजारों के बीच स्थित है।
    - भारतीय आईटी कंपनियां इस क्षेत्र में **40,000 से अधिक लोगों** को रोजगार प्रदान करती हैं, जिनमें से लगभग सभी स्थानीय हैं।
    - इस क्षेत्र में भारत का कुल निवेश **16 बिलियन अमेरिकी डॉलर** आंका गया है।
- **खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा:** भारत अपने कच्चे तेल का 15% लैटिन अमेरिकी देशों से प्राप्त करता है और अपनी बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भविष्य में इसकी मांग बढ़ने की संभावना है।
    - यह क्षेत्र खाद्य सुरक्षा की दिशा में भी योगदान दे सकता है, क्योंकि **लैटिन अमेरिकी क्षेत्र भारत से पांच गुना बड़ा है और भारत की तुलना में इसकी जनसंख्या केवल आधी है।**
    - भारत इन देशों से **दलहन और तिलहन का आयात** कर सकता है।
- **रणनीतिक महत्त्व:** लैटिन अमेरिका **तांबे** के वैश्विक उत्पादन में लगभग **40%** का योगदान करता है। साथ ही, विश्व के **35% लिथियम** की आपूर्ति करता है।
    - भारत पहले से ही **अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली** जैसे देशों में सामरिक खनिजों, जैसे- **लिथियम और कोबाल्ट** की खानों की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा है।
- **विकासात्मक सहयोग:** लैटिन अमेरिकी क्षेत्र 2021 में **भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष के मुख्य प्राप्तकर्ताओं** में से एक था। इसकी **26 परियोजनाओं के लिए 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश** किया गया था।
    - **भारत लैटिन अमेरिका के सशर्त नकद अंतरण (Conditional Cash Transfers: CCTs) के अनुभव से भी सीख सकता है।**
    - ऐसा इसलिए, क्योंकि यह क्षेत्र विश्व स्तर पर सशर्त नकद अंतरण में अग्रणी है और इसके पास इस तरह के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का तीन दशकों से अधिक का अनुभव है।
- **दक्षिण-दक्षिण सहयोग:** भारत ने **पहला वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ सम्मेलन** आयोजित किया था। इसमें **29 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई देश** सम्मिलित हुए थे।

   - भारत ब्रिक्स, इब्सा जैसे मंचों पर ब्राजील के साथ सहयोग कर रहा है। इन मंचों ने विकासशील देशों के लिए एक वैकल्पिक मंच प्रदान किया है।
- **लोगों के मध्य संबंध:** भारतीय दर्शन, योग और गांधी की शिक्षाओं ने इस क्षेत्र के अनेक लैटिन निवासियों (स्थानीय लोगों) के मन में अमिट छाप छोड़ी है।
   - अनेक लैटिन अमेरिकी **रवींद्रनाथ टैगोर** से भली भांति परिचित हैं। उन्होंने 1924 में **अर्जेंटीना** में दो महीने बिताए थे।

**संबंधों में चुनौतियां**

- **क्षेत्र को समग्र रूप में शामिल करने हेतु तंत्र का अभाव:** भारत ने अभी तक संपूर्ण लैटिन अमेरिकी क्षेत्र के साथ व्यवहार के लिए एक तंत्र तैयार नहीं किया है।
   - भारत के **ब्राजील, मैक्सिको, चिली जैसे देशों से अच्छे संबंध** हैं, लेकिन अन्य देश अभी भी पीछे हैं।
- **एक कारक के रूप में भौतिक दूरी:** भारत और लैटिन अमेरिका के बीच की दूरी को शायद दोनों पक्षों के मध्य सामाजिक अंतर्क्रिया के क्षेत्र में संबसे बड़ी बाधा के रूप में महसूस किया गया है। अतः दोनों पक्षों के मध्य सामाजिक अंतर्क्रिया के अवसर बहुत कम ही रहे हैं।
- **विदेश नीति में पूर्वधारणा:** भारत की विदेश नीति को संचालित करने वाले तीन संकेंद्रित क्षेत्रों (Three concentric circles) में लैटिन अमेरिका को हमेशा सबसे बाद में रखा गया है।

> **कैरेबियन समुदाय और साझा बाजार (कैरिकॉम)**
> **(Caribbean Community and Common Market: CARICOM)**
>
> **उत्पत्तिः** 1973 में **चौगारामास की संधि (Treaty of Chaguaramas)** पर हस्ताक्षर के बाद **कैरिकॉम** का गठन हुआ था।
>
> **सदस्यः** इस समूह में पंद्रह सदस्य देश हैं। ये हैंः एंटीगुआ एंड बारबुडा, बहामास, बारबाडोस, बेलीज, डोमिनिका, ग्रेनेडा, गुयाना, हैती, जमैका, मोंटसेराट, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस, सूरीनाम तथा त्रिनिदाद एंड टोबैगो।
>
> **सौंपे गए कार्यः**
> - यह **चार मुख्य स्तंभों पर आश्रित** हैः आर्थिक एकीकरण; विदेश नीति में समन्वय; मानव और सामाजिक विकास; तथा सुरक्षा।
>
> **सचिवालयः** जॉर्जटाउन, गुयाना
>
> **भारत के साथ संबंधः**
> - भारत और कैरिकॉम ने 2003 में आपसी **परामर्श, सहयोग और समन्वय को लेकर एक स्थायी संयुक्त आयोग** की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद दोनों के बीच औपचारिक भागीदारी शुरू हुई थी।
> - 2019 में, प्रधान मंत्री ने **कैरिकॉम** में **सामुदायिक विकास परियोजनाओं (CDP)** के लिए अनुदान की घोषणा की थी। इसके अलावा उन्होंने सौर ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से संबंधित परियोजनाओं के लिए एक **लाइन ऑफ क्रेडिट** की भी घोषणा की थी।

   - पहला संकेंद्रित क्षेत्र पड़ोस को संदर्भित करता है (अर्थात् भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति)। दूसरे में एक्सटेंडेड नेबरहुड/ विस्तारित पड़ोस (विशेष रूप से एशिया) को शामिल किया गया है। साथ ही, इसमें अमेरिका व रूस जैसे रणनीतिक साझेदार भी शामिल हैं। तीसरे और अंतिम संकेंद्रित क्षेत्र में लैटिन अमेरिका सहित दुनिया के बाकी देश शामिल हैं।
   - उदाहरण के लिए, अभी तक **लैटिन अमेरिकी क्षेत्र को भारत के विदेश राज्य मंत्री द्वारा संचालित** किया जाता रहा है।
   - वर्तमान में केवल तीन लैटिन अमेरिकी देशों अर्थात् **अर्जेंटीना, ब्राजील और मैक्सिको** के साथ द्विपक्षीय संबंध सीधे भारत के विदेश मंत्री द्वारा संचालित किए जा रहे हैं।
- **मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) का अभाव: मर्कोसुर और चिली** के साथ किए गए भारत के वर्तमान **तरजीही व्यापार समझौतों (PTAs)** का दायरा सीमित है। ध्यातव्य है कि **मर्कोसुर** दक्षिण अमेरिका में **अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे और उरुग्वे** का एक व्यापारिक समूह है।
- **चीन की तुलना में सीमित संलग्नता:** लैटिन अमेरिका के साथ भारत का वार्षिक व्यापार 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मध्य है। यह इस क्षेत्र के चीन के साथ 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वार्षिक व्यापार की तुलना में बहुत कम है। इसके अलावा, लैटिन अमेरिकी क्षेत्र में 3 मिलियन से अधिक चीनी प्रवासी हैं, जबकि इस क्षेत्र में भारत के 30,000 से भी कम लोग रहते हैं।

**आगे की राह**

- सभी क्षेत्रों में व्यापक जुड़ाव के लिए **एक लैटिन अमेरिका नीति** तैयार करनी चाहिए।
- चिली और मर्कोसुर के साथ वर्तमान PTA को FTA में अपग्रेड करना चाहिए। साथ ही, इस क्षेत्र के अन्य देशों के साथ भी नए व्यापक व्यापार समझौते किए जाने चाहिए।
- शैक्षणिक संस्थानों, मीडिया, पर्यटन आदि के माध्यम से सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना चाहिए।

- सभ्यतागत गुण और लोकतांत्रिक शासन का लाभ उठाना चाहिए, जिसमें लैटिन अमेरिका चीन की तुलना में भारत के साथ अधिक जुड़ाव महसूस करता है।

## 2.3. भारत, ईरान और आर्मेनिया: एक त्रि-पक्षीय समूह (India, Iran, Armenia Trilateral)

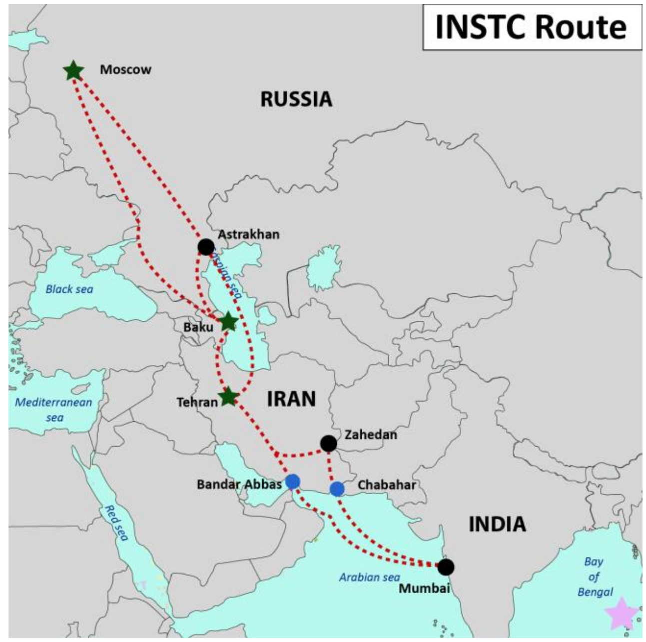


### सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में भारत, ईरान और आर्मेनिया ने **येरेवान** में राजनीतिक विचार-विमर्श का एक दौर आयोजित किया है। साथ ही, ये देश भविष्य की बैठकें भी त्रिपक्षीय प्रारूप में आयोजित करने पर सहमत हुए हैं।

### इस बैठक की मुख्य विशेषताएं

- इस प्रकार की यह **पहली** बैठक है।
- इन तीन पक्षों ने आर्थिक मुद्दों, क्षेत्रीय संचार माध्यमों और **सांस्कृतिक एवं लोगों के मध्य आपसी संपर्क** को मजबूत करने की संभावनाओं पर चर्चा की।

### त्रि-पक्षीय समूह का महत्त्व

- **अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) को पुनर्जीवित करना:** यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के बाद, बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य ने INSTC परियोजना में नवीन ऊर्जा का संचार करने का अवसर प्रदान किया है।
  - इसके साथ ही, भारत ईरान में स्थित चाबहार बंदरगाह से जुड़ने के लिए आर्मेनिया से होकर INSTC का विस्तार करने का इच्छुक है। इसके द्वारा हिंद महासागर को **यूरेशिया और फिनलैंड** से भी जोड़ा जाएगा।

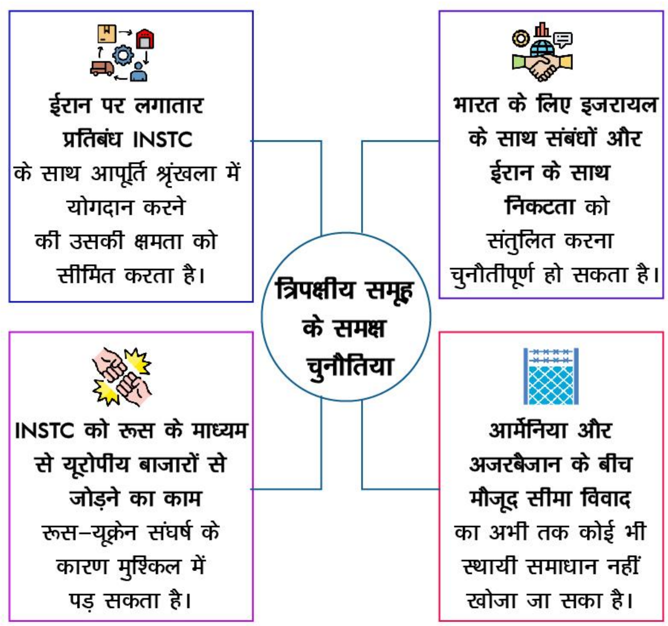


- **पाकिस्तान-अजरबैजान-तुर्किये त्रिपक्षीय समूह के प्रतिसंतुलन के रूप में देखना: वर्ष 2021 की बाकू घोषणा में**, पाकिस्तान-अज़रबैजान-तुर्किये ने अपनी-अपनी प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करने पर सहमति व्यक्त की थी। इस घोषणा को निम्नलिखित के लिए प्रत्यक्ष समर्थन की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है:
  - काराबाख़ में अज़रबैजान का अभियान,
  - **जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान के दावे, तथा**
  - साइप्रस, एजियन और पूर्वी भूमध्यसागरीय विवादों के संबंध में तुर्की का दृष्टिकोण।
  - सितंबर 2021 में, इन तीनों देशों ने **'थ्री ब्रदर्स'** संयुक्त सैन्य अभ्यास भी आयोजित किया था।
- **नागोर्नो-काराबाख:** आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच का यह विवादित क्षेत्र भी इन दो अलग-अलग त्रिपक्षों में एक प्रमुख कारक है। दो अलग-अलग त्रिपक्ष हैं- **भारत, ईरान और आर्मेनिया तथा पाकिस्तान-अजरबैजान-तुर्किये।**
  - नागोर्नो-काराबाख को **अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अजरबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है**, किंतु अधिकांश क्षेत्र पर आर्मेनियाई अलगाववादियों का नियंत्रण है।
  - आर्मेनियाई अलगाववादियों ने इसे **"नागोर्नो-काराबाख ऑटोनोमस ओब्लास्ट**[11]**"** घोषित किया है।

[11] Nagorno-Karabakh Autonomous Oblast

- हालांकि, मुख्य रूप से **ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप (OSCE)[12] के मिन्स्क ग्रुप** के नेतृत्व में संघर्ष का एक स्थायी समाधान निकालने के प्रयास विफल रहे हैं।
- इस **विवाद का समाधान करने** के लिए 1994 में मिन्स्क ग्रुप का गठन किया गया था और इसकी सह-अध्यक्षता **संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और रूस** द्वारा की जाती है।
  - तुर्किये और पाकिस्तान ने परंपरागत रूप से संघर्ष में **अजरबैजान** की सहायता की है, जबकि ईरान व भारत ने **आर्मेनिया** का साथ दिया है।

**ऐसे बिंदु, जिन पर ये देश एक साथ हैं:**

| | |
|---|---|
| **भारत और आर्मेनिया** | • दोनों देशों ने वर्ष 2022 में द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों के 30 वर्ष पूरे होने की वर्षगांठ मनाई है।<br>• दोनों देशों ने **अंतर्राष्ट्रीय निकायों के भीतर सक्रिय राजनीतिक संबंधों और प्रभावी सहयोग** के लाभ प्राप्त किए हैं।<br>• **नवीन हस्ताक्षरित एक निर्यात समझौते के तहत,** भारत आर्मेनिया को मिसाइल, रॉकेट और गोला-बारूद जैसे सैन्य हथियार भेजेगा।<br>• भारत के **विदेश मंत्री** ने 2021 में आर्मेनिया की यात्रा की थी। वर्ष 1992 में राजनयिक संबंध स्थापित किए जाने के बाद यह किसी भी भारतीय विदेश मंत्री की पहली यात्रा थी।<br>• **भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन (EAEU) के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA)** पर वर्तमान में वार्ता चल रही है।<br>  ○ चूंकि आर्मेनिया EAEU का सदस्य है, इसलिए इस FTA के परिणामस्वरूप द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। |
| **भारत और ईरान** | • दोनों देशों के बीच **सदियों से ऐतिहासिक संबंध रहे हैं** और इनके बीच एक साझा सांस्कृतिक विरासत रही है।<br>• **ईरान में चाबहार बंदरगाह** दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी का प्रमुख केंद्र है।<br>• दोनों देश **INSTC समझौते के हस्ताक्षरकर्ता हैं।** |
| **ईरान और आर्मेनिया** | • दोनों देश सीमा साझा करते हैं और मजबूत संबंधों से लाभान्वित होते हैं।<br>• दोनों देश अपने व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।<br>• आर्मेनिया **ईरान के लिए EAEU तक पहुँच स्थापित करके एक पारगमन मार्ग** के रूप में कार्य करता है। |

**निष्कर्ष:**

त्रिपक्षीय संदर्भ में, ईरान-भारत-आर्मेनिया समझौता मुख्य रूप से व्यापार पर केंद्रित है। यह विशेष रूप से **फारस की खाड़ी-काला सागर व्यापारिक मार्ग** से भारतीय वस्तुओं को पश्चिम में भेजने में सहयोग करेगा। साथ ही, यह क्षेत्रीय सहयोग विश्व के एशियाई और यूरेशियाई क्षेत्रों को भी मजबूत करेगा।

## 2.4. कॉम्प्रिहेंसिव ऐंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership: CPTPP)

**सुर्ख़ियों में क्यों ?**

हाल ही में, **यूनाइटेड किंगडम CPTPP में शामिल होने के लिए सहमत हो गया है।** इस प्रकार यूनाइटेड किंगडम CPTPP में शामिल होने वाला पहला नया सदस्य बन जाएगा। साथ ही, यह CPTPP में शामिल होने वाला यूरोप का पहला देश भी होगा।

[12] Organization for Security and Cooperation in Europe

## कॉम्प्रिहेंसिव ऐंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (CPTPP)

**उत्पत्ति**

इस पर मार्च **2018** में हस्ताक्षर किए गए थे और यह **दिसंबर 2018 में लागू** हुआ था।

- 2017 में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप (TPP) से संयुक्त राज्य अमेरिका के हटने के बाद CPTPP की स्थापना हुई।

**CPTPP के बारे में**

यह **11 देशों के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता** (FTA) है।

**सदस्य देश**

ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, पेरू, मैक्सि और न्यूजीलैंड।

■ CPTPP पर हस्ताक्षर व इसकी अभिपुष्टि करने वाले देश

■ CPTPP पर हस्ताक्षर करने वाले देश

### CPTPP का महत्त्व

- **वस्तुओं का व्यापार:** यह CPTPP निर्यात बाजारों में प्रशुल्क का उन्मूलन और गैर-प्रशुल्क बाधाओं को कम करता है।
- **सरकारी खरीद में समान व्यवहार:** सरकारी खरीद के अवसरों पर नीलामी के समय विदेशी कंपनियों के साथ घरेलू आपूर्तिकर्ताओं के समान व्यवहार किया जाएगा।
- **पूर्वानुमेयता और पारदर्शिता:** एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 11 देशों के बीच साझा और पारदर्शी व्यापार एवं निवेश के लिए लागू नियम, प्रशासन की लागत को कम करने में सहायता करते हैं।
- **श्रम और पर्यावरण:** CPTPP में श्रम और पर्यावरण पर CPTPP सदस्यों के संबंधित मानकों को बनाए रखने के लिए स्पष्ट प्रतिबद्धताएं शामिल हैं।
- **शासन और उभरते हुए मुद्दों का समाधान करना:** इसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ नियम बनाना, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों द्वारा अनुचित प्रतिस्पर्धा को कम करना और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए एक उदार परिवेश सुनिश्चित करना शामिल है।

**संबंधित तथ्य**

**सरकारी खरीद पर समझौता (Agreement on Government Procurement: GPA)**

- **GPA के बारे में: GPA, विश्व व्यापार संगठन (WTO) के ढांचे के भीतर एक बहुपक्षीय समझौता है। यह WTO के सदस्यों पर बाध्यकारी समझौता है।**
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य **अपने पक्षकारों के बीच पारस्परिक रूप से सरकारी खरीद बाजारों को खोलना है।**
- **प्रशासन:** GPA को **सरकारी खरीद संबंधी समिति (Committee on Government Procurement)** द्वारा प्रशासित किया जाता है। यह समिति इसके सभी पक्षकारों के प्रतिनिधियों से मिलकर बनी होती है।
- **सदस्य:** इसमें **21 पक्षकार** शामिल हैं। इसमें **यूरोपीय संघ और इसके 27 सदस्य देशों** को एक पक्षकार के रूप शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत **WTO के 48 सदस्यों** को शामिल किया गया है।
    - **सरकारी खरीद समिति में पर्यवेक्षकों के रूप में** WTO के अन्य 36 सदस्य/पर्यवेक्षक और अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन भाग लेते हैं।
    - **भारत, GPA का सदस्य नहीं है,** यह पर्यवेक्षकों में से एक है।

### CPTPP "क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक समझौते (RCEP)" से कैसे अलग है?

| | RCEP | CPTPP |
|---|---|---|
| सदस्य | 15 देशों (अधिकांशतः एशिया–प्रशांत क्षेत्र के देश) के मध्य FTA | 11 देशों (प्रशांत महासागर के दोनों ओर स्थित देश) के मध्य FTA |
| आकार | वैश्विक GDP में लगभग 31% की हिस्सेदारी | वैश्विक GDP में लगभग 13.5% की हिस्सेदारी |
| कार्य क्षेत्र | CPTPP के मामले में व्यापार संबंधी शर्तें या अनिवार्यताएं RCEP की तुलना में अधिक व्यापक हैं। उदाहरण के लिए– राष्ट्र के स्वामित्व वाले उद्यमों को समर्थन (आर्थिक या सब्सिडी आदि) देने या श्रम और पर्यावरण संबंधी मुद्दों को लेकर RCEP में कोई ठोस उपाय नहीं है। | |

**भारत और CPTPP**

| भारत CPTPP में शामिल क्यों नहीं हुआ? | CPTPP में शामिल न होकर भारत किन लाभों से वंचित हो रहा है? |
|---|---|
| • **बौद्धिक संपदा अधिकारों पर सख्त मानक:** ये मानक औषध कंपनियों के एकाधिकार में विस्तार कर सकते हैं। इससे भारत का औषध पारितंत्र काफी प्रभावित हो सकता है।<br>• **CPTPP निवेशक-राज्य विवाद निपटान (Investor-State Dispute Settlement: ISDS) तंत्र:** यह निवेश पारितंत्र के विनियमन में बाधा उत्पन्न करता है और भारत की आर्थिक संप्रभुता को दरकिनार करता है।<br>  ○ ISDS, मुक्त व्यापार समझौते में मौजूद एक तंत्र या एक निवेश संधि है, जो **विदेशी निवेशकों को निवेश संबंधी विवादों को हल करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय अधिकरण तक पहुंचने का अधिकार प्रदान करती है।**<br>• **अपेक्षित आर्थिक रियायतें:** भारत का मानना है कि CPTPP में शामिल होने के लिए अपेक्षित **व्यापक आर्थिक रियायतें** बहुत व्यापक हैं। भारतीय दृष्टिकोण से इसके लिए स्वीकृति देना कठिन होगा।<br>• **विऔद्योगिकीकरण की संभावना:** वस्तुओं तक बाजार की पहुंच से संबंधित CPTPP नियम भारत के विनिर्माण क्षेत्रक के समक्ष गंभीर चुनौती पेश कर सकते हैं। इससे दीर्घकाल में औद्योगिक क्षेत्रक को क्षति हो सकती है। | • **प्रतिस्पर्धात्मकता:** भारत को प्रशुल्क में कमी का फायदा मिल सकता था। इससे भागीदार देशों में भारतीय निर्यात सस्ता हो जाता।<br>• **नए ग्राहकों तक पहुंच:** जापान, मलेशिया और चिली सहित हिन्द-प्रशांत क्षेत्रों के प्रमुख बाजारों में नई तरजीही पहुंच (Preferential access) संभव होती।<br>• **बाजार की पारदर्शिता और स्थिरता:** CPTPP भागीदार बाजारों में व्यापार करने के लिए भारतीय सेवा आपूर्तिकर्ताओं को बेहतर सुरक्षा, पूर्वानुमान और पारदर्शिता की पेशकश कर सकता था।<br>• **वैश्विक मूल्य श्रृंखला (GVCs) से बाहर रह जाना:** CPTPP के तहत उत्पत्ति के नियम (Rules of Origin: RoO) प्रशुल्क कटौती के साथ नए GVCs के निर्माण को प्रोत्साहित करते। CPTPP में शामिल नहीं होने के कारण भारत के लिए यह अवसर न्यून हो गया है। |

**निष्कर्ष**

ट्रेड-ऑफ्स (Trade-offs) को देखते हुए, भारत CPTPP और RCEP जैसे मुक्त व्यापार समझौता समूहों के साथ वार्ता कर सकता है। हालांकि, इसके साथ ही इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक क्षेत्र में संप्रभु प्रतिबद्धताओं और महत्वपूर्ण घरेलू नीति विस्तार के मध्य एक उचित संतुलन बनाए रखना होगा।

## 2.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

### 2.5.1. अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (International Fund of Agricultural Development: IFAD)

- IFAD और जापान ने **निजी क्षेत्रक एवं लघु पैमाने के उत्पादकों के बीच संवर्धित संबंध (ELPS) पहल** के शुभारंभ की घोषणा की है।
- **लक्ष्य:** दुनिया भर में **लघु पैमाने के उत्पादकों और स्थानीय खाद्य प्रणालियों को** अधिक लचीला और संधारणीय बनाना। इसमें **निजी क्षेत्रक की कंपनियों के साथ इनकी बेहतर संबद्धता पर भी ध्यान दिया जाएगा।**
- **उद्देश्य:** ELPS निवेश का उपयोग **विकासशील देशों में कृषि उत्पादकता में सुधार करने, उनकी आय में वृद्धि करने और लघु पैमाने के उत्पादकों की आजीविका को बेहतर करने** में किया जाएगा।
  - लघु पैमाने के खाद्य उत्पादकों के साथ काम करते हुए, निजी क्षेत्रक के साझेदार (खाद्य कंपनियां) **संधारणीय कृषि और लचीली खाद्य प्रणालियों में योगदान** दे सकते हैं।
- **वित्त:** जापान इस पहल के लिए IFAD को लगभग **2 मिलियन अमेरिकी डॉलर** की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
- **महत्त्व:** लघु किसान वैश्विक खाद्य सुरक्षा की आधारशिला हैं। ऐसा इसलिए है, क्योंकि ये **दुनिया के एक तिहाई खाद्य का उत्पादन करते हैं।**

# अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष

**(International Fund for Agricultural Development: IFAD)**

मुख्यालय: रोम, इटली

**उत्पत्तिः** इसकी स्थापना 1977 में की गई थी। इसे एक **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान और संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी के रूप में स्थापित** किया गया था।

**उद्देश्यः** ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं और खाद्य प्रणालियों को समावेशी, उत्पादक, लचीला तथा संधारणीय बनाकर उन्हें रूपांतरित करना।

**सदस्यः** इसके 177 सदस्य हैं। इसकी सदस्यता **ऐसे किसी भी देश के लिए खुली है, जो संयुक्त राष्ट्र, इसकी किसी भी विशेष एजेंसी या अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का सदस्य है।**

भारत सदस्य है

**वित्त–पोषणः** लगभग 100 सदस्य **स्वैच्छिक रूप से वित्तीय योगदान देकर इस कोष में सहायता** करते हैं।

**संगठनात्मक संरचनाः**
- IFAD की अध्यक्षता **चार वर्ष के कार्यकाल** के लिए चयनित अध्यक्ष द्वारा की जाती है।

**मुख्य शासी निकाय**
- इसकी एक **शासी परिषद** है। इसमें IFAD के सभी सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। इसकी बैठक प्रत्येक वर्ष होती है।
- इसका एक **कार्यकारी बोर्ड** भी है। इसकी बैठक वर्ष में तीन बार होती है।

**भागीदार एजेंसियांः** IFAD व्यवस्थित रूप से संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों **{खाद्य और कृषि संगठन (FAO) तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP)}** के साथ भागीदारी करता है।
- ये भागीदार एजेंसियां **विश्व खाद्य सुरक्षा समिति** (CFS) को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती हैं।
  - CFS को 1974 में स्थापित किया गया था। यह सभी के लिए खाद्य सुरक्षा और पोषण सुनिश्चित करने पर ध्यान देता है।

**भारत और IFAD:**
- भारत को **ग्रामीण विकास, जनजातीय विकास, महिला सशक्तीकरण और सूक्ष्म वित्त संबंधी परियोजनाओं** के लिए IFAD से फंड प्राप्त हुआ है। वर्ष 1979 से इसने 27 से अधिक परियोजनाओं का वित्त–पोषण किया है।
- भारत ने IFAD के संसाधनों में भी योगदान किया है।

## 2.5.2. उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) {North Atlantic Treaty Organizatio (NATO)}

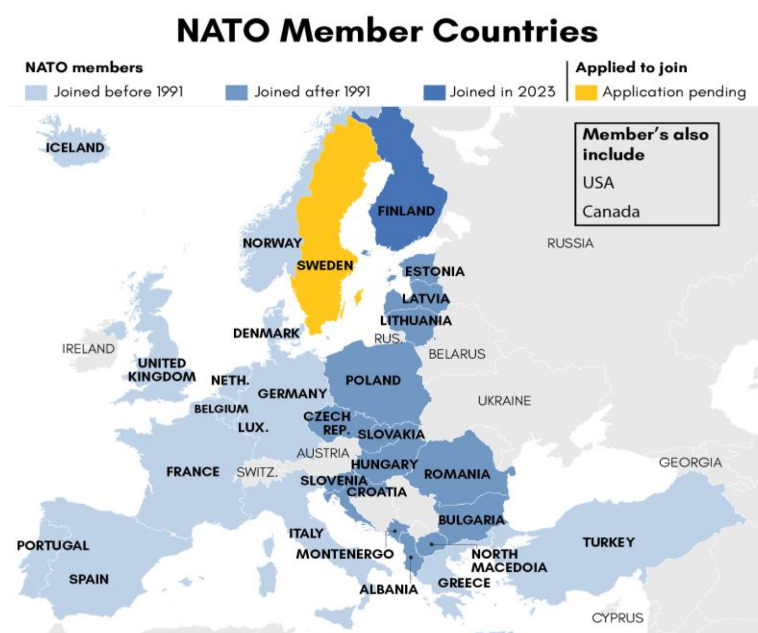


- फिनलैंड **नाटो में शामिल होने वाला 31वां देश** है।
  - फिनलैंड, कभी सोवियत संघ के साथ एक **"मैत्री समझौते"** के तहत एक तटस्थ देश हुआ करता था। **सोवियत संघ के पतन के बाद वह नाटो के करीब** होता चला गया था।
- संगठन के सदस्य के रूप में, फिनलैंड नाटो की **सामूहिक सुरक्षा** (Collective defence) का हिस्सा है। इस रूप में उसे उत्तर अटलांटिक संधि के **अनुच्छेद 5** में निहित सुरक्षा की गारंटी प्राप्त है।
  - सामूहिक सुरक्षा से तात्पर्य है कि एक सदस्य देश के विरुद्ध आक्रमण सभी सदस्य देशों के विरुद्ध आक्रमण माना जाएगा।
- **नाटो के बारे में:**
  - नाटो की स्थापना **1949 में वाशिंगटन संधि द्वारा** की गई थी।
  - इसे **यूरोपीय क्षेत्र में तत्कालीन सोवियत संघ (USSR) के खिलाफ एक सैन्य गठबंधन के रूप में स्थापित** किया गया था।

- यह **संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51** से अपना प्राधिकार प्राप्त करता है।

- **नाटो का महत्त्व**
  - यह **लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा** देता है और सदस्य देशों के बीच **सहयोग को प्रोत्साहित** करता है।
  - इसने अपने क्षेत्र में **संकट प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका** निभाई है।
  - इसने सदस्य देशों के बीच **शांति और स्थिरता बनाए रखने में मदद** की है।
- **प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी (Major Non-NATO Ally: MNNA)** के दर्जे संबंधी प्रावधान अमेरिकी कानून में किए गए हैं। यह दर्जा प्राप्त विदेशी भागीदारों को रक्षा व्यापार और सुरक्षा सहयोग के क्षेत्रों में कुछ लाभ प्रदान किए जाते हैं।

### 2.5.3. G7 देशों की बैठक (G7 Meeting)

- **G7 देशों के जलवायु और पर्यावरण मंत्रियों की बैठक साप्पोरो, जापान** में संपन्न हुई।
- **प्रमुख निष्कर्ष:**
  - G7 देशों ने **वैश्विक ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन को 2030 तक लगभग 43 प्रतिशत और 2035 तक 60 प्रतिशत तक कम करने** की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया।
  - उन्होंने **2040 तक अतिरिक्त प्लास्टिक प्रदूषण को शून्य तक कम करने का लक्ष्य** निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को एक दशक आगे बढ़ाया गया है।
  - G7 सदस्यों ने **सामूहिक रूप से 2030 तक अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता को 150 गीगावाट तक और सौर ऊर्जा क्षमता को 1 टेरावाट से अधिक तक बढ़ाने** का संकल्प लिया है।
  - G7 अनअबेटेड (Unabated) जीवाश्म ईंधन की चरणबद्ध रूप से समाप्ति में तेजी लाएगा। इससे **2050 तक ऊर्जा प्रणालियों में नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल** किया जा सकेगा।
    - कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज (CCUS) प्रौद्योगिकी के बिना संयंत्रों में जीवाश्म ईंधन की खपत को **"अनबेटेड" जीवाश्म ईंधन** के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

**ग्रुप ऑफ़ सेवन या G7 समूह (G7)**

**उत्पत्ति:** इस समूह की स्थापना 1970 के दशक की शुरुआत में हुई थी।

**G7 के बारे में:** यह प्रमुख **औद्योगिक राष्ट्रों का एक अनौपचारिक संगठन** है।

**उद्देश्य:** यह समूह **वैश्विक आर्थिक व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वार्षिक बैठकें** करता है। इसके अलावा, यह मौजूदा परिस्थितियों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा करता है।

**सदस्य देश:** **संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान।**
- यूरोपीय संघ G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन इसके वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेता है।

**अन्य महत्वपूर्ण जानकारी:**
- यह समूह **वैश्विक GDP के 46% और विश्व की 10% आबादी का प्रतिनिधित्व** करता है।
- इस समूह ने चीन की **बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI)** का विकल्प प्रदान करने के लिए 2021 में **बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड (B3W)** लॉन्च किया था।
- यह समूह 2021 में बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर 15% की **वैश्विक न्यूनतम कर दर** निर्धारित करने पर सहमत हुआ था।
- 1998–2014 तक रूस भी इस समूह का सदस्य था। तब इसे **G8** कहा जाता था।

### 2.5.4. संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग (United Nations Statistical Commission)

- भारत को **चार साल की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना** गया है। भारत का कार्यकाल **1 जनवरी, 2024 से शुरू** होगा।

## संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग (United Nations Statistical Commission)

मुख्यालय
न्यूयॉर्क (यू.एस.ए.)

**आयोग के बारे में:** यह **वैश्विक सांख्यिकीय प्रणाली** से संबंधित **सर्वोच्च निकाय** है। यह सभी सदस्य देशों के मुख्य सांख्यिकीविदों को एक मंच पर एकजुट करता है।

- यह **संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग (United Nations Statistics Division: UNSD)** के काम–काज का पर्यवेक्षण करता है। साथ ही, यह **संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (UNESC)** का एक कार्यात्मक आयोग भी है।
- **1947** में स्थापित।

**सदस्यता:** यह संयुक्त राष्ट्र के **24 सदस्य देशों** से मिलकर बना है। ये सदस्य **समान भौगोलिक वितरण** के आधार पर UNESC द्वारा चुने जाते हैं।

**सदस्यों का कार्यकाल:** चार वर्ष

**कार्य:**

- यह राष्ट्रों द्वारा **राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से एकीकृत डेटा** पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, राष्ट्रीय लेखा, सामाजिक सांख्यिकी आदि के लिए एक **वैश्विक केंद्र की सुविधा** प्रदान करता है।
- यह **राष्ट्रीय एजेंसियों** द्वारा उपयोग की जाने वाले पद्धतियों, वर्गीकरण और परिभाषाओं के **अंतर्राष्ट्रीय मानकों** को बढ़ावा देता है।
- यह **सदस्य देशों** के अनुरोध पर **परामर्श और प्रशिक्षण** देकर सांख्यिकी सेवाओं में सुधार करने में सहायता प्रदान करता है।

### 2.5.5. उत्तरी सागर शिखर सम्मेलन (North Sea Summit)

- **यूरोपीय देशों ने बेल्जियम के ओस्टेंड में आयोजित दूसरे 'उत्तरी सागर शिखर सम्मेलन' में भाग लिया**
- उत्तरी सागर सम्मेलन का उद्देश्य **2050 तक उत्तरी सागर को यूरोप का सबसे बड़ा ऊर्जा केंद्र बनाना है।** इसके लिए उत्तरी सागर की **अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता को 2030 तक 120 गीगावाट (GW) और 2050 तक 300 GW** तक बढ़ाया जाएगा।
    - इस दूसरे शिखर सम्मेलन में **यूरोपीय संघ (EU) के 7 सदस्य देशों** (बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, लक्जमबर्ग व नीदरलैंड) तथा **2 गैर-EU देशों नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम** ने भाग लिया था।
- वर्ष 2022 में **डेनमार्क** में आयोजित पहले शिखर सम्मेलन के अंत में **बेल्जियम, डेनमार्क, जर्मनी और नीदरलैंड ने एसबियर्ग (Esbjerg) घोषणा-पत्र** पर हस्ताक्षर किए थे।
    - एसबियर्ग घोषणा-पत्र का उद्देश्य उत्तरी सागर को **"यूरोप के ग्रीन पावर प्लांट"** के रूप में विकसित करना है। यह एक **अपतटीय नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली** पर आधारित है।
    - घोषणा-पत्र में **2030 तक 150 GW की अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता और 20 GW हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता** का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

- **भारत में पवन ऊर्जा**
  - REN21 रिन्यूएबल्स 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार, **पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत विश्व में चौथे स्थान** पर है।
  - फरवरी 2023 तक, **भारत की कुल संस्थापित पवन ऊर्जा क्षमता लगभग 42 GW थी।**
  - **राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति, 2018** में बड़ी ग्रिड से जुड़ी पवन-सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है।
- उत्तरी सागर, **अटलांटिक महासागर का हिस्सा है**। यह पूर्व में **नॉर्वे और डेनमार्क,** पश्चिम में **स्कॉटलैंड व इंग्लैंड** तथा दक्षिण में **जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम एवं फ्रांस** के मध्य स्थित है।
  - यह **डोवर जलसंधि और इंग्लिश चैनल द्वारा अटलांटिक से जुड़ा** हुआ है।

### 2.5.6. चाबहार बंदरगाह (Chabahar Port)

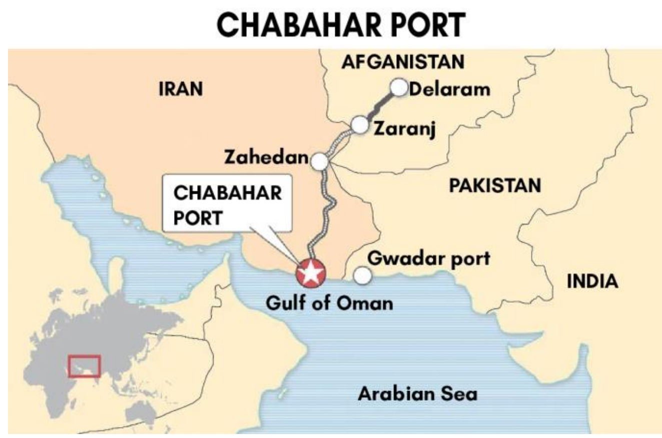


- चाबहार बंदरगाह पर **भारत-मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक मुंबई में संपन्न** हुई है।
- चाबहार बंदरगाह **ओमान की खाड़ी पर दक्षिण-पूर्वी ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है।**
  - वर्ष 2016 में, भारत ने **चाबहार में शहीद बेहिश्ती टर्मिनल विकसित करने के लिए ईरान और अफगानिस्तान के साथ** एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
- इसे एक **महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार** माना जाता है। यह **भारत को पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान और अंततः मध्य एशिया तक पहुंचने में सक्षम बनाएगा।**
- चाबहार की **होर्मुज जलडमरूमध्य और हिंद महासागर के निकट सामरिक अवस्थिति है।**

### 2.5.7. गुड फ्राइडे एग्रीमेंट {Good Friday Agreement (GFA)}

- अमेरिकी राष्ट्रपति ने गुड फ्राइडे एग्रीमेंट की **25वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्तरी आयरलैंड की यात्रा की है।**
- GFA पर 1998 में **उत्तरी आयरलैंड के गुटों और ब्रिटेन एवं आयरलैंड की सरकारों ने हस्ताक्षर** किए थे। यह समझौता **'द ट्रबल'** के नाम से कुख्यात **30 साल तक जारी रही हिंसा को समाप्त करने** के लिए किया गया था।
  - **उत्तरी आयरलैंड का गठन** 1921 में आयरलैंड का विभाजन करके **किया** गया था। आयरलैंड ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्र होकर अलग देश बन गया था, वहीं उत्तरी आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बन गया था।
  - इसके परिणामस्वरूप, उन लोगों के बीच हिंसा हुई जो या तो **यूनाइटेड किंगडम** के साथ रहना चाहते थे या आयरलैंड में शामिल होना चाहते थे।

### 2.5.8. ऑपरेशन कावेरी (Operation Kaveri)

- भारत ने **युद्धग्रस्त सूडान में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने** के लिए **'ऑपरेशन कावेरी'** शुरू किया है।

विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **अंतर्राष्ट्रीय संबंध** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।

# 3. अर्थव्यवस्था (Economy)

## 3.1. विदेश व्यापार नीति 2023 (Foreign Trade Policy 2023)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने **विदेश व्यापार नीति-2023 (FTP 2023)** को अधिसूचित किया है।

**FTP 2023 के बारे में**

- **अधिसूचना:** FTP 2023 को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। केंद्र सरकार ने यह अधिसूचना **विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम**[13]**, 1992** की **धारा 5** के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की है।
- **सिद्धांत:** यह समय के साथ **अनुकूलित योजनाओं की निरंतरता** पर आधारित है। इसमें **व्यापार की आवश्यकताओं के प्रति जवाबदेही** और **निर्यातकों के साथ 'विश्वास'** एवं **'साझेदारी'** जैसे सिद्धांतों को अपनाया गया है।

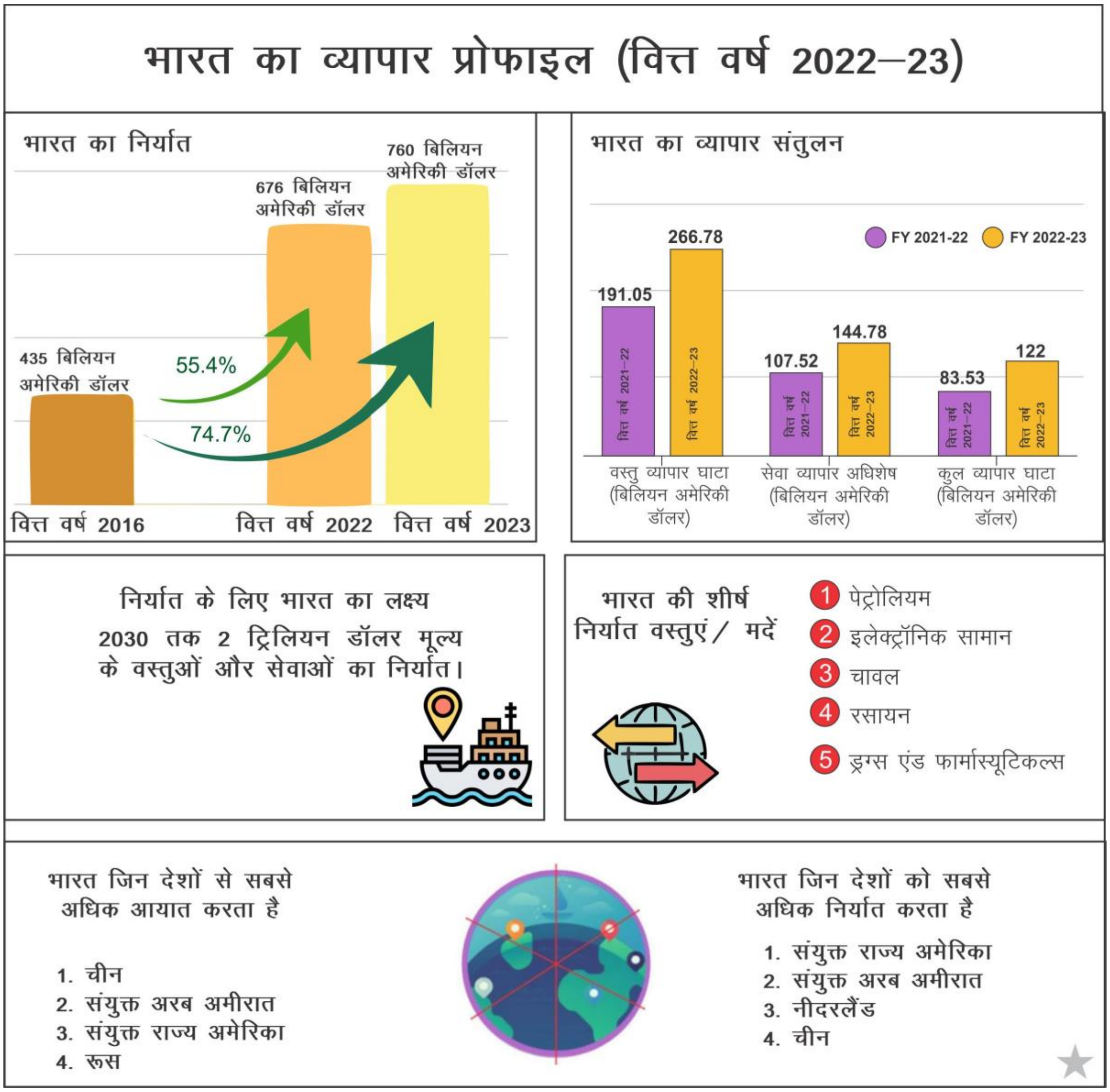


- **FTP 2015-20:** कोविड-19 महामारी और अस्थिर भू-राजनीतिक परिदृश्य के कारण FTP 2015-20 को **मार्च 2023 तक बढ़ा दिया** गया था।
  - इस दौरान भारत का **निर्यात अपने उच्च स्तर** पर पहुंच गया। साथ ही, यह भी संभावना व्यक्त की गई है कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का समग्र निर्यात (वस्तु एवं सेवा को मिला कर) **760 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक** हो जाएगा।
- **नई नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी:** इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि **निर्यात को बढ़ावा** देने के लिए स्पष्ट रूप से निर्धारित FTP बहुत जरूरी होती है। व्यापार नीति में इसे निम्नलिखित घटकों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है:
  - परस्पर भागीदारी;

---

[13] Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992

- ○ व्यापार सुगमता;
- ○ व्यापार संबंधों के संभावित क्षेत्रों की पहचान करके;
- ○ **वैश्विक अर्थव्यवस्था में लाभकारी एकीकरण** सुनिश्चित करके; आदि।
    - ▪ इस नीति में **अलग-अलग हितधारकों के लिए स्पष्ट भूमिकाएं** निर्धारित की गई हैं। यह भारत के विदेशी व्यापार के लिए एक दिशा प्रदान करती है।

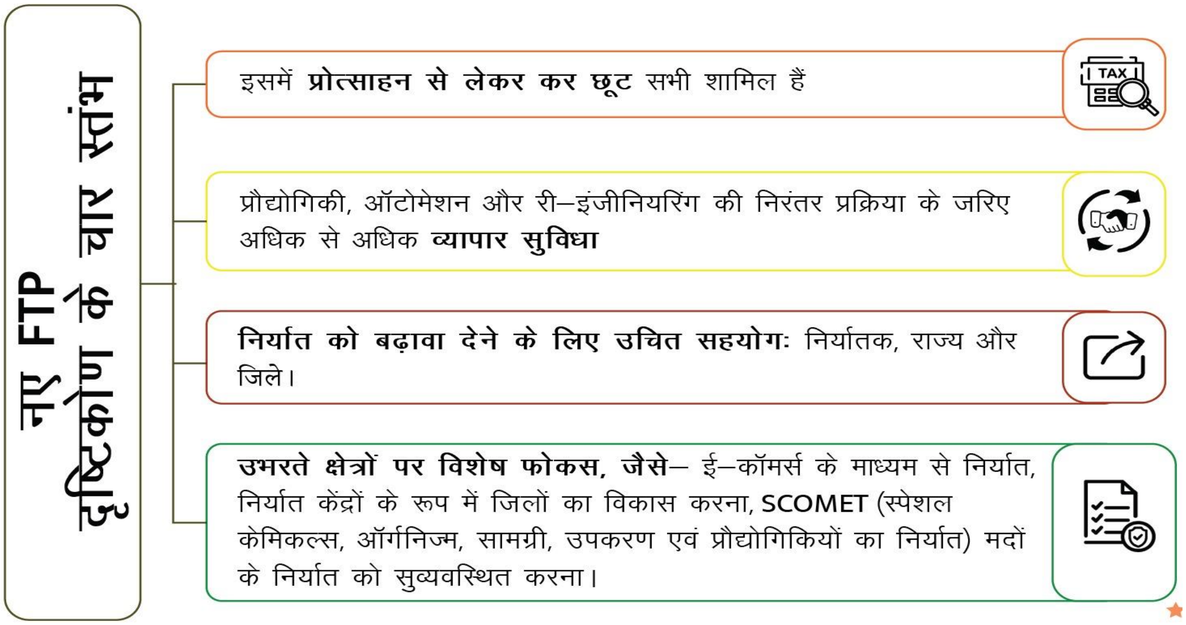


## 3.1.1. व्यापार सुविधा और व्यापार सुगमता (Trade Facilitation and Ease of Doing Business)

**व्यापार सुविधा और व्यापार सुगमता (EoDB) के बारे में**

**व्यापार सुविधा** का आशय निर्यात और आयात प्रक्रियाओं के सरलीकरण, नवीनीकरण तथा उनके बीच सामंजस्य स्थापित करने से है। ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस या व्यापार सुगमता (EoDB) **व्यापार सुविधा** से संबंधित सरलीकरण और सामंजस्य को मापने के लिए एक मापदंड के रूप में कार्य करती है।

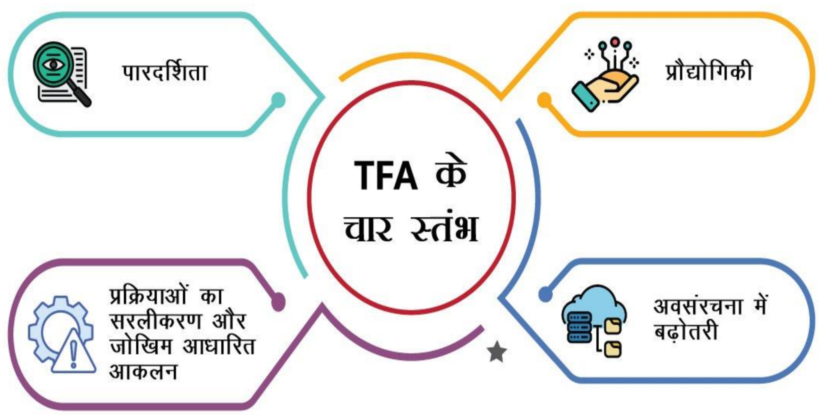


**शुरू की गई पहलें**

- **व्यापार सुविधा पर राष्ट्रीय समिति (NCTF)[14]:** इस समिति की स्थापना विश्व व्यापार संगठन (WTO) के व्यापार सुविधा समझौते (TFA)[15] के कार्यान्वयन और इससे संबंधित समन्वय को सरल बनाने के लिए की गई है।
    - ○ **WTO के TFA को 2017** में लागू किया गया था। **इसका उद्देश्य सीमाओं के पार 'लालफीताशाही'** के मुद्दे को **हल करना** और वस्तुओं की सुगम आवाजाही को सुनिश्चित करना है।
- **विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT)[16] द्वारा शुरू की गई पहलें:** DGFT, निर्यात और आयात के संचालन की दिशा में समन्वयक/सहायक के रूप में कार्य करता है। यह अलग-अलग निर्यात संवर्धन परिषदों[17] और व्यापार एवं उद्योग निकायों से परामर्श भी करता है।

---

[14] National Committee on Trade Facilitation

[15] Trade Facilitation Agreement

[16] Directorate General of Foreign Trade

- **निर्यात बंधु योजना:** इसे नए और संभावित निर्यातकों को सलाह देने के लिए लागू किया जा रहा है।
- **इलेक्ट्रॉनिक-आयातक निर्यातक कोड (e-IEC)[18] जारी करना:** IEC किसी निकाय को आवंटित 10 अक्षरों की एक अल्फा-न्यूमेरिक संख्या होती है। यह संख्या **किसी भी निर्यात/ आयात गतिविधि के लिए अनिवार्य होती है।**
- **मूल स्थान का ई-प्रमाणपत्र (e-Certificate of Origin: e-CoO):** CoO को प्राप्त करने के लिए यह एक ऑनलाइन सुविधा है। e-CoO में विशिष्ट संख्या होती है, अर्थात् इसमें **विशिष्ट दस्तावेज पहचान संख्या (UDIN)[19]** होती है जो सत्यापन के लिए एक QR कोड की तरह काम करती है।
- इसके तहत **गुणवत्ता संबंधी शिकायतें और व्यापार संबंधी विवादों (QCTD)[20]** को दर्ज करने की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

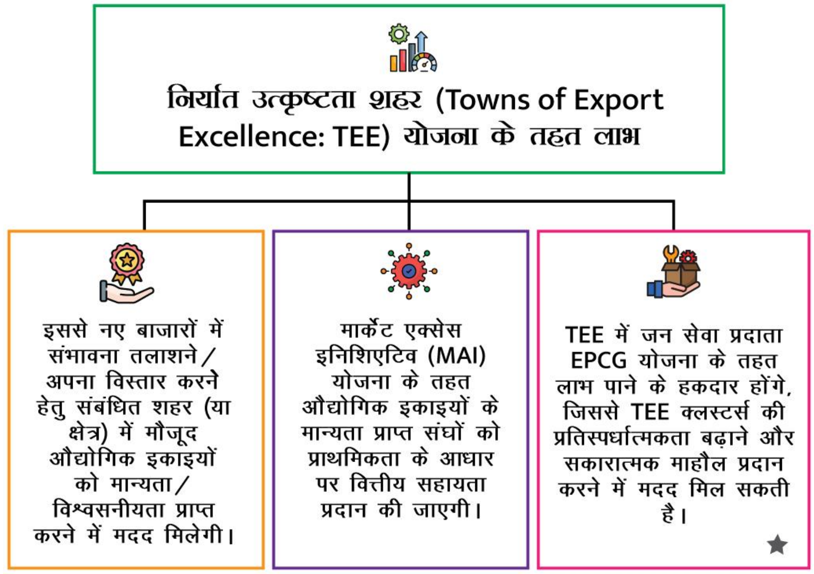


- **कस्टम केंद्रों पर व्यापार सुविधा के लिए शुरू की गई पहलें:**
  - 20 बंदरगाहों और 17 हवाई अड्डों पर **24x7 सीमा शुल्क निपटान सुविधा** प्रदान की गई है।
  - सीमा शुल्क के संदर्भ में **सिंगल विंडो क्लीयरेंस** की सुविधा प्रदान की गई है।
  - **कस्टम प्रक्रियाओं के लिए** कागज रहित निपटान सुविधा के रूप में **ई-संचित पहल** की शुरूआत गई है।
  - आयात के संदर्भ में **फेसलेस ई-असेसमेंट** योजना का पूरे भारत में कार्यान्वयन किया जा रहा है।
  - **तुरंत कस्टम्स (TURANT Customs) और तुरंत सुविधा केंद्र:** इन्हें संपर्क रहित सीमा शुल्क क्लीयरेंस के लिए स्थापित किया गया है।
- **निर्यात उत्कृष्टता शहर (Towns of Export Excellence: TEE):** इन्हें निर्यात उत्पादन केंद्रों के विकास और संवृद्धि के लिए चुना गया है।
  - वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, **750 करोड़ रुपये या उससे अधिक के सामान का उत्पादन** करने वाले शहरों को TEE के रूप में मान्यता दी जा सकती है। हालांकि, हथकरघा, हस्तशिल्प, कृषि और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रकों हेतु TEE में शामिल होने के लिए **न्यूनतम सीमा 150 करोड़ रुपये निर्धारित** की गई है।

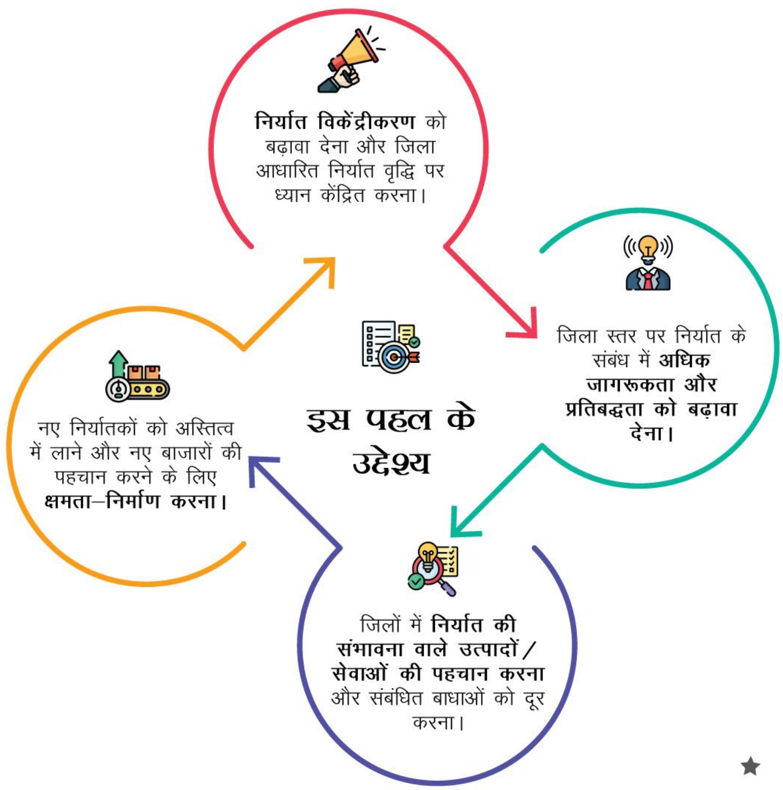


---

[17] Export Promotion Council

[18] Electronic–Importer Exporter Code

[19] Unique Document Identification Number

[20] Quality Complaints and Trade Disputes

- **स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट के मापदंडों का युक्तिकरण:** "स्टेटस होल्डर" सर्टिफिकेट ऐसी निर्यातक फर्मों को **बिजनेस लीडर्स** के रूप में मान्यता देता है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और देश के विदेश व्यापार में योगदान दिया है।
  - **स्टेटस होल्डर** को निम्नलिखित विशेषाधिकार प्राप्त हैं:
    - स्व-घोषणा के आधार पर मंजूरी,
    - विभिन्न दस्तावेजों से छूट,
    - खेप प्रबंधन (Consignment Handling) में तरजीह मिलना आदि।

### 3.1.2. विदेश व्यापार नीति-2023 के तहत निर्यात को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहलें (Export Promotion Initiatives by FTP 2023)

**निर्यात संवर्धन (यानी निर्यात को बढ़ावा देना) के बारे में**

**निर्यात संवर्धन** का तात्पर्य उन पहलों से है जो कंपनी, उद्योग, राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात गतिविधियों की क्षमता को बढ़ाती हैं। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित पहलों की शुरुआत गई है:

**'निर्यात हब के रूप में जिले' पहल (Districts as Export Hubs Initiative)**

- **संस्थागत तंत्र:** सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य/ जिला स्तर पर कई कदम उठाए हैं। इसके लिए सरकार ने **राज्य निर्यात प्रोत्साहन समिति (SEPC)**[21] और **जिला निर्यात प्रोत्साहन समिति (DEPC)**[22] आदि का गठन किया है।
  - DEPCs द्वारा जिला निर्यात कार्य योजना **(DEAP)**[23] को तैयार और उनकी ऑनलाइन निगरानी की जाएगी।
  - चिह्नित उत्पादों और सेवाओं की ब्रांडिंग, पैकेजिंग, डिजाइन एवं मार्केटिंग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जिलों में **निर्यात संवर्धन आउटरीच कार्यक्रम** की शुरुआत की गई है।
  - इसके तहत जिलों को **लॉजिस्टिक्स, परीक्षण सुविधाओं, निर्यात के लिए कनेक्टिविटी** और अन्य निर्यातोन्मुखी इकोसिस्टम्स के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
  - इन पहलों का समर्थन करने के लिए चल रही योजनाओं में भी आपसी समन्वय स्थापित किया जाना है।

**शब्दावली को जानें**

- **पूंजीगत वस्तुएं** (Capital Good): इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के विनिर्माण या उत्पादन अथवा सेवाओं को प्रदान करने के लिए आवश्यक कोई भी **संयंत्र, मशीनरी, उपकरण या सहायक उपकरण** शामिल होते हैं। साथ ही, इसमें किसी मशीन की जगह कोई और मशीन को लाना, उनका आधुनिकीकरण या तकनीकी अपग्रेडेशन या विस्तार करना भी शामिल है।
- **निर्यात संबंधी दायित्व** (Export Obligation): इसका आशय किसी **प्राधिकरण द्वारा निर्धारित उत्पादों के निर्यात संबंधी दायित्व** से है। साथ ही, इसमें क्षेत्रीय या सक्षम प्राधिकरण द्वारा **निर्धारित मात्रा, मूल्य या दोनों** के संदर्भ में स्वीकृत उत्पादों के निर्यात का दायित्व भी शामिल होता है।
- **विनिर्माता निर्यातक** (Manufacturer Exporter): जो व्यक्ति स्वयं द्वारा विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात करता है या निर्यात करने का इरादा रखता है, उसे **विनिर्माता निर्यातक** कहते हैं।
- **व्यापारी निर्यातक** (Merchant Exporter): जो व्यक्ति व्यापार संबंधी गतिविधियों और साथ-साथ निर्यात या वस्तुओं के निर्यात में संलग्न है, उसे **व्यापारी निर्यातक** कहते हैं।

**पूंजीगत वस्तु निर्यात संवर्धन (Export Promotion of Capital Goods: EPCG) योजना**

- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए **पूंजीगत वस्तुओं के आयात को सुगम बनाना** है। इससे भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा मिलेगा।
  - इस योजना के तहत **पूंजीगत वस्तुओं के आयात** के लिए **सीमा शुल्क को शून्य** रखा गया है।

---

[21] State Export Promotion Committee

[22] District Export Promotion Committee

[23] District Export Action Plans

- **योग्यता:** इस योजना के तहत उन **विनिर्माता निर्यातकों, व्यापारी निर्यातकों** और **सेवा प्रदाताओं** को शामिल किया जाता है जिन्हें DGFT द्वारा सामान्य सेवा प्रदाता (CSP)[24] के रूप में प्रमाणित किया गया है।
- **निर्यात दायित्व:** EPCG के तहत किए जाने वाले आयात को औसत निर्यात दायित्व (AEO)[25] के अधीन रखा गया है। हालांकि, कुछ क्षेत्रकों को **AEO की शर्तों से छूट** प्राप्त है।

**निर्यात संवर्धन इकाइयां (Export Promotion Units)**

- **पात्र इकाइयां:** वे इकाइयां जो अपनी **वस्तु और सेवाओं के संपूर्ण उत्पादन का निर्यात** करती हैं, उन्हें निम्नलिखित योजनाओं के तहत स्थापित किया जा सकता है:
  - **निर्यातोन्मुख इकाई (Export Oriented Unit: EOU) योजना;**
  - **इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क योजना;**
  - **सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क योजना; या**
  - **जैव प्रौद्योगिकी पार्क योजना।**
    - इन योजनाओं के तहत **ट्रेडिंग इकाइयां शामिल नहीं** हैं।
- **उद्देश्य:** इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:
  - **निर्यात को बढ़ावा देना,**
  - **विदेशी मुद्रा (आय) में वृद्धि करना,**
  - निर्यात के लिए उत्पादन हेतु **निवेश आकर्षित करना,** और
  - रोजगार सृजित करना।

**डीम्ड एक्सपोर्ट्स**

- **परिभाषा:** डीम्ड एक्सपोर्ट उन लेन-देन को संदर्भित करता है जिसमें **आपूर्ति** (निर्यात) **की गई वस्तुएं देश से बाहर नहीं जाती हैं।** ऐसी आपूर्ति के लिए **भुगतान या तो भारतीय रुपये में** या **विदेशी मुद्रा** में होता है।
  - सरल शब्दों में डीम्ड एक्सपोर्ट के तहत, वस्तु को भारत में ही किसी ऐसे व्यक्ति को बेचा जा सकता है जिसके पास इन मूल वस्तुओं के आयात के लिए लाइसेंस है। ऐसा विक्रेता **डीम्ड निर्यातक** है और खरीदार **डीम्ड आयातक** कहलाता है। इसके लिए खरीदार के पास इम्पोर्ट लाइसेंस होना जरूरी होता है।
- **उद्देश्य:** घरेलू विनिर्माताओं को समान अवसर प्रदान करना और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना।

### 3.1.3. विदेश व्यापार नीति-2023 के तहत शुरू की गई अन्य पहलें (Other initiatives by FTP 2023)

**गुणवत्ता संबंधी शिकायतें और व्यापार संबंधी विवाद को लेकर पहलें**

- **गुणवत्ता संबंधी शिकायतों और व्यापार संबंधी विवादों पर समिति (CQCTD)[26]:** CQCTD का गठन **विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT)** के क्षेत्रीय प्राधिकरणों (RAs)[27] में किया जाएगा।
  - संबंधित **RAs** के क्षेत्राधिकार में आने वाली **गुणवत्ता संबंधी एवं व्यापार संबंधी अन्य सभी शिकायतों की पूछताछ और जांच** के लिए CQCTD जिम्मेदार होगी।

---

[24] Common Service Providers

[25] Average Export Obligation

[26] Committee on Quality Complaints and Trade Disputes

[27] Regional Authorities

- यह समिति आयातकों/ निर्यातकों और विदेशी खरीदारों/ विक्रेताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाएगी। इसके लिए समिति अधिकतम **तीन महीने का समय लेगी।**

- **कवरेज:** यह समिति **दो या दो से अधिक भारतीय संस्थाओं के बीच की शिकायतों/ विवादों को नहीं देखेगी।** इसी तरह, दो या दो से अधिक विदेशी संस्थाओं के बीच की शिकायतों/ विवादों को भी इसके दायरे से बाहर रखा गया है।
- **प्रकृति:** CQCTD एक **सलाहकारी समिति** है। इसलिए पीड़ित पक्ष, दोषी पक्ष के खिलाफ किसी भी तरह का कानूनी कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होगा।

**डिजिटल इकोनॉमी के लिए सीमा-पार व्यापार को बढ़ावा देने हेतु पहलें**

- **ई-कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देना: निर्यात बंधु योजना (NBS)** में एक ऐसे घटक को शामिल किया जाएगा, जो **ई-कॉमर्स** और निर्यात के अन्य उभरते स्रोतों/ क्षेत्रों को **बढ़ावा** देगा।
  - DGFT **ई-कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देने के लिए** सीमा शुल्क प्राधिकरणों, डाक विभाग, इंडस्ट्री पार्टनर्स और नॉलेज पार्टनर के साथ साझेदारी में **आउटरीच गतिविधियों/ वर्कशॉप** का आयोजन करेगा।
- **ई-कॉमर्स निर्यात हब (E-Commerce Export Hubs: ECEHs):** निर्दिष्ट क्षेत्रों को ECEHs के रूप में स्थापित किया जाएगा। ECEHs **अनुकूल व्यावसायिक अवसंरचना के लिए एक केंद्र** के रूप में कार्य करेंगे और सीमा पारीय ई-कॉमर्स गतिविधियों के लिए **उपयुक्त सुविधाएं प्रदान करेंगे।**
  - **ECEH की स्थापना:** ECEH को निजी क्षेत्रक की पहल के तहत सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public-Private Partnership: PPP) मोड में स्थापित किया जा सकता है।
  - **ECEH संचालन की प्रकृति:** ECEH, ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए **समूह आधारित लाभ (Agglomeration benefits)** अर्जित करने का कार्य करेगा। ECEH निम्नलिखित सुविधाओं को उपलब्ध कराएगा:
    - निर्यात के लिए **भंडारण, पैकेजिंग, लेबलिंग, प्रमाणन एवं परीक्षण** और अन्य सामान्य सुविधाएं,
    - निकटतम लॉजिस्टिक्स हब/ हबों से जुड़ने और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए **समर्पित लॉजिस्टिक्स अवसंरचना।**
  - **वित्तीय सहायता:** ECEH को बाजार पहुंच पहल (MAI)[28] योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- **डाक मार्ग से ई-कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देना:** इसके लिए पूरे देश में **डाक घर निर्यात केंद्रों** को संचालित किया जाएगा। ये निर्यात केंद्र विदेशी डाकघरों (FPOs) के साथ मिलकर **हब-एंड-स्पोक मॉडल** की तर्ज पर काम करेंगे। इससे सीमा पारीय ई-कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।

| SCOMET श्रेणी | SCOMET मदें | लाइसेंस देने वाला प्राधिकरण |
|---|---|---|
| 0 | परमाणु सामग्री; परमाणु संबंधी अन्य सामग्री, उपकरण और तकनीक | परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) |
| 1 | विषाक्त रासायनिक कारक और अन्य रसायन | विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) |
| 2 | सूक्ष्म सजीव, विषाक्त पदार्थ | DGFT |
| 3 | सामग्री, सामग्रियों के प्रसंस्करण संबंधी उपकरण और संबंधित प्रौद्योगिकियां | DGFT |
| 4 | श्रेणी '0' के तहत नहीं आने वाले परमाणु संबंधी अन्य उपकरण और प्रौद्योगिकियां | DGFT |
| 5 | एयरोस्पेस सिस्टम, उपकरण (जिसमें उत्पादन और टेस्ट उपकरण शामिल हैं) तथा संबंधित प्रौद्योगिकी और विशेष रूप से डिजाइन किए गए घटक एवं सहायक उपकरण | DGFT |
| 6 | युद्धक सामग्री की सूची | रक्षा उत्पादन विभाग (DDP) / रक्षा मंत्रालय |
| 7 | 'आरक्षित' | DGFT |
| 8 | विशेष सामग्री और संबंधित उपकरण, सामग्री प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, दूरसंचार, सूचना सुरक्षा, सेंसर तथा लेजर, नेविगेशन और एवियोनिक्स, समुद्री, एयरोस्पेस एवं प्रणोदन (प्रोपल्शन) | DGFT |

**शुल्क में छूट/ छूट से संबंधित योजनाएं**

- **अग्रिम प्राधिकरण (Advance Authorisation: AA):** AA के तहत आयात को निम्नलिखित भुगतान (जहां भी लागू हों) से छूट दी गई है:
  - बुनियादी सीमा शुल्क,
  - अतिरिक्त सीमा शुल्क,

[28] Market Access Initiative

- शिक्षा उपकर,
- एंटी-डंपिंग ड्यूटी,
- काउंटरवेलिंग ड्यूटी,
- सेफगार्ड ड्यूटी,
- ट्रांजिशन प्रोडक्ट स्पेसिफिक सेफगार्ड ड्यूटी।

- **शुल्क मुक्त आयात प्राधिकरण (Duty-Free Import Authorization: DFIA):** DFIA को केवल **बुनियादी सीमा शुल्क (BCD)[29] के भुगतान से छूट** दी जाएगी।
- **निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट योजनाएं (Schemes for Remission of Duties and Taxes on Exported Products: RoDTEP):** इसका उद्देश्य केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर निर्यात किए गए उत्पाद पर वर्तमान में **रिफंड नहीं किए गए शुल्कों/ करों/ आरोपित अन्य राशियों को वापस** करना है।
  - इसे **वाणिज्य विभाग (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) द्वारा अधिसूचित** किया गया था। इसे **राजस्व विभाग (वित्त मंत्रालय)** द्वारा प्रशासित किया जाता है।

**स्कोमेट (SCOMET) अर्थात् विशेष रसायन, जीव, सामग्रियां, उपकरण तथा प्रौद्योगिकियां (Special Chemicals, Organisms, Materials, Equipment and Technologies: SCOMET)**

- **दोहरे उपयोग की वस्तुओं का विनियमन:** हाल ही में, भारत ने स्कोमेट सहित सॉफ्टवेयर एवं प्रौद्योगिकी जैसे **दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं** और परमाणु संबंधी वस्तुओं के निर्यात को **विनियमित** किया है। यह कार्य अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों और दायित्वों के साथ-साथ बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं (MECRs)[30] के दिशा-निर्देशों तथा नियंत्रण सूचियों के अनुसार किया गया है।
  - दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध है। हालांकि, विशेष छूट और उचित प्राधिकरण से अनुमति के बाद इनके निर्यात की अनुमति है।
- **स्कोमेट सूची:** यह भारत की **राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण सूची**[31] है। यह सूची सभी MECRs और अभिसमयों की नियंत्रण सूचियों के अनुरूप है।
  - स्कोमेट मदों को **सामूहिक विनाश के हथियारों और उनके डिलीवरी सिस्टम्स (गैर-कानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005** के तहत विनियमित किया जाता है।
  - स्कोमेट सूची के अंतर्गत आने वाली आयातित वस्तुओं के **निर्यात की अनुमति नहीं** है।
- **स्कोमेट पर आउटरीच कार्यक्रम:** इस कार्यक्रम को DGFT द्वारा प्रशासनिक मंत्रालयों/ विभागों और व्यापार संघों के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य व्यापार और विनिर्माण से संबंधित निर्यातकों/ आयातकों के बीच विशेष रूप से स्कोमेट मदों के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है।

**निष्कर्ष**

FTP 2023 एक सुगम व्यापार व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त करती है। बाह्य रूप से इसका समर्थन करने और उभरते युग के रुझानों को स्वीकार करने तथा रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण को आगे बढ़ाने के प्रयास किए जा सकते हैं।

## 3.2. वि-डॉलरीकरण (De-dollarization)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

**ब्रिक्स देश (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका)** भुगतान के लिए एक **नई मुद्रा विकसित करने** का प्रयास कर रहे हैं।

**अन्य संबंधित तथ्य**

- **ब्रिक्स मुद्रा** का उपयोग **सीमा पारीय व्यापार** के लिए किया जाएगा।

---

[29] Basic Customs Duty

[30] Multilateral Export Control Regimes

[31] National Export Control List

- हाल के दिनों में, ब्रिक्स एक ऐसे संस्थान के रूप में उभर कर सामने आया है जो **आर्थिक क्षेत्र में पश्चिमी दुनिया के प्रभुत्व को चुनौती दे रहा है।**
- इसके अतिरिक्त, भारत और मलेशिया भुगतान के अन्य वर्तमान माध्यमों के अलावा **भारतीय रुपये में व्यापार का भुगतान करने के लिए सहमत हुए हैं।**
- इन कदमों को **वि-डॉलरीकरण** की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है।

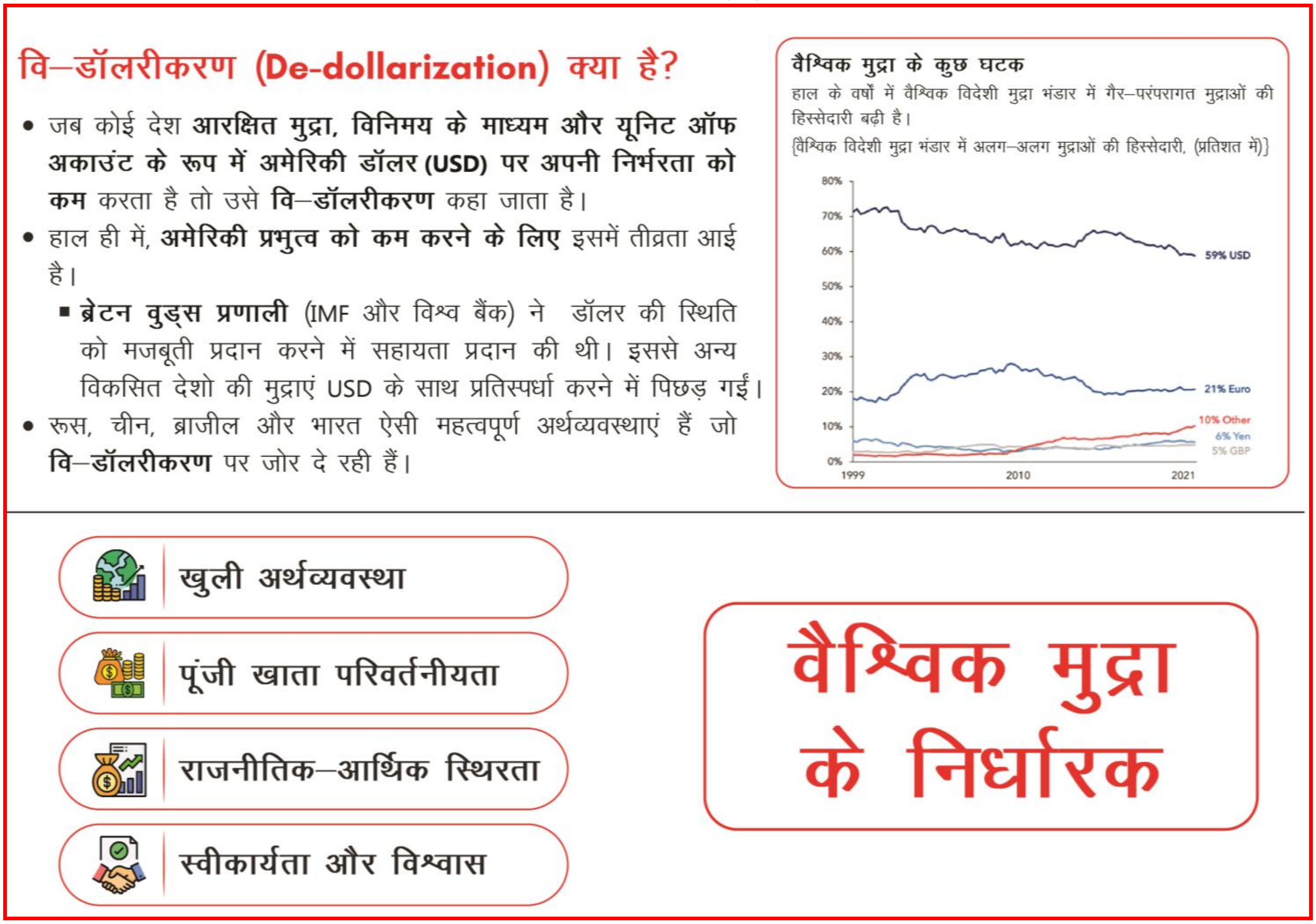


**वि-डॉलरीकरण की आवश्यकता/ कारण**

- **व्यापार का शस्त्रीकरण (Weaponization of Trade):** ऐसे देश जिन पर **प्रतिबंध** लगाए गए हैं और जिन्हें **विश्वव्यापी अंतर बैंक वित्तीय दूरसंचार सोसायटी (SWIFT)**[32] से बाहर कर दिया गया है, उन्हें व्यापार करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए- यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर और संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA)[33] से अमेरिका के हटने के बाद ईरान पर कई प्रतिबंध लगाए गए थे।
  - अमेरिका इन प्रतिबंधों का इस्तेमाल अपने सैनिकों को जोखिम में डाले बिना दूसरे देशों के साथ लागत-मुक्त युद्ध लड़ने के लिए करता है। दूसरे शब्दों में, अमेरिका कई देशों से बिना युद्ध किए प्रतिबंधों के माध्यम से अपनी शर्तें मनवा लेता है।
  - अमेरिका किसी **व्यक्ति, संस्था** या **पूरे देश** को डॉलर के उपयोग के लिए **ब्लैकलिस्ट** कर सकता है। इसका परिणाम प्रभावशाली और तात्कालिक होता है।
  - यदि देश वि-डॉलरीकरण को अपनाते हैं तो उनके बैंक **भू-राजनीतिक जोखिमों** से बच सकते हैं। यह जोखिम इसलिए रहता है, क्योंकि इन बैंकों में अमेरिकी डॉलर एक आरक्षित मुद्रा होती है और अमेरिका इन्हें **प्रभावशाली हथियार** के रूप में इस्तेमाल कर सकता है।
- **नई उभरती अर्थव्यवस्थाएं: आर्थिक महाशक्ति के रूप में एशिया के उदय ने भारतीय रुपये और युआन** जैसी मुद्राओं के महत्व को बढ़ा दिया है।

---

[32] Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication

[33] Joint Comprehensive Plan of Action

- **विविधता:** यदि विदेशी मुद्रा भंडार विविध मुद्राओं से परिपूर्ण होगा, तो बाहरी क्षेत्रकों पर दबाव कम पड़ेगा।
- **स्थानीय मुद्राओं को बढ़ावा देना:** यदि देश अपनी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करते हैं, तो-
    - निर्यातक एवं आयातक जोखिमों को संतुलित करने में समर्थ हो सकते हैं,
    - उनके पास निवेश करने के लिए अधिक विकल्प मौजूद होते हैं, और
    - उन्हें राजस्व एवं बिक्री के संदर्भ में अधिक निश्चितता होती है।
- **मैक्रो-इकोनॉमी प्रभाव:** अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व से अमेरिका को अपने **निजी लाभ** के लिए **वैश्विक वित्तीय प्रणाली में हेर-फेर करने** का भी मौका मिल जाता है। यह हेर-फेर विशेष रूप से **ब्याज दरों** के संदर्भ में किया जाता है, जिससे प्रायः अन्य देशों को नुकसान उठाना पड़ता है।

**वि-डॉलरीकरण की दिशा में शुरू की गई कुछ पहलें**

- **द्विपक्षीय प्रयास:**
    - रूस ने मार्च 2022 में एक ऐसे कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें कहा गया है कि प्राकृतिक गैस कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत कोई **"अनफ्रेंडली" देश** रूस को केवल **'रूबल' में ही भुगतान कर सकता है, किसी अन्य मुद्रा में नहीं।**
    - चीन ने हांगकांग, सिंगापुर और यूरोप में **रेनमिनबी (RMB) व्यापारिक केंद्र** स्थापित किए हैं।
    - इस संदर्भ में, एक **रूस-चीन भुगतान प्रणाली** भी स्थापित की गई है। यह प्रणाली SWIFT को दरकिनार करती है। साथ ही, यह **रूस** के **सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मेसेजेस (SPFS)** को **चीन** के **क्रॉस-बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम (CIPS)** से जोड़ती है।
- **बहुपक्षीय प्रयास:**
    - 2021 में, **पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना** ने **बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स** में

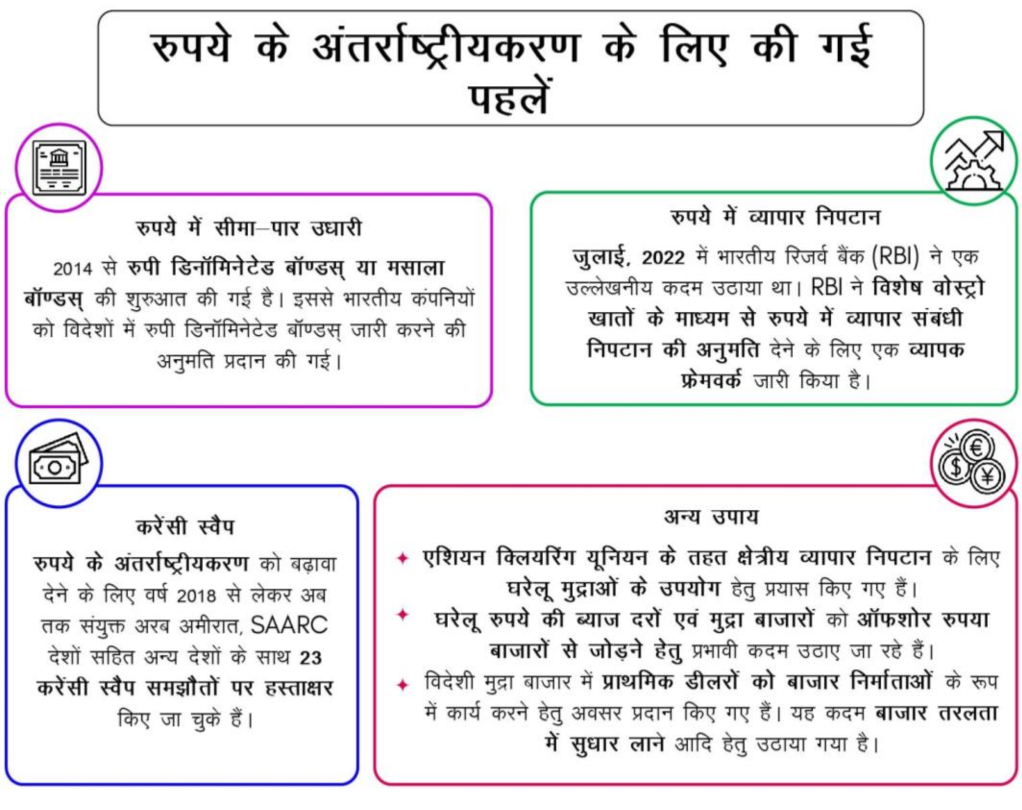

**"ग्लोबल सॉवरेन डिजिटल करेंसी गवर्नेंस" प्रस्ताव** प्रस्तुत किया था। इस प्रस्ताव का उद्देश्य चीनी डिजिटल मुद्रा, ई-युआन के माध्यम से वैश्विक वित्तीय नियमों को प्रभावित करना था।

- **अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र (AfCFTA)**[34] **स्थानीय मुद्राओं** का उपयोग करके **अंतर-अफ्रीकी व्यापार** को बढ़ावा दे रहा है।
- 2007 में यूरोपीय केंद्रीय बैंकों ने **ट्रांस-यूरोपियन ऑटोमेटेड रियल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एक्सप्रेस ट्रांसफर सिस्टम (TARGET)-2** को प्रस्तुत किया था। यह प्रणाली यूरोपीय संघ के सदस्य देशों को यूरो में व्यापार और वित्तीय लेन-देन करने में सक्षम बनाती है।

- **भारत द्वारा किए गए प्रयास:** घरेलू बाजार में **तेजी से बढ़ते वाणिज्य और निवेश के कारण रुपये की मांग बढ़ रही है।** (भारत द्वारा उठाए गए कदमों के लिए इन्फोग्राफिक देखें)

**वि-डॉलरीकरण में चुनौतियां**

- **वैकल्पिक मुद्रा की उपलब्धता:** वर्तमान में, कोई भी मुद्रा पूरी तरह से स्थिरता, तरलता और स्वीकार्यता जैसे मानदंडों पर खरी नहीं उतरती है।
- **अन्य मुद्राओं की विश्वसनीयता:** उदाहरण के लिए- चीन में रेनमिनबी, डॉलर से संबद्ध (Peg) है और सरकार द्वारा इसे कठोरता पूर्वक प्रबंधित किया जाता है।
  - **चीनी अर्थव्यवस्था बहुत अधिक खुली अर्थव्यवस्था नहीं** है। साथ ही, ऋण जाल कूटनीति जैसी रणनीति के कारण यहां **विश्वास का अभाव** भी है।
- **कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियां:** यह **उभरते हुए बाजारों** और डॉलर में ऋण लेने वाले देशों में **वित्तीय अस्थिरता** पैदा कर देगा।
  - इसके कारण **मुद्रा विनिमय दरों की अस्थिरता में वृद्धि हो सकती है।** यह अस्थिरता विशेष रूप से संक्रमण के प्रारंभिक चरणों के दौरान हो सकती है।
  - **वैश्विक आरक्षित परिसंपत्तियों की संरचना में समायोजन** से **पूंजी प्रवाह** और **परिसंपत्ति की कीमतों** में बदलाव हो सकता है।
  - साथ ही, स्थानीय मुद्राओं के लिए भी अत्यधिक **उतार-चढ़ाव** और **मूल्यह्रास** का खतरा हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि **विदेशी निवेशकों के रुख में अधिक निश्चितता नहीं होती है।**

**शब्दावली को जानें**

**विशेष आहरण अधिकार (SDR):** यह 1969 में IMF द्वारा सृजित **एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकार की आरक्षित मुद्रा** है। यह IMF के सदस्य देशों के मौजूदा धन भंडार के पूरक के रूप में कार्य करता है।

- **अमेरिकी डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन, चीनी** युआन आदि कुछ अन्य **विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां** हैं।

**वोस्ट्रो खाता:** यह **विदेशी बैंकों द्वारा घरेलू बैंकों (भारत) में खोला गया एक ऐसा खाता है जिसमें विदेशी बैंकों के धन को घरेलू मुद्रा (रुपया) में रखा जाता है।**

- **परिवर्तन का विरोध:** अमेरिका और ब्रेटन वुड्स व्यवस्था आक्रामक रूप से अमेरिकी डॉलर को बढ़ावा दे रहे हैं। अन्य मुद्राएं डॉलर के समक्ष अपनी साख बनाने में सक्षम नहीं हैं।
- **वित्तीय संकट का डर:** घरेलू बाजार में विदेशी ऋण जारी करना जोखिम पैदा कर सकता है, विशेष रूप से तब जब देनदार या ऋणी डिफॉल्ट कर जाता है, उदाहरण के लिए- 1980, 1990 और 2008 के वित्तीय संकट।
- **मौद्रिक नीति पर सीमा:** यह किसी देश की उसके घरेलू आर्थिक परिदृश्य के अनुसार मौद्रिक नीति को निर्धारित करने की क्षमता को सीमित करेगा।

**निष्कर्ष**

इन विचारों के आलोक में, भारत जैसे विकासशील देशों को वि-डॉलरीकरण के प्रति विवेकपूर्ण और दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। नीति निर्माताओं को अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के संभावित लाभों और इस तरह के परिवर्तन से जुड़े जोखिमों एवं लागतों के बीच एक अच्छा संतुलन बनाना चाहिए।

## 3.3. गिग अर्थव्यवस्था (Gig Economy)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, **ब्लिंकिट कंपनी** ने अपने **डिलीवरी पार्टनर्स के वेतन ढांचे में बदलाव** किया था। इसके विरोध में कंपनी के डिलीवरी पार्टनर्स ने हड़ताल कर दी थी।

---

[34] African Continental Free Trade Area

**अन्य संबंधित तथ्य**

- विरोध प्रदर्शन मुख्य रूप से **डार्क स्टोर्स (Dark Stores)** पर हो रहे हैं।
  - डार्क स्टोर्स, किसी संगठन की ऐसी पुरानी इमारतें होती हैं, जिनका **रोजमर्रा के काम-काज में इस्तेमाल नहीं होता है।** इसलिए उन्हें डिलीवरी संबंधी गतिविधियों के केंद्र में बदल दिया जाता है।
- ये विरोध प्रदर्शन **गिग अर्थव्यवस्था में श्रमिकों और फर्मों के बीच बढ़ते संघर्षों** को दर्शाते हैं।

**गिग अर्थव्यवस्था क्या है और गिग श्रमिक कौन होते हैं?**

- **गिग अर्थव्यवस्था** एक मुक्त बाजार प्रणाली है जिसमें रोजगार सामान्यतः अस्थायी होता है। इसके अंतर्गत संगठन **अल्पकालिक नियुक्तियों के लिए मुक्त श्रमिकों के साथ** कॉन्ट्रैक्ट करते हैं।
- **गिग श्रमिक** ऐसे श्रमिक होते हैं, जो पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी व्यवस्था से अलग, अन्य रोजगार गतिविधियों में संलग्न होते हैं। **इन्हें व्यापक तौर पर निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जा सकता है:**
  - **प्लेटफॉर्म गिग श्रमिक (Platform Gig Workers):** ऐसे श्रमिक जिनके कार्य ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, ऐप या फूड एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म जैसे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म आदि पर आधारित होते हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म्स में शामिल हैं- जोमैटो, स्विगी, ओला आदि।
  - **नॉन-प्लेटफ़ॉर्म गिग श्रमिक (Non-Platform Gig Workers):** ये सामान्यतः पारंपरिक क्षेत्रक में नियोजित सामयिक वेतन धारी तथा ओन-अकाउंट वर्कर्स (Own-account workers) होते हैं। ये पार्ट-टाइम या फुल-टाइम कार्य करते हैं।

## भारत में गिग इकोनॉमी

### भारत में इसकी स्थिति

| | | |
|---|---|---|
| 2020–21 में भारत में गिग वर्कर्स की संख्या **77 लाख** थी। | भारत में 56% नए रोजगार गिग इकोनॉमी से सृजित हो रहे हैं। | इसके चलते भारत में गैर–कृषि क्षेत्रकों में **90 मिलियन** तक रोजगार उत्पन्न हो सकते हैं। |

### भारत में गिग वर्क फ़ोर्स

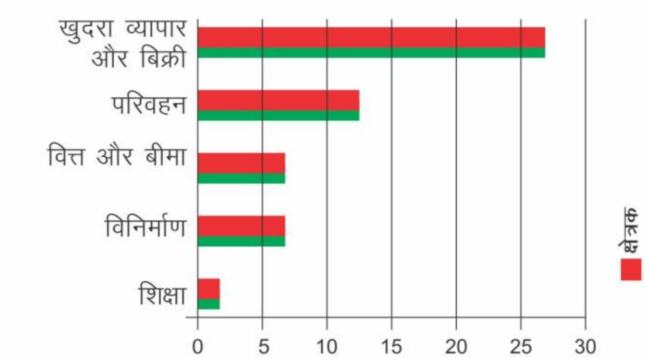


(2019–20 तक, उपर्युक्त क्षेत्रक में कार्यरत गिग वर्कर्स, संख्या लाख में)

### भारत में गिग वर्क फोर्स रोजगार

(2019–20 तक निम्नलिखित क्षेत्रकों में कार्यरत, % में)

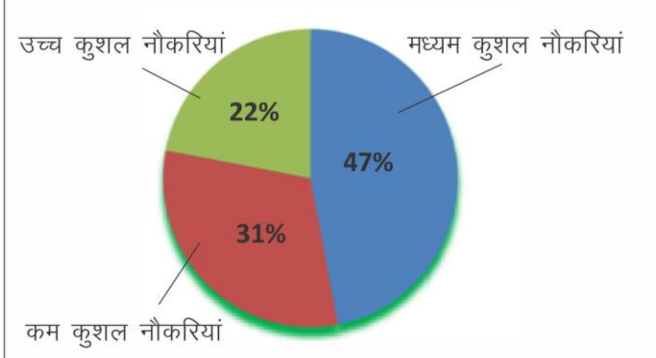


### गिग इकॉनमी के बढ़ने के कारण

- इंटरनेट तक व्यापक पहुंच।
- स्टार्ट–अप इकोसिस्टम में तेजी से वृद्धि।
- कई सारे प्लेटफॉर्म्स आपस में जुड़ते जा रहे हैं।
- कार्य के प्रति बदलता दृष्टिकोण।
- कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की बढ़ती मांग।

**गिग अर्थव्यवस्था के समक्ष मौजूद प्रमुख चुनौतियां**

- **विश्वसनीय डेटा की अनुपलब्धता:** भारत में गिग रोजगार की व्यापकता का अनुमान लगाने के लिए किसी भी प्रकार का आधिकारिक डेटा उपलब्ध नहीं है। इसके कारण गिग कर्मियों पर सबका ध्यान नहीं जा पाता है।
- **प्लेटफॉर्म आधारित श्रमिकों के लिए खराब सेवा शर्तें:** इनमें कम वेतन देना, प्रलोभन युक्ति से काम करवाना, अपारदर्शी तरीके से वेतन की गणना करना, कमीशन में कटौती करना और एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पर निरंतर निगरानी करना शामिल हैं।
    - प्रलोभन युक्ति (Bait and Switch) एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करती है जब एक व्यक्ति किसी विशेष पद के लिए आवेदन करता है और उसके लिए साक्षात्कार भी देता है किंतु उसे निम्न वेतन पर निम्नतर पद दिया जाता है।

**गिग इकॉनमी के लाभ**

| उपभोक्ताओं के लिए | श्रमिकों के लिए | कंपनियों के लिए |
|---|---|---|
| • वैयक्तिकृत सेवा<br>• लेन–देन की कम लागत<br>• सभी प्रकार के उत्पाद लगभग कहीं भी, कभी भी वितरित किए जाते हैं | • लचीलापन<br>• काम करने की आजादी<br>• अवसर तक पहुंच<br>• कार्य संतुलन | • कम लागत<br>• लचीले श्रमिकों का एक डायवर्स पूल<br>• कम प्रशासनिक और अनुपालन लागत |

- **अनुबंध की शर्तों से बंधा होना:** डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कार्य की परिस्थितियां, मुख्यतः सेवा समझौतों की शर्तों द्वारा नियंत्रित होती हैं। इसके कारण, प्लेटफॉर्म आधारित श्रमिक, कार्यस्थल सुरक्षा और पात्रता संबंधी अनेक सुविधाओं (जैसे- स्वास्थ्य बीमा आदि) का लाभ नहीं उठा पाते हैं।
- **अपरिपक्व (Nascent) विनियामक ढांचा:** इसे भारत के अनौपचारिक या असंगठित श्रम क्षेत्रक के विस्तार के रूप में देखा जा सकता है। यह गिग अर्थव्यवस्था के प्रभावी विनियमन में बाधा उत्पन्न करता है, क्योंकि इसकी प्रकृति अनौपचारिक क्षेत्रक से पृथक होती है।
- **अन्य चुनौतियां:**
    - इसमें **कौशल उन्नयन (Skill upgradation) हेतु सीमित अवसर उपलब्ध** होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन क्षेत्रों में कौशल उन्नयन के अभाव के कारण करियर की प्रगति अत्यंत धीमी होती है, विशेष रूप से ब्लू-कॉलर वाली नौकरियों में ऐसा होता है।
    - **गिग श्रमिकों द्वारा अर्जित आय अप्रत्याशित** होती है। साथ ही, उनकी अस्पष्ट रोजगार स्थिति के कारण वे विशेष रूप से उच्च जोखिम का सामना करते हैं।
    - **गिग कार्यों की व्यक्तिवादी प्रकृति** के कारण इसमें **श्रमिकों के शोषण की संभावना अधिक** होती है। इसके अतिरिक्त, **परंपरागत कर्मचारियों के विपरीत,** गिग वर्कर्स अपने लिए **श्रमिक संघ का निर्माण नहीं कर पाते हैं तथा वे सामूहिक रूप से मोलभाव करने से भी वंचित हो जाते हैं।**

**भारत में गिग अर्थव्यवस्था से संबद्ध विनियामकीय ढांचा**

- **मजदूरी संहिता, 2019:** यह गिग श्रमिकों सहित संगठित और असंगठित क्षेत्रकों में नियोजित सभी श्रमिकों को सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन तथा निम्नतम वेतन (Floor Wage) हेतु प्रावधान करती है।
- **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020:** यह गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके उनके अधिकारों की रक्षा करती है।
    - इसमें **गिग, प्लेटफॉर्म और असंगठित क्षेत्रक के श्रमिकों** की पात्रताओं की व्याख्या कर उन्हें परिभाषित करने का प्रयास किया गया।
    - यह एक **सामाजिक सुरक्षा कोष और एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड** की स्थापना का भी प्रस्ताव करती है। यह बोर्ड गिग और प्लेटफॉर्म आधारित श्रमिकों के कल्याण के लिए योजनाओं की निगरानी करेगा तथा योजनाओं के निर्माण में भी सहायता प्रदान करेगा।

**आगे की राह - नीति आयोग द्वारा जारी "भारत की उभरती गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था (India's Booming Gig and Platform Economy)" रिपोर्ट में की गई की सिफारिशें:**

- **गिग श्रमिकों का उचित अनुमान लगाया जाना चाहिए:** गिग अर्थव्यवस्था के आकार और गिग श्रमिकों की विशिष्ट विशेषताओं का अनुमान लगाने हेतु गणना की जानी चाहिए।
    - इस कार्य में **ई-श्रम पोर्टल द्वारा जुटाए गए डेटा** का उपयोग किया जा सकता है।
- **प्लेटफॉर्म से जोड़ने की प्रक्रिया को तेज करना:** इसके लिए सरलीकरण एवं समर्थन, फंडिंग संबंधी सहायता एवं प्रोत्साहन, कौशल विकास और सामाजिक-वित्तीय समावेशन के स्तंभों पर निर्मित "प्लेटफ़ॉर्म इंडिया पहल" की शुरुआत की जा सकती है। साथ ही, इसे स्टैंड-अप इंडिया की तर्ज पर भी आरंभ किया जा सकता है।
- **वित्तीय समावेशन को गति प्रदान करना:** सरकार के मौजूदा प्रयासों को मजबूत करने के लिए संस्थागत ऋण तक पहुंच बढ़ाई जानी चाहिए। इससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा।

- इस संदर्भ में, **फिनटेक और प्लेटफॉर्म आधारित व्यवसायों** का लाभ उठाया जा सकता है।
- इससे संबद्ध गतिविधियों को **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक (PSL)**[35] का दर्जा दिया जाना चाहिए।

- **कौशल विकास:** प्लेटफॉर्म को कौशल और रोजगार सृजन के साधन या परिणाम आधारित मॉडल का अनुसरण करना चाहिए। इससे श्रमिकों की रोजगार क्षमता को और बढ़ाया जा सकेगा।
  - ये प्लेटफॉर्म्स **कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय तथा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC)**[36] के साथ मिलकर काम कर सकते हैं।
  - ये प्लेटफॉर्म्स **संभावित "कौशल प्रमाण-पत्र (Skill Certificates)"** देने का काम शुरू कर सकते हैं।
  - **रोजगार और कौशल विकास पोर्टलों का एकीकरण किया जाना चाहिए,** जैसे कि श्रम और रोजगार मंत्रालय के राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल का किया गया है।
- **सामाजिक समावेशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए:** समावेशी व्यवसायों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। साथ ही, महिलाओं के नेतृत्व वाले प्लेटफॉर्म या ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो महिला कर्मचारियों और दिव्यांगों की भर्ती को प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
  - इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि महिलाओं एवं दिव्यांगजनों (PwDs) को औपचारिक ऋण की सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त हो सके। साथ ही, भारत में छोटे शहरों, कस्बों और गांवों में प्लेटफॉर्म आधारित व्यवसायों की शुरुआत की जानी चाहिए।
- **सामाजिक सुरक्षा:** केंद्र और राज्य सरकारें सभी गिग और प्लेटफॉर्म आधारित श्रमिकों हेतु सामाजिक सुरक्षा तक पूर्ण पहुंच **सुनिश्चित करने के लिए पांच-आयामी 'RAISE' दृष्टिकोण** अपना सकती हैं:
  - <u>**R- पहचान/ मान्यता प्रदान करना (Recognise):**</u> न्यायसंगत योजनाएं तैयार करने के लिए प्लेटफॉर्म वर्क की विविध प्रकृति को मान्यता या उनकी पहचान की जानी चाहिए।
  - <u>**A- अनुमति/ स्वीकृति देना (Allow):**</u> नवोन्मेषी वित्त-पोषण व्यवस्था के माध्यम से **सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने हेतु प्रयास करना चाहिए।**
  - <u>**I- शामिल करना (Incorporate):**</u> **योजना तैयार करते समय,** प्लेटफॉर्म के विशेष हितों, रोजगार सृजन को प्रभावित करने वाले कारकों, प्लेटफॉर्म के कारोबार और श्रमिकों के पक्ष को शामिल करना चाहिए।
  - <u>**S- सहायता करना (Support):**</u> व्यापक जागरूकता अभियानों के माध्यम से **सरकारी योजनाओं** और कल्याणकारी कार्यक्रमों **की सदस्यता प्राप्त करने के लिए श्रमिकों को सहायता प्रदान की जानी चाहिए।**
  - <u>**E- सुनिश्चित्त करना (Ensure):**</u> **यह सुनिश्चित करना कि** श्रमिकों को **लाभ सहजता से उपलब्ध हो सके।**

## 3.4. स्टैंड-अप इंडिया (Stand-up India)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, **स्टैंड-अप इंडिया योजना** के 7 वर्ष पूरे हुए हैं। इस अवसर पर प्रधान मंत्री ने SC/ ST समुदायों और महिलाओं के सशक्तीकरण तथा रोजगार सृजन में इसकी भूमिका की सराहना की है।

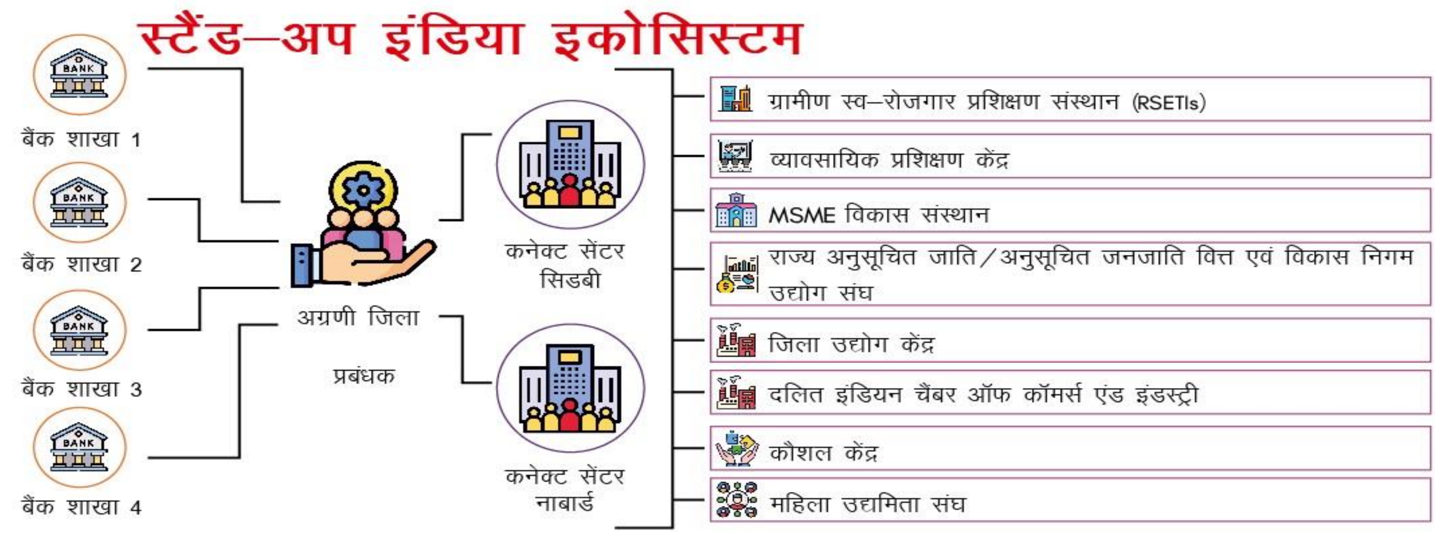


[35] Priority Sector Lending

[36] National Skill Development Corporation


©Vision IAS

**इस योजना से संबंधित कुछ तथ्य**

- **मंत्रालय:** वर्ष 2016 में इसे **भारत सरकार के वित्त मंत्रालय** के अधीन शुरू किया गया था।
    - इस योजना को **वर्ष 2025 तक विस्तारित** किया गया है।
- **उद्देश्य: SCs/ STs और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना।**

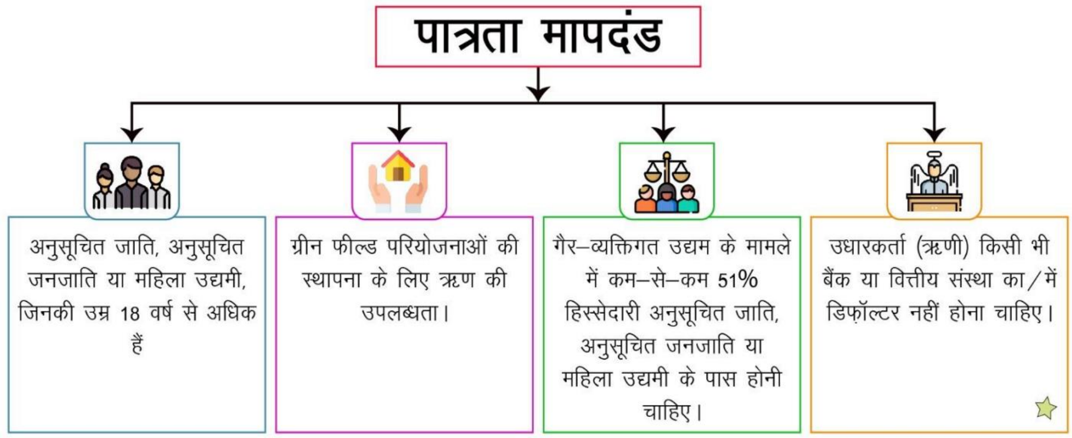


- **विशेषताएं:**
    - इसके अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सभी शाखाओं को शामिल किया गया है। साथ ही, इसके तहत प्रत्येक शाखा द्वारा **कम-से-कम एक SC/ ST और एक महिला उधारकर्ता (ऋणी) को 10 लाख से 1 करोड़ रुपये** तक का बैंक ऋण प्रदान किया जाता है।
    - आवेदक ओवरड्राफ्ट की सुविधा का इस्तेमाल कर वर्किंग कैपिटल के रूप में 10 लाख रुपये तक की निकासी कर सकते हैं।
    - सरकार स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत ऋण के लिए धन आवंटित नहीं करती है। **इसे तीन संभावित तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है:**
        - बैंक शाखा से प्रत्यक्ष रूप से;
        - स्टैंड-अप इंडिया पोर्टल के माध्यम से; और
        - प्रमुख जिला प्रबंधक (Lead District Manager: LDM) के माध्यम से।

| **योजना की उपलब्धि (मार्च, 2023 तक)** | |
|---|---|
| **40,000 करोड़ रुपये** से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। | इस योजना से **0.13 मिलियन से अधिक** बैंक शाखाएं जुड़ी हुई हैं। |
| **0.18 मिलियन से अधिक** लोगों ने ऋण लिया है। | ऋण लेने वालों में **75% से अधिक** महिलाएं हैं। |

**योजना का महत्व**

- **संभावित उद्यमियों की पहचान:** संभावित उधारकर्ताओं (ऋणी) को ऋण प्रदान करने हेतु बैंकों से लिंक किया जा सकता है। उदाहरण के लिए- **भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)** द्वारा विकसित एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जुड़ कर ऋण के लिए आवेदन किया जा सकता है।
- **बिना जमानत के ऋण:** जमानत-मुक्त ऋण का विस्तार करने के लिए, सरकार ने **क्रेडिट गारंटी फंड फॉर स्टैंड-अप इंडिया (CGFSI)** का गठन किया है।
- **वित्तीय समावेशन:** यह "वित्त-पोषण से वंचित लोगों को वित्त-पोषित करने (Funding the Unfunded)" के सिद्धांत पर आधारित है। साथ ही, यह योजना अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के लिए ऋण की उपलब्धता को सुनिश्चित करती है।
    - इसके तहत आसान पुनर्भुगतान की सुविधा प्रदान की जाती है। उद्यमी सात वर्षों में ऋण का पुनर्भुगतान कर सकते हैं। साथ ही, ऋणी की सहमति के अनुसार प्रत्येक वर्ष केवल एक निश्चित राशि का पुनर्भुगतान करना होता है।
- **मार्गदर्शन:** यह योजना सलाहकारों को व्यवसाय शुरू करने के बाद भी सहायता प्रदान करती है।
- **सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण:** यह रोजगार सृजन और सामाजिक प्रतिष्ठा में सुधार लाने के क्रम में एक सकारात्मक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करती है। इसके परिणामस्वरूप महिलाओं, दलितों और जनजातियों का सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण होता है।

**योजना के समक्ष चुनौतियां**

- **ऋण की सीमित उपलब्धता:** इस योजना के अंतर्गत ऋण की अधिकतम सीमा 1 करोड़ रुपये है जो विनिर्माण अथवा व्यापार क्षेत्रक में स्थापित उद्यमों के मामले में प्रायः बहुत कम राशि साबित होती है।

- **समानांतर कौशल विकास का अभाव:** आवेदकों को वित्तीय सहायता के साथ-साथ प्रशिक्षण के रूप में अतिरिक्त समर्थन की भी आवश्यकता होती है। इसके अलावा उन्हें अन्य सहायताओं के साथ-साथ नेटवर्क समर्थन की भी आवश्यकता पड़ सकती है।
- **बैंक से संबंधित मुद्दे:** इस योजना के अंतर्गत बाजार दर से कम ब्याज दरों में ऋण प्रदान किए जाते हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से बैंक प्रणाली, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) की व्यवहार्यता को प्रभावित करती है।
  - साथ ही, कई अध्ययनों में पाया गया है कि देश के भीतरी इलाकों में बैंक के कर्मचारियों में इस योजना के संबंध में सीमित जागरूकता है।

**आगे की राह**

- **सर्वांगीण सशक्तीकरण:** स्टैंड-अप इंडिया योजना के लाभों का फ़ायदा उठाने हेतु अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी को शिक्षित करने तथा उन्हें सामाजिक-राजनीतिक रूप से अधिक सशक्त बनाने की आवश्यकता है।
- **जागरूकता पैदा करना:** सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) गतिविधियों में निवेश करना महत्वपूर्ण है। साथ ही, लक्षित लाभार्थी और बैंकिंग इकोसिस्टम हेतु जागरूकता की एक सामान्य भावना सृजित करना भी महत्वपूर्ण है।
- **अन्य योजनाओं के साथ संयोजन:** स्टार्ट-अप इंडिया, मुद्रा, जन-धन योजना जैसी योजनाओं के कार्यान्वयन में ज्यादा-से-ज्यादा तालमेल स्थापित किया जाना चाहिए।
- **बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ करना:** बैंकिंग प्रणाली के समग्र सुदृढ़ीकरण के माध्यम से ऋण का इष्टतम आवंटन, ऋण संबंधी जोखिम की बेहतर निगरानी और अंततः उद्यमियों के बेहतर प्रदर्शन को सुनिश्चित किया जा सकता है।

## 3.5. ट्रांसफर प्राइसिंग (Transfer Pricing)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले से भारत में ट्रांसफर प्राइसिंग (अंतरण मूल्य निर्धारण) संबंधी विवादों को हल करने के दृष्टिकोण को बदल दिया है।

**अन्य संबंधित तथ्य**

- **सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के एक पुराने फैसले को खारिज कर दिया है।** हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया था कि ट्रांसफर प्राइसिंग संबंधी मामलों में ITAT द्वारा आर्म्स लेंथ प्राइस (ALP)[37] का निर्धारण अंतिम होता है और इसे न्यायिक जांच के अधीन नहीं लाया जा सकता है।
- सुप्रीम कोर्ट ने **यह फैसला सुनाया है कि** आयकर अधिनियम में शामिल **ट्रांसफर प्राइसिंग संबंधी प्रावधानों के दायरे से बाहर निर्धारित किसी भी ALP** को **'विकृत (अन्यायपूर्ण)'** माना जा सकता है और ऐसे मामलों में अधिकरण का निर्णय अंतिम नहीं होगा।
  - ऐसे मामलों में भारतीय राजस्व अधिकारी (IRA) और करदाता दोनों ITAT के निर्णय के बाद हाई कोर्ट जा सकते हैं।
- सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने अन्य कर मुद्दों के समान ही भारत में ट्रांसफर प्राइसिंग संबंधी मुद्दों को भी फिर से सुर्ख़ियों में ला दिया है।

**आयकर अपीलीय अधिकरण (Income Tax Appellate Tribunal: ITAT) के बारे में**

- यह अधिकरण 1941 में स्थापित एक **अर्ध-न्यायिक संस्थान** है।
- यह प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के तहत दाखिल अपीलों का निपटान करता है।
- **ITAT द्वारा दिए गए निर्णय अंतिम होते हैं।** हाई कोर्ट में अपील तभी की जा सकती है जब किसी कानूनी प्रश्न या उलझनों का समाधान करना हो।
- **शुरुआत में दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में संस्थान की तीन पीठें थीं।** हालांकि, पीठों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। वर्तमान में ITAT की **63 पीठें** काम कर रही हैं। ये पीठें अलग-अलग 27 केंद्रों पर कार्यरत हैं।

37 Arm's Length Price

**ट्रांसफर प्राइसिंग के बारे में**

- ट्रांसफर प्राइसिंग **लेखांकन की एक विधि** है। इसकी सहायता से बड़े-बड़े उद्यमों या कंपनियों के अलग-अलग अंगों, जैसे- **डिवीजनों, सहायक कंपनियों या संबद्ध कंपनियों के बीच आदान-प्रदान की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के लिए कीमतों का निर्धारण** किया जाता है। सामान्यतः कर प्राधिकरण अपने रूल्स में इसकी अनुमति देते हैं। सरल शब्दों में, जब किसी एक कंपनी का कोई एक डिवीजन उसी कंपनी के किसी दूसरे डिवीजन से वस्तु या
- सेवा की खरीद या बिक्री करता है तो उनके बीच कोई कैश ट्रांसफर नहीं होता है, बस उसे अकाउंट में चढ़ा दिया जाता है। इसे ही इनकम टैक्स की भाषा में "ट्रांसफर प्राइसिंग" कहते हैं।
- सामान्यतः, **कंपनियां** अपनी पैरेंट कंपनी के **समग्र कर बोझ को कम करने के लिए ट्रांसफर प्राइसिंग का उपयोग** करती हैं।
    - ट्रांसफर प्राइसिंग को अक्सर कम टैक्स वाले देशों में स्थित सहायक/ अनुषंगी कंपनियों से कम कीमत (लाभ में वृद्धि) वसूल कर और **हाई टैक्स रेट वाले देशों में स्थित सहायक/ अनुषंगी कंपनियों (लाभ को कम करने)** से अधिक कीमत वसूल कर पूरा किया जाता है। अक्सर कंपनियां टैक्स के ऊंचे रेट वाले देश से कम टैक्स वाले देश में इनकम का ट्रांसफर करने के लिए इसका उपयोग करती हैं।

**आइए एक उदाहरण के जरिए ट्रांसफर प्राइसिंग को समझते हैं, जिसका उपयोग अक्सर कर के भार को कम करने के लिए किया जाता है-**

- मान लीजिए कि एक वाहन विनिर्माता कंपनी के दो डिवीजन हैं: डिवीजन A, जो कि सॉफ्टवेयर बनाती है और डिवीजन B, जो कि कारों का विनिर्माण करती है।
- **डिवीजन A,** डिवीजन B की तुलना में **एक हाई टैक्स रेट वाले देश में स्थित है।**
- **डिवीजन A** बाजार मूल्य का उपयोग करने के बजाय डिवीजन B को कम कीमत पर सॉफ्टवेयर बेचने का फैसला करती है। ऐसे में कम कीमत रखने के चलते **डिवीजन A** की बिक्री या आय कम हो जाती है। इसके कारण **डिवीजन A** को कर भी कम चुकाना पड़ता है।
- दूसरी ओर, **डिवीजन B** ने जो सॉफ्टवेयर खरीदा, उसके लिए उसे कम पैसा चुकाना पड़ा। इससे **डिवीजन B** के लाभ में वृद्धि होती है, जिसके कारण उसे **अधिक टैक्स** देना पड़ता है। हालांकि, वास्तव में ऐसा नहीं होता है क्योंकि **डिवीजन B** कम टैक्स रेट वाले देश में स्थित है।
- इस प्रकार, ट्रांसफर प्राइसिंग की सहायता से पैरेंट कंपनी **डिवीजन A को कम लाभदायक** और **डिवीजन B को अधिक लाभदायक** बनाकर **टैक्स की बचत** कर सकती है।

**आर्म्स लेंथ सिद्धांत (Arm's Length Principle: ALP) के बारे में**

- ALP पर **सभी OECD सदस्य देशों ने सहमति व्यक्त की** है। इसे अंतर्राष्ट्रीय कराधान में **बहुराष्ट्रीय कंपनियों और कर प्रशासन द्वारा उपयोग के लिए एक निष्पक्ष दिशा-निर्देश** के रूप में अपनाया गया है।
- इसका अर्थ यह है कि एक कंपनी द्वारा अपनी सहायक या संबद्ध कंपनी/ इकाई से वस्तुओं या सेवाओं की खरीद के लिए भुगतान की जाने वाली कीमत वैसी ही होनी चाहिए, जैसा किसी और कंपनी से खरीदते समय भुगतान किया जाता। इसे आर्म्स लेंथ प्राइस कहा जाता है।
    - इस सिद्धांत के अनुसार, भले ही पक्षकार एक-दूसरे से संबद्ध कानूनी संस्थाएं हैं, फिर भी उनके बीच होने वाले **लेन-देन के लिए किसी भी तरीके से मूल्य को कम या एडजस्ट नहीं किया जाना चाहिए या कोई विशेष शर्त नहीं लगाया जाना चाहिए।**

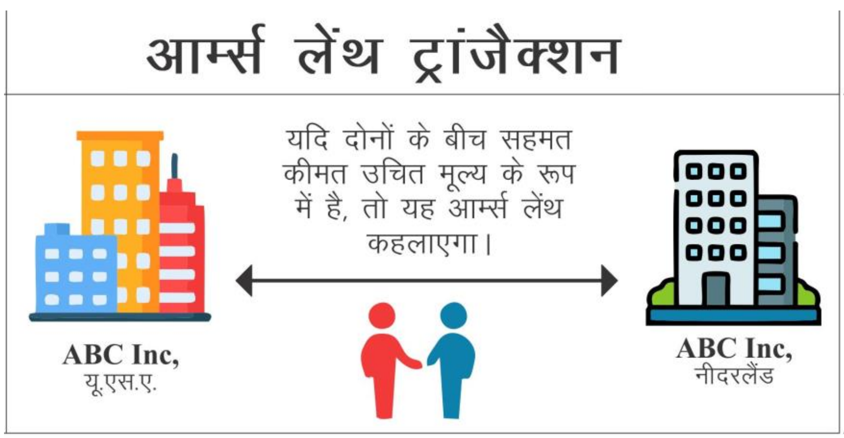


- इसका **उद्देश्य कर आधार के क्षरण** या कम टैक्स वाले देशों/ क्षेत्राधिकारों में **लाभ को ट्रांसफर करने पर रोक लगाना** है।
- भारत में ट्रांसफर प्राइसिंग और ALP संबंधी प्रावधान को **आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय X** में शामिल किया गया है। ALP को असेसमेंट ऑफिसर द्वारा निर्धारित किया जाता है।

## 3.6. मार्केट इन क्रिप्टो एसेट्स {Markets in Crypto Assets (MiCA)}

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, **यूरोपीय संसद** ने **मार्केट इन क्रिप्टो एसेट्स (MiCA)** कानून पारित किया है। इस कानून के तहत यूरोप में क्रिप्टो उद्योग को विनियमित किया जाएगा।

**MiCA के बारे में**

- इसका उद्देश्य **क्रिप्टो परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं के साथ-साथ इसके उपभोक्ताओं के संरक्षण** के लिए एक कानूनी ढांचा उपलब्ध कराना है। इसे **विश्व में इस प्रकार के विनियमों का पहला सेट** माना जा रहा है।

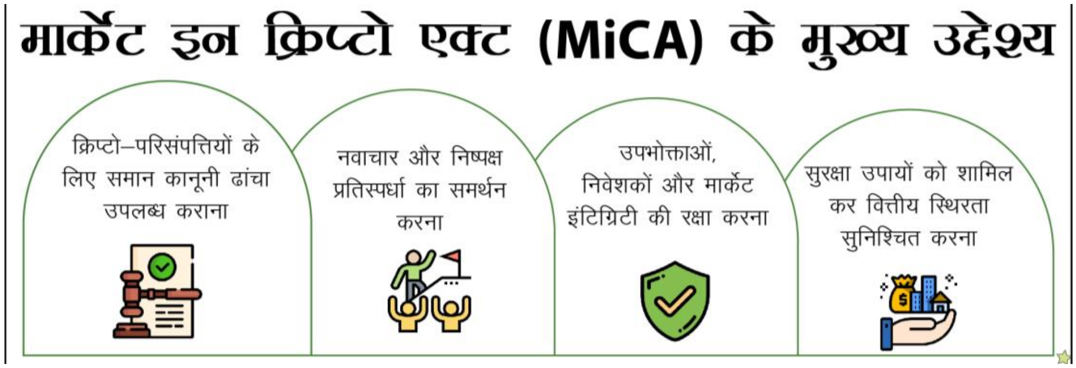


- MiCA पूरे **यूरोपीय संघ (EU)** पर लागू होगा। इसे लागू करने के लिए इसके सदस्यों को अलग-अलग राष्ट्रीय कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है।
- MiCA विनियमन केवल उन क्रिप्टो-परिसंपत्तियों पर लागू होगा जो वर्तमान में किसी विनियम के दायरे में नहीं हैं। इसका अर्थ है कि यह **नॉन-फंजिबल टोकन (NFTs), DeFi**[38] और **सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDCs)** पर लागू नहीं होगा।
- **MiCA अलग-अलग प्रकार की क्रिप्टो परिसंपत्तियों के बीच अंतर स्थापित करता है** और प्रत्येक श्रेणी के लिए विशिष्ट विनियामक आवश्यकताएं प्रदान करता है। **क्रिप्टो परिसंपत्तियों का उप-वर्गीकरण:**
    - **इलेक्ट्रॉनिक मनी टोकन (EMTs)**
    - **एसेट रेफरेंस्ड टोकन (ARTs)**
    - **यूटिलिटी टोकन (UTs)**
- MiCA **यूरोपीय आयोग** की **डिजिटल फाइनेंस स्ट्रेटजी** का एक भाग है। इसमें DLT पायलट व्यवस्था[39] और डिजिटल ऑपरेशनल रेसिलिएंस एक्ट (DORA) भी शामिल हैं।

**क्रिप्टो परिसंपत्तियां (Crypto-assets)**

क्रिप्टो नेटवर्क पर आधारित डिजिटल या आभासी परिसंपत्ति (या मुद्रा) को **क्रिप्टो परिसंपत्ति** कहते हैं। **क्रिप्टो परिसंपत्तियों** का अपना मूल्य होता है या उसके धारक के पास पैसे के वैल्यू के समान अधिकार होता है। इस आभासी परिसंपत्ति को क्रिप्टोग्राफ़ी के जरिए सुरक्षा दी जाती है। इसे **डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी (DLT)** या इसी तरह की तकनीक का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्तांतरित और स्टोर किया जा सकता है।

**क्रिप्टो परिसंपतियों में शामिल अलग-अलग प्रकार के टोकन**

- **स्टेबल-कॉइन (Stablecoin):** इसे **इलेक्ट्रॉनिक मनी टोकन** के नाम से भी जाना जाता है। ये ऐसे टोकन होते हैं जिनका वैल्यू पहले से तय होता है। अक्सर उन्हें अमेरिकी डॉलर जैसी मुद्रा के वैल्यू के समान तय कर दिया जाता है।
- **सिक्योरिटी टोकन (Security tokens):** ये ऐसे टोकन होते हैं जो इंगित करते हैं कि उनके मालिक के पास वास्तविक जगत की कुछ परिसंपत्तियों या उद्यम में हिस्सेदारी है।
- **एसेट टोकन (Asset tokens):** ये ऐसे टोकन होते हैं जो वास्तविक जगत की परिसंपत्तियों, जैसे- स्वर्ण, रियल एस्टेट आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- **यूटिलिटी टोकन (Utility tokens):** ये टोकन अपने उपयोगकर्ताओं को किसी उत्पाद, सेवा या किसी और ऑफर तक विशेष पहुंच प्रदान करते हैं। इन्हें अक्सर किसी परियोजना या कंपनी के इनीशियल कॉइन ऑफरिंग (ICO) के एक हिस्से के रूप में जारी किया जाता है।
- **नॉन-फंजिबल टोकन (Non-Fungible Tokens: NFT):** यह बिटकॉइन या अन्य क्रिप्टोकरेंसी जैसा ही एक क्रिप्टो टोकन है। NFT की वैल्यू एक विशेष और यूनिक डिजिटल एसेट (या डिजिटल तौर पर रखे भौतिक आइटम) पर निर्भर करती है।

**क्रिप्टो परिसंपत्तियों के विनियमन की आवश्यकता क्यों है?**

- **जवाबदेही लागू करना:** क्रिप्टो फर्मों को किसी न किसी रूप में जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि वे उपभोक्ताओं के पैसों का लेन-देन करते हैं। अधिकांश देशों में क्रिप्टो फर्मों को जवाबदेह ठहराने के लिए कानून उपलब्ध नहीं हैं।
- **उपभोक्ताओं की रक्षा करना:** ये विनियम **क्रिप्टो परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं** के साथ-साथ उपभोक्ता के हितों की रक्षा **के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित करने** में मदद करेंगे।
- **वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना:** यह विनियमन वित्तीय स्थिरता के समक्ष उपस्थित संभावित जोखिमों से रक्षा के लिए उपाय सुनिश्चित करता है।
- **नवाचार और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का समर्थन करना:** ये विनियम विभिन्न भागीदारों के बीच एक सुरक्षित और समानुपातिक ढांचे की स्थापना करके क्रिप्टो परिसंपत्तियों के विकास को बढ़ावा देने में मदद करते हैं।
- **पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करना:** क्रिप्टो परिसंपत्तियों को अत्यधिक मात्रा में विद्युत के उपयोग की आवश्यकता हो सकती है। इसके परिणामस्वरूप ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन हो सकता है।

---

[38] Decentralized Finance/ विकेंद्रीकृत वित्त

[39] Distributed Ledger Technology Pilot Regime

- यह विनियमन **संधारणीय प्रथाओं/ प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए इन चिंताओं को दूर करने** पर भी विचार करेगा।

**MICA विनियमन के निहितार्थ**

- **उद्योग को सुसंगत बनाता है:** व्यापक ढांचा मौजूदा क्रिप्टो उद्योग के साथ सामंजस्य स्थापित करता है और उन्हें उनके जोखिम स्तरों के आधार पर विभिन्न स्तरों के तहत वर्गीकृत करता है।
- **अन्य अर्थव्यवस्थाओं के लिए ब्लूप्रिंट प्रदान करता है:** यह एक पायलट पहल है जो विश्व के अन्य देशों के लिए निकट भविष्य में क्रिप्टो उद्योग को विनियमित करने हेतु एक रूपरेखा प्रदान करता है।
- **निवेशकों को शिक्षित करता है:** कंपनियों द्वारा प्रदान किए गए उत्पादों और सेवाओं पर एक श्वेत पत्र प्रदान करने की आवश्यकता, निवेशकों को वास्तविक जोखिमों के बारे में शिक्षित करती है।
- **तरलता संकट से बचाता है:** किसी भी क्षण तरलता संकट से बचने के लिए यह ढांचा, कंपनी के आकार के अनुसार, नकदी के रूप में एक निश्चित आरक्षित निधि को बनाए रखने का प्रावधान करता है।
- **केंद्रीय बैंक पर्यवेक्षण:** क्रिप्टो एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (CASPs) पहली बार केंद्रीय बैंकों की निगरानी में होंगे और उन्हें उनके कार्यों के लिए लाइसेंस भी प्रदान किया जाएगा।

**भारत के लिए संकेत**

भारत **वर्तमान में क्रिप्टोकरेंसी के लिए अपने स्वयं के विनियामक ढांचे को विकसित करने की प्रक्रिया में है।** MiCA इसके लिए एक उदाहरण हो सकता है कि एक व्यापक ढांचा कैसे विकसित किया जा सकता है।

- **निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा:** MiCA जैसे ऐतिहासिक कदम से यूरोप और विश्व के अन्य हिस्सों में क्रिप्टो उद्योग में निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा।
  - इससे संभावित रूप से **भारत में क्रिप्टो उद्योग में निवेश में वृद्धि हो सकती है।** भारत MiCA के अपने संस्करण की योजना बना रहा है।
- **अविनियमित क्षेत्रक को विनियमित करना:** भारत में क्रिप्टो क्षेत्रक अत्यधिक असंगठित है। **MiCA** का सफल कार्यान्वयन **भारत को समान तर्ज पर क्षेत्रक को विनियमित करने के लिए सहमत करेगा।**
  - हाल ही में, भारत और यू.के. ने **क्रिप्टो परिसंपत्तियों से निपटने के लिए "मजबूत वैश्विक दृष्टिकोण" की आवश्यकता** पर भी चर्चा की है।
- **भारतीय निवेशकों की सुरक्षा:** CASPs को जवाबदेह बनाकर और उन्हें केंद्रीय बैंक के ढांचे के तहत लाकर **भारत में क्रिप्टोकरेंसी FTX की विफलता जैसे संभावित तरलता संकट को टाला जा सकता है।**
- **धन शोधन (Money Laundering) को रोकना:** क्रिप्टो परिसंपत्ति का उपयोग बड़े पैमाने पर काले धन को एकत्र करने और उन्हें विदेशों में उपयोग करने के लिए किया जाता है। **CASPs को विनियमों के दायरे में लाकर काफी हद तक धन शोधन से बचा जा सकता है।**
  - 2022 में, **OECD ने क्रिप्टो-एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क (CARF)** को भी मंजूरी दी थी। इस फ्रेमवर्क को मंजूरी क्रिप्टो परिसंपत्तियों में लेन-देन पर कर संबंधी जानकारी की मानकीकृत रिपोर्टिंग के लिए दी गई थी। यह कदम ऐसी सूचनाओं के स्वचालित आदान-प्रदान को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया था।
- **स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना:** यद्यपि इस क्षेत्र में कुछ बड़े भागीदारों का वर्चस्व है, परंतु यह **विनियमन क्षेत्रक में नए स्टार्ट-अप के लिए रक्षा उपाय करेगा और एक समान अवसर स्थापित करेगा।**

**भारत में क्रिप्टो परिसंपत्ति को विनियमित करने का प्रयास**

- **2017:** RBI ने भारत में आभासी मुद्रा/ क्रिप्टोकरेंसी रखने पर चेतावनी जारी की थी और उन्हें अवैध माना था।
- **2019:** RBI ने भारत में क्रिप्टोकरेंसी के ट्रेडिंग/ होल्डिंग/ माइनिंग को अवैध माना था और ऐसी किसी गतिविधि पर 10 लाख के जुर्माने का प्रावधान किया था।
- **2020:** सुप्रीम कोर्ट ने RBI द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को निरस्त कर दिया और सरकार को इस पर निर्णय लेने के लिए कहा।
- **2022:** वित्त मंत्रालय द्वारा आभासी परिसंपत्ति के हस्तांतरण से अर्जित आय पर 30% कर लगाने की घोषणा की गई थी।
- **2022:** सरकार ने केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) जारी करने की संभावना का पता लगाने के लिए एक पैनल का गठन किया था। सरकार ने इसे रिटेल बैंकिंग सेगमेंट में पायलट रन के रूप में सफलतापूर्वक जारी भी किया है।
- **2023:** आभासी डिजिटल परिसंपत्ति से जुड़े सभी लेन-देन को धन शोधन रोकथाम अधिनियम के दायरे में लाया गया।

**शब्दावली को जानें**

- **सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDCs):** यह फिएट करेंसी यानी वास्तविक मुद्रा का एक डिजिटल रूप है। इसमें ब्लॉकचेन द्वारा समर्थित वॉलेट का उपयोग करके लेन–देन किया जा सकता है। इसे केंद्रीय बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है।
- **विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi):** यह एक उभरता हुआ डिजिटल मॉडल है। इसका उद्देश्य क्रिप्टोकरेंसी आधारित लेन–देन, विनिमय और वित्तीय सेवाओं को उपलब्ध कराना और उन्हें सक्षम बनाना है।

**भारत के लिए आगे की राह**

- **मुद्रा (Currency) की परिभाषा में संशोधन करना:** मुद्रा शब्द को वर्तमान में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) की धारा 2(h) के तहत परिभाषित किया गया है। हालांकि, इसमें संशोधन कर क्रिप्टोकरेंसी को मुद्रा की परिभाषा में शामिल किया जा सकता है।
- **विनियामक निकाय स्थापित करना:** देश में एक **स्वतंत्र विनियामक निकाय** को क्रिप्टो क्षेत्रक की देख-रेख हेतु उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए।
- **दंडात्मक प्रावधान बनाना:** क्रिप्टो परिसंपत्तियों के संबंध में चोरी, धोखाधड़ी और जालसाजी के मामलों के लिए दंडात्मक प्रावधानों का एक अलग सेट बनाया जाना चाहिए, ताकि इस तरह की कार्रवाइयों को रोका जा सके।
- **CASPs के लिए मानदंड निर्धारित करना:** देश में **CASP के रूप में लाइसेंस प्राप्त करने वाली कंपनी के लिए मानकों और आवश्यकताओं का एक न्यूनतम सेट निर्धारित किया जाना चाहिए** और इसे सरकारी विनियामक निकाय के पर्यवेक्षी कार्य के तहत विनियमित किया जाना चाहिए।

## 3.6.1. डिजिटल सर्विसेज़ एक्ट (Digital Services Act)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

यूरोपीय संघ (EU) ने 19 प्लेटफॉर्म्स के नामों की पुष्टि की है। ये प्लेटफॉर्म्स डिजिटल सर्विसेज़ एक्ट (DSA) के तहत इसकी ऑनलाइन कंटेंट/ विषय-वस्तु नियमों के अधीन होंगे।

**अन्य संबंधित तथ्य**

- DSA के कंटेंट/ विषय-वस्तु नियमों का उद्देश्य **बड़े प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म्स द्वारा उपयोगकर्ता कंटेंट को मॉडरेट करने के तरीके को सख्ती से विनियमित करना है।**
- EU द्वारा DSA के तहत कठोरतम स्तर के विनियमन हेतु चिन्हित संस्थाओं में अलीबाबा, अमेज़ॅन, एप्पल, फेसबुक (मेटा), गूगल, इंस्टाग्राम आदि शामिल हैं।

**DSA के बारे में**

- DSA विश्व स्तर पर **अपनी तरह का पहला विनियामकीय टूलबॉक्स** है। यह ऑनलाइन मध्यवर्तियों हेतु विनियामकीय कार्य प्रणाली के लिए एक मानदंड निर्धारित करता है।
- 2020 में, DSA और डिजिटल मार्केट एक्ट के माध्यम से सुरक्षित व अधिक निष्पक्ष डिजिटल स्पेस सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। यह फ्रेमवर्क 2024 से लागू होगा।
    - **डिजिटल मार्केट एक्ट** के चलते गूगल, अमेज़ॅन और मेटा जैसे गेटकीपर प्लेटफॉर्म्स अधिक प्रभावित होंगे क्योंकि यह **लक्षित विज्ञापन के लिए व्यक्तिगत डेटा की प्रॉसेसिंग से पहले उपयोगकर्ता की सहमति को आवश्यक बनाता है।**
        - गेटकीपर प्लेटफॉर्म्स, ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म होते हैं जो व्यापार उपयोगकर्ताओं और उपभोक्ताओं के बीच एक महत्वपूर्ण गेटवे प्रदान करते हैं।

**डिजिटल कंटेंट के विनियमन के मामले में यूरोपीय संघ के DSA और भारतीय कानूनों के बीच की तुलना**

- भारत का आई.टी. नियम, 2021, **यूरोपीय संघ के DSA के समान** है। इस नियम को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम[40], 2021 के नाम से भी जाना जाता है। ये नियम ड्यू डेलीजेंस आवश्यकताओं[41], कंटेंट के विनियमन और एक सह-विनियामकीय दृष्टिकोण के मामले में DSA के समान हैं। साथ ही, ये दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए नियमों के पालन, शिकायत निपटान आदि मामलों में भी एक समान हैं।

---

[40] Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules

[41] Due Diligence Requirements

- **हालांकि, उनके दृष्टिकोण और दायरे में कुछ अंतर भी हैं:**

| प्रमुख प्रावधान | भारत का सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 | यूरोपीय संघ का DSA |
|---|---|---|
| विस्तार | भारत में **संचालित सोशल मीडिया मध्यवर्तियों, डिजिटल समाचार प्रकाशकों और ओवर द टॉप (OTT) प्लेटफॉर्म्स पर लागू** होता है, भले ही उनका उद्गम देश कोई भी हो। | DSA ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म की **व्यापक श्रेणी पर लागू होता है।** इसमें यूरोपीय संघ में संचालित सोशल मीडिया, ऑनलाइन मार्केटप्लेस और क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाएं भी शामिल हैं, भले ही उनका उद्गम देश कोई भी हो। |
| कंटेंट का विनियमन | इन नियमों के तहत **सोशल मीडिया मध्यवर्तियों को एक शिकायत अधिकारी, एक नोडल अधिकारी और एक मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना होता है।** साथ ही, उपयोगकर्ताओं से शिकायतें प्राप्त करने और उनका समाधान करने हेतु एक तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता होती है। | **DSA** कंटेंट विनियमन उपायों, पारदर्शिता दायित्वों और डेटा सुरक्षा आवश्यकताओं सहित ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के लिए **अनुपालन आवश्यकताओं की एक श्रृंखला प्रस्तावित करता है।** |

**निष्कर्ष**

समग्र रूप से, DSA एक अधिक व्यापक विनियामकीय फ्रेमवर्क है, जो डिजिटल कंटेंट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करने के लिए अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाता है। हालांकि, दोनों की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करेगी कि उन्हें कैसे कार्यान्वित और लागू किया जाता है।

**क्रिप्टोकरेंसी** के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए।

**वीकली फोकस #43:** क्रिप्टोकरेंसी: आर्थिक सशक्तीकरण का एक साधन या विनियामकीय चुनौतियां

## 3.7. राष्ट्रीय गैस ग्रिड (National Gas Grid)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, **बरौनी-गुवाहाटी पाइपलाइन** के बिहार वाले हिस्से का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। यह बिहार को **राष्ट्रीय गैस ग्रिड** से जोड़ता है।

**राष्ट्रीय गैस ग्रिड के बारे में**

- केंद्र ने देश में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति और मांग के सभी प्रमुख केंद्रों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय गैस ग्रिड की शुरुआत की है। **प्राकृतिक गैस का यह पाइपलाइन नेटवर्क 33,764 किलोमीटर लंबा होगा।** इसे **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (PNGRB)[42] के अंतर्गत शुरू किया गया है।**
- ग्रिड के पूरी तरह से स्थापित हो जाने पर **देश के सभी क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस की आसान उपलब्धता सुनिश्चित होगी।** साथ ही, कच्चे तेल पर हमारी निर्भरता कम होगी।
- इसमें से लगभग **21,500 किलोमीटर** गैस पाइपलाइन नेटवर्क परिचालन अवस्था में है। साथ ही, लगभग 13,500 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं।

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (Petroleum and Natural Gas Regulatory Board: PNGRB)**

- इसकी **स्थापना पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 के तहत** की गई थी।
- इसका उद्देश्य पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस से संबंधित विशिष्ट गतिविधियों में संलग्न उपभोक्ताओं और संस्थाओं के हितों की रक्षा करना और प्रतिस्पर्धी बाजारों को बढ़ावा देना है।
- **यह पेट्रोलियम उत्पाद से जुड़े पाइपलाइन के निर्माण एवं भारत में प्राकृतिक गैस के व्यापार हेतु गैस एक्सचेंज की भी देख-रेख** करता है।
- इसे भौगोलिक क्षेत्रों में **सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) नेटवर्क के विकास के लिए संस्थाओं को प्राधिकृत करने** का अधिकार प्राप्त है।
- यह **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन** कार्यरत एक इकाई है।

**राष्ट्रीय गैस ग्रिड की आवश्यकता क्यों है?**

- **बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए:** वर्तमान में ऑटोमोबाइल कंपनियां BS (भारत स्टेज) VI मानदंडों को पूरा करने के लिए धीरे-धीरे डीजल वाहनों के इस्तेमाल को कम करती जा रही हैं। ऐसे में ऑटोमोबाइल ईंधन के लिए डीजल के भावी विकल्प के रूप में तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) और CNG के उपयोग को बढ़ावा मिल सकता है।

---

[42] Petroleum and Natural Gas Regulatory Board

- **जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करना:** अलग-अलग क्षेत्रकों में ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस को अपनाकर देश के कार्बन फुटप्रिंट को चरणबद्ध तरीके से कम किया जा सकता है। इससे भारत, पेरिस समझौते की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ सकेगा।
- **सकारात्मक व्यापार संतुलन:** गैस आधारित अर्थव्यवस्था को अपनाने से भारत द्वारा कच्चे तेल पर किए जाने व्यय को कम किया जा सकेगा। इससे भारतीय रुपया मजबूत होगा और व्यापार संतुलन को भी अनुकूल बनाए रखने में भी मदद मिलेगी।
- **निजी भागीदारों को प्रोत्साहित करना:** भारत में एक समान ग्रिड की स्थापना से **उद्यमों के लिए अनुकूल माहौल के सृजन को बढ़ावा** मिलेगा। साथ ही, इससे वे इस क्षेत्रक में निवेश करने के लिए भी प्रोत्साहित होंगे।
- **ईंधन की किफायती और निर्बाध आपूर्ति:** इस पाइपलाइन की स्थापना विभिन्न अंतिम उपयोगकर्ताओं को प्राकृतिक गैस, CNG और PNG की सुरक्षित, किफायती एवं निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करती है।

**राष्ट्रीय गैस ग्रिड विकसित करने हेतु किए गए अन्य उपाय**

- **प्रधान मंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना (2016):** यह एक गैस पाइपलाइन परियोजना है। इसका उद्देश्य **उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लगभग सभी घरों में पाइप्ड कुकिंग गैस उपलब्ध कराना है।**
  - इसे जगदीशपुर-हल्दिया और बोकारो-धामरा पाइपलाइन परियोजना के रूप में भी जाना जाता है।
  - यह 2,655 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन परियोजना है। यह **पूर्वी राज्यों को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ती है।**
- **नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड (2020):** यह 1,656 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है। इसका उद्देश्य **पूर्वोत्तर के आठ राज्यों को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ना है।**
- **सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क:** यह नेटवर्क **वर्तमान में 27 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के 400 से अधिक जिलों में फैला हुआ है।**
  - इसमें चार अलग-अलग खंड शामिल हैं। उदाहरण के लिए-
    - **शहरों में ऑटोमोबाइल उपयोग के लिए संपीडित प्राकृतिक गैस (CNG) की आपूर्ति,** तथा
    - **घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपयोग के लिए पाइप्ड प्राकृतिक गैस (PNG) की आपूर्ति।**

**राष्ट्रीय गैस ग्रिड के समक्ष चुनौतियां**

- **पाइपलाइनों की क्षमता का उपयोग:** वर्तमान में मौजूदा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उपयोग केवल 10% से 20% के स्तर पर ही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, 10 वर्ष से अधिक समय से काम करने वाली पाइपलाइन्स घरेलू गैस की सतत उपलब्धता की कमी से ग्रसित रही हैं। इस कारण से उनकी उपयोगिता बाधित हुई है।
- **PNGRB की कार्यप्रणाली:** इस निकाय में कई प्रमुख पद रिक्त हैं। इसमें अध्यक्ष का पद भी रिक्त है जिससे निकाय की दक्षता कम हो जाती है।
- **परियोजना के क्रियान्वयन में विलंब:** भूमि अधिग्रहण, उपयोग के अधिकार (Right of Use) की समस्याएं और कई एजेंसियों से स्वीकृति लेने के कारण पाइपलाइन बिछाने में देरी होती है।
- **PNG का अव्यवस्थित कवरेज: चूँकि पारिवारिक इकाई तक पहुँच को इसके तहत एक मानदंड निर्धारित नहीं किया गया है, अतः किसी खास इलाके को PNG के दायरे में चिह्नित करने पर भी वहां सभी परिवारों तक PNG कनेक्शन नहीं पहुंच पा रहे हैं।**
- **राज्यों की सीमित भूमिका:** पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के विषय संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। इससे पाइपलाइन की अवसंरचना के विकास में राज्यों की भूमिका सीमित हो जाती है।

**प्राकृतिक गैस**

- प्राकृतिक गैस उन **गैसों का मिश्रण है** जो मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि से युक्त **हाइड्रोकार्बन से भरपूर होती हैं।**
- **प्राकृतिक गैस के भंडार पृथ्वी के अंदर गहराई में** कोयले और कच्चे तेल जैसे **अन्य ठोस और तरल हाइड्रोकार्बन संस्तर के निकट पाए जाते हैं।**
- इसे मूल रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। इसे **संसाधित कर, खपत के लिए स्वच्छ ईंधन में परिवर्तित किया जाता है।**
- इसका उपयोग **उर्वरकों के निर्माण में फीडस्टॉक के रूप में, विद्युत उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में,** घरों में खाना पकाने में और वाहनों के लिए परिवहन ईंधन के रूप में **किया जा सकता है।**
- भारत ने **2030 तक,** भारत में प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी **मौजूदा 6.5% से बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य** रखा है।

**आगे की राह**

- **अन्वेषण में वृद्धि:** सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रमों और कंपनियों को नए गैस भंडारों की खोज के लिए अधिक संख्या में ब्लॉक प्रदान किए जाने चाहिए।
- **समर्पित कूटनीतिक प्रोत्साहन:** पड़ोसी क्षेत्रों से भारत में ट्रांस-नेशनल पाइपलाइनों को विस्तार देने के लिए कूटनीतिक प्रयास आवश्यक हैं।
- **कवरेज के मानदंड में सुधार:** किसी जिले को PNG कवरेज के अंतर्गत मानने के लिए, जिले में PNG की निश्चित परिवारों तक पहुँच को एक प्रमुख मानदंड के रूप में शामिल करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्तमान प्रणाली घरेलू उपयोग की संख्या बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित नहीं करती है।
- **एक बेहतर समन्वय तंत्र:** राज्यों के साथ समन्वय में सुधार करना चाहिए। इसके साथ ही मंजूरी और अनुमति प्राप्त करने के लिए एजेंसियों की बहुलता जैसे मुद्दों को भी सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए।
- **उपलब्धता सुनिश्चित करना:** राजमार्गों पर स्थित CNG पंपों को समर्पित चरणों में सुधारने की आवश्यकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि राजमार्गों पर पर्याप्त संख्या में पंपों की कमी के कारण ईंधन के रूप में लोग CNG को प्राथमिकता नहीं दे पाते हैं।

## 3.8. जलीय कृषि क्षेत्रक (Aquaculture Sector)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने लोक सभा में **तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक , 2023** पेश किया।

**भारत का मत्स्य पालन क्षेत्रक**

- अंतर्देशीय (inland) मछली उत्पादन में **पहला** स्थान।
- जलीय कृषि (aquaculture) मछली उत्पादन में **दूसरा** स्थान।
- कुल मिलाकर मछली उत्पादन में **तीसरा** स्थान।
- मछली और मत्स्य उत्पादों के निर्यात में **चौथा** स्थान।

**अन्य संबंधित तथ्य**

- इस विधेयक का उद्देश्य **तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण (CAA)**[43] **अधिनियम, 2005** में संशोधन करना है। साथ ही, इसके तहत आने वाले **अपराधों का गैर-अपराधीकरण करना** भी इसका उद्देश्य है।
  - 2005 के इस अधिनियम ने तटीय जलकृषि को विनियमित करने के लिए **CAA की स्थापना** की थी।
- इसका उद्देश्य **ईज ऑफ डूइंग बिजनेस** को बढ़ावा देना और तटीय जलकृषि प्राधिकरण की **परिचालन प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करना है।**

**तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण (Coastal Aquaculture Authority: CAA)**

मुख्यालय: चेन्नई, तमिलनाडु

**उत्पत्ति:** यह एक **सांविधिक निकाय** है, जिसे **तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005** के तहत स्थापित किया गया है। यह **मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय** के तहत कार्य करता है।

**उद्देश्य:** तटीय पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना और सतत विकास को बनाए रखने के लिए तटीय क्षेत्रों में **तटीय जलीय कृषि गतिविधियों को विनियमित करना।**

**मुख्य कार्य:**
- तटीय क्षेत्रों में एक्वाकल्चर फार्म्स (जलीय कृषि खेतों) के निर्माण और संचालन का विनियमन करना,
- ऐसे फार्म्स के पर्यावरणीय प्रभाव का पता लगाने के लिए उनका निरीक्षण करना,
- एक्वाकल्चर फार्म्स का पंजीकरण करना,
- इनपुट्स और बहिःस्राव (एफ्ल्युएंट) के लिए मानक तय करना,
- उन तटीय एक्वाकल्चर फार्म्स को हटाना या ध्वस्त करना, जो प्रदूषण आदि का कारण बनते हैं।

**संरचना:** इसमें अध्यक्ष सहित **11 सदस्य** शामिल होते हैं। इसका अध्यक्ष किसी हाई कोर्ट का सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है।

---

[43] Coastal Aquaculture Authority

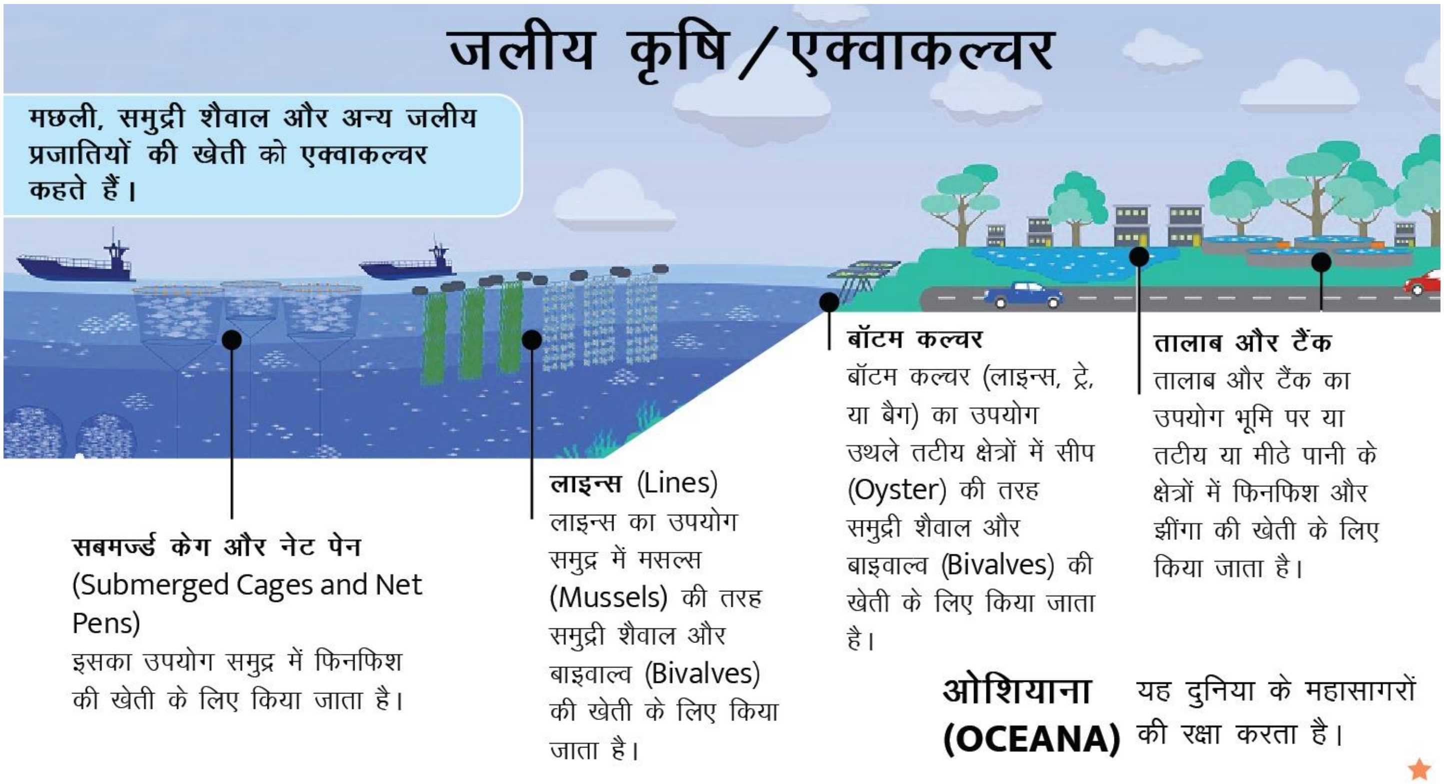


**विधेयक के मुख्य प्रावधान/ बिंदु**

- **परिभाषा:**
    - **जलीय कृषि:** सभी तरह के जल में मछली, शेलफिश, शैवाल और कुछ अन्य जीवों के **प्रजनन, पालन और संग्रहण या इससे संबंधित खेती** को **जलीय कृषि** कहते हैं।
    - **तटीय जलीय कृषि (Coastal Aquaculture):** संशोधित विधेयक में "तटीय एक्वाकल्चर/ जलीय कृषि" को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार, लवणीय या खारे जल में एक नियंत्रित परिवेश में मत्स्य पालन और संग्रहण को तटीय एक्वाकल्चर कहा जाता है। परिभाषा के अंतर्गत इस कृषि में इनडोर या आउटडोर, दोनों तरह की प्रक्रियाएं शामिल हैं। साथ ही, इसके तहत क्रस्टेशियन, मोलस्क, फिनफिश, समुद्री शैवाल या अन्य जलीय जीवों को भी शामिल किया गया है।
        - इसमें ब्रूडस्टॉक, बीज और ग्रो-आउट के उत्पादन जैसी गतिविधियां भी शामिल हैं, लेकिन **ताजे जल की जलीय कृषि शामिल नहीं** है।
- **दायरा:** इसका उद्देश्य CAA अधिनियम के दायरे को बढ़ाना है। इस प्रकार इसमें **जलीय कृषि 'फार्मों' के साथ** तटीय एक्वाकल्चर के सभी **कार्यक्षेत्रों और गतिविधियों को कवर किया जाएगा।** इससे इनका संधारणीय विकास सुनिश्चित हो सकेगा।
- **संबद्ध तटीय एक्वाकल्चर गतिविधियों का विनियमन:** यह विधेयक पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों, नो-डेवलपमेंट जोन (NDZ) और तटीय विनियमन क्षेत्रों (CRZ)[44] के भीतर **तटीय एक्वाकल्चर गतिविधियों** पर रोक लगाता है।
- **CAA में परिवर्तन:**
    - **CAA की संरचना:** इस विधेयक में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के एक प्रतिनिधि को CAA में सदस्य के रूप में जोड़ा गया है।
    - **दायरे में वृद्धि:** यह विधेयक **तटीय एक्वाकल्चर के दायरे में वृद्धि करता है।**
    - **विस्तारित कार्य:** विधेयक में कहा गया है कि CAA, तटीय जलीय कृषि आदानों को विनियमित करेगा, जलीय कृषि यूनिट की निगरानी करेगा और पर्यावरणीय मानकों को तय करेगा।

---

[44] Coastal Regulation Zones

- **गैर-अपराधीकरण:** यह विधेयक अधिनियम के उल्लंघन के लिए कारावास के प्रावधानों को समाप्त करता है तथा उन्हें उपयुक्त मौद्रिक और अन्य दंडों से प्रतिस्थापित करता है।
- **अधिनिर्णय और अपील:** विधेयक के अंतर्गत, केंद्र सरकार **कम-से-कम अंडर सेक्रेट्री स्तर के अधिकारी को जुर्माने के अधिनिर्णय के लिए अधिकृत** कर सकती है।

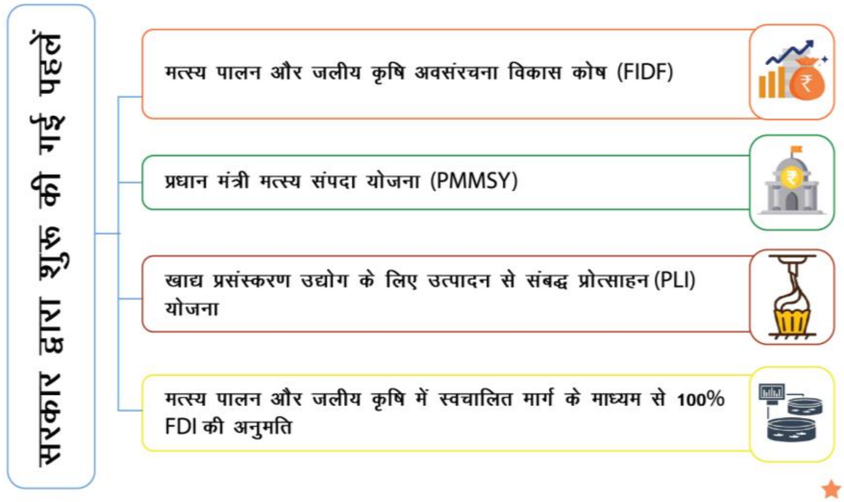


**जलीय कृषि का महत्व**

- **खाद्य और पोषण सुरक्षा:** दुनिया की बढ़ती आबादी को आहार और पोषण उपलब्ध कराने के लिए जलीय कृषि में अथाह संभावनाएं मौजूद हैं।
- **पारितंत्र सेवाओं का वितरण:** यदि जलीय कृषि को जिम्मेदारी से प्रबंधित किया जाए, तो यह स्वस्थ पारितंत्र को बनाए रखने में मदद कर सकती है। यह कृषि जल के निस्यंदन (Filtering) और कार्बन पृथक्करण (Sequestration) में भी मदद करती है।
    - उदाहरण के लिए, समुद्री शैवाल की कृषि समुद्री अम्लीकरण को कम कर सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये शैवाल समुद्र के कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं।
- **आजीविका सहायता:** जलीय खाद्य प्रणालियां लाखों लोगों के जीवन और आजीविका का आधार हैं।
    - 2020 में प्राथमिक मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्रक में **58.5 मिलियन लोगों** को रोजगार प्राप्त हुआ था।
- **विदेशी मुद्रा का स्रोत:** विकासशील देशों के लिए यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्रक है। वे उच्च मूल्य वाले उत्पादों का निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं।

**जलीय कृषि से संबंधित समस्याएं**

- **पर्यावास क्षति:** मत्स्य फार्म से स्थानीय पर्यावासों का प्रत्यक्ष अतिक्रमण हो सकता है तथा ये उन्हें विनष्ट कर सकते हैं। यह प्रत्यक्ष अतिक्रमण अपशिष्ट अपवाह/ बहिःस्राव, आस-पास के क्षेत्रों में गाद का जमाव या अन्य परोक्ष प्रभाव के रूप में देखे जा सकते हैं।
    - जलीय कृषि फार्म, कई समुद्री जीवों के समक्ष जाल में फंसने का जोखिम उत्पन्न कर देते हैं और उनकी आवाजाही (या प्रवासन) को बाधित करते हैं।
- **जल प्रदूषण:** जलीय कृषि के बहिःस्राव में रसायन और अपशिष्ट उत्पाद मौजूद होते हैं। इनसे जल में विषाक्त शैवाल प्रस्फुटन (Algal bloom), सुपोषण (Eutrophication) और ऑक्सीजन रहित मृत क्षेत्रों (Dead zones) का निर्माण हो सकता है।
- **विदेशज प्रजातियों का प्रवेश:** फ़ार्मड मछलियां आस-पास के पारितंत्र में प्रवेश कर सकती हैं और प्राकृतिक रूप से मौजूद जीवों की आबादी के मध्य रोगों के प्रसार का कारण बन सकती हैं। साथ ही, वे देशी प्रजातियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं या उन्हें विस्थापित कर सकती हैं या वन्य आबादी के साथ प्रजनन कर सकती हैं, जिससे उक्त आबादी का अस्तित्व प्रभावित हो सकता है।
- **असंधारणीय प्रथाएं:** अत्यधिक मत्स्यन, प्रदूषण, खराब प्रबंधन और अन्य कारकों के कारण मत्स्य संसाधनों में गिरावट जारी है।

**आगे की राह**

उत्तरदायी जलीय कृषि नीति बनाई जानी चाहिए जिसमें निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल किया जाना चाहिए:

- **ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन:** यह जलीय कृषि के लिए अनेक कार्रवाइयां सामने रखता है। इसका उद्देश्य **जलीय खाद्य प्रणालियों में लचीलेपन का समर्थन करना तथा मत्स्य पालन और जलीय कृषि को संधारणीय रूप से विकसित करना है।**
- **छोटे मछुआरों की रक्षा:** छोटे मछुआरों को विस्थापित नहीं किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में तटीय क्षेत्रों के निजीकरण से बचा या अन्य असमानताओं को उत्पन्न होने से रोका जाना चाहिए
- **वैश्विक मात्स्यिकी प्रबंधन:** एक स्वस्थ और उत्पादक स्थिति को बनाए रखने के लिए पारितंत्र को बहाल करना और जलीय खाद्य पदार्थों की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करना बेहद महत्वपूर्ण है।
- **तकनीकी नवोन्मेष:** नवोन्मेषी जलीय कृषि पद्धतियों के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में एक्वाफीड एवं फीडिंग, डिजिटलाइजेशन तथा कुशल और पर्यावरण-समर्थक प्रथाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
    - उदाहरण के लिए- इंटीग्रेटेड मल्टीट्रॉफिक एक्वाकल्चर (IMTA); यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहां समुद्री शैवाल एवं मोलस्क संतुलन बनाए रखने के लिए पोषक तत्वों और जैविक संवर्धन प्रक्रियाओं की रोकथाम करते हैं।

## 3.9. कृषि-प्रौद्योगिकी (Agri Tech)

### सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **अटल इनोवेशन मिशन (AIM), नीति आयोग** और **संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष (UNCDF)**[45] ने संयुक्त रूप से एक श्वेतपत्र जारी किया है। इसका उद्देश्य भारत को कृषि-प्रौद्योगिकी नवाचार की दिशा में वैश्विक स्तर पर एक अग्रणी देश के रूप में स्थापित करना है।

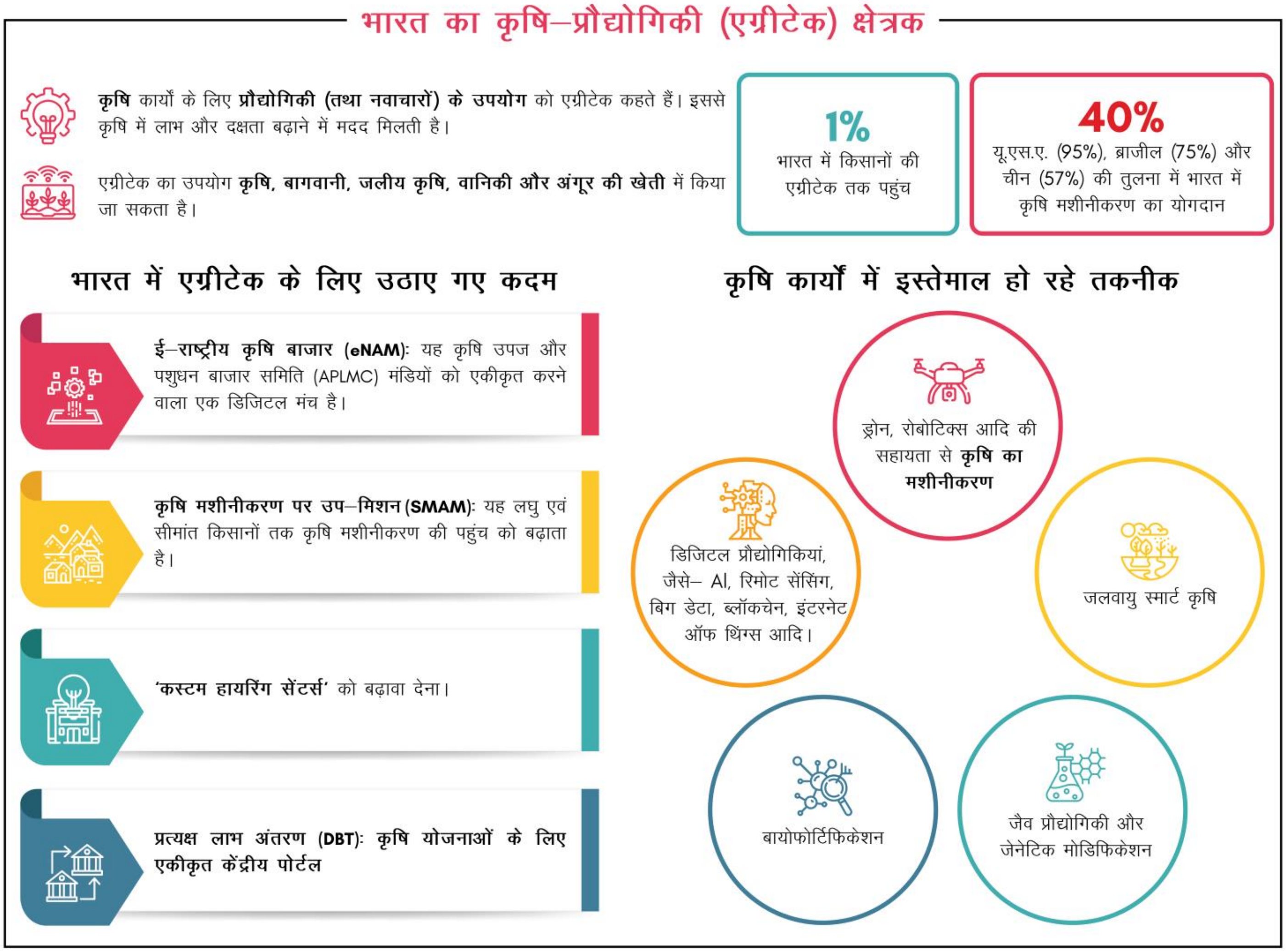


### भारत में कृषि-प्रौद्योगिकी की आवश्यकता क्यों?

- **कृषि क्षेत्रक को सुव्यवस्थित करना:** भारतीय कृषि क्षेत्रक मुख्य रूप से असंगठित एवं खंडित है। इस क्षेत्रक की मूल्य श्रृंखला में कई मध्यस्थ और बिचौलिए शामिल हैं।
  - हालांकि, भारत के लगातार बढ़ते तकनीकी इकोसिस्टम में अथाह संभावनाएं मौजूद हैं जो इस क्षेत्रक को और अधिक कुशल बना सकती हैं तथा इसे व्यवस्थित कर सकती हैं। इसके परिणामस्वरूप, किसानों और उपभोक्ताओं को समान रूप से लाभ होगा।
- **खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन का समाधान: वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (2022)** के अनुसार, भारत में लगभग **22.8 करोड़** लोग गरीब हैं। कृषि-प्रौद्योगिकी कंपनियां कृषि क्षेत्रक में क्रांति ला सकती हैं, जिससे देश की खाद्य सुरक्षा में सुधार हो सकता है।
- **कृषि उत्पादकता में वृद्धि:** किसानों के पास उच्च गुणवत्ता वाले कृषि इनपुट्स/ आदानों, कृषि मशीनरी और अन्य संबद्ध उपकरणों तक पहुंच नहीं होती है। इसके कारण कृषि की उत्पादकता कम हो जाती है या निम्न गुणवत्ता वाली फसलें प्राप्त होती हैं।

---

[45] United Nations Capital Development Fund

- ○ **बायोटेक, नैनो तकनीक जैसी नई प्रौद्योगिकियां** फसल उत्पादन और उत्पादकता में सुधार कर सकती हैं।
- **बदलते उपभोक्ता व्यवहार को समझना:** टेक कंपनियां अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकती हैं। ये प्रौद्योगिकियां स्वच्छ, ताजा और संधारणीय उत्पादों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने में मदद करेंगी। इससे उपभोक्ताओं की प्राथमिकताएं और अपेक्षाएं भी पूरी हो सकेंगी।
- **उन्नत गुणवत्ता प्रबंधन और पता लगाने की क्षमता: कृषि-प्रौद्योगिकी** कटाई के बाद उपज की हैंडलिंग, गुणवत्ता मूल्यांकन और विश्लेषण में सुधार कर सकती है। यह प्रौद्योगिकी, भंडारण और परिवहन के दौरान उत्पादों की निगरानी कर सकती है एवं उसका पता भी लगा सकती है।
- **सुव्यवस्थित आपूर्ति श्रृंखला और आउटपुट मार्केट लिंकेज: कृषि-प्रौद्योगिकी** डिजिटल प्लेटफॉर्म और भौतिक बुनियादी ढांचा, दोनों की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकती है। इससे कटाई के बाद की आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रबंधित करना और कृषि उत्पादों को सीधे ग्राहकों तक पहुंचाना आसान हो जाएगा।
- **सुलभ वित्तीय सेवाएं: कृषि-प्रौद्योगिकी** इनपुट और उपकरणों की खरीद के साथ-साथ फसलों के लिए बीमा या पुनर्बीमा हेतु ऋण सुविधा प्रदान कर सकती है।

**भारत में कृषि-प्रौद्योगिकी के उपयोग में चुनौतियां**

- **वहनीयता:** कृषि मशीनरी प्राय: लघु जोत वाले किसानों के लिए वहनीय नहीं होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी भू-जोत का आकार बहुत छोटा होता है।
  - ○ उदाहरण के लिए- बागवानी फसलों के लिए बीमा सेवाएं प्रदान करने हेतु महंगी हाई-रिज़ॉल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी की आवश्यकता होती है।
- **कृषि संबंधित डेटा तक या तो पहुंच कम होती है या तो कोई पहुंच नहीं होती है:** कृषि और किसान-स्तर के डेटासेट की अपर्याप्त उपलब्धता कृषि में प्रौद्योगिकी की पहुँच बाधित करते हैं। दरअसल, अधिकांश कृषि-प्रौद्योगिकी कंपनियों को अपने सॉफ्टवेयर को बेहतर करने और अंतिम उपयोगकर्ताओं को प्रभावी ढंग से सेवा देने के लिए अपडेटेड डेटा की आवश्यकता होती है।
- **डिजिटल साक्षरता की कमी:** किसानों को ऐसी नई प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी नहीं होती है जो कृषि मशीनीकरण को प्रभावित करती है। इसलिए, किसान कृषि-प्रौद्योगिकी समाधानों को कम अपनाते हैं। इनके कई कारक हैं जैसे- किसानों में **जागरूकता की कमी, अपर्याप्त प्रोत्साहन और अपर्याप्त तकनीकी सहायता।**
  - ○ इसके अलावा, हाल ही में मोबाइल उपकरणों का उपयोग करके **डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों** में काफी वृद्धि हुई है। इसके चलते, किसान डिजिटल मोड पर विश्वास नहीं कर पाते हैं।
- **कृषि-प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए ग्राहक बनाने की उच्च लागत:** खंडित जोत और विविध भौगोलिक क्षेत्रों के चलते कृषि-प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए लघु किसानों के साथ जुड़ना अत्यंत कठिन हो जाता है। इससे ग्राहक आधार को बड़ा करने की लागत बढ़ जाती है।
- **अक्षम आपूर्ति श्रृंखला:** आपूर्ति श्रृंखला कई मध्यवर्तियों के कारण बाधित होती रही है। मध्यवर्तियों के कारण खुदरा विक्रेताओं के लिए खरीद लागत बढ़ जाती है। साथ ही, अपर्याप्त अवसंरचना (जैसे- कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं की कमी) के कारण अपव्यय में भी वृद्धि होती है।

**आगे की राह**

- **लास्ट माइल कनेक्टिविटी में सुधार करना चाहिए:** गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) या किसान उत्पादक संगठनों (FPOs)[46] या कॉर्पोरेट जैसे महत्वपूर्ण स्थानीय संस्थानों के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इन संस्थानों के पास उल्लेखनीय कृषि आधारित डेटा होता है जिससे कृषि-प्रौद्योगिकी आधारित समाधान को तैयार करना सरल हो सकता है।
- **सार्वजनिक डेटा तक पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए:** किसानों, भूमि अभिलेखों, वित्तीय स्वास्थ्य, मौसम रिपोर्ट, मौसम संबंधी डेटा, बाजार मूल्य और मंडी आदि के संबंध में सरकार के व्यापक डेटा का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके माध्यम से कृषि-प्रौद्योगिकी कंपनियां मूल्यवान सेवाएं प्रदान कर सकती हैं।
- **लाइसेंसिंग व्यवस्थाओं को डिजिटाइज़ करना चाहिए:** लाइसेंसिंग प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटाइज करके पारदर्शिता को बढ़ाया जाना चाहिए। इससे स्टार्ट-अप्स को अधिक कुशलता से जानकारी तक पहुँचने में मदद मिलेगी और लघु किसानों को बेहतर सेवा मिलेगी।
- **राज्य-विशिष्ट कृषि-प्रौद्योगिकी नीतियां बनाई जानी चाहिए:** अलग-अलग कृषि-प्रौद्योगिकी स्टार्टअप नीतियों को लागू करना चाहिए जो क्षेत्रीय स्तर पर उस क्षेत्रक में विकास को बढ़ावा दे सके और सुविधा प्रदान कर सकें।
- **स्थानीय और वैश्विक स्तर पर कृषि-प्रौद्योगिकी के लिए सुविधा केंद्र की स्थापना की जानी चाहिए:** एक राज्य-स्तरीय सुविधा केंद्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तकनीकी कंपनियां आसानी से सार्वजनिक संसाधनों तक पहुंच सकें या सरकार की अवसंरचनात्मक सुविधाओं का लाभ उठा सकें।

---

[46] Farmers Producers Organisation

## 3.10. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

### 3.10.1. प्रत्यक्ष कर आँकड़े (Direct Tax Statistics)

- **केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा जारी प्रमुख आंकड़े:**
  - वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 में **निवल प्रत्यक्ष कर संग्रह में 121.18 प्रतिशत की वृद्धि** हुई थी।
  - **प्रत्यक्ष कर-सकल घरेलू अनुपात** वित्त वर्ष 2013-14 के 5.62 प्रतिशत से बढ़कर **वित्त वर्ष 2021-22 में 5.97 प्रतिशत** हो गया था।
  - प्रत्यक्ष कर उछाल (tax buoyancy) **पिछले 15 वर्षों में सबसे अधिक यानी 2.52** पर था।
    - राष्ट्रीय आय में बदलाव के कारण कर राजस्व प्राप्तियों में होने वाली वृद्धि कर उछाल कहलाती है।
    - **एक से अधिक** कर उछाल दर्शाता है कि **राष्ट्रीय आय में वृद्धि की तुलना में कर राजस्व में तेजी से बढ़ोतरी** हुई है।

### 3.10.2. डब्बा (बॉक्स) ट्रेडिंग {Dabba (Box) Trading}

- नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने **डब्बा ट्रेडिंग में शामिल संस्थाओं का नाम लेते हुए एक नोटिस जारी** किया है।
- डब्बा ट्रेडिंग एक **अनौपचारिक ट्रेडिंग** है। यह **स्टॉक एक्सचेंज के दायरे से बाहर** होती है।
  - इसके तहत ट्रेडर्स **किसी विशेष स्टॉक का भौतिक स्वामित्व लेने के लिए वास्तविक लेन-देन किए बिना ही स्टॉक की कीमतों में उतार-चढ़ाव पर दांव** लगाते हैं। यह एक्सचेंज में होने वाली ट्रेडिंग के समान ही है।
- **इसके अंतर्गत आय या लाभ का कोई उचित रिकॉर्ड नहीं** होता है। इसके परिणामस्वरूप, **व्यापारियों को कराधान से बचने** में मदद मिलती है।
- इसे **प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम (SCRA), 1956** के तहत एक अपराध माना गया है।

### 3.10.3. महिला सम्मान बचत प्रमाण-पत्र {Mahila Samman Savings Certificates (MSSC)}

- **वित्त मंत्रालय ने MSSC, 2023 के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना** जारी की है। इसे तत्काल प्रभाव से **1.59 लाख डाकघरों में उपलब्ध** कराया गया है।
  - योजना की घोषणा **2023-24 के केंद्रीय बजट** में की गई थी। इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और लड़कियों सहित महिलाओं को सशक्त बनाना है।
- **योजना की मुख्य विशेषताएं**
  - **महिला सम्मान बचत प्रमाण-पत्र (MSSC) को मार्च 2025 तक 2 साल के लिए** उपलब्ध कराया जाएगा। इसके तहत **7.5 प्रतिशत की निश्चित तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज दर** प्रदान की जाएगी।

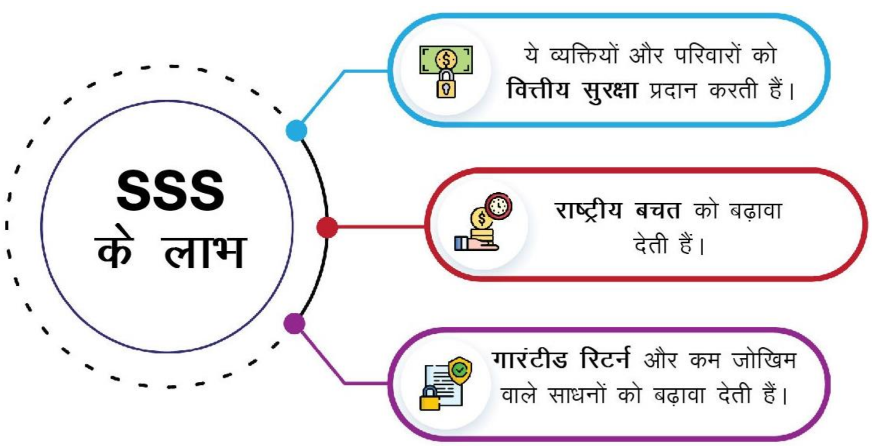


  - MSSC खाताधारक खाता खोलने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के बाद, लेकिन खाते की परिपक्वता से पहले **एक बार में पात्र शेष राशि का अधिकतम 40 प्रतिशत तक निकाल सकती हैं।**
  - इसके तहत निवेश की जाने वाली **न्यूनतम धनराशि 1,000 रुपये है तथा 100 के गुणक में कोई भी राशि** निवेशित की जा सकती है। इसमें **अधिकतम निवेश सीमा 2 लाख रुपये है।**
- लघु बचत योजनाएं (SSS) **सरकार द्वारा प्रबंधित बचत साधन हैं** जो नागरिकों को नियमित रूप से बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं।
  - **SSS में शामिल हैं-** डाकघर बचत खाता, किसान विकास पत्र, लोक भविष्य निधि, सुकन्या समृद्धि खाता आदि।
  - इन योजनाओं के जरिए जुटाया गया धन **राष्ट्रीय लघु बचत कोष (NSSF)** में जाता है।
  - SSS के लिए ब्याज दर निर्धारित करने का फॉर्मूला **श्यामला गोपीनाथ समिति** ने दिया था।

## 3.10.4. ग्रीन डिपॉजिट (Green Deposits)

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 'ग्रीन डिपॉजिट' को स्वीकार्य बनाने के लिए फ्रेमवर्क जारी किया है
- ग्रीन डिपॉजिट से तात्पर्य **ब्याज-आधारित जमा** से है। इसे एक निश्चित अवधि के लिए विनियमित संस्थाएं प्राप्त करती हैं। इससे **अर्जित आय को हरित वित्त (ग्रीन फाइनेंस) के आवंटन** हेतु निर्धारित किया जाता है।
- **ग्रीन डिपॉजिट की स्वीकार्यता के लिए फ्रेमवर्क की मुख्य विशेषताएं:**
  - **किनके लिए है:** यह **लघु वित्त बैंकों** सहित सभी **अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों** के लिए है। यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लोकल एरिया बैंकों और भुगतान बैंकों के लिए नहीं है।
    - यह RBI में पंजीकृत **जमा स्वीकार करने वाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) सहित आवास वित्त कंपनियों (HFCs)** के लिए भी लागू है।
  - ग्रीन डिपॉजिट को **केवल भारतीय रुपये में मूल्यवर्गित** किया जाएगा।
  - ग्रीन डिपॉजिट के जरिए जुटाई गई राशि से **नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ परिवहन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, सतत जल और अपशिष्ट प्रबंधन, हरित भवन** जैसे क्षेत्रकों/ परियोजनाओं का वित्त-पोषण किया जाएगा।

  - कई परियोजनाएं ग्रीन डिपॉजिट के जरिए जुटाई गई राशि से वित्त-पोषण के लिए पात्र नहीं हैं। इनमें शामिल हैं: **जीवाश्म ईंधन का नया या मौजूदा निष्कर्षण, उत्पादन और वितरण; परमाणु ऊर्जा उत्पादन; प्रत्यक्ष अपशिष्ट भस्मीकरण; लैंडफिल परियोजनाएं; 25 मेगावाट से अधिक क्षमता के जल विद्युत संयंत्र** आदि।
  - ग्रीन डिपॉजिट के जरिए जुटाई गई धनराशि का **वार्षिक आधार पर एक स्वतंत्र तृतीय-पक्ष द्वारा सत्यापन किया जाएगा।**
- ग्रीनवॉशिंग का अर्थ **उत्पादों/ सेवाओं को ग्रीन यानी पर्यावरण के अनुकूल बताकर उनका मार्केटिंग** करना है, जबकि वास्तव में **वे हरित गतिविधियों/ परियोजनाओं के रूप में परिभाषित होने के मानदंडों को पूरा नहीं करते/ करती हैं।**

## 3.10.5. रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (REITs) और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (InvITs) {Real Estate Investment Trusts (REITs) and Infrastructure Investment Trusts (INVITS)}

- नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की सहायक कंपनी **NSE इंडिसेज लिमिटेड ने भारत का पहला REITs और InvITs इंडेक्स लॉन्च किया** है। इसका उद्देश्य NSE पर सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध और कारोबार करने वाले **REITs और InvITs** के प्रदर्शन की निगरानी करना है।
- **REITs सूचीबद्ध संस्थाएं होती हैं।** ये आय उत्पन्न **करने के लिए भवनों/ परिसंपत्तियों का स्वामित्व, संचालन और प्रबंधन करती हैं।**
- InvITs म्युचुअल फंड की तरह एक निवेश योजना है। यह व्यक्तियों और संस्थागत निवेशकों द्वारा अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं में निवेश को संभव बनाती है।

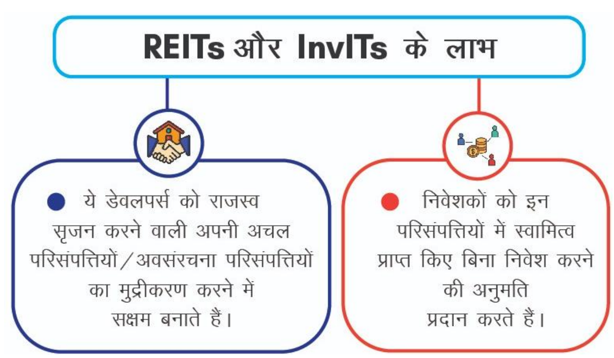

## 3.10.6. बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग {Business Environment Rankings (BER)}

- इसे **इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (EIU)** ने जारी किया है। इसके तहत 91 संकेतकों में तिमाही आधार पर **82 देशों में कारोबारी परिवेश के आकर्षण का मापन** किया जाता है।
  - **सिंगापुर नवीनतम रैंकिंग में शीर्ष** पर है।
- **भारत ने अपनी रैंकिंग में छह स्थानों का सुधार** किया है। इसके पीछे निहित कारण भारत द्वारा **तकनीकी तत्परता, राजनीतिक परिवेश, विदेशी निवेश** जैसे मापदंडों में बेहतर स्कोर प्राप्त करना है।

## 3.10.7. एक रिपोर्ट के अनुसार, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) भारत के डिजिटल उपभोग मूल्य को 2030 तक 320-340 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ा सकता है {Open Network for Digital Commerce (ONDC) May Drive India Digital Consumption to USD 320-340 Billion by 2030: Report}

- ONDC ने **'डेमोक्रेटाइजिंग डिजिटल कॉमर्स इन इंडिया'** शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इसे ज्ञान भागीदार के रूप में **मैकिन्से एंड कंपनी** के सहयोग जारी किया गया है।
- **रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष**
  - रिपोर्ट के अनुसार, ONDC **वर्ष 2030 तक डिजिटल रूप से लेन-देन करने वाले ग्राहकों की संख्या को 500 मिलियन तक ले जाने** में भारत को सुविधा प्रदान करेगा। यह संख्या वित्त वर्ष-2022 की 165-190 मिलियन की तुलना में 3 से 4 गुना अधिक है।
  - **भारत के डिजिटल कॉमर्स इकोसिस्टम के समक्ष प्रमुख चुनौतियां हैं-**
    - ऑनलाइन शॉपिंग के साथ सुविधाजनक महसूस नहीं करना,
    - **व्यवसाय-से-व्यवसाय** (Business-to-Business) **तक विक्रेताओं की कम पहुंच** (1-1.5 प्रतिशत),
    - **आपूर्ति श्रृंखला की लागत का अधिक** होना आदि।
- ONDC को **वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग** ने लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के डिजिटल एकाधिकार को नियंत्रित करना है।
  - यह डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर **वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय के सभी पहलुओं के लिए ओपन नेटवर्क को बढ़ावा** देता है।
  - **ONDC पर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को एकीकृत** करने का कार्य **भारतीय गुणवत्ता परिषद** को सौंपा गया है।
  - ONDC पर व्यापार संबंधी लेन-देन करने के लिए **खरीदार और विक्रेता द्वारा एक ही प्लेटफॉर्म/ एप्लीकेशन के उपयोग की आवश्यकता नहीं है।**

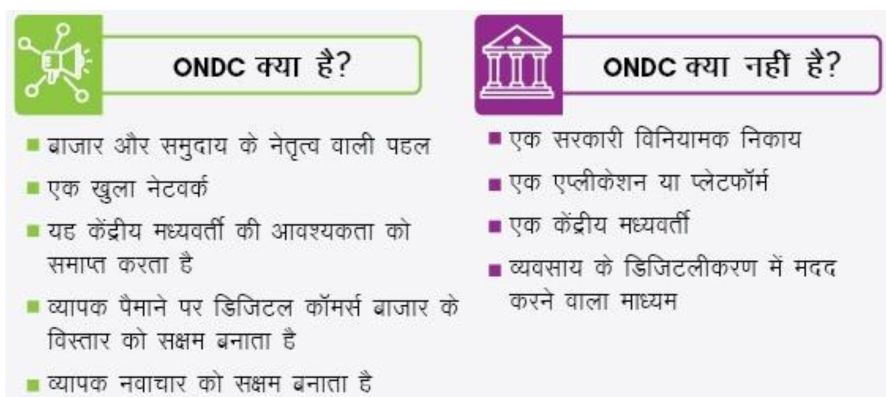


- **ONDC का महत्त्व**
  - यह **स्थानीय भाषाओं, उत्पादों और सांस्कृतिक विरासत** को बढ़ावा देता है।
  - **छोटे व्यवसायों और कारीगरों के लिए अवसरों** का निर्माण करता है।
  - किसी भी पसंदीदा विक्रेता की अनुपस्थिति में **सभी हितधारकों के साथ न्यायसंगत और उचित व्यवहार** करता है।
  - भारत में **डिजिटल कॉमर्स इकोसिस्टम के विकास** के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

**अन्य संबंधित सुर्ख़ियां**

- NPCI भारत बिल पे लिमिटेड (NBBL) ने **NOCS प्लेटफॉर्म** लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म **ONDC नेटवर्क पर किए गए लेन-देन के लिए समाधान और निपटान सेवाएं** प्रदान करेगा।
  - NOCS को **भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शन में विकसित** किया गया है। यह नेटवर्क प्रतिभागियों को **धन के सुचारू, सुरक्षित और समय पर अंतरण** को सक्षम करेगा।
  - यह **बैंकों, फिनटेक और ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ एकीकृत है** तथा यह बहुत जल्द ही संचालित हो जाएगा।

## 3.10.8. उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) 5.0 {UDAN (Ude Desh ka Aam Nagrik) 5.0}

- **नागरिक विमानन मंत्रालय ने** क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS)- उड़ान/UDAAN (उड़े देश का आम नागरिक) 5.0 की शुरुआत की
- RCS-UDAN, एक **बाजार-संचालित योजना** है। इसका उद्देश्य इस्तेमाल से रहित और कम इस्तेमाल वाले हवाई अड्डों से **क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाना** तथा **हवाई यात्रा को किफायती बनाना** है।
  - इसे **राष्ट्रीय नागरिक विमानन नीति (NCAP)-2016** की समीक्षा के बाद तैयार किया गया था।
- **उड़ान 5.0 की मुख्य विशेषताएं:**
  - इसमें **कैटेगरी-2 (20-80 सीट)** और **कैटेगरी-3 (80 सीट से अधिक)** पर ध्यान दिया गया है।
  - **600 कि.मी.** की दूरी सीमा को **समाप्त कर दिया गया** है।
  - **कोई भी पूर्व निर्धारित मार्ग** का विकल्प नहीं दिया जाएगा।
  - **वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF)** को पहले के **500 कि.मी. से बढ़ाकर 600 कि.मी.** कर दिया है।

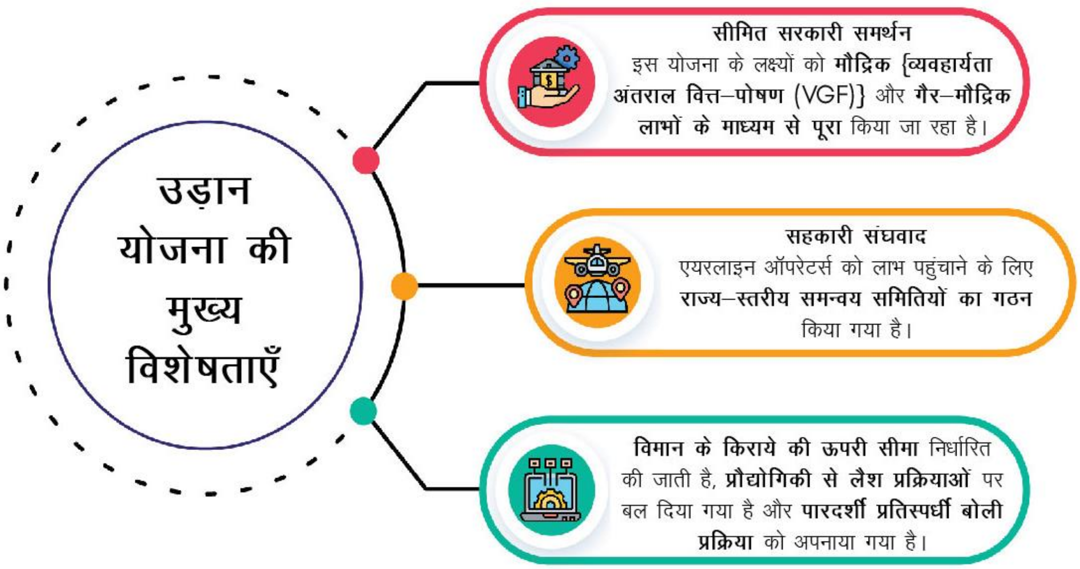


- जब से यह योजना शुरू हुई है तब से, **सरकार की प्राथमिकताओं** के साथ-साथ बाजार के अनुभव या मांग के आधार पर, **उड़ान योजना में कई संशोधन** किए गए हैं और कई **प्रावधान जोड़े गए** हैं।
  - **उड़ान-2** के तहत, **पहाड़ी क्षेत्रों, पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER)** और **द्वीपीय राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों** पर अधिक **ध्यान केंद्रित** किया गया।
  - **उड़ान-3** के तहत, **सी-प्लेन** के संचालन और **पर्यटन मार्गों की अवधारणा** को प्रस्तुत किया गया।
  - **उड़ान-4** के तहत, लघु विमानों के लिए **VGF समर्थन में वृद्धि की गई, राज्य हवाई मार्गों को शामिल किया** गया और रीजनल हब के विकास के लिए **छोटे मार्गों पर ध्यान केंद्रित** किया गया।
  - **लाइफलाइन उड़ान: कोरोना महामारी के दौरान मेडिकल कार्गो** के परिवहन के लिए यह सेवा शुरू की गई थी।
  - **कृषि उड़ान:** यह सेवा, विशेष रूप से NER और जनजातीय बहुल जिलों के **कृषि उत्पादों के लिए उचित मूल्य दिलाने** के लिए शुरू की गई थी।
  - **NER के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान मार्ग:** इसकी शुरुआत गुवाहाटी या इंफाल से/ वहां तक अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी की संभावनाओं का पता लगाने के लिए की गई है।

## 3.10.9. कोच्चि वाटर मेट्रो (Kochi Water Metro)

- हाल ही में, प्रधान मंत्री ने **कोच्चि वाटर मेट्रो (KWM)** का औपचारिक उद्घाटन किया है। यह **भारत की पहली जल-आधारित मेट्रो सेवा** है।
- कोच्चि वाटर मेट्रो परिवहन का एक अभिनव और संधारणीय तरीका है। इसके अंतर्गत जलमार्गों के जटिल नेटवर्क के माध्यम से शहर के अलग-अलग हिस्सों को जोड़ा गया है।
- इस परियोजना का उद्देश्य यातायात की भीड़ को कम करना और परिवहन के पर्यावरण-अनुकूल साधनों को बढ़ावा देते हुए शहर की कनेक्टिविटी में सुधार करना है।
- इस परियोजना का वित्त-पोषण केरल सरकार ने किया है। इसके अलावा, KfW ने इसके लिए ऋण दिया है। KfW वस्तुतः जर्मनी के स्वामित्व वाला एक निवेश और विकास बैंक है।
- KWM की बोट्स कोचीन शिपयार्ड द्वारा बनाई जा रही हैं।
- **इनोवेटिव बोट टेक्नोलॉजी:** बोट्स में लिथियम टाइटेनेट ऑक्साइड (LTO) बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। इन बैटरियों को विशेष रूप से निर्मित चार्जिंग सिस्टम की मदद से केवल 15 मिनट में चार्ज किया जा सकता है।

- LTO बैटरी न केवल दुनिया में सबसे सुरक्षित व्यावसायिक रूप से सुलभ बैटरी हैं, बल्कि ये दुनिया में सबसे लंबे समय (7-10 वर्ष) तक काम करने वाली बैटरी भी हैं।

- पिछले साल **कोच्चि वाटर मेट्रो ने दुनिया में सर्वश्रेष्ठ व्यावसायिक यात्री इलेक्ट्रिक बोट** के लिए फ्रांस का प्रतिष्ठित गसीज़ अवार्ड जीता था।

**भारत में ऐसी अन्य अंतर्देशीय जल परिवहन (IWT) सेवाएं**

- जलमार्गों पर वाहनों और यात्रियों की आवाजाही के लिए रो-रो (रोल-ऑन, रोल-ऑफ) फेरी सेवा शुरू की गई है। यह सेवा अलग-अलग स्थानों जैसे कि मुंबई, गोवा, केरल और असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर उपलब्ध हैं।
- मुंबई और मांडवा (महाराष्ट्र) के बीच ईस्टर्न वाटरफ्रंट डेवलपमेंट के तहत रो-पैक्स (रोल ऑन-रोल ऑफ कम पैसेंजर) फेरी सेवा विकसित की गई।
- **रिवर क्रूज सेवा:** भारत में रिवर क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज **'गंगा विलास'** को हाल ही में शुरू किया गया है। यह भारत के 5 राज्यों और बांग्लादेश की 27 नदी प्रणालियों के जरिये 3,200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगा।

## 3.10.10. लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 {Logistic Performance Index (LPI) 2023}

- **विश्व बैंक** दारा जारी **LPI 2023** में **भारत ने अपनी रैंक में सुधार करते हुए 38वां स्थान** प्राप्त किया है। वर्ष 2018 में इस सूचकांक में भारत 44वें स्थान पर था।
    - सॉफ्ट और हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ प्रौद्योगिकी में **महत्वपूर्ण निवेश के चलते भारत ने पत्तनों (बंदरगाहों) के प्रदर्शन के मामले में सुधार दर्ज किया** है।
    - **सिंगापुर ने इस सूचकांक में शीर्ष** स्थान प्राप्त किया है।
- LPI एक **बेंचमार्किंग उपकरण** है। इस सूचकांक का आरंभ **देशों** को **व्यापार लॉजिस्टिक्स** के संबंध में उनके प्रदर्शन में आने वाली **चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने में मदद** करने के लिए किया गया है।
- **LPI 2023 में देशों को व्यापार के छह आयामों** पर रैंक प्रदान किया गया है। इनमें कुछ प्रमुख आयाम हैं; सीमा शुल्क प्रदर्शन, बुनियादी ढांचा की गुणवत्ता, शिपमेंट में लगने वाला समय आदि।

## 3.10.11. नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल (मरीन) {National Logistics Portal Marine (NLPM)}

- **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय** ने NLPM का **'सागर सेतु'** मोबाइल ऐप लॉन्च किया है।
- NLPM एक **राष्ट्रीय समुद्री सिंगल विंडो मंच** है। इसमें पूर्ण **एंड-टू-एंड लॉजिस्टिक्स समाधान** शामिल हैं।
    - यह निर्यातकों, आयातकों और सेवा प्रदाताओं को **दस्तावेजों का निर्बाध रूप से आदान-प्रदान करने तथा व्यापार करने में मदद** करता है।
    - NLPM का व्यापक विज़न **सरकार से सरकार (G2G), सरकार से व्यवसाय (G2B) और व्यवसाय से व्यवसाय (B2B) मॉडल में अलग-अलग हितधारकों की आवश्यकताओं की पूर्ति** करना है।
- इसमें इकोसिस्टम में अलग-अलग **पोर्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स/टर्मिनल ऑपरेटिंग सिस्टम्स और अन्य हितधारक प्रणालियों के साथ एकीकृत** होने की क्षमता है।

## 3.10.12. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र से जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विपणन और लॉजिस्टिक्स विकास (PTP-NER) योजना {Marketing and Logistics Development for Promotion of Tribal Products from North Eastern Region (PTP-NER)}

- PTP-NER योजना **जनजातीय कार्य मंत्रालय** ने शुरू की है। यह एक **केंद्रीय क्षेत्रक** की योजना है। इसे **उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों** के लाभ के लिए आरंभ किया गया है।
- यह योजना इनक्यूबेशन-समर्थन, एकत्रीकरण, कौशल एवं उद्यमशीलता विकास, विपणन, परिवहन आदि के माध्यम से **बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज** के जरिए जनजातीय शिल्पियों की सहायता करेगी।
- जनजातीय शिल्पियों का चयन **सीधे या जनजातीय शिल्पी मेलों (TAMs)** के माध्यम से किया जाएगा।
- **साझेदार:** उत्तर-पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम (NEHHDC), भारतीय डाक तथा उत्तर-पूर्वी राज्य की सरकारों के विभाग/ एजेंसियां।

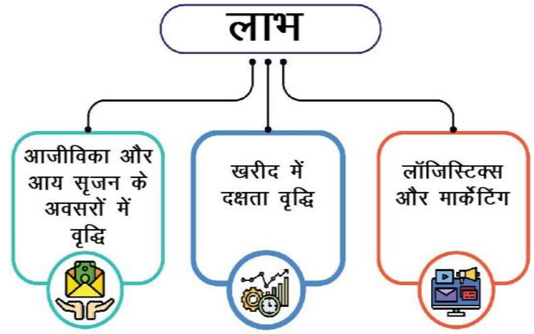

## 3.10.13. डकार घोषणा-पत्र (Dakar Declaration)

- हाल ही में, **सड़क सुरक्षा के लिए वैश्विक योजना को लागू करने पर प्रथम अफ्रीकी उप-क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन** किया गया था। इस सम्मेलन के बाद **21 अफ्रीकी देशों ने डकार घोषणा-पत्र को सैद्धांतिक रूप से अपनाया है।**
- यह एक मार्गदर्शक दस्तावेज है, जो **सड़क सुरक्षा के लिए कार्रवाई के दशक 2021-2030** के कार्यान्वयन का समर्थन करता है।
    - इसके तहत **2030 तक सड़क यातायात में होने वाली मौतों और चोटों में कम-से-कम 50 प्रतिशत तक की कमी करने** का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

## 3.10.14. राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति, 2023 (National Devices Policy, 2023)

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति, 2023 को मंजूरी दी
- **राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति के निम्नलिखित लक्ष्य हैं:**
    - भारत को अगले 25 वर्षों में **चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण और नवाचार में विश्व में अग्रणी देश** बनाना है।
    - वर्ष 2030 तक चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को वर्तमान 11 बिलियन डॉलर से **बढ़ाकर 50 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने में मदद** करना है।
    - चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के **व्यवस्थित विकास में मदद** करना है। इससे **लोक स्वास्थ्य के 'पहुंच, वहनीयता, गुणवत्ता और नवाचार' से संबंधित उद्देश्यों की पूर्ती** हो सकेगी।
- **राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति, 2023 का महत्व:**
    - **भविष्य की महामारियों के खिलाफ पहले से तैयार रहने में मदद** मिलेगी।
    - **नवाचार और उद्यमशीलता** को बढ़ावा मिलेगा।
    - **स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रक** को मजबूत किया जा सकेगा और उपचार की लागत में कमी आएगी।
    - **रोजगार के अवसर** पैदा करने में मदद मिलेगी।
- **राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति, 2023 की मुख्य विशेषताएं:**
    - **चिकित्सा उपकरण क्षेत्र,** एक सनराइज सेक्टर (उभरता हुआ क्षेत्रक) है। इस नीति के तहत **नीतिगत उपायों के लिए निम्नलिखित छः व्यापक क्षेत्रकों** को शामिल किया गया है:

| | |
|---|---|
| **विनियामकीय तंत्र को सुव्यवस्थित करना** | • इसके तहत लाइसेंसिंग के लिए **सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम का निर्माण किया जाएगा; BIS जैसे भारतीय मानकों की भूमिका बढ़ाई जाएगी तथा एक सुसंगत मूल्य निर्धारण विनियमन** तैयार किया जाएगा। |
| **सक्षमकारी बुनियादी ढांचा** | • **आर्थिक क्षेत्र (Economic zones)** के निकट विश्व स्तरीय सामान्य बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित **बड़े चिकित्सा उपकरण पार्क्स और क्लस्टर्स की स्थापना** की जाएगी और उन्हें मजबूती प्रदान की जाएगी। |
| **अनुसंधान एवं विकास (R&D) तथा नवाचार में सहायता करना** | • इसके तहत **अकादमिक और शोध संस्थानों में उत्कृष्टता केंद्र** स्थापित किए जाएंगे। साथ ही, **नवाचार केंद्रों और 'प्लग एंड प्ले' अवसंरचनाओं की भी स्थापना की जाएगी तथा स्टार्ट-अप्स को समर्थन** दिया जाएगा। |
| **चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना** | • इसके तहत **निजी निवेश, उद्यम पूंजीपतियों से निरंतर वित्त-पोषण और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)** को बढ़ावा दिया जाएगा। |
| **मानव संसाधन विकास** | • चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में पेशेवरों के कौशल विकास, पुनर्कौशल विकास तथा कौशल उन्नयन के लिए कौशल **विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में उपलब्ध संसाधनों का लाभ** उठाया जाएगा।<br>• **विदेशी अकादमिक/उद्योग संगठनों के साथ साझेदारी विकसित की जाएगी।**<br>• मौजूदा संस्थानों में चिकित्सा उपकरणों के प्रति समर्पित **बहु-विषयक पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे।** |
| **ब्रांड पोजिशनिंग और जागरूकता सृजन** | • चिकित्सा उपकरण क्षेत्रक के लिए **एक समर्पित निर्यात संवर्धन परिषद** स्थापित की जाएगी।<br>• विनिर्माण और कौशल विकास के लिए **सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं से सीखने पर बल** दिया जाएगा। |

## 3.10.15. साथी (सीड ट्रेसेब्लिटी, ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री: साथी/SATHI) पोर्टल {Sathi (Seed Traceability, Authentication and Holistic Inventory) Portal}

- **कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (MoA&FW) ने साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया**
- साथी (सीड ट्रेसेब्लिटी, ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री: साथी/SATHI) पोर्टल और मोबाइल ऐप एक **केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रणाली** है। यह प्रणाली **बीजों की ट्रेसेब्लिटी, प्रमाणीकरण और इन्वेंट्री** पर केंद्रित है। इसे **बीज उत्पादन, गुणवत्तापूर्ण बीज की पहचान और बीज प्रमाणन की चुनौतियों से निपटने के लिए** डिज़ाइन किया गया है।
  - इसके अंतर्गत **QR कोड प्रणाली के माध्यम से बीजों की प्रामाणिकता का पता** लगाया जा सकता है।
  - यह पोर्टल **राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने MoA&FW** के सहयोग से विकसित किया है। इसका विकास **'उत्तम बीज- समृद्ध किसान'** की थीम पर किया गया है।
  - इसमें **बीज श्रृंखला के अग्रलिखित एकीकृत 7 वर्टिकल शामिल होंगे-** अनुसंधान संगठन, बीज प्रमाणन, बीज लाइसेंसिंग, बीज सूची, डीलर से किसान को बिक्री, किसान पंजीकरण और बीज प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)।

- **बीज प्रमाणन, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की निरंतर आपूर्ति को बनाए रखने और उन्हें आम जनता को उपलब्ध कराने के लिए** तैयार की गई एक प्रक्रिया है।
  - वैध प्रमाणीकरण वाले बीज **केवल वैध लाइसेंस प्राप्त डीलरों द्वारा ही केंद्रीय रूप से पंजीकृत किसानों को बेचे जा सकते हैं।** ऐसे किसान सीधे अपने पूर्व-सत्यापित बैंक खातों में DBT के माध्यम से सब्सिडी प्राप्त करेंगे।
- भारत में, **बीज प्रमाणीकरण को कानूनी दर्जा, बीज अधिनियम, 1966** द्वारा दिया गया था। भारत में **बीज प्रमाणन स्वैच्छिक है, लेकिन इसकी लेबलिंग अनिवार्य है।**
  - भारत में **किसानों के लिए गुणवत्तापूर्ण बीज तथा रोपण सामग्री की उपलब्धता** सुनिश्चित करने हेतु **पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (PPV&FR) प्राधिकरण** की स्थापना की गई है। इस प्राधिकरण को **PPV&FR अधिनियम, 2001** के तहत स्थापित किया गया है।

## 3.10.16. मिलेट्स और अन्य प्राचीन अनाजों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पहल (Millets and OtHer Ancient Grains International ReSearcH Initiative: MAHARISHI/ महर्षि)

- G-20 के **"कृषि क्षेत्रक के प्रमुख वैज्ञानिकों की बैठक" के दौरान** अलग-अलग प्रतिभागियों ने **"स्वस्थ लोग और ग्रह के लिए सतत कृषि एवं खाद्य प्रणाली"** हेतु सर्वसम्मति से **महर्षि पहल** के शुभारंभ का समर्थन किया।
  - इसका **सचिवालय भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान (IIMR), हैदराबाद** में स्थापित किया जाएगा। इसमें ICRISAT, CGIAR केंद्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगे।
  - यह पहल अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 के साथ **कृषि-जैव विविधता, खाद्य सुरक्षा और पोषण के संबंध में अनुसंधान तथा जागरूकता पर ध्यान केंद्रित** करेगी।
- मिलेट्स को **पोषक अनाज या सुपर फूड** के रूप में जाना जाता है। इन्हें मुख्यतः **समशीतोष्ण, उपोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के शुष्क क्षेत्रों में सीमांत भूमि** पर उपजाया जाता है।

## 3.10.17. मिड-डे मील की दाल (Mid-Day Meal Pulses)

- हाल ही में, शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि वे **"समग्र पोषण के लिए प्रधान मंत्री की व्यापक योजना (पीएम-पोषण)" (PM-POSHAN)**[47] हेतु दालों की खरीद नेफेड (NAFED) से करें।

---

[47] Prime Minister's Overarching Scheme for Holistic Nutrition

    - भारत सरकार **नेफेड (भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड) के जरिए दालों का बफर स्टॉक** रखती है।
    - केंद्र ने यह फैसला **छात्रों के हित में इकोनॉमी ऑफ़ स्केल से होने वाले लाभ तथा आश्वासित रियायती दरों को सुनिश्चित** करने के लिए लिया है।
- हालांकि, इससे पहले 2022 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी किए गए विस्तृत दिशा-निर्देशों में **नेफेड से दालों की खरीद का कोई उल्लेख नहीं** था। 2022 के दिशा-निर्देशों के अनुसार:
    - केवल **एगमार्क गुणवत्ता चिन्ह युक्त पैकेट वाली दाल, नमक, मसाले, अन्य सामग्री और तेल** खरीदे जाएंगे।
    - **कोई भी खुली सामग्री नहीं खरीदी** जाएगी। साथ ही, सामग्री की पैकेजिंग और एक्सपायरी डेट की जांच करना आवश्यक है।
- इसके अलावा, **2019 के नियमों के अनुसार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिड-डे मील के लिए भारत सरकार द्वारा बनाए गए केंद्रीय बफर स्टॉक से अपने स्थानीय स्वाद/ प्रचलन के अनुसार दालों की खरीद** कर सकते हैं।
- नेफेड (NAFED) एक राष्ट्रीय स्तर का **किसान सहकारी विपणन संगठन** है, जो:
    - कृषि उपज के **सहकारी विपणन को बढ़ावा** देता है, और
    - दालों जैसे आवश्यक उत्पादों की **कीमतों को स्थिर** रखता है।

**पीएम-पोषण के बारे में**

- प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है। इसे पहले स्कूलों में **राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन योजना** या केवल **मध्याह्न भोजन योजना** के रूप में जाना जाता था।
    - **मध्याह्न भोजन योजना 1995** में निम्नलिखित दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शुरू की गई थी:
        - **छात्रों के नामांकन में वृद्धि करना, पढ़ाई नहीं छोड़ने को हतोत्साहित करना और स्कूलों में उपस्थिति में बढ़ोतरी** करना तथा
        - स्कूल जाने वाले बच्चों के **पोषण स्तर में सुधार** करना।
- इसके तहत **2021-22 से 2025-26** तक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में गर्म पका हुआ भोजन प्रदान किया जाएगा।
- **मंत्रालय:** शिक्षा मंत्रालय।


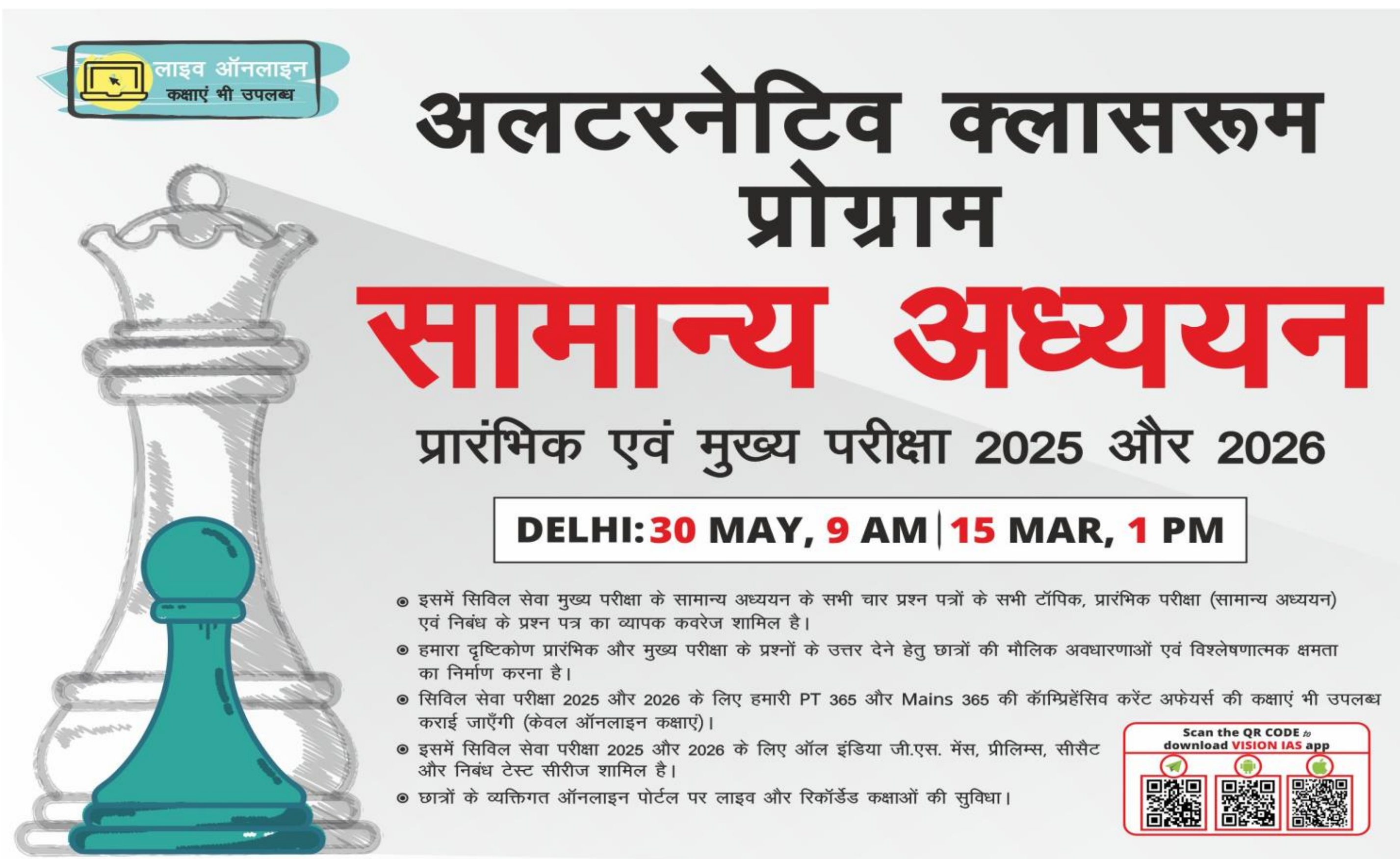

# 4. सुरक्षा (Security)

## 4.1. अंतरिक्ष का शस्त्रीकरण (Weaponization of Space)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, **भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) ने** भारतीय रक्षा अंतरिक्ष संगोष्ठी (IDSS)[48] में **अंतरिक्ष के शस्त्रीकरण** पर चर्चा की है।

**अन्य संबंधित तथ्य**

- **भारतीय अंतरिक्ष संघ (ISpA)**[49] ने भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के सहयोग से **भारतीय रक्षा अंतरिक्ष संगोष्ठी (IDSS)** का आयोजन किया था।
    - IDSS कार्यक्रम **'मिशन डेफ-स्पेस'** के तहत विचार-विमर्श का एक हिस्सा है।
- **'मिशन डेफ-स्पेस'** भारत सरकार की एक पहल है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र में रक्षा आवश्यकताओं के लिए **अभिनव समाधान** विकसित करना है।
    - इसमें **स्टार्ट-अप्स,** नवोन्मेषकों और निजी क्षेत्रक से समाधान प्राप्त करने के लिए **75 चुनौतियां** प्रस्तुत की गई हैं। इसमें **आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं दोनों के लिए समाधान** प्राप्त किए जाएंगे।
    - इन चुनौतियों को **रक्षा उत्पादन विभाग (DDP)**[50] **की मौजूदा पहलों** में वर्गीकृत किया गया है। इनमें रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (iDEX) योजना, मेक-1 और मेक-2 शामिल हैं।

**अंतरिक्ष के शस्त्रीकरण के बारे में**

- इसमें **हथियारों को अंतरिक्ष में या खगोलीय पिंड पर स्थापित करना** शामिल है। **इसके अलावा इसमें ऐसे हथियारों का विकास भी शामिल है, जो अंतरिक्ष में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने** और पृथ्वी से बाह्य स्पेक्ट्रम में लक्ष्यों को नष्ट करने में सक्षम होते हैं।

**इंडियन स्पेस एसोसिएशन (ISpA)**

**ISpA के बारे में :** यह एक शीर्ष गैर–लाभकारी उद्योग निकाय है जो भारत में विशेष रूप से निजी और सार्वजनिक अंतरिक्ष उद्योग के सफल अन्वेषण, सहयोग और विकास की दिशा में काम कर रहा है।

**उद्देश्य:**

- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना तथा नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित करना।
- अंतरिक्ष से जुड़ी गतिविधियों, जैसे– संचार, डिजाइन, विनिर्माण, प्रक्षेपण, संचालन, अनुसंधान एवं विकास आदि को प्रोत्साहित और सुविधा प्रदान करना।
- प्रचार–प्रसार और सहयोग करना।
- अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी।

**पहल:** इंडियन स्पेस कॉनक्लेव, भारतीय रक्षा अंतरिक्ष संगोष्ठी (Indian DefSpace Symposium)।

**रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (Defence Research and Development Organisation: DRDO)**

**DRDO के बारे में:** यह रक्षा मंत्रालय के अधीन एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) विंग है। इसका मुख्य विज़न अत्याधुनिक स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों एवं प्रणालियों का विकास करके राष्ट्र को सशक्त बनाना है।

**मिशन:**

- युद्धक क्षमता की प्रभावशीलता को अधिकतम करने के लिए रक्षा सेवाओं को तकनीकी समाधान प्रदान करना।
- सशस्त्र बलों को अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों और उपकरणों से सुसज्जित करना।

**प्रमुख उत्पाद / विकसित प्रणालियां:**

- अग्नि और पृथ्वी श्रृंखला की मिसाइलें; ब्रह्मोस; तेजस (हल्का लड़ाकू विमान); मल्टी बैरल राकेट लॉन्चर; आकाश (एयर डिफेंस सिस्टम); रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली की एक विस्तृत श्रृंखला, अर्जुन MK–IA (मुख्य युद्धक टैंक); आदि।
- वेरी शोर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम (VSHORADS) मिसाइल।

---

48 Indian DefSpace Symposium

49 Indian Space Association

50 Department of Defense Production

- इसमें बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (BMD) के लिए उपग्रह आधारित प्रणालियां, अंतरिक्ष आधारित एंटी-सैटेलाइट (ASAT) हथियार और अनेक प्रकार के स्पेस टू अर्थ वेपन्स (STEWs) जैसे **अंतरिक्ष हथियारों की एक पूरी श्रृंखला की तैनाती** की जा सकती है।
- **अंतरिक्ष के शस्त्रीकरण के निम्नलिखित दो सबसेट हैं:**
  - अंतरिक्ष नियंत्रण (Space control) और
  - अंतरिक्ष बल अनुप्रयोग (Space force application).

- **अंतरिक्ष के शस्त्रीकरण और अंतरिक्ष के सैन्यीकरण** का परस्पर एक-दूसरे की जगह उपयोग किया जाता है।
  - **भूमि, समुद्र और हवा पर आधारित सैन्य अभियानों** का समर्थन करने के लिए अंतरिक्ष का उपयोग करना, **अंतरिक्ष का सैन्यीकरण** कहलाता है।
  - इसमें, **सेना की जमीनी अवसंरचना की सहायता के लिए प्रारंभिक चेतावनी संचार प्रणाली, नेविगेशन, कमान और नियंत्रण जैसी परिसंपत्तियों को अंतरिक्ष में स्थापित किया** जा रहा है।

**अपने अंतरिक्ष की रक्षा की दिशा में भारत के कदम**

- मिशन शक्तिः एंटी–सैटेलाइट (**A SAT**) मिसाइल
- रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी (**DSA**): यह भारतीय रक्षा बलों की त्रि–सेवा एजेंसी है।
- रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी (**DSRA**): यह एजेंसी अंतरिक्ष युद्ध हथियार प्रणाली और प्रौद्योगिकियों का सृजन कर रही है।
- नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलशन (**NavIC**): यह भारत सहित इसकी सीमा के परे 1,500 कि.मी. के क्षेत्र को कवर करता है।
- इंडस्पेसएक्सः कृत्रिम अंतरिक्ष युद्ध–अभ्यास।

**शब्दावली को जानें**

- **केसलर सिंड्रोम (Kessler Syndrome) एक ऐसी परिघटना है जिसमें पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में कचरे की मात्रा उस बिंदु तक पहुंच जाती है जहां यह अधिक से अधिक अंतरिक्ष कचरे का निर्माण करता है। इससे उपग्रहों, अंतरिक्ष यात्रियों और मिशन योजनाकारों के लिए बड़ी समस्याएं पैदा होती हैं।**

**अंतरिक्ष के शस्त्रीकरण के पीछे उत्तरदायी कारक**

- **अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की रक्षा करना:** अन्य देशों के **एंटी-सैटेलाइट (ASAT) मिसाइल** या अंतरिक्ष आधारित हथियारों से अंतरिक्ष में अपने **उपग्रहों** की रक्षा करना जरूरी है। इसके लिए कई देश अंतरिक्ष के शस्त्रीकरण का विकल्प अपना रहे हैं।
- **युद्धक क्षमताओं में वृद्धि करना:** अंतरिक्ष-आधारित परिसंपत्तियां (जैसे उपग्रह निगरानी, संचार प्रणाली और नेविगेशन प्रौद्योगिकियां) भूमि, समुद्र तथा हवा आधारित सैन्य अभियानों की क्षमताओं में काफी सुधार लाती हैं। इससे अंतरिक्ष आधुनिक युद्ध और सामरिक योजना में एक महत्वपूर्ण घटक बन जाता है।
- **बाह्य अंतरिक्ष भू-राजनीति:** चीन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश युद्ध के चौथे आयाम (अंतरिक्ष) पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
  - महाशक्ति (Superpower) के दर्जे को प्राप्त करने के लिए अमेरिका और चीन के बीच जारी प्रतिद्वंद्विता के कारण **चीन ने 2007 में एंटी सैटेलाइट का सफलतापूर्वक परीक्षण** किया था। इससे भारत में सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ गई थीं।
  - **मिशन शक्ति** के अंतर्गत भारत ने 2019 में एंटी-सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। इसी के साथ **संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद एंटी-सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण करने वाला भारत चौथा देश बन गया है।**
- **मौजूदा संधियां अपर्याप्त हैं:** बाह्य अंतरिक्ष संधि (OTS) स्पष्ट रूप से अंतरिक्ष में सामूहिक विनाश के हथियारों की तैनाती को प्रतिबंधित करती है। इसमें गैर-सामूहिक विनाश के हथियारों (WMD) जैसे- जैसे काउंटर-स्पेस संबंधी क्षमताओं को लेकर कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं।
  - इस तरह की चूक अंतरिक्ष के शस्त्रीकरण से संबंधित **अंतर्राष्ट्रीय विनियमन में एक संभावित कमी का कारण बनती है।**

**अंतरिक्ष शस्त्रीकरण के प्रभाव**

- **अंतरिक्ष के मलबे में वृद्धि:** बाह्य अंतरिक्ष में मिसाइलों को नष्ट कर देने वाले हथियारों से बहुत बड़ा खतरा पैदा होता है, क्योंकि इनसे बड़ी मात्रा में मलबा उत्पन्न होता है। यह **केस्लर सिंड्रोम** को ट्रिगर कर सकता है।

- इससे **अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS)**[53] पर मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों को भी खतरा हो सकता है।
    - ISS **यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कनाडा और जापान के बीच एक सहयोगात्मक कार्यक्रम** है। यह कार्यक्रम **निम्न भू-कक्षा** में स्थायी रूप से स्थापित अंतरिक्ष स्टेशन के संयुक्त विकास, संचालन और उपयोग के लिए तैयार किया गया है।
- **पहले से ही कम उपलब्ध रेडियो आवृत्तियों और कक्षीय स्लॉट को और अधिक संकीर्ण करना:** कक्षीय स्लॉट पर एकाधिकार या सुरक्षा के उद्देश्यों से सैन्य उपग्रह कक्षीय स्लॉट एवं रेडियो आवृत्तियों के गैर-प्रकटीकरण से रेडियो आवृत्तियों तथा कक्षीय स्लॉट की उपलब्धता और कम हो सकती है।
    - यह अवरोध **वाणिज्यिक अंतरिक्ष उद्यमियों के लिए गतिविधियों के दायरे को सीमित** करता है।
- **अंतरिक्ष में शस्त्रों की स्पर्धा को सक्रिय करेगा:** अंतरिक्ष के शस्त्रीकरण के चलते राष्ट्रों के बीच अनिश्चितता, संदेह, गलत अनुमान, प्रतिस्पर्धा और आक्रामक तैनाती का माहौल बनता है। यह अंततः अंतरिक्ष में हथियारों की एक स्पर्धा को जन्म दे सकता है।
    - वर्ष 2019 में **अमेरिका** ने अंतरिक्ष अभियानों और रक्षा क्षेत्र पर केंद्रित अमेरिकी सेना की एक अलग शाखा के रूप में **यू.एस. स्पेस फोर्स** बनाई थी।
    - **रूस नूडोल प्रणाली (Nudol system)** जैसे भूमि स्तरीय एंटी सैटेलाइट हथियारों पर काम कर रहा है। इस प्रणाली को निम्न भू-कक्षा में उपग्रहों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- **महत्वपूर्ण अवसंरचना को प्रभावित करना:** उपग्रह पृथ्वी की महत्वपूर्ण अवसंरचना के अलग-अलग पहलुओं का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे- संचार नेटवर्क, मौसम पूर्वानुमान, नेविगेशन प्रणाली और आपदा प्रबंधन।
- **बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण अन्वेषण पर प्रभाव:** बाह्य अंतरिक्ष में हथियार रखने से उस क्षेत्र का युद्ध क्षेत्र में बदलने का खतरा बढ़ जाता है। इससे बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण और अनुसंधान गतिविधियों पर प्रभाव पड़ सकता है।

**शस्त्रीकरण को नियंत्रित करने के लिए किए गए वैश्विक प्रयास**

- **बाह्य अंतरिक्ष संधि (1967):** बाह्य अंतरिक्ष में सामूहिक विनाश के हथियारों (WMD)[51] की तैनाती को प्रतिबंधित करता है। साथ ही, खगोलीय पिंडों पर सैन्य गतिविधियों को भी निषिद्ध करता है और अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण अन्वेषण एवं उपयोग को नियंत्रित करने वाले कानूनी रूप से बाध्यकारी नियमों को प्रस्तुत करता है।
- **आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि (1963):** संधि के तहत वायुमंडल में, बाह्य अंतरिक्ष में और जल में परमाणु हथियार के परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाया गया है।
- **बाह्य अंतरिक्ष में शस्त्रों की स्पर्धा की रोकथाम (PAROS):** अंतरिक्ष का उपयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करना, शस्त्रों की स्पर्धा से बचना आदि।
- **अन्य: बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती की रोकथाम और खतरे (PPWT)**[52] पर चीन-रूस प्रस्ताव, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के 'कोड' तथा अमेरिका के आर्टेमिस समझौते में अंतरिक्ष में हथियारों की स्पर्धा रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

**अंतरिक्ष के शस्त्रीकरण को रोकने के लिए आगे की राह**

- **अंटार्कटिका की तरह अंतरिक्ष को भी ग्लोबल कॉमन के रूप में मानना:** अंटार्कटिका के समान, अंतरिक्ष के भी एक ग्लोबल कॉमन के रूप में उपयोग करने के महत्त्व पर जोर देना चाहिए। यह इस विचार को बढ़ावा देता है कि अंतरिक्ष का उपयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए और सभी देशों के हित में किया जाना चाहिए।
    - यह दृष्टिकोण **अंतरिक्ष संसाधनों के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से उपयोग को प्रोत्साहित** करता है। साथ ही, अंतरिक्ष के शस्त्रीकरण और सैन्यीकरण को हतोत्साहित करता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय कानूनी फ्रेमवर्क को बाध्यकारी बनाने की आवश्यकता:** विनियमन और निगरानी के माध्यम से अंतरिक्ष के शस्त्रीकरण के समाधान के लिए एक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय कानूनी फ्रेमवर्क की आवश्यकता है।
- **समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग:** अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए कम औपचारिक "आचार संहिता" स्थापित करने हेतु समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। यदि सभी सरकारें इसमें भाग नहीं लेती हैं, तो भी जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार को बढ़ावा देना चाहिए।
- **प्रतिरोधक उद्देश्य के लिए दोहरे उपयोग वाले प्लेटफॉर्म्स विकसित करना:** ऐसे प्लेटफॉर्म्स विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो असैन्य और सैन्य दोनों उद्देश्यों की पूर्ति करते हों। इसमें प्रतिरोधक उद्देश्यों के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को शामिल करने पर भी जोर दिया गया है।
- **सुरक्षित उपग्रह-समर्थित संचार:** क्वांटम कुंजी वितरण (QKD) प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उपग्रह-समर्थित संचार की सुरक्षा को बढ़ाना। यह परमाणु और उप-परमाणु स्तरों पर सुरक्षित संचार सुनिश्चित करने के लिए क्वांटम भौतिकी के नियमों का उपयोग करता है।

---

[51] Weapons of Mass Destruction

[52] Prevention of Placement of Weapons in Outer Space and Threat

[53] International Space Station

- **अंतरिक्ष-आधारित इंटेलिजेंस, निगरानी और पूर्व-परीक्षण (ISR)[54]:** प्रभावी खुफिया जानकारी एकत्रित करने और विश्लेषण के लिए विशेष उपकरणों की तैनाती तथा समर्पित टीमों का गठन करके अंतरिक्ष आधारित ISR क्षमताओं को मजबूत किया जाना चाहिए।

## 4.2. वामपंथी उग्रवाद (Left Wing Extremism: LWE)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में **वामपंथी उग्रवादियों द्वारा इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) के जरिए किये गए विस्फोट** से कुछ डिस्ट्रिक्ट रिज़र्व गार्ड्स (DRG) की मृत्यु हो गई।

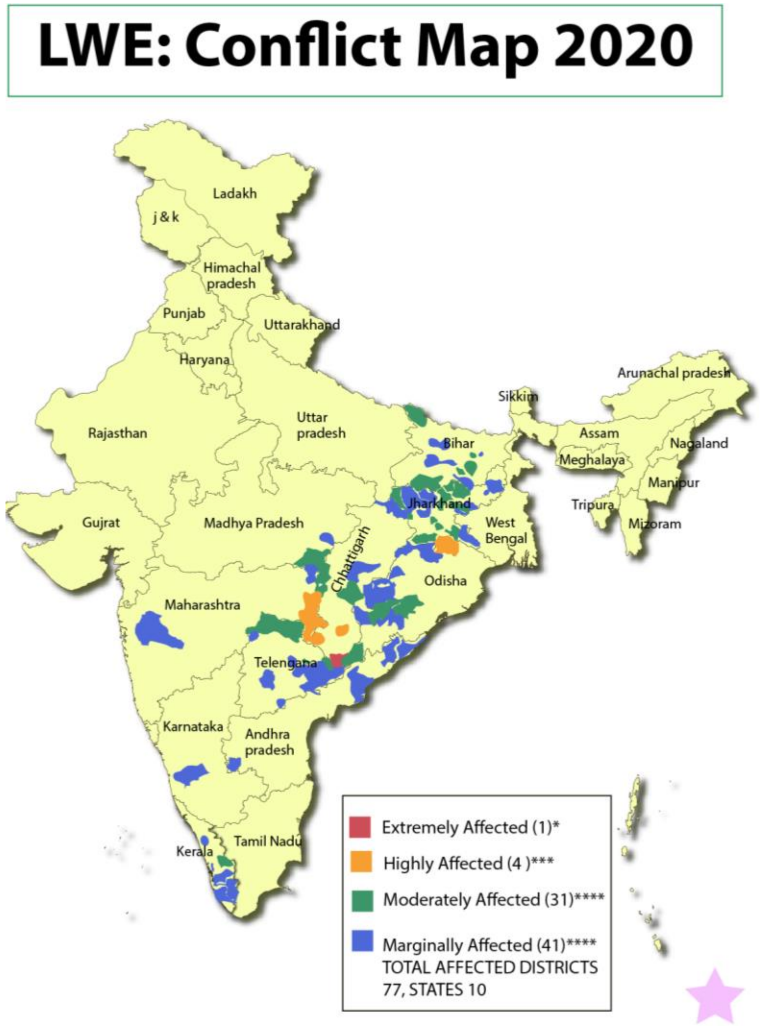


**वामपंथी उग्रवाद के बारे में**

- वामपंथी उग्रवादियों को **विश्व स्तर पर माओवादी और भारत में नक्सलियों के नाम से** जाना जाता है।
  - LWEs ऐसे व्यक्ति या समूह हैं, जो **कट्टरपंथी वामपंथी विचारधाराओं का समर्थन करते हैं** और हिंसक तरीकों से **सत्ता की स्थापित प्रणालियों को उखाड़ फेंकना चाहते हैं।**
- भारत में **नक्सलवाद की उत्पत्ति 1967 के नक्सलबाड़ी विद्रोह/आंदोलन से संबंधित है।**
- 1970 के दशक के दौरान यह आंदोलन विवादित गुटों में बंट गया था।
- आज भी **भारत के 'लाल गलियारे'** में माओवादी गुट लगातार सक्रिय हैं। इस गलियारे में **मध्य और पूर्वी राज्य, जैसे- छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरल** शामिल हैं। इन राज्यों में इनकी सक्रियता अलग-अलग स्तर की है।

**भारत में वामपंथी उग्रवाद के उद्भव के कारक**

- **शासन संबंधी कारक**
  - **कल्याणकारी योजनाओं** को प्रभावी और कुशलतापूर्ण रीति से **लागू करने में विफलता।**
  - अक्षमता, भ्रष्टाचार और शोषण के मामले में **सरकारी तंत्र का दोषपूर्ण होना।**
  - **कमजोर शासन** के चलते माओवादियों को वंचित क्षेत्रों में अपनी वैधता/ औचित्य प्राप्त करने का अवसर मिल गया।
- **सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक कारक**
  - गरीबी व असमानता **विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में वामपंथी उग्रवादियों को आगे बढ़ने में सहायता करती है।**
  - **भूमि अधिग्रहण** किसानों/ जनजातियों को विस्थापित करता है। साथ ही, यह जनजातियों में वामपंथी उग्रवाद संबंधी हिंसा बोध को बढ़ावा देता है।
  - **जनजातीय समुदायों का सांस्कृतिक अलगाव होना।** वे स्वयं को उपेक्षित और मुख्यधारा के समाज से बहिष्कृत महसूस करते हैं।
  - सड़कों, स्कूलों जैसी **आधारभूत अवसंरचना की कमी** ने दूर-दराज और अविकसित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच उपेक्षा की भावना को बढ़ाया है।
- **वंचित वर्ग की राजनीतिक उपेक्षा**
  - **राजनीतिक सुधारों** और सहभागी लोकतंत्र **की गति धीमी है।**

---

54 Intelligence, Surveillance and Reconnaissance

- उपेक्षित समुदायों, विशेष रूप से जनजातीय आबादी का **राजनीति में कम प्रतिनिधित्व है।**

**वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के लिए की गई महत्वपूर्ण पहलें**

- **वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभाग का निर्माण:** वामपंथी उग्रवाद का समग्र रूप से और प्रभावी ढंग से उन्मूलन करने के लिए 2006 में गृह मंत्रालय में वामपंथी उग्रवाद प्रभाग का गठन किया गया था।।
    - वामपंथी उग्रवाद प्रभाग, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में क्षमता निर्माण करने के उद्देश्य से **सुरक्षा संबंधी योजनाओं** को लागू करता है।

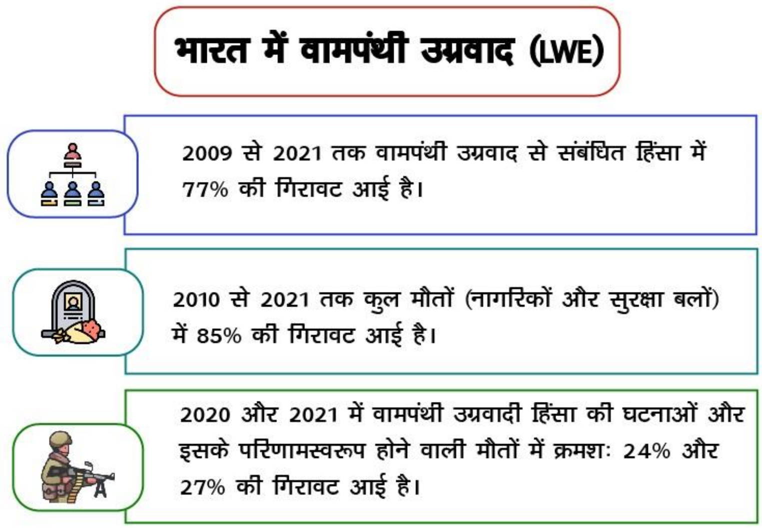


- **वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना (2015):** इस नीति में सुरक्षा संबंधी उपायों, विकास संबंधी उपायों, स्थानीय समुदायों के अधिकारों और हकदारी आदि को सुनिश्चित करने के लिए बहुआयामी रणनीति की परिकल्पना की गई है।
- **'पुलिस बलों का आधुनिकीकरण' से संबंधित अम्ब्रेला योजना की अलग-अलग उप-योजना:** इन उप-योजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:
    - **सुरक्षा संबंधी व्यय योजना:** इस योजना के अंतर्गत केंद्र प्रभावित राज्यों को प्रशिक्षण और परिचालन आवश्यकताओं से संबंधित व्यय की प्रतिपूर्ति करता है। इसके अलावा, इसमें मारे गए/ घायल नागरिकों/ सुरक्षा बलों के परिवारों को अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाता है।
    - सार्वजनिक अवसंरचना और सेवाओं में महत्वपूर्ण अंतरालों को भरने के लिए **विशेष केंद्रीय सहायता (SCA)**[55] प्रदान की जाती है, जो आकस्मिक प्रकृति की हैं।
    - **विशेष अवसंरचना योजना (Special Infrastructure Scheme: SIS):** इसके तहत सुरक्षा से संबंधित अवसंरचना को मजबूत करने के लिए राज्यों को वित्त प्रदान किया जाता है।
    - **नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम (CAP)** व्यक्तिगत वार्ता के माध्यम से **सुरक्षाबलों और स्थानीय लोगों के बीच के संपर्क अंतराल को समाप्त** करने पर केंद्रित है। साथ ही, यह स्थानीय लोगों के सामने स्पेशल फोर्स (SFs) के मानवीय चेहरे को लाता है।
- **सड़क संपर्क में सुधार करना:** रोड रिक्वायरमेंट प्लान-1 (RRP-1) एवं सड़क संपर्क परियोजना को क्रमशः सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय कार्यान्वित कर रहा है।
- **LWE से संबंधित मोबाइल टावर परियोजना:** वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए सरकार ने इन क्षेत्रों में मोबाइल टावरों की स्थापना को मंजूरी दे दी है।

2017 में, **गृह मंत्रालय द्वारा वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए 'समाधान (SAMADHAN)'** रणनीति प्रस्तुत की गई थी। इसके प्रमुख घटकनिम्नलिखित हैं:

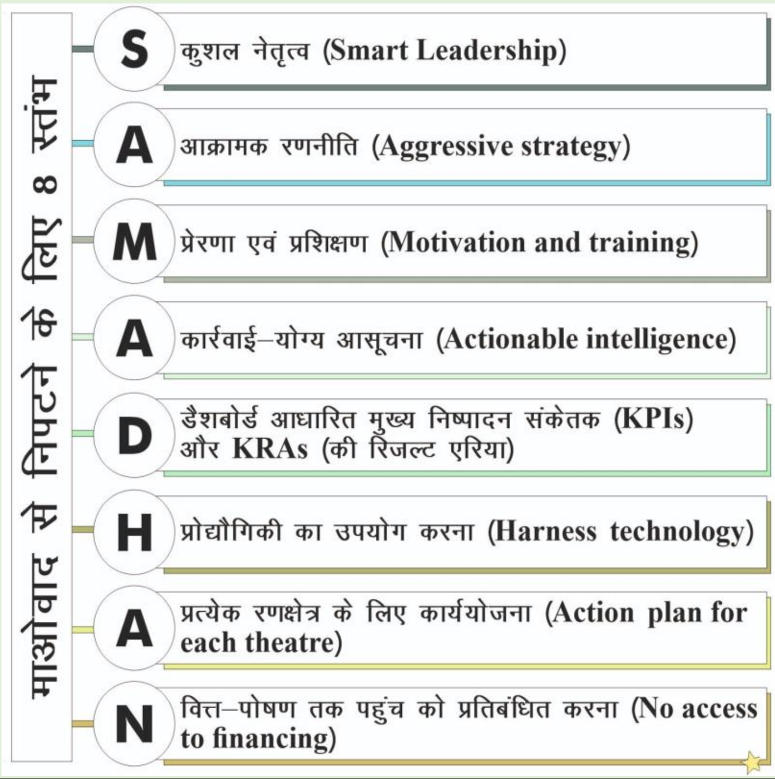


[55] Special Central Assistance

- **आकांक्षी जिला कार्यक्रम:** गृह मंत्रालय को वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 35 जिलों में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की निगरानी का कार्य सौंपा गया है।

**आगे की राह**

- **नीतिगत उपाय:** नीतिगत उपायों के लिए राज्य को सुरक्षा प्रदान करने, कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा प्रभावित क्षेत्रों में कुशल और जवाबदेह विकास सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
  - उन क्षेत्रों में उचित **सुरक्षा रणनीतियों** की आवश्यकता है, जहां नक्सली अपनी **समानांतर सरकार** चलाते हैं। जिन क्षेत्रों में **नक्सलियों की उपस्थिति कम** है, वहां विकासात्मक पहल की जा सकती है।
- **आंध्र प्रदेश मॉडल को अपनाना:** "आंध्र मॉडल" ने **आंध्र प्रदेश के प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित करने में** सराहनीय सफलता हासिल की है। कार्रवाई **विज़न आधारित, मिशन उन्मुख और आत्म-विश्वास** से निर्देशित थी। साथ ही, यह कार्रवाई **गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण, योग्यता और क्षमता विकास** के साथ विधिवत रूप से समर्थित थी।
- **माओवादियों के वित्त-पोषण को रोकना:** धन के प्रवाह को रोकने के लिए निम्नलिखित उपायों पर विचार किया जा सकता है:
  - वित्त के ज्ञात स्रोतों की **बारीकी से निगरानी** की जानी चाहिए;
  - वित्त के स्रोतों के खिलाफ **आपराधिक मामले दर्ज करने चाहिए**, चाहे उनकी सामाजिक/ आर्थिक स्थिति कुछ भी हो;
  - **अवैध खनन और इमारती लकड़ी की कटाई** पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए;
  - जबरन वसूली/ फिरौती इत्यादि का भुगतान करने वाले **सरकारी कर्मचारियों को दंडित** किया जाना चाहिए आदि।
- **समावेशिता:** सरकार को **भूमि और चुनावी सुधारों को** गंभीरता से लेने की जरूरत है। साथ ही, यह सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है कि वंचित वर्गों को **विकास की मुख्यधारा** में लाया जाए।
- **समन्वय को मजबूत करना:** राज्यों और केंद्र तथा सुरक्षाबलों के बीच समन्वय एवं सहयोग की आवश्यकता है। एक **समन्वय केंद्र, अंतर्राज्यीय समन्वय पर टास्क फोर्स और एक अंतर-मंत्रालयी समूह** का गठन किया जा सकता है। इससे **निरंतर निगरानी** की जा सकेगी और इस तरह के समन्वय को सुनिश्चित किया जा सकेगा।
- **राज्य पुलिस बलों की क्षमताओं को बढ़ाना: उग्रवाद रोधी और जंगल युद्ध प्रशिक्षण केंद्रों** की स्थापना करनी चाहिए। ये प्रशिक्षण केंद्र राज्य पुलिस बलों के **कौशल, मनोबल और परिचालन क्षमता** को मजबूत करेंगे।
  - पुलिस बलों को **नवीनतम तकनीकी साधनों और उपकरणों** से भी लैस किया जाना चाहिए।
- **आम लोगों को जोड़ना:** नक्सल विरोधी अभियानों की सफलता के लिए एक **ठोस रणनीतिक संचार अभियान** एक पूर्व शर्त है। **दूरस्थ क्षेत्रों में आम लोगों** तक पैम्फलेट, क्षेत्रीय रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रमों, नाटक व थिएटर समूहों आदि के माध्यम से पहुंचा जाना चाहिए।

## 4.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

### 4.3.1. विश्व सैन्य व्यय के रुझान (Trends in World Military Expenditure)

- **स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) ने 'विश्व सैन्य व्यय के रुझान' (Trends in World Military Expenditure) रिपोर्ट, 2022 जारी की है।**
- SIPRI **स्वीडन स्थित एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान** है। यह **संघर्ष, आयुध, शस्त्र नियंत्रण और निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में अनुसंधान** के प्रति समर्पित है।
- **रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष**
  - वर्ष 2022 में पांच सबसे बड़े सैन्य व्ययकर्ता देश थे- **संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, भारत और सऊदी अरब।** कुल वैश्विक सैन्य व्यय में इन देशों की हिस्सेदारी **63 प्रतिशत है।**
    - भारत **81.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर** के सैन्य व्यय के साथ, 2022 में विश्व का **चौथा सबसे बड़ा व्ययकर्ता था।**
  - वर्ष 2022 में कुल वैश्विक सैन्य व्यय रियल टर्म्स में **3.7 प्रतिशत बढ़कर 2240 बिलियन अमेरिकी डॉलर** के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था। यह **वैश्विक GDP का 2.2 प्रतिशत** हिस्सा है। रियल टर्म्स एक ऐसे मूल्य को संदर्भित करता है, जिसे मुद्रास्फीति के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए समायोजित किया गया है।
    - **यूक्रेन पर रूस द्वारा किया गया आक्रमण** 2022 में सैन्य व्यय में वृद्धि का एक प्रमुख कारण था।

- भारतीय सैन्य बजट में **कार्मिक व्यय (वेतन और पेंशन) सबसे बड़ा व्यय वर्ग** रहा है। यह कुल सैन्य व्यय का लगभग **50 प्रतिशत** हिस्सा है।
- **पूंजीगत परिव्यय** पर भारत का व्यय 2022 में कुल **सैन्य व्यय का 23 प्रतिशत था।**

- वित्त वर्ष 2022-23 में **भारत का रक्षा निर्यात लगभग 16,000 करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर** पर पहुंच गया है।
  - भारत ने 2025 तक **35,000 करोड़ रूपये के वार्षिक रक्षा निर्यात का लक्ष्य** निर्धारित किया है।
  - भारत के **प्रमुख निर्यात उत्पादों में** डॉर्नियर-228, 155 मि.मी. एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन्स (ATAG), ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल प्रणाली आदि शामिल हैं।
- **सरकार द्वारा रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयास**
  - **iDEX** (रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार); **मेक इन इंडिया;** पुर्जों और घटकों/ प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण/ प्रमुख प्लेटफॉर्म्स और उपकरणों के निर्यात के लिए तीन **ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस (OGEL)** की अधिसूचना आदि।

### 4.3.2. कमांड साइबर ऑपरेशंस एंड सपोर्ट विंग्स {Command Cyber Operations and Support Wings (CCOSW)}

- साइबर स्पेस संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सेना "कमांड साइबर ऑपरेशंस एंड सपोर्ट विंग्स (CCOSW)" संचालित करेगी
- **CCOSWs शत्रुओं की बढ़ती युद्ध क्षमताओं से उत्पन्न साइबर स्पेस संबंधी सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय सेना की संरचनाओं की सहायता करेगा।**
  - CCOSWs नेटवर्क्स की सुरक्षा करेगा और साइबर डोमेन में तैयारी के स्तर को बढ़ाएगा।
  - सेना विशिष्ट प्रौद्योगिकियों को अपनाने और इस क्षेत्रक में अपनी सुरक्षा क्षमता को बढ़ाने के लिए **'लीड डायरेक्टोरेट्स' तथा 'टेस्ट बेड' फॉर्मेशन** भी नामित करेगी।
- **साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा से कैसे जुड़ी हुई है?**
  - साइबर स्पेस **ग्रे-जोन वारफेयर और पारंपरिक अभियानों,** दोनों स्थितियों में सैन्य क्षेत्रक की एक आवश्यक क्षमता के रूप में उभरा है।
    - **ग्रे-जोन वारफेयर:** शांति और युद्ध के बीच के समय होने वाली गतिविधियां।
  - **कई देशों ने साइबर युद्ध से संबंधित अपनी स्वयं की रणनीतियां बनाई हैं,** जो युद्ध के मैदान में परिणामों को बदलने की क्षमता रखती हैं।
  - **शत्रु अति-महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं** जैसे कि बांध, बिजली और ऊर्जा प्रतिष्ठानों, बैंकिंग व वित्तीय सेवाओं आदि **पर साइबर हमला कर सकते हैं।**
  - प्रौद्योगिकी के उपयोग और सरकार द्वारा डिजिटल प्रणालियों को बढ़ावा देने के कारण **डिजिटल रूप से सुभेद्य प्लेटफॉर्म्स पर हमले बढ़ रहे हैं।**
- **प्रमुख चुनौतियां:**
  - भारत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए आयात पर निर्भर है;
  - अलग-अलग एजेंसियों के बीच समन्वय का अभाव है;
  - पर्याप्त अवसंरचना और प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी है;
  - अभी भी देश की बड़ी आबादी डिजिटल रूप से निरक्षर है आदि।
- **सरकार द्वारा शुरू की गई पहलें**
  - वर्ष 2013 में **राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति** घोषित की गई थी।
  - **साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए फ्रेमवर्क** अपनाया गया है।
  - **भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In) और राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC)** की स्थापना की गई है।

### 4.3.3. पहला एंटी-स्पाइवेयर घोषणा-पत्र (First Anti-Spyware Declaration)

- संयुक्त राज्य अमेरिका और 10 अन्य देशों ने **पहली बार महत्वपूर्ण एंटी-स्पाइवेयर घोषणा-पत्र** जारी किया है।
- इसके तहत **व्यावसायिक स्पाइवेयर के दुरुपयोग से पैदा होने वाले खतरों की पहचान** की जाएगी।
- यह इस तकनीक के प्रसार और उपयोग पर सख्त घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रणों के महत्त्व को रेखांकित करता है।
- **स्पाइवेयर के बारे में:**

- स्पाइवेयर एक प्रकार का **दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर या मैलवेयर** है। इसे किसी एंड यूजर्स की जानकारी के बिना किसी कंप्यूटिंग डिवाइस पर इंस्टॉल किया जा सकता है।
- यह डिवाइस पर **हमला करता है तथा संवेदनशील जानकारी और इंटरनेट उपयोग संबंधी डेटा को चुराता** है। साथ ही, इस डेटा को विज्ञापनदाताओं, डेटा कंपनियों या बाहरी यूजर्स के बीच प्रसारित कर देता है।

### 4.3.4. रैंसमवेयर रिपोर्ट, 2022 (Ransomware Report-2022)

- **भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In) ने रैंसमवेयर रिपोर्ट, 2022 जारी की है**
- CERT-In, कंप्यूटर सुरक्षा से संबंधित घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने वाली **राष्ट्रीय नोडल एजेंसी** है। यह **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय** के अधीन कार्य करती है।
- **रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष**
  - वर्ष 2021 की तुलना में 2022 में रैंसमवेयर की घटनाओं में **53 प्रतिशत की वृद्धि** हुई है।
  - इस वर्ष ऐसे हमले न केवल धन-प्राप्ति से प्रेरित रहे हैं, बल्कि **भू-राजनीतिक संघर्षों** ने भी रैंसमवेयर हमलों को बढ़ाने में योगदान किया है।

  - महत्वपूर्ण क्षेत्रकों में व्यापक रैंसमवेयर हमले हुए हैं। साथ ही, इसकी **बारम्बारता व जटिलता में भी वृद्धि** हुई है।
  - **लॉकबिट** भारत में सबसे ज्यादा **कुख्यात रैंसमवेयर** वेरिएंट था। इसके बाद **मैकोप और DJVU/स्टॉप रैंसमवेयर** का स्थान था।
    - वर्ष 2022 में **वाइस सोसाइटी और ब्लू स्काई** जैसे नए वेरिएंट देखे गए थे।
  - **सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और IT-सक्षम सेवा क्षेत्रक** रैंसमवेयर हमले से सबसे **अधिक प्रभावित क्षेत्रक** था। इसके बाद **वित्त** और **विनिर्माण क्षेत्रक** थे।
  - **रैंसमवेयर-एज-ए-सर्विस** (RaaS) इकोसिस्टम प्रमुखता प्राप्त करता जा रहा है।
  - **मैकोप और फोबोस रैंसमवेयर समूहों** ने मुख्य रूप से मध्यम एवं छोटे संगठनों को लक्षित किया है। इसके विपरीत **Djvu/स्टॉप जैसे वेरिएंट** व्यक्तियों को लक्षित करते हैं।

**संबंधित सुर्ख़ियां**

**लॉकबिट रैंसमवेयर**

- **लॉकबिट रैंसमवेयर को मैक उपकरणों को लक्षित करते हुए पाया** गया है। इस तरह यह **एप्पल कंप्यूटरों** को लक्षित करने वाला पहला प्रमुख रैंसमवेयर ऑपरेशन बन गया है।
- लॉकबिट रैंसमवेयर को लक्षित उपयोगकर्ता के **सिस्टम में घुसपैठ करने और महत्वपूर्ण फाइलों को एन्क्रिप्ट करने के लिए डिजाइन** किया गया है।
  - यह लक्षित उपयोगकर्ता की फाइल्स को एन्क्रिप्ट करते समय **फाइल एक्सटेंशन का उपयोग** करता है। इस कारण इसे **"abcd" वायरस** घोषित किया गया है।
  - यह फाइल्स को डिक्रिप्ट करने के लिए क्रिप्टोकरेंसी में भुगतान करने की मांग करता है। इस कारण **इसे "क्रिप्टो वायरस" के रूप में वर्गीकृत** किया गया है।
  - यह **रैंसमवेयर-एज-ए-सर्विस (Raas) मॉडल पर कार्य** करता है।

### 4.3.5. केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो {Central Bureau of Narcotics (CBN)}

- चिकित्सा/ वैज्ञानिक/ औद्योगिक उपयोग और कानून अनुपालन के लिए **नशीले पदार्थों की उपलब्धता के बीच संतुलन को सुविधाजनक बनाने** हेतु CBN का एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया गया है।
  - यह **दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित** करेगा। साथ ही, दवा उद्योग के लिए **व्यापार लाइसेंस प्राप्त करने में लगने वाले समय** को भी कम करेगा।
- CBN **वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत एक अधीनस्थ कार्यालय** है।

- यह अलग-अलग संयुक्त राष्ट्र अभिसमयों और नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस (NDPS) एक्ट, 1985 के प्रावधानों के दायरे में नशीले पदार्थों के **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित** है।
- **संरचना:** नारकोटिक्स आयुक्त को तीन उप-नारकोटिक्स आयुक्त सहायता प्रदान करते हैं।

### 4.3.6. प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल (Pralay Ballistic Missile)

- भारतीय सशस्त्र बलों ने 250 और **प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलें** खरीदने की योजना बनाई है।
- प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल **सतह-से-सतह पर मार करने वाली मिसाइल** है। इसे **रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने विकसित** किया है।
- इसकी **रेंज 150 से 500 किलोमीटर** है। यह एक **ठोस प्रणोदक रॉकेट मोटर** द्वारा संचालित है।
- इसकी **मिसाइल निर्देशन प्रणाली में अत्याधुनिक नेविगेशन और एकीकृत वैमानिकी** शामिल हैं।

### 4.3.7. सुर्ख़ियों में रहे अभ्यास (Exercises in News)

- **स्लिनेक्स (SLINEX)-23:** यह **भारत और श्रीलंका के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास** है।
- **अभ्यास कवच:** इसे **अंडमान और निकोबार कमान (ANC)** ने आयोजित किया है। यह **सेना, नौसेना, वायु सेना और तटरक्षक बलों** की परिसंपत्तियों से जुड़ा एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है।
- **अभ्यास कोप इंडिया 23:** यह **भारतीय वायु सेना और संयुक्त राज्य अमेरिका की वायु सेना के बीच** एक द्विपक्षीय वायु अभ्यास है।
- **अभ्यास ओरियन:** यह एक **बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास** है। इसमें **भारतीय वायु सेना और फ्रेंच एयर एंड स्पेस फाॅर्स (FASF) भाग** ले रहे हैं। इसके अलावा, इसमें **जर्मनी, ग्रीस, इटली, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन और संयुक्त राज्य अमेरिका की वायु सेनाएं** भी भाग ले रही हैं।
- **इनियोचोस-23 (INIOCHOS-23): भारतीय वायु सेना एक बहुराष्ट्रीय वायु सैन्य-अभ्यास इनियोचोस-23** में भाग लेगी। इसे **ग्रीस वायु सेना** द्वारा आयोजित किया जा रहा है।

# 5. पर्यावरण (Environment)

## 5.1. प्रोजेक्ट टाइगर (Project Tiger)

### सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने मैसूरु (कर्नाटक) में **"प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने का स्मरणोत्सव[56]"** कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

### अन्य संबंधित तथ्य

- इस कार्यक्रम के दौरान भारत ने **इंटरनेशनल बिग कैट्स एलायंस (IBCA)** का भी शुभारंभ किया।
- इस कार्यक्रम के दौरान **निम्नलिखित दस्तावेज भी जारी किए गए हैं:**
  - **बाघ संरक्षण के लिए अमृत काल का विजन;**
  - टाइगर रिजर्व के **प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन (MME)[57]** के 5वें चक्र की **सारांश रिपोर्ट;** तथा
  - **अखिल भारतीय बाघ अनुमान** के 5वें चक्र की **सारांश रिपोर्ट।**
- MEE वस्तुतः संरक्षित क्षेत्रों की प्रबंधन संबंधी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने वाला एक वैश्विक फ्रेमवर्क है। यह **मूल्यांकन 6 मुख्य श्रेणियों-** संदर्भ, नियोजन, आउटपुट, इनपुट, प्रक्रिया और परिणाम[58] के आधार पर किया जाता है।

**इंटरनेशनल बिग कैट्स एलायंस (IBCA) के बारे में**

- **उत्पत्ति:** इसे पहली बार भारत ने 2019 में **"शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समूह"** के रूप में प्रस्तावित किया था।
- **उद्देश्य:** IBCA को सात **बड़े विडाल वंशियों** (बिग कैट्स), यथा- **बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर** और **प्यूमा** के संरक्षण के लिए लॉन्च किया गया है।
  - इसका लक्ष्य उपर्युक्त सात प्रजातियों के प्राकृतिक पर्यावास वाले **97 देशों को परस्पर सहयोग के लिए एक मंच पर एकजुट करना** है।
- **समय-सीमा:** यह 800 करोड़ रुपये से अधिक की गारंटीकृत धनराशि के साथ **पांच वर्षों के लिए सुनिश्चित समर्थन** प्रदान करेगा।

### प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में

- प्रोजेक्ट टाइगर को **1973** में शुरू किया गया था। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) के तहत एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है।
  - प्रारंभ में प्रोजेक्ट टाइगर को भारत के अलग-अलग राज्यों के 9 टाइगर रिजर्व में शुरू किया गया था।
  - इस प्रोजेक्ट के तहत शामिल टाइगर रिजर्व में बाघों के **स्व-स्थाने (इन-सिटू) संरक्षण** हेतु बाघों के प्राकृतिक पर्यावास वाले राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।
- **उद्देश्य:** वैज्ञानिक, आर्थिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक मूल्यों के लिए भारत में **बाघों की सार्थक आबादी** को बनाए रखना।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** इसके लिए **राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA)** कार्यान्वयन एजेंसी है। यह एक वैधानिक निकाय है।
  - इसका कार्य व्यापक पर्यवेक्षण करना/ समन्वय की भूमिका निभाना और राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई बाघ संरक्षण योजना को मंजूरी देना है।
- **वित्त-पोषण व्यवस्था:** केंद्र सरकार राज्यों को सभी अनियमित मदों (Non-recurring items) और नियमित मदों (Recurring items) पर व्यय के लिए क्रमशः 60% और 50% की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

**प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन (MEE) रूपरेखा, 2022 के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर**

- **MEE-TR (टाइगर रिजर्व) असेसमेंट-2018** के चौथे चक्र में औसत MEE स्कोर 70% था; जो 5वें चक्र में बढ़कर 77.92% हो गया। यह 8% की **समग्र वृद्धि** दर्शाता है।
- मूल्यांकन किए गए 51 टाइगर रिजर्व में से **पेरियार टाइगर रिजर्व (PTR)** का MEE स्कोर 94.38% था, जिससे यह सूची में शीर्ष पर रहा।
- **सतपुड़ा** टाइगर रिजर्व और **बांदीपुर** टाइगर रिजर्व दूसरे (93.18% स्कोर) स्थान पर तथा **नागरहोल** टाइगर रिजर्व तीसरे (92.42% स्कोर) स्थान पर रहे।
- कोई भी टाइगर रिजर्व "ख़राब (Poor) श्रेणी" में नहीं है।

---

[56] Commemoration of 50 years of Project Tiger

[57] Management Effectiveness Evaluation

[58] Context, Planning, Output, Input, Process and Outcomes

 ©Vision IAS

○ पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को दोनों प्रकार के मदों के लिए 90% केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

- **प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शुरू की गई अलग-अलग गतिविधियां:**
  - **नए टाइगर रिजर्व की स्थापना और विकास:** वर्तमान में भारत में 53 टाइगर रिजर्व हैं जो भारत के कुल भू-क्षेत्र के 2.3% हिस्से में फैले हुए हैं।
  - **टाइगर रिजर्व के लिए कोर-बफर रणनीति:** टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्रों में सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियों को प्रतिबंधित रखा गया है। टाइगर रिजर्व से संबंधित बफर और सीमांत क्षेत्रों में लैंडस्केप एप्रोच के साथ मानव-वन्यजीव के बीच सह-अस्तित्व की कार्ययोजना को अपनाया जाता है।
  - NTCA ने टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में किसी भी प्रकार के नए निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है।
  - NTCA बाघों के आकलन के लिए **M-STrIPES (मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव-प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस) (M-STrIPES)**[59] **एप्लिकेशन** का उपयोग करता है। इसके तहत GPS का उपयोग करके बाघों के फोटो को जियो टैग किया जाता है।
  - टाइगर रिजर्व की **निष्पक्ष निगरानी** और मूल्यांकन के लिए **प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन** (MEE) फ्रेमवर्क तैयार किया गया है।
  - कई टाइगर रिजर्व में अवैध शिकार को रोकने वाले कार्यों को पूरा करने के लिए **विशेष बाघ संरक्षण बल** (STPF)[60] तैनात किए गए हैं।
  - **तकनीकी प्रगति: ई-बर्ड (E-Bird) परियोजना** के तहत पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए मानव रहित हवाई वाहन (UAV) का उपयोग किया जाता है।

**अखिल भारतीय बाघ अनुमान के 5वें चक्र की रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर**

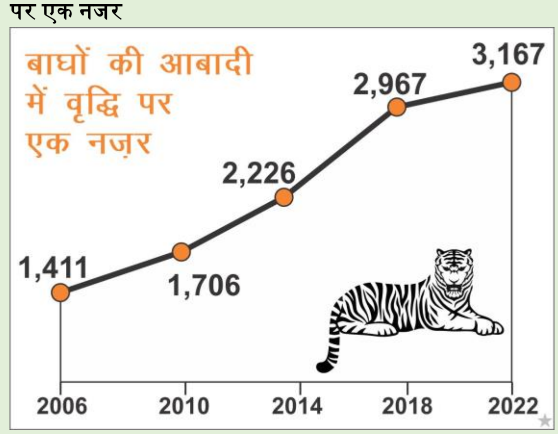


- भारत में बाघों की संख्या 3,167 है।
- **2018 की गणना की तुलना में 2022 में बाघों की संख्या में 200 की वृद्धि हुई** (6.7% वृद्धि दर) है।
- **मध्य भारतीय उच्च भूमि और पूर्वी घाट** में बाघों की अधिकतम संख्या (1,161) दर्ज की गई है।
- पश्चिमी घाट के **नीलगिरी क्लस्टर** (नागराहोल से बिलिगिरीरंगा हिल्स) में दुनिया की सर्वाधिक बाघ आबादी पाई जाती है।

## राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण
## (National Tiger Conservation Authority: NTCA)

मुख्यालय: नई दिल्ली

**उत्पत्तिः** इसकी स्थापना दिसंबर 2005 में हुई थी। वर्ष 2006 में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन कर NTCA को सांविधिक निकाय का रूप दिया गया।

**मंत्रालयः** पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय।

**उद्देश्यः**

- प्रोजेक्ट टाइगर को **सांविधिक प्राधिकार या मान्यता** प्रदान करना।
- हमारे संघीय ढांचे के भीतर राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन के लिए आधार प्रदान करके टाइगर रिजर्व के प्रबंधन में केंद्र–राज्य की जवाबदेही को बढ़ावा देना।
- बाघ संरक्षण की दिशा में संसदीय निरीक्षण सुनिश्चित करना।
- टाइगर रिजर्व के आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों की आजीविका से जुड़े हितों का समाधान करना।

**अन्य महत्वपूर्ण जानकारीः**

- यह टाइगर रिजर्व के संचालन की वार्षिक योजना बनाता है।
- इसके द्वारा **अखिल भारतीय बाघ आकलन** किया जाता है।
- इसने 2019 में कैमरा–ट्रैप आधारित सबसे बड़ा वन्यजीव सर्वेक्षण अभियान संचालित किया था, जो कि एक गिनीज बुक रिकॉर्ड है।

---

[59] Monitoring System for Tigers Intensive-Protection & Ecological Status

[60] Special Tiger Protection Force

- **भारत में बाघों की आबादी में वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक:**
    - **संरक्षण के प्रयास:** प्रोजेक्ट टाइगर; वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972; एवं सरकार द्वारा शुरू की गई अन्य संरक्षण पहलों की वजह से बाघों की संख्या बढ़ाने में मदद मिली है।
    - **अवैध शिकार पर नियंत्रण:** वन विभाग बाघों के संरक्षण हेतु अत्यधिक सतर्कता से कार्य कर रहा है।
    - **मानव-वन्यजीव संघर्ष में कमी:** कई गांवों को **कोर क्षेत्रों** के बाहर पुनः बसाने के कारण बाघों के लिए अधिक सुरक्षित स्थान उपलब्ध हुए हैं।
    - **पर्यावास का पुनरुद्धार: सरिस्का टाइगर रिजर्व** में, जहां कभी एक भी बाघ शेष नहीं बचा था, बाघों के पर्यावास का पुनरुद्धार करने एवं उन्हें फिर से बसाने के प्रयास किए गए हैं।
- **बाघों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास:**
    - **ग्लोबल टाइगर फोरम, 1993:** इस फोरम की स्थापना विशेष रूप से बाघों के प्राकृतिक पर्यावास वाले देशों में वन्य बाघों के संरक्षण के लिए की गई है।
    - **ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव (GT), 2008:** यह बाघों के संरक्षण के लिए सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, नागरिक समाज और निजी क्षेत्रक का एक वैश्विक गठबंधन है।
    - **सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा-पत्र, 2010:** इसके तहत 2022 तक बाघों की संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। भारत ने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया है।
    - **अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस:** बाघ संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए हर साल **29 जुलाई** को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है।
    - **कंजर्वेशन एश्योर्ड | टाइगर स्टैंडर्ड्स (CA|TS) फ्रेमवर्क, 2013:** इसे यह पता लगाने के लिए अपनाया गया है कि क्या संरक्षित क्षेत्रों की प्रबंधन नीतियों से बाघों का सफल संरक्षण हो रहा है।
    - **द्विपक्षीय सहयोग/ समझौता-ज्ञापन:** इसके तहत बाघों के प्राकृतिक पर्यावास वाले देश, जैसे- भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार आदि आपस में सहयोग कर रहे हैं।

**बाघ संरक्षण में चुनौतियां**

- **पर्यावास और बाघों का आहार बनने वाली प्रजातियों (Prey species) की संख्या में गिरावट: बाघों के प्राकृतिक पर्यावास** वाले राज्यों के लगभग **चार लाख वर्ग किलोमीटर** वन क्षेत्रों में से **केवल एक-तिहाई ही बेहतर स्थिति में है।**

**भारतीय बाघ या रॉयल बंगाल टाइगर (Panthera Tigris) के बारे में**

- यह भारत की एक प्रमुख प्रजाति (Flagship Species) है। इसे भारत का **राष्ट्रीय पशु** घोषित किया गया है।
- **पर्यावास:** बाघों की सर्वाधिक आबादी भारत में पाई जाती है। साथ ही, इनकी कुछ आबादी बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार में भी पाई जाती है।
    - बाघों की 75% से अधिक वैश्विक आबादी भारत में पाई जाती है।
- **भारत में बाघों की आबादी का वितरण:** इनके प्राकृतिक पर्यावास में हिमालयी क्षेत्र, मैंग्रोव दलदल, लंबी घास वाले मैदान, शुष्क और आर्द्र पर्णपाती वन के साथ-साथ सदाबहार एवं शोला वन शामिल हैं।
- **बाघ संरक्षण का महत्व:**
    - **पारिस्थितिक दृष्टिकोण से महत्व:** यह **अम्ब्रेला प्रजाति** और **कीस्टोन प्रजाति,** दोनों है।
        - **कीस्टोन प्रजाति:** कीस्टोन प्रजाति अपने पर्यावास के संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को व्यापक पैमाने पर प्रभावित करती है। कीस्टोन प्रजाति की अनुपस्थिति में एक पारिस्थितिक तंत्र या तो पूरी तरह से बदल जाता है या फिर वह नष्ट हो जाता है।
        - **अम्ब्रेला प्रजाति:** अम्ब्रेला प्रजाति और कीस्टोन प्रजाति को आम तौर पर एक ही माना जाता है। हालांकि दोनों के बीच मुख्य अंतर यह है कि अम्ब्रेला प्रजाति के प्राकृतिक पर्यावास क्षेत्र काफी विस्तृत होते हैं। अम्ब्रेला प्रजाति में मुख्यतः दूर-दूर तक प्रवास करने वाले प्राणी शामिल होते हैं जो अपने प्रवास के दौरान आस-पास के लैंडस्केप को प्रभावित करते चलते हैं। इस प्रकार अम्ब्रेला प्रजाति का प्रभाव कई पर्यावासों पर पड़ता है।
    - **आर्थिक:** बाघ पारिस्थितिक तंत्र के साथ-साथ संबंधित उद्योग (जैसे- पर्यटन) को भी लाभ पहुंचाते हैं।
    - **सांस्कृतिक और आध्यात्मिक:** ये आत्म-बल, क्षमता और सुंदरता के प्रतीक हैं।
- **विशेषताएं:**
    - बाघ **एकांत प्रिय** एवं **अपने क्षेत्र** में रहने वाला प्राणी है। एक वयस्क नर बाघ के क्षेत्र में दो से सात बाघिनों के क्षेत्र शामिल हो सकते हैं।
    - प्रत्येक बाघ की **धारियां** मानव उंगलियों के निशान की तरह अलग-अलग होती हैं।

- **मानव-वन्यजीव संघर्ष:** ये घटनाएं मुख्यतः सड़क, राजमार्ग जैसी अवसंरचनाओं और खनन संबंधी गतिविधियों के परिणामस्वरूप होती हैं।
- **फण्ड:** राज्य बाघों के संरक्षण कार्य हेतु आवश्यक फंड्स के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर हैं। साथ ही, आवंटित की गई धनराशि भी आवश्यकता से कम होती है और कई बार धनराशि समय पर भी नहीं मिलती है।
- **शिकार, अवैध शिकार एवं अवैध व्यापार:** अग्रलिखित कारणों से इनका अवैध शिकार किया जाता है: स्टेटस सिंबल, सजावटी सामान जैसे दीवार और फर्श को कवर करने (बाघ की खाल से), स्मृति चिन्ह और कलाकृतियों के रूप में, **पारंपरिक एशियाई दवाओं** में इस्तेमाल के लिए आदि।
- **निगरानी:** कुछ टाइगर रिजर्व, जैसे- **मुकुंदरा, रणथंभौर, नागरहोल** आदि राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं। इससे बाघों की निगरानी करना एक कठिन कार्य हो जाता है क्योंकि बाघ एक राज्य से दूसरे राज्य में विचरण करते रहते हैं।
- **जलवायु परिवर्तन: तापमान में परिवर्तन से हिमालयी राज्यों में बाघों के पर्यावासों में बदलाव आ रहा है।**
  - जलवायु परिवर्तन काफी तीव्र गति से हो रहा है। इसलिए वनाग्नि की घटनाएं उन पारिस्थितिक तंत्रों में भी घटित हो रही हैं, जहां आम तौर पर वनाग्नि की घटनाएं नहीं देखी जाती थीं।
- **अन्य:** कम-से-कम **20% टाइगर रिजर्व** को लैंटाना कैमारा (Lantana Camara) जैसे **आक्रामक पादप प्रजातियों** से भी खतरा है।
  - लगभग 20% टाइगर रिजर्व को **अपने क्षेत्र में स्थित मंदिरों में आने वाले तीर्थयात्रियों के असंधारणीय दबाव** का सामना करना पड़ रहा है।

**निष्कर्ष**

लोग जैव विविधता के मुद्दे को लेकर अधिक जागरूक हो गए हैं एवं उन्होंने इसकी हानि को रोकने के लिए कई उपाय भी किए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर ने कई लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा किए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के शुरू होने से जैव विविधता की गिरावट में थोड़ी कमी आई है। साथ ही, प्रोजेक्ट टाइगर ने न केवल बाघों का संरक्षण किया है, बल्कि जैव विविधता के कई अन्य पहलुओं का भी संरक्षण किया है।

## 5.2. प्रोजेक्ट एलीफेंट (Project Elephant)

**सुर्ख़ियों में क्यो?**

हाल ही में, भारत के राष्ट्रपति ने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व (KNPTR)[61] में **गज उत्सव** में भाग लिया। यह उत्सव '**प्रोजेक्ट एलीफेंट' के 30 वर्ष पूरे** होने के अवसर पर मनाया गया था।

**अन्य संबंधित तथ्य**

- **गज उत्सव का उद्देश्य** हाथियों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना, उनके गलियारों तथा पर्यावास का संरक्षण करना और **मानव-हाथी संघर्ष** को कम करना है।

**हाथी परियोजना की सफलता**

- कुल **वन्य एशियाई** हाथियों की **60% से अधिक** आबादी भारत में पायी जाती है।
- **हाथी गणना 2017** के अनुसार, भारत में 29,964 हाथी हैं।
- **कर्नाटक** में हाथियों की संख्या सर्वाधिक है। इसके बाद **असम** और **केरल** का स्थान है।
- हाथियों की गणना **पांच वर्ष में** एक बार की जाती है।

**हाथी परियोजना के बारे में**

- **प्रोजेक्ट के बारे में:** इसे **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC)** ने **1992** में एक **केंद्र प्रायोजित योजना** के रूप में आरंभ किया था।
- **सहायता और कवरेज:** देश में **हाथियों के पर्यावास वाले प्रमुख राज्यों** को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है। वर्तमान में यह परियोजना 22 राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित की जा रही है।
- **इस परियोजना के तहत प्रमुख गतिविधियां:**
  - वन्य हाथियों की सार्थक आबादी का उनके प्राकृतिक पर्यावास में **संरक्षण करना और उन्हें सुरक्षा देना।**
  - हाथियों के प्राकृतिक पर्यावासों और पारंपरिक गलियारों/ प्रवास मार्गों का **संरक्षण, रक्षा और पुनर्बहाल** करना।
    - इसके लिए पारिस्थितिकी-पुनरुद्धार, आवश्यकतानुसार नए भू-क्षेत्रों का अधिग्रहण करने जैसे उपाय करना।
  - **गश्ती दलों की तैनाती, खुफिया जानकारी एकत्र करने** जैसे उपयुक्त उपायों के द्वारा हाथियों को **अवैध शिकार** और अन्य खतरों से बचाने का प्रयास करना।

[61] Kaziranga National Park and Tiger Reserve

- हाथी और उनके प्राकृतिक विचरण क्षेत्रों (रेंज) की रक्षा एवं उनका संरक्षण करने के लिए **अंतर-राज्यीय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय** सुनिश्चित करना।

- **संचालन समिति:** इसमें सरकारी **प्रतिनिधियों** के साथ-साथ **गैर-सरकारी वन्यजीव विशेषज्ञों** और **वैज्ञानिकों** को शामिल किया गया है।
  - यह केंद्र को परियोजना से संबंधित मुद्दों पर **सलाह** देती है।
- **हाथी रिज़र्व:**
  - हाथियों और उनकी आवाजाही के लिए जरूरी **बड़े भू-परिदृश्य का सीमांकन** करने के लिए सरकार ने हाथी रिजर्व को **प्रशासनिक श्रेणी (Administrative category)** के रूप में घोषित किया है।
  - **भारत में कुल 33 हाथी रिजर्व** हैं जिनका कुल क्षेत्रफल लगभग 80,000 वर्ग किलोमीटर है।
  - **तमिलनाडु और असम** में सबसे अधिक हाथी रिज़र्व (प्रत्येक में पांच-पांच) हैं। इसके बाद केरल (4) और ओडिशा (3) का स्थान है।
  - सबसे बड़ा हाथी रिजर्व कर्नाटक का **मैसूर हाथी रिजर्व** है।

भारतीय हाथी के बारे में (Elephas maximus indicus)

- **विशेषताएं:**
  - ये **अत्यधिक बुद्धिमान प्राणी** हैं। इनमें मजबूत पारिवारिक बंधन और बेहतर संचार कौशल भी देखा गया है।
  - ये दुःख और करुणा महसूस करने वाले **जटिल व्यवहार** भी प्रदर्शित करते हैं।
  - इनके झुंड में आपस में संबंधित हथिनियां होती हैं। इनका नेतृत्व **उम्र में सबसे बड़ी हथिनी करती है,** जिसे "कुल-माता (Matriarch)" कहते हैं।
  - सभी स्तनधारियों में हाथी का **गर्भकाल सबसे लंबा (18 से 22 महीने)** होता है।
  - वयस्क नर एशियाई हाथी, **मादाओं की तुलना में कम सामाजिक** होते हैं।
  - हाथी प्रतिवर्ष 'मस्त (Musth)' अवस्था से गुजरते हैं। इस दौरान नर हाथी (30 वर्ष से अधिक आयु के) मादाओं की तलाश करते हैं।
- **पर्यावास:** ये **मध्य और दक्षिणी पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी व उत्तरी भारत तथा दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत** के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं।
- **खतरें:** मानव-हाथी संघर्ष; पर्यावास की क्षति तथा उसका कई हिस्सों में बंट जाना; अवैध शिकार; कम और अलग-थलग आबादी होने के कारण आनुवंशिक जीवनक्षमता (Genetic viability) की हानि आदि।

**एशियाई हाथी और अफ्रीकी हाथी के बीच अंतर**

| संकेतक | एशियाई हाथी | अफ्रीकी हाथी |
|---|---|---|
| IUCN स्थिति | एंडेंजर्ड | ○ सवाना हाथी– एंडेंजर्ड<br>○ फॉरेस्ट एलीफैंट– क्रिटिकल एंडेंजर्ड |
| आकार | छोटा,<br>वजन 3,000–6,000 किलोग्राम के बीच | बड़ा,<br>वजन 4,000–8,000 किलोग्राम के बीच |
| कान | छोटे, गोल कान | बड़े, पंखे के आकार के बड़े–बड़े कान |
| त्वचा | अफ्रीकी हाथी की तुलना में इनकी त्वचा चिकनी होती है | त्वचा अधिक झुर्रीदार होती है |
| माथा | हल्का सा दो हिस्सों में बंटा हुआ अर्द्ध गोलाकार रूप में उभरा हुआ सिर | एकल अर्द्ध गोलाकार रूप में उभरा हुआ सिर |
| बाहरी दांत | ○ एशियाई हाथियों में केवल कुछ नर हाथियों के बाहरी दांत होते हैं।<br>○ मादा हाथियों में बाहरी दांत या तो होते नहीं हैं या बहुत छोटे होते हैं। | नर और मादा, दोनों के बाहरी दांत होते हैं। |

**कीस्टोन प्रजाति के रूप में हाथी की भूमिका**

- भू–परिदृश्य के निर्धारकः ये कुछ निश्चित पादपों की प्रजातियों की अत्यधिक बढ़ोतरी को रोकते हैं।
- बीज का प्रसारः हाथी पादपों, फलों और बीजों को खाने के बाद मल त्यागते हुए बीजों को बिखेरते चलते हैं।
- पोषणः हाथी का गोबर पादपों और प्राणियों को पोषण प्रदान करता है।
- आर्थिक और सांस्कृतिक मूल्यः पर्यटन, धार्मिक गतिविधियों आदि के लिए महत्वपूर्ण।

**संरक्षण संबंधी अन्य उपाय**

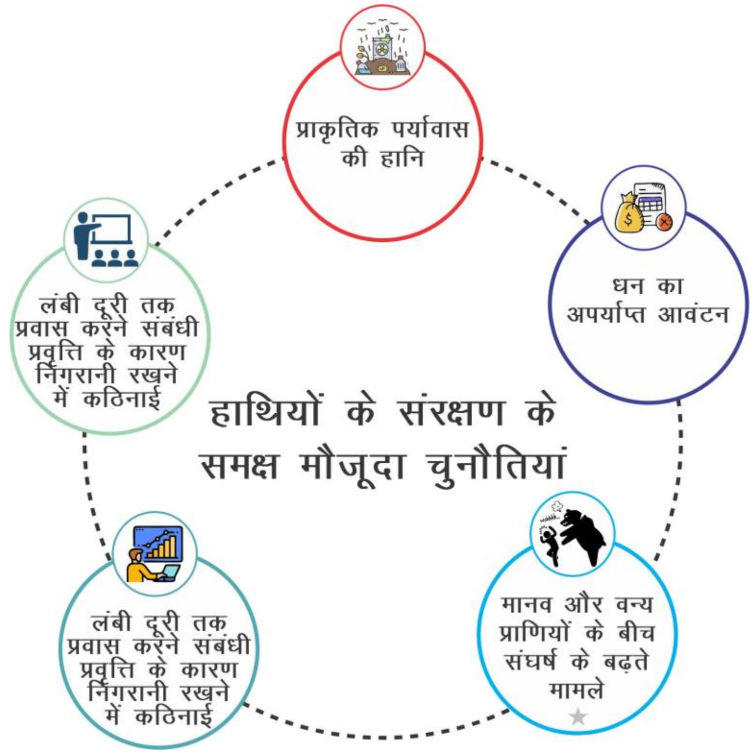


- **राष्ट्रीय स्तर पर:**
    - **हाथी गलियारा (Elephant Corridor): भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट (WTI)**[62] ने हाथी के प्राकृतिक पर्यावास क्षेत्र वाले राज्यों के वन विभागों की सहायता से हाथी गलियारा तैयार किया है।
        - ये गलियारा हाथियों के **पर्यावासों** को जोड़ने वाले **प्राकृतिक मार्ग** व **संकरे क्षेत्र** होते हैं। इनसे होकर हाथी बिना किसी मानव जनित व्यवधानों के सुरक्षित पर्यावासों के बीच आवागमन करते रहते हैं।
    - **राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम: "गज यात्रा"** (इसे **गैर-सरकारी संगठन भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट द्वारा शुरू** किया गया था) और **"हाथी मेरे साथी"** कार्यक्रम का उद्देश्य **जंगली हाथियों के सिकुड़ते पर्यावास** तथा हाथी गलियारों की सुरक्षा के महत्व के बारे में **जागरूकता बढ़ाना** है।
    - **एलीफेंट टास्क फोर्स (2010):** इसका गठन भारत में हाथी संरक्षण की मौजूदा नीति की समीक्षा करने और भविष्य में किए जाने वाले उपायों के लिए किया गया है।
    - **राष्ट्रीय धरोहर पशु (2010):** देश के लोगों की सामाजिक-धार्मिक जीवन शैली में हाथी की अनूठी भूमिका को देखते हुए इसे राष्ट्रीय धरोहर पशु[63] घोषित किया गया है।
    - **री-हैब पहल:** री-हैब या मधुमक्खियों का उपयोग करके हाथी-मानव संघर्षों को कम करने **(RE-HAB)**[64] संबंधी पहल को खादी और ग्रामोद्योग आयोग **(KVIC)**[65] ने शुरू किया है।
    - **अन्य पहलें:** मानव-हाथी संघर्ष को कम करने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं:
        - सख्त और लचीले अवरोधकों (खाई और बाड़) का निर्माण किया जा रहा है।
        - **एंटी-डिप्रेडेशन स्क्वॉड** का गठन किया गया है।
        - हाथी पर्यावास के आस-पास के लोगों के लिए **वैकल्पिक आजीविका** के अवसर पैदा किए जा रहे हैं।
        - हाथियों के कारण मानव जीवन और आजीविका को होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति भी की जा रही है।

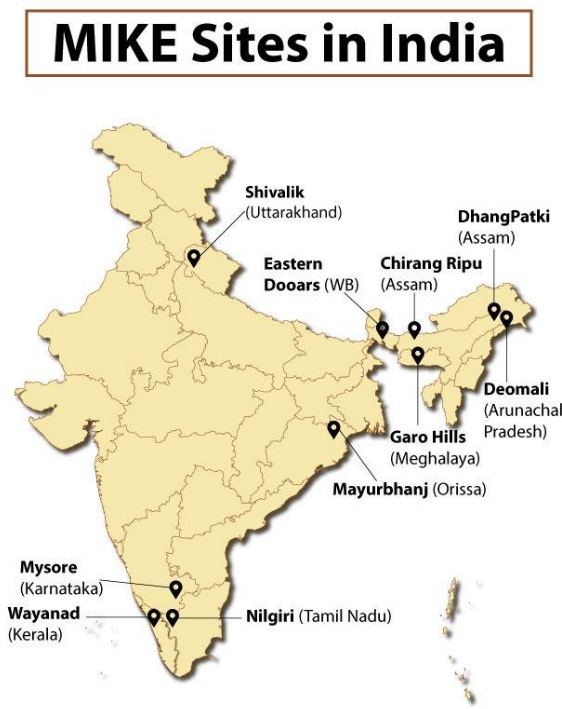


**वैश्विक स्तर पर**

- **हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी (MIKE)**[66] **कार्यक्रम:** इसे 2003 में दक्षिण एशिया में शुरू किया गया था। इसे CITES[67] के पक्षकारों के सम्मेलन (COP) के दौरान पेश किए गए एक संकल्प द्वारा शुरू किया गया था।

---

62 Wildlife Trust of India

63 National Heritage Animal

64 Reducing Human Attacks using Honey Bees

65 Khadi and Village Industries Commission

66 Monitoring of Illegal Killing of Elephants

- ○ इस कार्यक्रम के तहत हाथी के प्राकृतिक पर्यावास वाले देशों को **उचित प्रबंधन करने और क्रियान्वयन संबंधी निर्णय** लेने तथा संस्थागत क्षमता का निर्माण करने के लिए आवश्यक **जानकारी प्रदान** की जाती है।
- ○ वर्तमान में **एशिया में "माइक कार्यक्रम" के तहत** 13 देशों में **28 साइट्स शामिल** हैं। भारत में माइक कार्यक्रम में 10 साइट्स शामिल हैं (मानचित्र देखें)।
- ○ 2017 में, **IUCN को निम्नलिखित दो उप-क्षेत्रों में MIKE-एशिया कार्यक्रम को लागू करने के लिए CITES ने आमंत्रित किया था:**
    - **दक्षिण एशिया** (नई दिल्ली में IUCN इंडिया कंट्री ऑफिस के माध्यम से);
    - **दक्षिण पूर्व एशिया** (बैंकॉक में IUCN एशिया क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से)।
- **इंटरनेशनल एलीफेंट फाउंडेशन:** यह दुनिया भर में हाथियों के संरक्षण के लिए समर्पित व्यक्तियों और संस्थानों का एक **गैर-लाभकारी निगम** है।
- **हाथी- 8 मंत्रिस्तरीय बैठक (Elephant–8 Ministerial Meeting) 2011:** इसे भारत द्वारा आयोजित किया था। इसमें बोत्सवाना, कांगो, इंडोनेशिया, केन्या, श्रीलंका, तंजानिया और थाईलैंड ने भाग लिया था।

**निष्कर्ष**

सरकार और सभी हितधारकों के लगातार प्रयासों ने भारत में हाथियों की आबादी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) की तर्ज पर हाथियों के लिए भी एक समर्पित प्राधिकरण गठित करने की आवश्यकता है ताकि हाथियों के संरक्षण से संबंधित प्रयासों को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

## 5.3. चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy)

**सुर्ख़ियों में क्यो?**

30 मार्च, 2023 को पहली बार, **अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस (IDZW)**[68] मनाया गया। इसका उद्देश्य सभी को अपशिष्ट में कमी लाने और उसका समाधान करने हेतु प्रोत्साहित करने तथा चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए सामाजिक बदलाव को बढ़ावा देना है।

**अन्य संबंधित तथ्य**

- शून्य-अपशिष्ट प्रणाली के तहत एक बंद और चक्रीय प्रणाली में उत्पादों के जिम्मेदार तरीके से उत्पादन, उपभोग और निपटान पर बल दिया जाता है।
    - ○ इसका मतलब यह है कि उत्पादों के अनुपयोगी हो जाने पर उनमें प्रयुक्त **संसाधनों का यथासंभव पुन: उपयोग या पुनः प्राप्ति** की जाती है। इस तरह हम वायु, भूमि या जल प्रदूषण को कम करने का प्रयास करते हैं।
- **संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA)**[69] ने 30 मार्च, 2022 को IDZW घोषित करने के लिए एक संकल्प को अपनाया था। इस संकल्प के अनुसार, प्रतिवर्ष 30 मार्च को **अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस** मनाया जाएगा।
    - ○ इस आयोजन को **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)** और **संयुक्त राष्ट्र मानव आवास कार्यक्रम (UN-Habitat)** द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा।

चक्रीय (सर्कुलर) अर्थव्यवस्था के लाभ

---

[67] Convention on International Trade in Endangered Species/ वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय

[68] International Day of Zero Waste

[69] United Nations General Assembly

- अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2023 की **थीम** थी – **'अपशिष्ट में कमी करने और उसके प्रबंधन के लिए संधारणीय तथा पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल पद्धतियों को प्राप्त करना (Achieving sustainable and environmentally sound practices of minimizing and managing waste)।**

- इस अवसर पर, **भारत के प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (PMEAC)**[70] ने **'इंडियाज ट्रायस्ट विद ए सर्कुलर इकोनॉमी'** शीर्षक से एक वर्किंग पेपर जारी किया है।

**चक्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में**

- यह उत्पादन के साधन व संसाधनों के **पुनः उपयोग** और **पुनर्चक्रण** पर आधारित एक आर्थिक प्रणाली है।
    - वास्तव में, चक्रीय अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्ष्य **संसाधनों की "चक्रीयता (Circularity)"** को सुनिश्चित करना है।
- इसके तहत किसी **उत्पाद के उपयोग योग्य अवधि** के बाद भी उसमें प्रयुक्त सामग्रियों को **अर्थव्यवस्था** में बनाए रखा जाता है और जहां तक संभव हो उनका पुनः उपयोग किया जाता है।
- **सर्कुलेरिटी गैप रिपोर्ट-2023** के अनुसार, वैश्विक अर्थव्यवस्था का केवल 7.2% हिस्सा ही चक्रीय है। इसमें गिरावट की प्रवृत्ति देखी जा रही है।

**चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular economy) के संभावित प्रभाव**

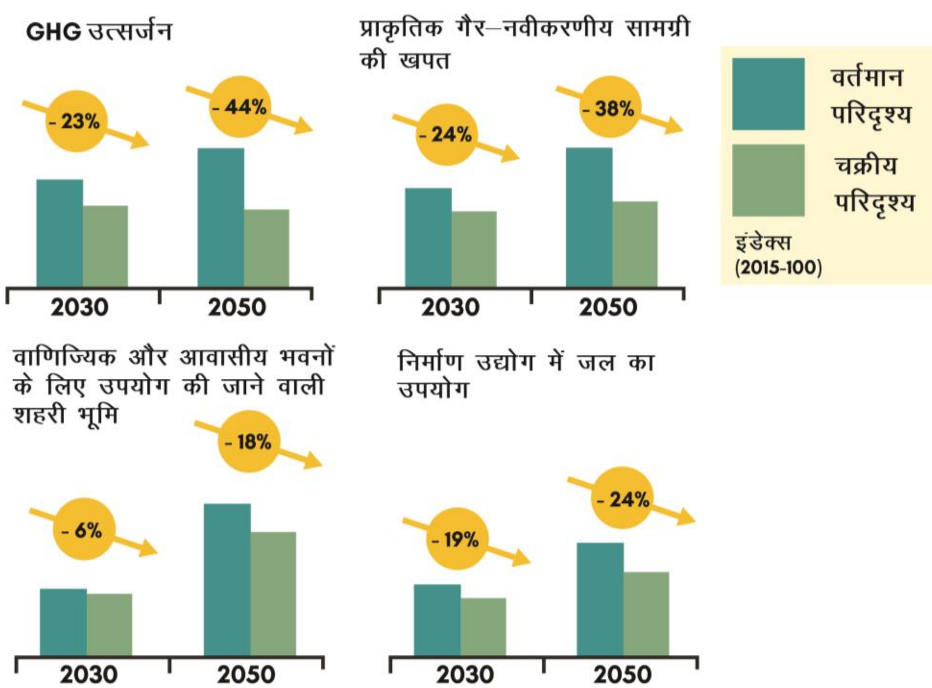


**चक्रीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकता क्यों हैं?**

- **रेखीय आर्थिक मॉडल**[71] **को बदलना:** गौरतलब है कि रेखीय आर्थिक मॉडल में सबसे पहले संसाधनों का उपयोग करके **वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, उसके बाद उसका उपभोग किया जाता** है और अंत में वस्तु को अपशिष्ट के रूप **फेंक दिया** जाता है। इसलिए इस मॉडल को बदलना जरूरी हो गया है।
    - 1970 से 2015 तक, भारत में **वस्तुओं की वार्षिक खपत में छह गुना वृद्धि** हुई है।
- **अपशिष्ट सृजन को कम करना: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)** के अनुसार, भारत में हर साल 62 मिलियन टन से अधिक अपशिष्ट पैदा होता है।
    - इनमें से लगभग **70% को ही एकत्र किया जाता है,** और इनमें से केवल लगभग 12 मिलियन टन का उपचार किया जाता है एवं शेष 31 मिलियन टन अपशिष्ट को लैंडफिल साइट्स में डाल दिया जाता है।
- **रोजगार सृजन:** वस्तुओं की **मरम्मत (Repair)** और **नवीनीकरण (Refurbishment)** करने, वस्तुओं में शामिल सामग्रियों के **पुनर्चक्रण (Recycling)** और **पुनर्प्राप्ति (Recovery)** एवं **अपशिष्ट प्रबंधन** के कारण रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
- **वैश्विक प्रतिबद्धता:** इससे **सतत विकास लक्ष्य (SDG)-11** अर्थात् शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और संधारणीय बनाने तथा **SDG-12** (संधारणीय उपभोग और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करने) संबंधी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
    - भारत ने **ग्लासगो में आयोजित COP-26 के दौरान** वैश्विक समुदाय के समक्ष **2070 तक निवल शून्य उत्सर्जन** वाला देश बनने की प्रतिबद्धता जाहिर की है।

---

[70] Economic Advisory Council to the Prime Minister of India

[71] Linear Economic Model

- **आर्थिक विकास और संसाधनों का इष्टतम उपयोग:** इसमें **स्थानीय स्तर पर उत्पादन करने** और **स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री** का उपयोग करने पर बल दिया जाता है। इससे **लघु और मध्यम उद्यमों (SMEs)** के लिए नए अवसर पैदा होंगे।
  - भारत में प्रति एकड़ **संसाधनों के दोहन (Resource extraction)** की मात्रा 450 टन है। यह वैश्विक औसत से **251% अधिक** है।
  - भारत में चक्रीय अर्थव्यवस्था को अपनाने से 2030 तक 218 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2050 तक 624 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक मूल्य सृजित हो सकता है।
- **आत्मनिर्भरता:** आयातित संसाधनों पर निर्भरता को कम करने से भारत की संसाधन-सुरक्षा और लचीलेपन में सुधार हो सकता है। साथ ही, वैश्विक स्तर पर मूल्य में उतार-चढ़ाव होने और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान होने की स्थितियों से बेहतर तरीके से निपटा जा सकता है।
- **जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण:** भारत **ग्रीनहाउस गैसों का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश** है तथा कुल वैश्विक उत्सर्जन में इसका योगदान 9.2% है।
  - **चक्रीय अर्थव्यवस्था** से भूमि क्षरण; वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण; जहरीले पदार्थों का पर्यावरण में प्रवेश; और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में **कमी आएगी।**

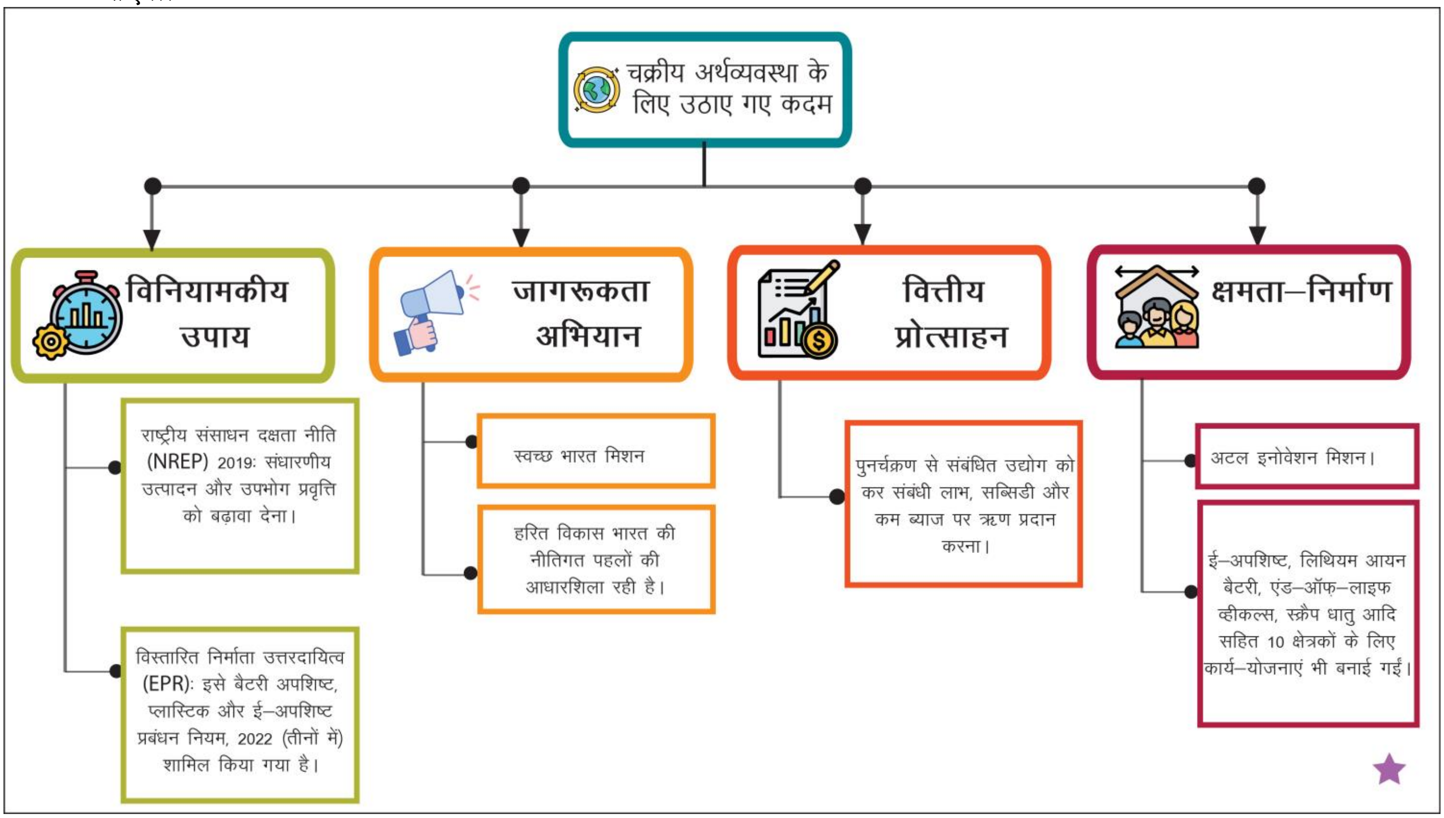


**चक्रीय अर्थव्यवस्था को अपनाने में चुनौतियां**

- **जागरूकता का अभाव:** चक्रीय अर्थव्यवस्था की अवधारणा के बारे में **नीति निर्माताओं, व्यवसायों** और **उपभोक्ताओं** के बीच समझ की कमी है।
  - लोग **अपशिष्ट में कमी लाने** एवं उत्पादों में प्रयुक्त **सामग्री** और **घटकों** के **मूल्य स्तर** को बनाए रखने पर ध्यान नहीं देते हैं।
- **समस्त प्रणाली में बदलाव की आवश्यकता:** वस्तुओं और सेवाओं की **डिजाइन, उत्पादन और उपभोग से लेकर** उसकी **निपटान प्रणाली** तक व्यापक बदलाव करने की आवश्यकता है।
- **अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्रक:** अपशिष्ट एकत्रण और निपटान के मामले में अकुशल **अनौपचारिक क्षेत्रक का प्रभुत्व** है। भारत में महज 20% वस्तुओं का पुनर्चक्रण किया जाता है।
- **अवसंरचना:** नगर निगम/ संबंधित प्राधिकरणों के पास **अपशिष्ट एकत्र** करने वाले वाहनों, अपशिष्ट का **छंटाई** करने वाली सुविधाओं एवं **अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी** का अभाव है।
  - उदाहरण के लिए- **नई दिल्ली** में **कूड़े के पहाड़** देखे जा सकते हैं।
- **डाउनसाइक्लिंग:** यह सामग्री को उसके पहले के मूल्य की तुलना में **कम मूल्य** और **कम गुणवत्ता वाले उत्पादों** में **रिसाइकिल** करने की प्रक्रिया है।
  - यह प्रक्रिया मुख्यतः प्लास्टिक पुनर्चक्रण उद्योग में प्रचलित है।

- **सीमित अनुसंधान एवं विकास: संसाधनों में गिरावट, उनकी बर्बादी** और **पर्यावरण के क्षरण** से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने के लिए **नवाचार** एवं **नए दृष्टिकोण** की आवश्यकता है।
- **व्यवसायों को प्रोत्साहन:** चक्रीय अर्थव्यवस्था को अपनाना **महंगा** और **समय लेने वाला** हो सकता है। ऐसे में व्यवसायों को इस बदलाव को अपनाने के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है।
- **पुनर्चक्रित सामग्री की सीमित उपलब्धता:** भारत में प्रतिदिन बड़ी मात्रा में अपशिष्ट उत्पन्न होता है, जिसे पर्याप्त रूप से एकत्र या छांटा नहीं जाता है। इसके कारण **व्यवसायी** नए **कच्चे माल** पर निर्भर रहने को **विवश** हैं।

**आगे की राह**

- **नीति निर्माण:** चक्रीय अर्थव्यवस्था संबंधी राष्ट्रीय विजन का निर्माण करना चाहिए। इसमें सभी क्षेत्रकों में चक्रीय कार्य-प्रणालियों को बढ़ावा देने से संबंधित लक्ष्यों, रणनीतियों और पहलों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।
- **विनियामकीय ढांचा:** इसके माध्यम से चक्रीय कार्य-प्रणालियों को बढ़ावा देना एवं व्यवसायों तथा उपभोक्ताओं को चक्रीय समाधान अपनाने के लिए प्रोत्साहन किया जाना चाहिए।
- **निगरानी एवं मूल्यांकन प्रणाली:** यह चक्रीय अर्थव्यवस्था संबंधी के राष्ट्रीय विजन की दिशा में की गई प्रगति की निगरानी करने के लिए आवश्यक है।
- **अपशिष्ट निपटान और अपशिष्ट प्रबंधन:** रीसाइक्लिंग, कंपोस्टिंग और अपशिष्ट पुनर्प्राप्ति के अन्य तरीकों को बढ़ावा देकर अपशिष्ट के सृजन को कम करने एवं अपशिष्ट का अधिक कुशलता से प्रबंधन करने की आवश्यकता है।
  - उदाहरण के लिए- फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी रेनॉल्ट, यूरोप में अपनी सभी कारों में 33% पुनर्चक्रण की गई सामग्री का उपयोग करती है।
- **प्रोत्साहन:** पुन: उपयोग (Reused), मरम्मत (Repaired) और पुनर्चक्रित (Recycled) अर्थात् 3R उत्पादों के उपयोग हेतु प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
  - नए चक्रीय समाधान विकसित करने के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी में निवेश करने से ऐसी नई सामग्री विकसित करने में मदद मिल सकती है जो अधिक संधारणीय होने के साथ-साथ पर्यावरण के अनुकूल होगी।

## 5.4. भूजल (Groundwater)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

जल संसाधन संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने **'भूजल: एक मूल्यवान, किंतु घटता संसाधन[72]'** शीर्षक से अपनी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की है।

**रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र**

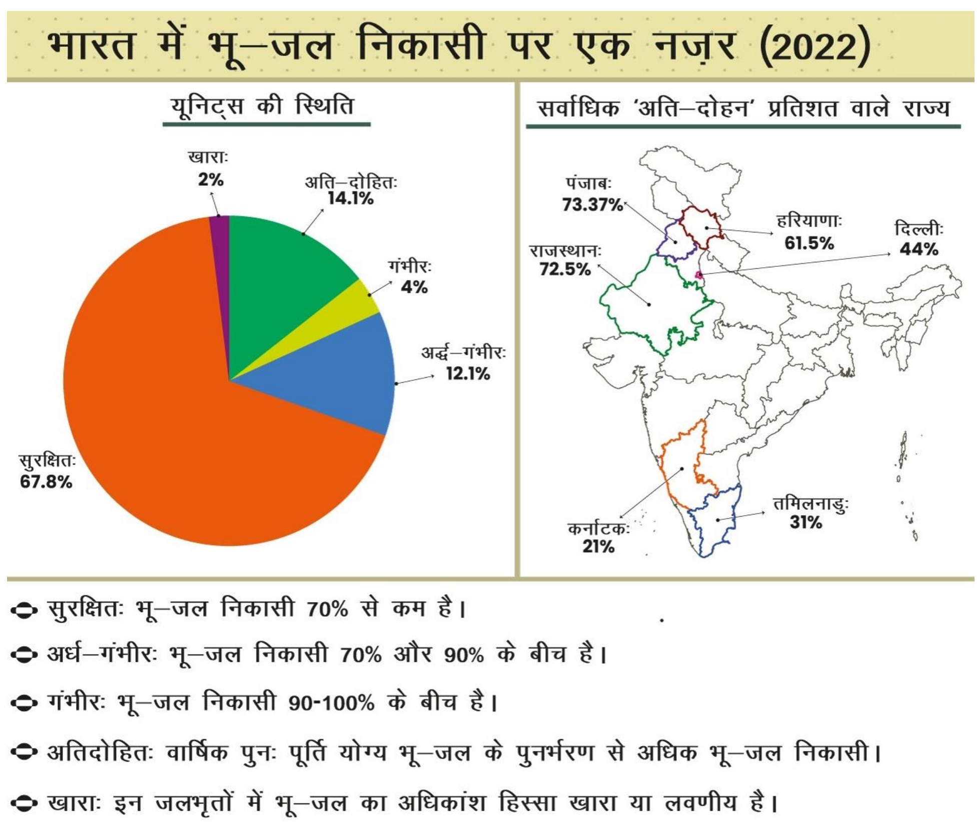


- समिति ने यह बताया है कि **भूजल उपयोग को कम करने की दिशा में हुई प्रगति "अपर्याप्त" है।**
- 2020 के आकलन के अनुसार, **भारत में वार्षिक रूप से दोहन किए जाने योग्य कुल भूजल संसाधन 398 बिलियन क्यूबिक मीटर (BCM)** था। इसमें से 245 BCM का सभी प्रकार के उपयोगों के लिए दोहन किया जा रहा था, जो दोहन योग्य कुल भूजल संसाधन का लगभग 61.6% था।
- **सिंचाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए भूजल के अत्यधिक दोहन की प्रथा मुख्य रूप से उत्तरी राज्यों,** विशेषकर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में प्रचलित है।
- समिति ने पाया कि भूजल के क्षेत्रीय वितरण में भिन्नता है:

---

72 Groundwater: A Valuable but Diminishing Resource

- **हिमालय का उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र** (कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक) विशाल सिंधु-गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के जलोढ़ मैदानों के लिए **भूजल पुनर्भरण (रीचार्जिंग) का मुख्य स्रोत** है।
- सिंधु-गंगा-ब्रह्मपुत्र के मैदानों के दक्षिण में स्थित **प्रायद्वीपीय पठार में सीमित भूजल क्षमता** है। हालांकि गुजरात, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के **तटीय क्षेत्रों में सक्षम बहु-जलभृत प्रणालियां (Multi-Aquifer systems) मौजूद हैं।**

**भारत में भूजल से संबंधित मुद्दे**

- **भूजल पर निर्भरता:** 60% से अधिक सिंचित कृषि भूमि और 85% पेयजल आपूर्ति भूजल पर निर्भर हैं।
    - नगरपालिका द्वारा अनियमित और अपर्याप्त जल आपूर्ति के कारण शहरी निवासी मुख्यतः भूजल पर अधिक निर्भर हो रहे हैं।
- **अनियंत्रित निकासी:** भूजल को "साझा संसाधन" माना जाता है। ऐतिहासिक रूप से भी भूजल निकासी पर बहुत कम नियंत्रण लगाया गया है।
    - भारत में प्रतिवर्ष अनुमानित 230 क्यूबिक किलोमीटर (Cubic kilometer) भूजल का उपयोग किया जाता है। यह कुल वैश्विक भूजल उपभोग के एक-चौथाई से भी अधिक है।
- **भूजल के बारे में कम जानकारी:** भूजल के उचित इस्तेमाल के लिए **महंगी और अत्याधुनिक तकनीक** की आवश्यकता होती है। ऐसी तकनीकों का संचालन और उन्हें सही अवस्था में बनाए रखना भी मुश्किल होता है।
    - इसके लिए **डेटा जुटाने और उनके विश्लेषण एवं प्रबंधन** में अधिक अनुभव की भी आवश्यकता होती है जो काफी हद तक अनुपलब्ध है।

**भू-जल**

- भूमि की सतह के नीचे संतृप्त मंडलों (Saturated Zones) में मौजूद जल को भू-जल कहा जाता है।
- **संतृप्त मंडल की ऊपरी सतह** को जल स्तर (Water Table) कहते हैं।
    - **भूमि की सतह से भूजल का जल स्तर एक फुट नीचे** या **सैकड़ों फीट नीचे** भी हो सकता है।

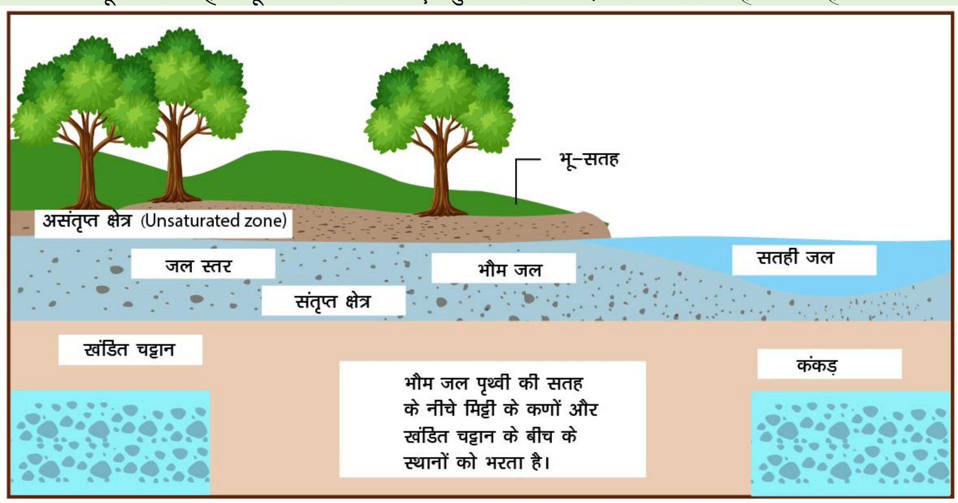


- **संस्थागत अकुशलता:** भारत के भूजल का प्रबंधन करने के लिए उत्तरदायी अलग-अलग संगठनों में **जवाबदेही और जिम्मेदारी का अभाव** है।
    - जल संसाधन पर स्थायी समिति (2022-23) ने इस बात को रेखांकित किया है कि भूजल के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी अलग-अलग संस्थाओं के बीच **समन्वय की कमी** है।
- **भूजल संदूषण (Groundwater contamination):** भूजल में घरेलू सीवेज सहित मानवजनित गतिविधियों से उत्पन्न बैक्टीरिया, फॉस्फेट और भारी धातुओं जैसे **प्रदूषक तत्वों की उपस्थिति** को भूजल संदूषण कहा जाता है।
    - भारत में, प्राकृतिक रूप से ही भूजल में **आर्सेनिक, फ्लोराइड, नाइट्रेट और आयरन** की उच्च सांद्रता पाई जाती है। **भूजल स्तर में कमी से** इन प्रदूषक तत्वों की **सांद्रता बढ़ने** की आशंका बनी रहती है।
- **वित्त की कमी:** जल संसाधन पर स्थायी समिति (2022-23) ने इस बात को भी रेखांकित किया है कि **राष्ट्रीय जल मिशन के क्रियान्वयन में धन और स्वायत्तता की कमी बाधा पैदा कर रही है।** राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के तहत कार्यान्वित किए जा रहे मिशनों में से एक है।
- **राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव:** भारत के 19 राज्यों ने 1970 के मॉडल बिल (अंतिम बार 2005 में संशोधित) के आधार पर भूजल प्रबंधन संबंधी कानून बनाए हैं। हालांकि, दिशा-निर्देशों के अभाव ने इसके कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न की है।
    - समिति ने इस मुद्दे को हल करने के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा तत्काल कार्रवाई की सिफारिश की है।

**भूजल प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पहलें**

- **राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन (National Aquifer Mapping and Management Programme: NAQUIM):** इसका उद्देश्य भूगर्भीय, भूभौतिकीय, जल-भूवैज्ञानिक, जल विज्ञान एवं जल गुणवत्ता संबंधी अध्ययनों से जुड़े बहु-विषयक दृष्टिकोण के माध्यम से जलभृतों (एक्वीफर) का मानचित्रण एवं प्रबंधन करना है।

- **अटल भूजल योजना:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है। इसमें **जल संकट वाले पहचाने गए क्षेत्रों में** संधारणीय भूजल प्रबंधन के लिए **सामुदायिक भागीदारी और मांग पक्ष आधारित उपायों** पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- **जल शक्ति अभियान (JSA):** इसे पहली बार 2019 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य **कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं, वाटरशेड प्रबंधन, गहन वनीकरण** एवं लोगों के बीच जागरूकता का प्रसार आदि के माध्यम से **मानसूनी वर्षा जल का प्रभावी ढंग से संचयन करना है।**

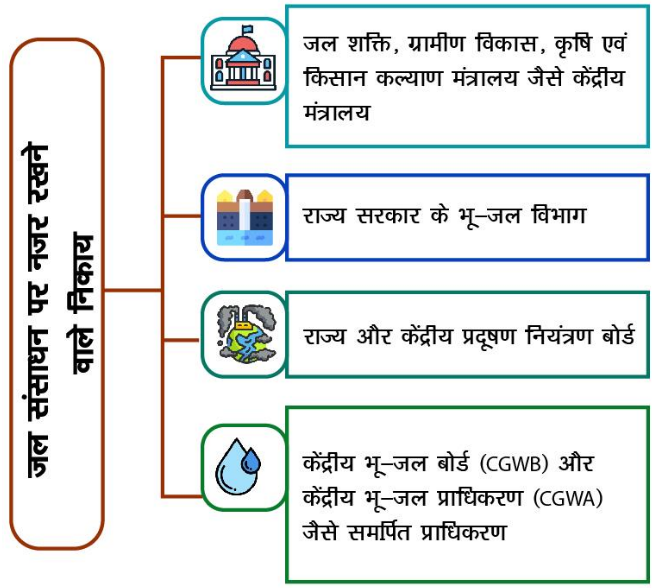


- **भूजल पुनर्भरण: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना** और **प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना** जैसी योजनाएं भूजल के **कृत्रिम पुनर्भरण** के लिए परियोजनाओं का क्रियान्वयन करती हैं।
- **कृषि कार्यों में पानी की खपत को कम करने के लिए योजनाएं: प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)-प्रति बूंद अधिक फसल (PDMC)**[73] और **एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH)**[74] जैसी योजनाएं कृषि में भूजल की खपत को कम करने के लिए शुरू की गईं हैं।
    - पंजाब और हरियाणा ने किसानों को जल संरक्षण के लिए प्रेरित करने हेतु क्रमशः **"पानी बचाओ पैसा कमाओ"** और **"जल ही जीवन/ मेरा पानी मेरी विरासत"** जैसी अभिनव योजनाएं शुरू की हैं।
- **भूजल के विनियमन के लिए दिशा-निर्देश:** भूजल के संधारणीय तरीके से दोहन/ उपयोग को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA)[75] ने भारत में भूजल दोहन के विनियमन और नियंत्रण (2020) के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश **अखिल भारतीय स्तर पर लागू हैं।**

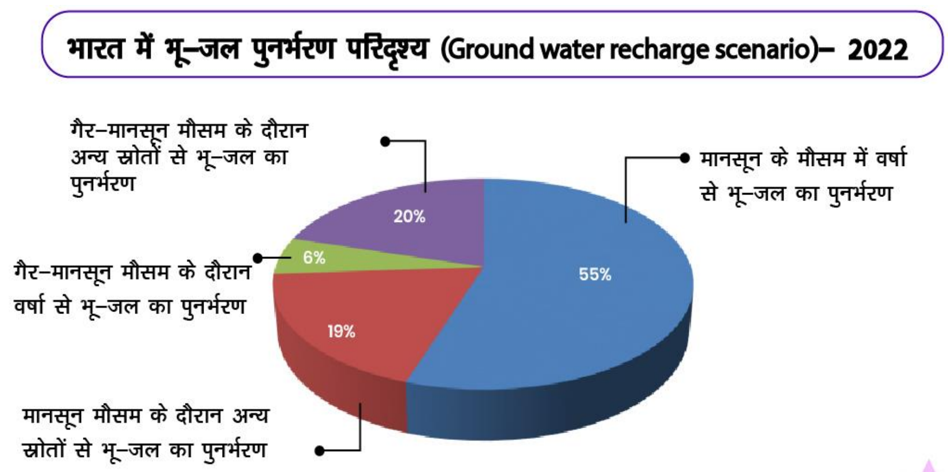


- **अमृत सरोवर मिशन:** इस मिशन का उद्देश्य **देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और पुनरुद्धार करना है।**
- **MBBL में जल संरक्षण पर फोकस:** MoHUA ने राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए **मॉडल बिल्डिंग बाय लॉ (MBBL), 2016** तैयार किया है। इसमें **वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण उपायों पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है।**
- **भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान (2020): केंद्रीय भूजल प्राधिकरण** ने राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के परामर्श से मास्टर प्लान-2020 तैयार किया है। इसके तहत देश में **लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन एवं कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण की परिकल्पना की गई है।**

**आगे की राह**

- **केंद्रीय निकाय का गठन:** संसद की जल संबंधी स्थायी समिति ने एक केंद्रीय निकाय के गठन की सिफारिश की हैं जिसमें **केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों** के साथ-साथ **राज्य सरकार के संबंधित विभागों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।**
    - ऐसे निकाय को **समन्वय के साथ और समग्र तरीके** से भूजल उपयोग को विनियमित करने की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए।
- **"भूमि उत्पादकता" से "जल उत्पादकता" तक:** समिति ने अनुशंसा की है कि फसल उत्पादन से संबंधित निर्णयों में जल की उत्पादकता एक प्रमुख मानदंड होना चाहिए। जल उत्पादकता को आम तौर पर प्रति घन मीटर जल की खपत की तुलना में फसल उपज के रूप में परिभाषित किया जाता है।
    - भूजल की अत्यधिक कमी वाले क्षेत्रों में **किसानों को जल गहन फसलों की खेती करने से रोकने के लिए** उपाय किए जाने चाहिए।

---

[73] Per Drop More Crop

[74] Mission for Integrated Development of Horticulture

[75] Central Ground Water Authority

- **जल संवेदनशील शहरी डिजाइन और योजना:** इससे जल की मांग और आपूर्ति के लिए भूजल, सतही जल एवं वर्षा जल का प्रबंधन करके जल-चक्र को बनाए रखने में मदद मिल सकती है।
  - इसके अलावा, भूजल संबंधी चुनौतियों को दूर करने में **हरे** (वृक्ष, पार्क, उद्यान, खेल के मैदान और वन) और **नीले** (समुद्र, नदियां, झील, आर्द्रभूमि और जल निकायों) **स्थानों की संभावित भूमिका** को तलाशना चाहिए।
- **साक्ष्य आधारित नीति-निर्माण:** रियल टाइम डेटा की उपलब्धता सरकार और उपयोगकर्ता समुदायों, दोनों को **स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त रणनीति एवं उपायों के निर्माण** में मदद करेगी।
- **सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना:** भूजल संसाधनों के **संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन** के सरकारी प्रयासों को **सफल बनाने** के लिए **उपयोगकर्ता समूहों/ समुदायों** के साथ घनिष्ठ सहयोग महत्वपूर्ण है।

## 5.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

### 5.5.1. राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 {State Energy Efficiency Index (SEEI) 2021-22}

- विद्युत मंत्रालय द्वारा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक (SEEI) 2021-22 जारी की गई है।
- SEEI ऊर्जा दक्षता के कार्यान्वयन में **राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वार्षिक प्रगति का आकलन** करता है। यह डेटा संग्रह में सुधार करता है, राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है और ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम के नव-विचारों को विकसित करता है।
  - 2021-22 के सूचकांक में राज्यों की प्रगति का आकलन करने के लिए **सात क्षेत्रकों में 50 संकेतकों का उपयोग** किया गया है। ये सात क्षेत्रक हैं: भवन, उद्योग, नगरपालिका, परिवहन, कृषि, वितरण कंपनियां (DISCOMs) और क्रॉस-सेक्टोरल पहलें।
- इस सूचकांक को **ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE)** ने विकसित किया है। इसका विकास **एलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी (AEEE)** के सहयोग से किया गया है।
  - AEEE उद्योग के नेतृत्व वाला और सदस्यता आधारित एक गैर-लाभकारी संगठन है। यह भारत में ऊर्जा दक्षता बाजारों के संचालन और नीतियों के निर्माण में भूमिका निभाता है।

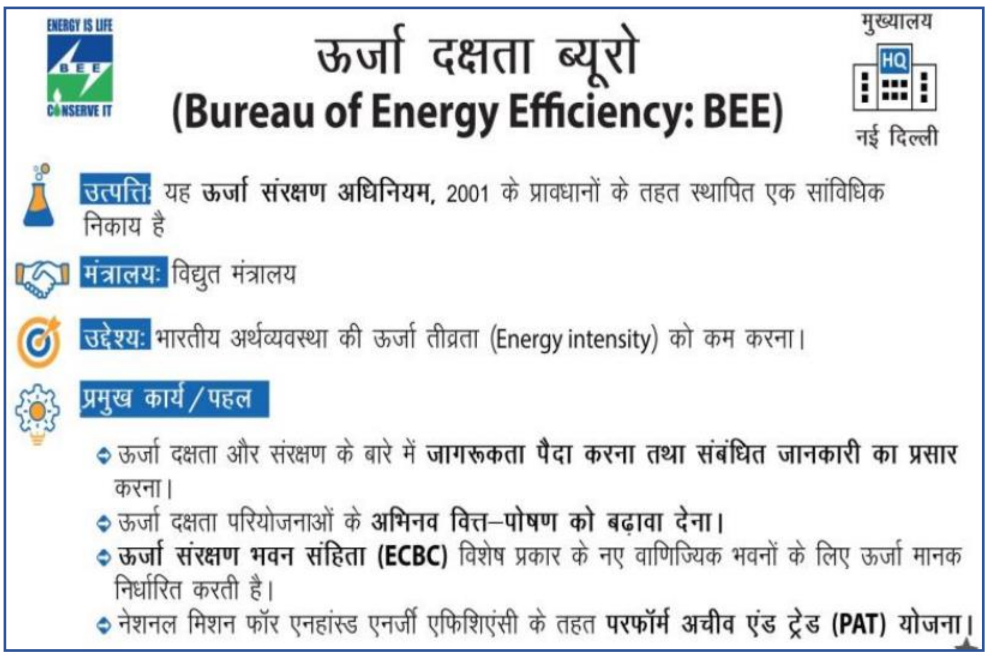


- **सूचकांक के मुख्य बिंदु:**
  - इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को **'फ्रंट रनर' (>60), 'अचीवर' (50-60), 'कंटेंडर' (30-49.5) तथा 'एस्पिरेंट' (<30)** के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
  - **फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल राज्य:** आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना।
  - **तेलंगाना और आंध्र प्रदेश** ने पिछले सूचकांक के बाद से **सबसे अधिक सुधार प्रदर्शित** किए हैं।
- **प्रमुख सिफारिशें:**
  - राज्यों को ऊर्जा दक्षता कार्य योजनाओं का विकास और उनका कार्यान्वयन करना चाहिए।
  - निधियां आवंटित करके ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
  - सभी सरकारी विभागों में ऊर्जा दक्षता नोडल अधिकारी नियुक्त करके संस्थागत क्षमता को मजबूत किया जाना चाहिए। साथ ही, जिला और मुख्यालयों में ऊर्जा दक्षता प्रकोष्ठ की स्थापना की जानी चाहिए।
- पारदर्शी ऑनलाइन पोर्टल्स के माध्यम से ऊर्जा डेटा की निगरानी और रिपोर्टिंग को मुख्यधारा में लाने की जरूरत है

## 5.5.2. जल निकायों की पहली गणना (First Census of Water Bodies)

- जल शक्ति मंत्रालय ने जल निकायों की पहली गणना की अखिल भारतीय रिपोर्ट जारी की
- जल निकायों की गणना का उद्देश्य देश के **सभी जल निकायों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार** करना है। यह डेटाबेस जल निकायों के **आकार, उनकी स्थिति, अतिक्रमण की स्थिति, उपयोग, भंडारण क्षमता, जल भंडार के भरने की स्थिति** आदि पर जानकारी एकत्र करके निर्मित किया जाएगा।
    - यह गणना **केंद्र प्रायोजित योजना "सिंचाई गणना" (Irrigation Census) के तहत छठी लघु सिंचाई गणना के साथ अभिसरण** में शुरू की गई थी।

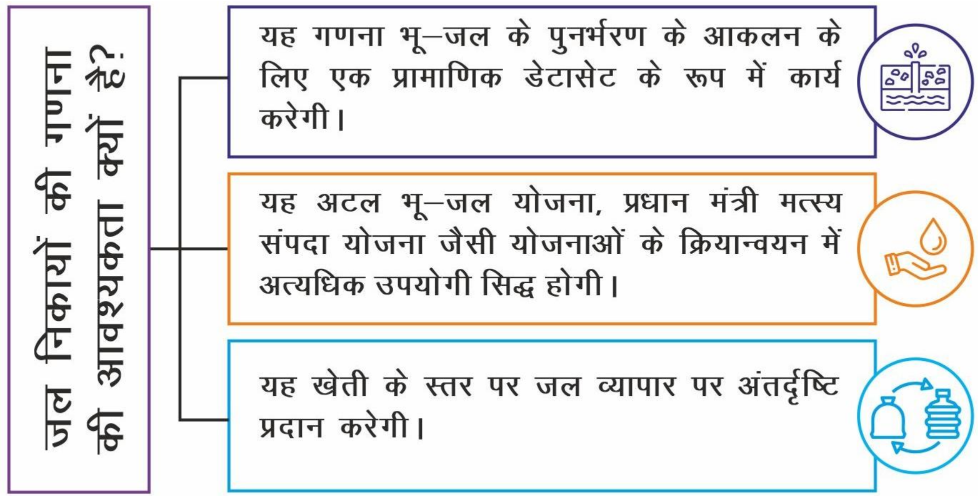


- जल निकायों में सभी **प्राकृतिक या मानव निर्मित निकाय शामिल** होते हैं। इनका उपयोग सिंचाई या अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ये (विशेष रूप से मानव निर्मित) चारों ओर से पक्की संरचना (दीवार आदि) से घिरी हो भी सकती हैं और नहीं भी। (जल निकायों के प्रकार के लिए इन्फोग्राफिक देखें)

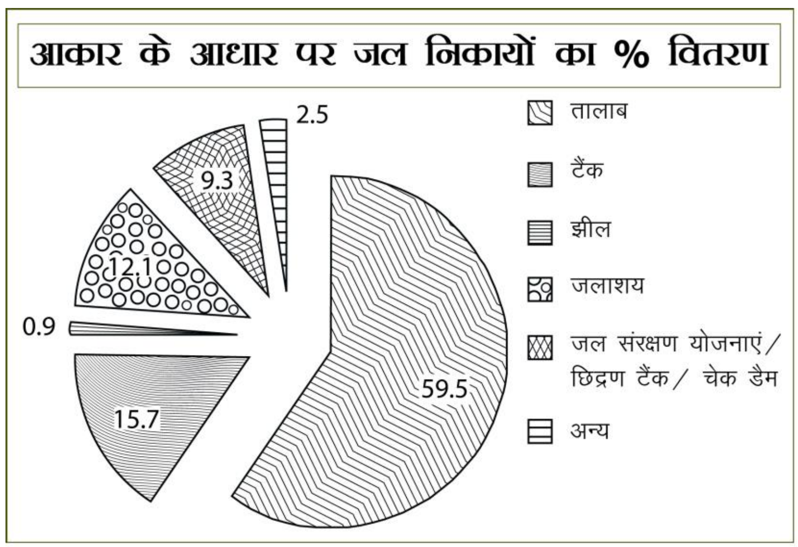


- **जल निकाय गणना के मुख्य निष्कर्ष:**
    - **24.24 लाख जलाशयों** की गणना की गई है। इनमें से **97.1 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में** हैं तथा **2.9 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों** में हैं।
    - **सर्वाधिक जल निकाय वाले शीर्ष 3 राज्य हैं:** पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश।
        - पश्चिम बंगाल के **दक्षिण 24 परगना जिले में जल निकायों की संख्या सबसे अधिक है।**
    - **सबसे कम जल निकायों वाले राज्य/केंद्र शासित प्रदेश हैं:** सिक्किम, चंडीगढ़, दिल्ली आदि।
    - **78 प्रतिशत** जल निकाय मानव निर्मित हैं, जबकि **22 प्रतिशत** जल निकाय प्राकृतिक हैं।
    - **55.2 प्रतिशत जल निकाय निजी व्यक्तियों/संस्थाओं के स्वामित्व में हैं,** जबकि शेष सार्वजनिक स्वामित्व के अधीन हैं।
    - **वाटर यूजर एसोसिएशंस** (WUA) ने जल निकायों के **अतिक्रमण को रोकने** में मदद की है।

## 5.5.3. प्रयाग प्लेटफॉर्म (Prayag Platform)

- प्रयाग (Platform for Real-time Analysis of Yamuna, Ganga and their Tributaries) - यह यमुना, गंगा और उनकी सहायक **नदियों के रियल टाइम विश्लेषण के लिए एक प्लेटफॉर्म है।**
- प्रयाग परियोजनाओं के योजना-निर्माण और निगरानी, नदी जल की गुणवत्ता आदि के लिए **एक रियल टाइम निगरानी केंद्र है।** यह अलग-अलग ऑनलाइन डैशबोर्ड जैसे गंगा तरंग पोर्टल, गंगा जिला प्रदर्शन निगरानी प्रणाली आदि के माध्यम से परियोजनाओं की निगरानी करेगा।
- इसे नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत **जल शक्ति मंत्रालय ने लॉन्च** किया है।
- यह **गंगा नदी के प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन, संरक्षण और कायाकल्प के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक एकीकृत संरक्षण मिशन** है।

- इस कार्यक्रम को 2014 में शुरू किया गया था। इसकी अवधि को 2026 तक बढ़ा दिया गया है।
    - NGP के तहत कोई राज्यवार आवंटन नहीं किया गया है।
- NGP के तहत, **केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड** गंगा नदी के जल की गुणवत्ता के आकलन के लिए अध्ययन कर रहा है।

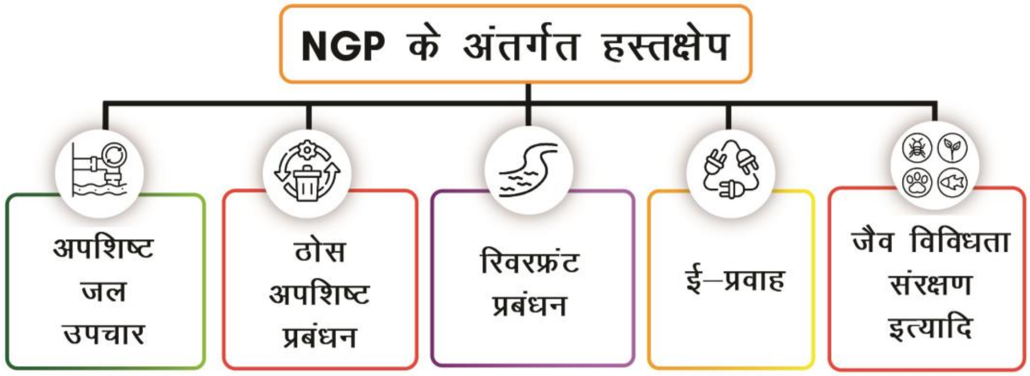


## 5.5.4. पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र {Eco-Sensitive Zones (ESZ)}

- **उच्चतम न्यायालय ने संरक्षित वनों के आस-पास पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ESZs) पर अपने पिछले आदेश में संशोधन** किया है।
- उच्चतम न्यायालय ने **जून 2022 में दिए अपने आदेश में संशोधन** किया है। तब न्यायालय ने निर्देश दिया था कि प्रत्येक **संरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर का 1 किमी का क्षेत्र ESZ** होना चाहिए। अब अपने संशोधित आदेश में शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि **ESZ पूरे देश में एक समान नहीं हो सकता है और इसे "संरक्षित क्षेत्र-विशिष्ट" होना चाहिए।**
    - इससे पहले, केंद्र और कई राज्यों ने न्यायालय के जून 2022 के आदेश में **संशोधन की मांग** की थी। उन्होंने यह तर्क दिया था कि **इससे वनों की परिधि में स्थित गांव ESZ के दायरे में आ रहे थे।**
- **ESZ का महत्व:**
    - यह संरक्षित क्षेत्रों के आस-पास **एक प्रकार का आघात-सहनशील परिवेश/ ढांचा निर्मित** करता है।
    - **शहरीकरण और अन्य विकासात्मक गतिविधियों के प्रभाव को कम** करता है।
    - **स्वस्थाने (इन-सीटू) संरक्षण में मदद** करता है।
    - **मानव-वन्य जीव संघर्ष को कम** करता है।
- **संशोधित आदेश के मुख्य निष्कर्ष:**
    - **जून 2022 का आदेश निम्नलिखित पर लागू नहीं होगा:**
        - **ऐसे ESZs** जिनके लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने **मसौदा व अंतिम अधिसूचना जारी** कर दी है। साथ ही, उन **भावी ESZs पर भी लागू नहीं होगा, जिनसे संबंधित प्रस्ताव मंत्रालय ने स्वीकार कर लिए हैं।**
        - **जहां राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य अंतर्राज्यीय सीमाओं पर स्थित हैं** या सीमाओं को साझा करते हैं।
    - राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के भीतर या इनके 1 कि.मी. के दायरे में **किसी भी तरह की खनन गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी।**
    - ESZs के भीतर की जाने वाली **किसी भी प्रकार की विकासात्मक गतिविधियों के लिए MoEF&CC, 2011 के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।** साथ ही, उन्हें MoEF&CC द्वारा जारी 2022 के कार्यालय-ज्ञापन में निहित प्रावधानों का भी अनुपालन करना होगा।
- ESZ **संरक्षित क्षेत्रों के आस-पास पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण और नाजुक क्षेत्र होते हैं।** इसकी अधिसूचना **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (EPA), 1986** के तहत जारी की जाती है।
    - **राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2002-2016) के अनुसार,** राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों की **सीमाओं से 10 कि.मी. तक के भीतर के क्षेत्र को ESZ के रूप में अधिसूचित किया जाएगा।**

## 5.5.5. प्रोसोपिस चिलेंसिस (Prosopis Chilensis)

- एक अध्ययन के अनुसार प्रोसोपिस चिलेंसिस **मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिज़र्व (GoMBR) में 21 द्वीपों में देशज वनस्पति को नुकसान** पहुंचा रहा है। प्रोसोपिस चिलेंसिस विदेशी वृक्ष की एक आक्रामक प्रजाति है।

- **प्रोसोपिस चिलेंसिस के बारे में:**
    - यह **शुष्क क्षेत्रों का सूखा प्रतिरोधी वृक्ष है।** यह दक्षिण अमेरिका के **चार देशों (अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली और पेरू) की स्थानिक प्रजाति है।**
    - यह **एक फलीदार वृक्ष** है। यह **आकार में छोटे से लेकर मध्यम तक** होता है। यह 12 मीटर ऊंचाई और 1 मीटर व्यास तक बढ़ता है।
    - प्रोसोपिस चिलेंसिस को **चिली मेसकाइट** के नाम से भी जाना जाता है।
- **GoMBR, भारत का पहला समुद्री बायोस्फीयर रिज़र्व** है। यह आर्कटिक प्रदेश से प्रवास करने वाले तटीय पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण अधिवासों में से एक है।

### 5.5.6. पर्यावरण सांख्यिकी 2023 (Environment Statistics 2023)

- हाल ही में, **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने पर्यावरण सांख्यिकी 2023 का वॉल्यूम-1** जारी किया है।
- **प्रमुख निष्कर्ष:**
    - भारत में **मापी गई वार्षिक वर्षा की मात्रा में** 2021 की तुलना में **2022 में वृद्धि हुई है।**
    - वर्ष 2022 में **राजस्थान में अधिकतम हीटवेव के दिन दर्ज** किए गए थे। इसके बाद **पंजाब, हरियाणा, झारखंड और दिल्ली** का स्थान रहा है।
        - विशेष रूप से **असम और हिमाचल प्रदेश में 2010 के बाद से हीटवेव की घटना नही** देखी गई है।
    - वर्ष 2018 में **उत्तरी हिंद महासागर (NIO) द्वारा अनुभव किए गए चक्रवाती तूफानों की संख्या में काफी वृद्धि** हुई, जो बाद के वर्षों में भी बनी रही। हालांकि, **2022 में इसमें फिर से कमी** देखी गई है।

### 5.5.7. कृषि खाद्य प्रणालियां (Agrifood Systems)

- संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (FAO) ने **"कृषि खाद्य प्रणालियों में महिलाओं की स्थिति"** शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है।
- **रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष**
    - वैश्विक स्तर पर **36 प्रतिशत कामकाजी महिलाएं और 38 प्रतिशत कामकाजी पुरुष कृषि खाद्य प्रणालियों में कार्यरत हैं।**
    - कई देशों में कृषि खाद्य प्रणालियां पुरुषों की तुलना में **महिलाओं के लिए आजीविका का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत हैं।**
    - **खाद्य प्रणाली में महिलाओं की भूमिकाएं हाशिए** पर होती है। साथ ही, उनकी कार्य दशाएं भी पुरुषों की तुलना में अच्छी नहीं होती हैं। महिलाओं की कार्य स्थितियां **अनियमित, अनौपचारिक, अंशकालिक, कम कुशल या श्रम-गहन** होती हैं।

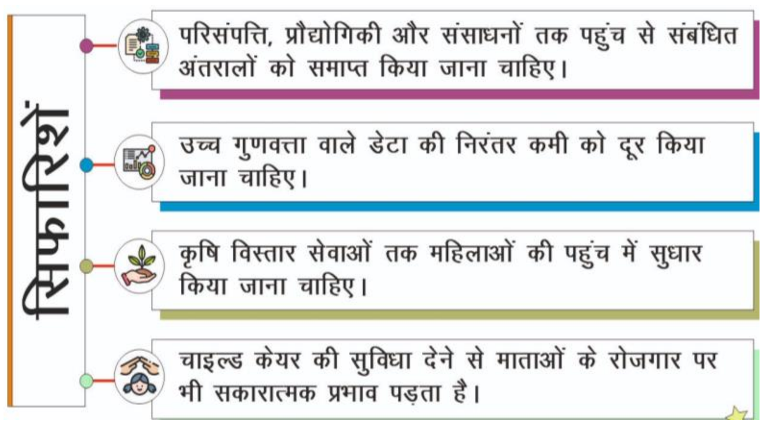


    - महिलाओं का **भूमि पर स्वामित्व भी कम सुरक्षित** है। इसके अतिरिक्त, **ऋण और प्रशिक्षण तक भी उनकी कम पहुंच** होती है। उन्हें **पुरुषों के लिए डिज़ाइन की गई तकनीक के साथ कार्य** करना पड़ता है।
    - कृषि खाद्य प्रणालियों में महिलाओं के साथ समानता **वैश्विक अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ा** सकती है। इसके अतिरिक्त, **खाद्य असुरक्षा को 45 मिलियन तक (जनसंख्या के संदर्भ में) कम** कर सकती है।
- FAO कृषि खाद्य प्रणालियों (agrifood) को **अभिकर्ताओं की संपूर्ण श्रृंखला और उनकी परस्पर संबद्ध मूल्य-संवर्धन गतिविधियों** के रूप में परिभाषित करता है। ये अभिकर्ता **खाद्य या अखाद्य कृषि उत्पादों के प्राथमिक उत्पादन** में शामिल होते हैं। साथ ही, वे गैर-कृषि उत्पादों सहित सभी खाद्य उत्पादों के भंडारण, एकत्रीकरण, संचय के बाद प्रबंधन, परिवहन, प्रसंस्करण, वितरण, विपणन, निपटान और उपभोग जैसे क्रियाकलापों में भी संलग्न होते हैं।

### 5.5.8. ओपन-सोर्स सीड्स मूवमेंट {Open-Source Seeds Movement (OSSM)}

- OSSM का पक्ष है कि **पादप आनुवंशिकी और उनके भौतिक लक्षण व्यक्तियों या निगमों के स्वामित्व में नहीं हो सकते हैं तथा न ही होने चाहिए।**
    - इसके तहत ओपन सोर्स वाले बीजों की आनुवंशिकी को संरक्षित रखा जाता है और **हमेशा सार्वजनिक रूप से उपलब्धता सुनिश्चित** की जाती है।

- उपर्युक्त उद्देश्य **ओपन-सोर्स लाइसेंस के तहत नई किस्में उपलब्ध कराकर पूरा** किया जाता है। इसके तहत निम्नलिखित उपबंध किए गए हैं:
    - कोई भी इस **किस्म का उपयोग कर सकता है, इसे उगा सकता है, प्रसारित कर सकता है तथा पादप प्रजनन (प्लांट ब्रीडिंग) के माध्यम से इसे और आगे विकसित** कर सकता है।
    - किसी को भी बीज और उसके आगे के विकास को **निजी संपदा बनाने की अनुमति नहीं है।** इस तरह **पेटेंट और पौध-किस्म संरक्षण को हतोत्साहित** किया गया है।
    - बीज प्राप्तकर्ता बीज और इसके आगे के विकास के भावी उपयोगकर्ता को समान अधिकारों व दायित्वों का हस्तांतरण करेगा।

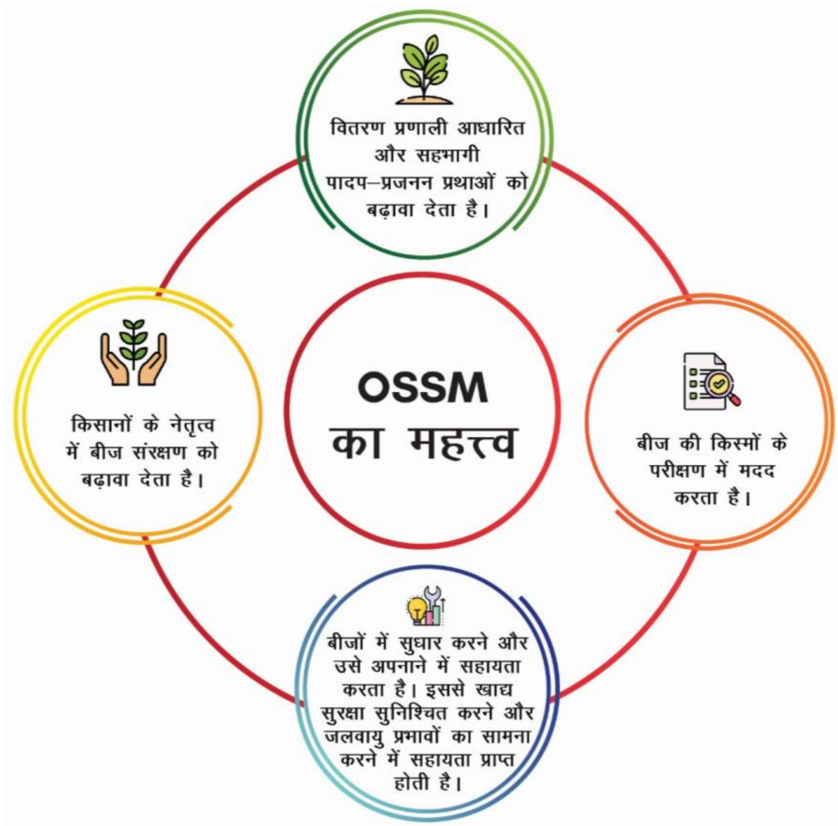


- **प्रमुख चिंताएं:** बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) का अभाव नवप्रवर्तकों को नई तकनीक में निवेश करने से हतोत्साहित करता है।
- **भारत में कृषि में IPR:**
    - **भारत पेटेंट अधिनियम, 1970 कृषि उपकरणों और मशीनरी या कृषि रसायनों के विकास की प्रक्रियाओं के लिए पेटेंट** प्रदान करता है।
    - **पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (PPV&FR) अधिनियम, 2001** उन किसानों को अधिकार प्रदान करता है, जिन्होंने **नई किस्मों को उत्पन्न या विकसित** किया है।
        - यह दुनिया का एकमात्र ऐसा IPR कानून है, जो **नई, वर्तमान और किसानों द्वारा विकसित किस्मों को संरक्षण प्रदान करके पौध प्रजनकों (plant breeders) व किसानों को बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान** करता है।

## 5.5.9. फ्लाई-ऐश (Fly-Ash)

- **अंटार्कटिक आइस कोर में औद्योगिक फ्लाई-ऐश का पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ**
- शोधकर्ताओं ने अंटार्कटिक आइस कोर में पहली बार **फ्लाई ऐश के एक घटक गोलाभीय कार्बनमय कणों (SCPs)**[76] की पहचान की है। वैज्ञानिक इन कणों की तिथि 1936 बता रहे हैं।
    - SCPs का एकमात्र स्रोत **जीवाश्म ईंधन दहन** है। इसके अलावा**, इनका कोई अन्य मानव-जनित या प्राकृतिक स्रोत नहीं** है। इस प्रकार, ये औद्योगीकरण का एक स्पष्ट पर्यावरणीय संकेतक हैं।
- **फ्लाई ऐश महीन पाउडर है। यह तापीय विद्युत स्टेशनों (TPS) में कोयले के दहन से प्राप्त एक उप-उत्पाद** है।
    - **भारतीय कोयले में ऐश (राख) की मात्रा 30-45% तक होती है,** जबकि आयातित कोयले में इसकी मात्रा **10-15%** ही होती है। इसलिए, **भारतीय कोयले को निम्न श्रेणी** का माना जाता है।
    - फ्लाई ऐश के निपटान के लिए न केवल **एक बड़े क्षेत्र की आवश्यकता** होती है, बल्कि यह **हवा और जल को भी प्रदूषित** करता है।
    - यह **पोर्टलैंड सीमेंट जैसा दिखाई देता है, किन्तु इसकी रासायनिक संरचना अलग** होती है।
    - फ्लाई ऐश **कार्बनिक प्रदूषकों, भारी धातुओं आदि की उपस्थिति के कारण विषाक्त** होती है।
- **संरचना:** इसमें पर्याप्त मात्रा में **सिलिका, एल्यूमीनियम और कैल्शियम के ऑक्साइड** होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें **आर्सेनिक, बोरॉन, क्रोमियम, सीसा** आदि की बहुत कम मात्रा पाई जाती है।

---
[76] Spheroidal carbonaceous particles

- **फ्लाई ऐश का उपयोग:**
    - **कृषि-** यह जल धारण क्षमता और मृदा के वातन/वायु संचरण में सुधार करता है।
    - **निर्माण उद्योग-** इसका सीमेंट, ईंट आदि के निर्माण में उपयोग किया जाता है।
- **सरकार द्वारा किए गए उपाय:**
    - फ्लाई ऐश प्रबंधन के लिए मोबाइल ऐप **'ऐश ट्रैक'** लॉन्च किया गया है।
    - सभी सरकारी योजनाओं में **फ्लाई ऐश आधारित उत्पादों का अनिवार्य उपयोग** किया जाएगा। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना आदि।
    - **फ्लाई ऐश उपयोग नीति, 2016** को अपनाने वाला **महाराष्ट्र पहला राज्य** बन गया है।

## 5.5.10. कार्बन बाजार सुधार (Carbon Market Reforms)

- यूरोपीय संघ (EU) के विधि-निर्माताओं ने कार्बन बाजार सुधारों को मंजूरी दी
- अपनाए गए ये सुधार **यूरोपीय संघ के फिट फॉर 55 पैकेज** का हिस्सा हैं।
    - **फिट फॉर 55** यूरोपीय संघ द्वारा **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम** करने के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य हैं। इसके तहत **2030** तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को **1990 के स्तर से कम से कम 55 प्रतिशत तक कम** करना है। साथ ही, **2050 तक शुद्ध शून्य (Net Zero) उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त** करना है।

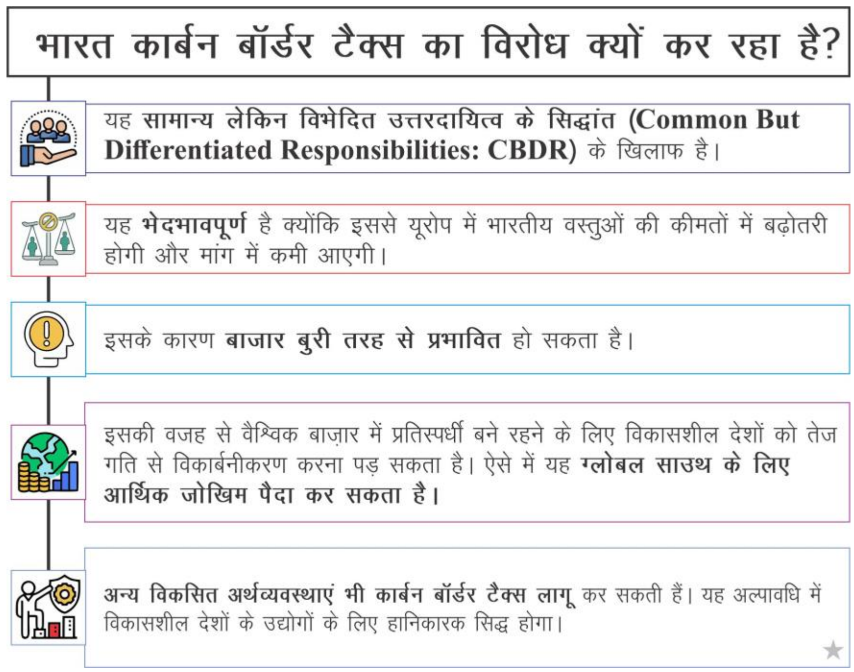


- **अपनाए गए उपाय:**
    - **सामाजिक जलवायु कोष** हरित ऊर्जा विकल्पों को अपनाने में आने वाली लागत को वहन करने में यूरोप के लोगों की सहायता करेगा।
    - **उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (ETS) में सुधार:** यूरोपीय उद्योगों और ऊर्जा कंपनियों को **2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक उत्सर्जन में 62 प्रतिशत की कटौती** करनी होगी। पहले यह लक्ष्य **43 प्रतिशत** था।
    - **कार्बन सीमा संयोजन तंत्र (CBAM):** इसके तहत उन **विदेशी कंपनियों के आयात पर कर लगाया जाएगा, जो यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण मानकों को पूरा नहीं** करती हैं।
        - **CBAM द्वारा कवर की गई वस्तुएं हैं-** लोहा, स्टील, सीमेंट, एल्यूमीनियम, उर्वरक, बिजली, हाइड्रोजन इत्यादि।
        - इसके तहत **आयातकों को EU के कार्बन मूल्य निर्धारण नियमों के समतुल्य कार्बन प्रमाण-पत्र खरीदना होगा।**
        - यदि **गैर-यूरोपीय संघ उत्पादक** अपने संबंधित देशों में पहले से ही उत्सर्जन शुल्क का भुगतान कर चुके हैं, तो यूरोपीय संघ के आयातक **CBAM देयता में कटौती का दावा कर सकते हैं।**

## 5.5.11. मिशन 50K-EV4ECO (Mission 50K-EV4ECO)

- **भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) ने मिशन 50K-EV4ECO** नामक एक पायलट योजना की शुरुआत की है।
- इस मिशन का उद्देश्य भारत में **इलेक्ट्रिक वाहन (EV) इकोसिस्टम को मजबूत** करना है। इसके लिए **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) को क्रमशः प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष ऋण के माध्यम से EV की खरीद का वित्त-पोषण** किया जाएगा।
- यह **सिडबी-विश्व बैंक के "इवॉल्व (EVOLVE)" कार्यक्रम के अग्रदूत के रूप में** कार्य करेगा।

* **SIDBI एक वैधानिक निकाय है।** इसकी स्थापना **1990** में की गई थी। इसे **MSME क्षेत्र के संवर्धन, वित्त-पोषण और विकास** के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था।
    * यह **वित्त मंत्रालय के अंतर्गत** कार्य करता है।

## 5.5.12. समुद्री सतह का तापमान {Sea Surface Temperature (SST)}

* समुद्री सतह का तापमान (SST) अब तक रिकॉर्ड किए गए इतिहास में उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। **मेन विश्वविद्यालय के जलवायु परिवर्तन संस्थान** द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार **वैश्विक औसत SST 21.1 डिग्री सेल्सियस** तक पहुंच गया है।
    * **हिंद महासागर में, 16 अप्रैल को यह तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस** दर्ज किया गया था। यह सामान्य से **1-2 डिग्री सेल्सियस अधिक है।**
    * इसके परिणामस्वरूप, **दक्षिणी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के ऊपर मजबूत समुद्री हीटवेव्स** उत्पन्न हो गई हैं।

**संबंधित तथ्य**

* वैज्ञानिक **भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून की भविष्यवाणी करने के लिए महासागरीय औसत तापमान (OMT) का उपयोग** करते हैं। इसे 26 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा (isotherm) की गहराई तक मापा जाता है।
* **26 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा 50-100 मीटर तक की गहराई पर होती है।**
* इसके विपरीत, **SST महासागर की केवल पतली ऊपरी परत के बारे में जानकारी देता है।** यह महासागर के ऊपरी हिस्से में मौजूद **तापीय ऊर्जा को प्रदर्शित नहीं** करता है।

* SST से तात्पर्य **महासागर की सतह के नजदीक जल का तापमान है।**
    * यह मुख्य रूप से **अक्षांशों के साथ बदलता** रहता है। यह **भूमध्य रेखा के निकट सबसे गर्म और ध्रुवों पर सबसे ठंडा** होता है।
    * यह **वैश्विक जलवायु प्रणाली पर मूल जानकारी** प्रदान करता है।
    * यह **समुद्री पारिस्थितिक-तंत्र, मौसम के पूर्वानुमान और वायुमंडलीय मॉडल सिमुलेशन (प्रतिरूप अनुकरण) के अध्ययन** में मदद करता है। इनमें **अल नीनो और ला-नीना चक्रों** की शुरुआत भी शामिल है।
        * अल नीनो और ला-नीना **उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में क्रमशः गर्म और शीतल चरण की जलवायु परिघटनाएं हैं। ये अल नीनो-दक्षिणी दोलन (El Niño-Southern Oscillation: ENSO)** प्रणाली के अंग हैं।

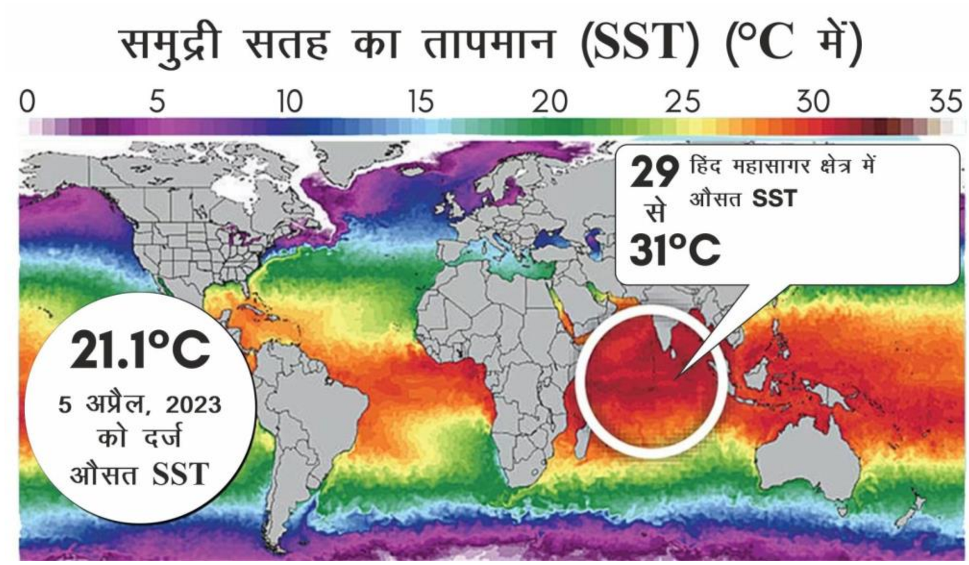


* **SST की वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारण हैं:** ग्लोबल वार्मिंग (जलवायु परिवर्तन), उच्च सौर विकिरण के साथ-साथ महासागरीय गतिकी से संबंधित परिघटनाएं आदि।
* **SST में वृद्धि के प्रभाव:**
    * इससे निम्न दबाव प्रणालियों का निर्माण होता है, जिससे **मानसून के आगमन और वर्षा की शुरुआत में मदद** मिलती है,
    * **प्रवाल विरंजन (कोरल ब्लीचिंग)** में वृद्धि होने लगती है और
    * **मछलियां मरने लगती हैं।**

## 5.5.13. उर्ध्वगामी आकाशीय बिजली या उर्ध्वगामी चमक (Upward Lightning or Upward Flashes)

* ब्राजील के शोधकर्ताओं ने उर्ध्वगामी आकाशीय बिजली की तस्वीरें लेने में सफलता हासिल की है।
* **उर्ध्वगामी आकाशीय बिजली** एक परिघटना है। इस परिघटना में धरातल पर निर्मित या मौजूद किसी **ऊर्ध्वाधर (लंबवत) भौतिक संरचना से स्व-आरंभित बिजली की चमक उत्पन्न** होती है। **बिजली की यह चमक ऊपर विद्यमान तूफान वाले विद्युत आवेशित बादलों** की ओर गति करती है।
* इस परिघटना के लिए **तूफान में बिजली की चमक पैदा होना और इसके परिणामस्वरूप आवेशित बादलों वाले क्षेत्र की मौजूदगी आवश्यक है:**

- **धरातल पर मौजूद ऊर्ध्वाधर संरचना** स्थानीय रूप से भूमि पर निर्मित विद्युत क्षेत्र को संकेंद्रित करती है।
- इसके परिणामस्वरूप, **ऊर्ध्वाधर संरचना से ऊपर की ओर बिजली की चमक पैदा होने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण** होता है। बिजली की इस चमक या रेखा को **लीडर** कहा जाता है।

### 5.5.14. पशु जन्म नियंत्रण (ABC) नियमावली, 2023 (Animal Birth Control Rules, 2023)

- मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने **पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत पशु जन्म नियंत्रण नियमावली, 2023** को अधिसूचित किया है।
- **नियमावली के अनुसार:**
  - आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए **पशु जन्म नियंत्रण (ABC) कार्यक्रम** संबंधित स्थानीय निकायों/ नगरपालिकाओं आदि द्वारा संचालित किया जाएगा।
  - पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम का संचालन **भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI) द्वारा मान्यता प्राप्त एक संगठन** करेगा।
  - नगर निगमों को **ABC और एंटी रेबीज कार्यक्रम** का संयुक्त रूप से क्रियान्वयन करने की आवश्यकता है।

QUIZ
SMART QUIZ

विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **पर्यावरण** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।

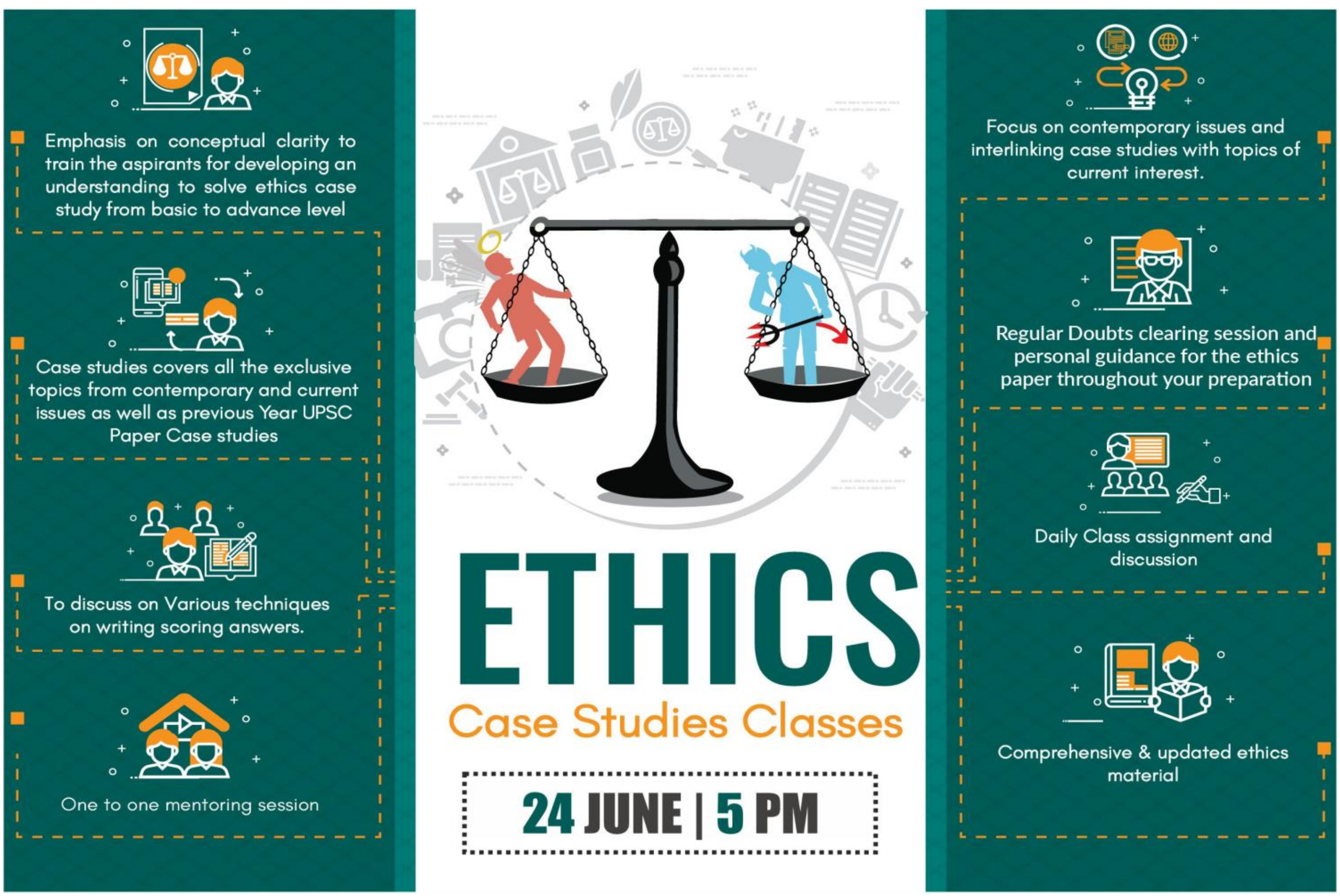

# 6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues)

## 6.1. स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (National Curriculum Framework For School Education: NCFSE)

### सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, शिक्षा मंत्रालय (MoE) ने **लोगों के फीडबैक हेतु 'स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या' की रूपरेखा (NCFSE) का प्री-ड्राफ्ट** जारी किया है।

**राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF) और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP)-2020**

- NEP **देश में शिक्षा के विकास** का मार्गदर्शन करने वाला एक व्यापक ढांचा है।
    - यह ढांचा शिक्षा के विकास का मार्गदर्शन करता है तथा **शिक्षा को विनियमित करने और बढ़ावा देने के लिए दिशा-निर्देश** प्रदान करता है।

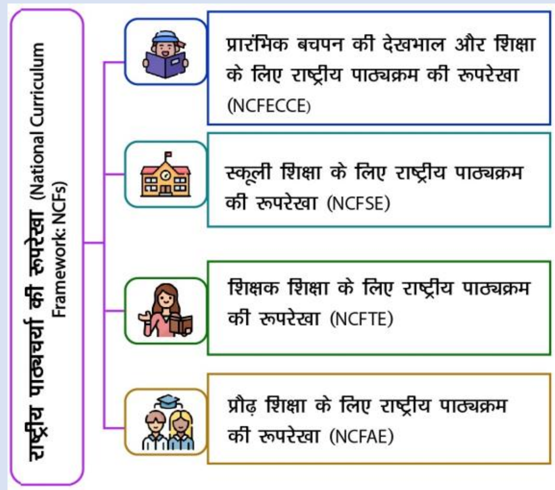


- NEP, 2020 का उद्देश्य **4 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCFs) तैयार** करना है। इसके लिए शिक्षा मंत्रालय (MoE) तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) द्वारा संयुक्त रूप से एक व्यापक रणनीति तैयार की गई है।
- MoE द्वारा **डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता** में एक राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य NCFs के विकास के कार्य को शुरू करना और उसे मार्गदर्शन प्रदान करना था।
- NCF भारत में विविध संस्थानों की संपूर्ण श्रृंखला में **3 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के लिए शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है।**
    - NEP 2020 की परिकल्पना के अनुसार **चार चरणों 5+3+3+4 में स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम और शैक्षणिक पुनर्गठन को लागू** किया जाएगा।
- **प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCFECCE)[77] पहले से ही तैयार है,** शेष कार्य शिक्षक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के लिए NCF को तैयार करने पर चल रहा है।
- NCF, **राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों और प्रतिबद्धताओं को जीवंत** करता है, जैसे-
    - इसमें **मानवीय क्षमताओं, मूल्यों और स्वभावों की पूरी श्रृंखला शामिल है।** इन्हें स्कूली शिक्षा के अंतर्गत छात्रों में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।
    - इन्हें विकसित करने के लिए **शिक्षाशास्त्र (Pedagogy), कार्यप्रणालियों एवं संस्कृति को मिलकर कार्य करना** चाहिए। साथ ही, याद रखने और पाठ्य सामग्री एकत्र करने पर अत्यधिक जोर देने से बचना चाहिए। वास्तव में, इस तरह के विकास के लिए जगह बनाने हेतु पाठ्य सामग्री को कम करना आवश्यक है।
    - गणित से लेकर खेल तक के **सभी विषयों और सीखने के सभी प्रक्षेत्रों (Domains) के लिए समान स्थिति के साथ एकीकरण एवं समग्रता को अपनाना।**
    - हमारे देश की शिक्षा प्रणाली के सामने आने वाली **वास्तविक चुनौतियों का सामना करना और उनका समाधान करना।**

### प्रस्तावित NCFSE के बारे में

- NCFSE का उद्देश्य **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 के अनुसार पाठ्यपुस्तकों और पाठ्यक्रम के विकास** का मार्गदर्शन करना है।
    - **NCFSE को अंतिम बार 2005 में संशोधित** किया गया था और NCERT की पाठ्य पुस्तकों के मौजूदा सेट इसका उपयोग करके तैयार किए गए थे।
- प्रस्तावित NCFSE **3 से 18 वर्ष की आयु** वर्ग के विद्यार्थियों के लिए है।
- CBSE एवं अन्य राज्य बोर्डों द्वारा NCFSE को अपनाए जाने के बाद, **यह कक्षा के अन्य विविध पहलुओं को भी पुनर्गठित** करेगा। इन पहलुओं में **विषयों की पसंद, शिक्षण का पैटर्न और छात्रों का आकलन भी शामिल है।**

### प्रस्तावित पाठ्यक्रम में परिवर्तन

- **कक्षावार दृष्टिकोण:**
    - **3-8 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों (प्री-स्कूल से कक्षा-II तक) के लिए** खिलौनों, पहेलियों और जोड़-तोड़ का उपयोग करके खेल आधारित शैक्षणिक दृष्टिकोण का सुझाव दिया गया है।
    - **मिडिल स्तर (कक्षा VI, VII, VIII) के लिए,** प्राकृतिक विज्ञान के साथ-साथ सामाजिक विज्ञान के विषयों को भी शुरू किया जाएगा। पाठ्यपुस्तकें मिडिल स्कूल स्तर से ही एक केंद्रीय भूमिका निभाएंगी।

---

[77] National Curriculum Framework for Early Childhood Care and Education


©Vision IAS

- कक्षा IX और X के लिए, छात्रों को 8 अलग-अलग पाठ्यचर्या क्षेत्रों के अंतर्गत वर्गीकृत 16 पाठ्यक्रमों का अध्ययन करना होगा। साथ ही, अंतिम प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आठ प्रश्न पत्रों को उत्तीर्ण करना होगा।
    - सुझाए गए पाठ्यचर्या क्षेत्र हैं- **मानविकी (इसमें भाषाएं भी शामिल हैं), गणित और कम्प्यूटिंग, व्यावसायिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, कला, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान तथा अंतर्विषयक क्षेत्र।**

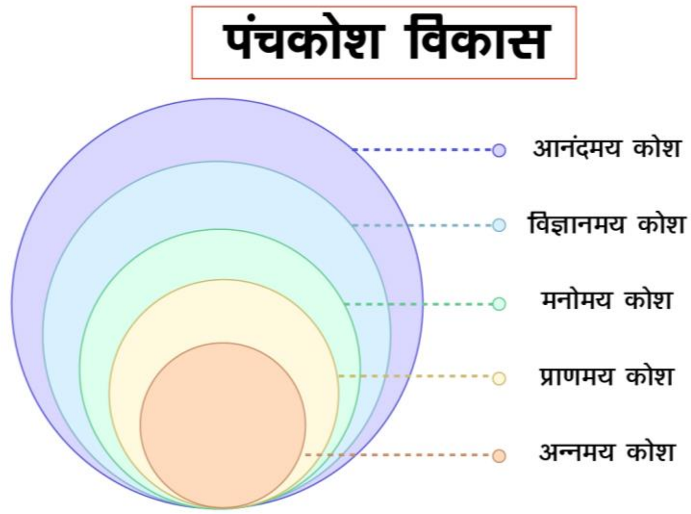


- ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के लिए समान विषयों से विकल्प आधारित पाठ्यक्रम प्रदान किए जाएंगे। साथ ही, **12वीं कक्षा के लिए संचयी ग्रेड अंकों के साथ परीक्षा की सेमेस्टर प्रणाली शुरू की जाएगी।**

- **कला, मानविकी और विज्ञान के बीच कोई कठोर विभाजन नहीं:** कला, मानविकी और विज्ञान के बीच कोई कठोर विभाजन नहीं होगा। छात्रों को मिश्रित पृष्ठभूमि के तहत विषयों को आगे जारी रखने का अवसर प्रदान किया जाएगा।
- **शैक्षणिक वर्ष और स्कूल कार्यक्रम:** NCF एक विशिष्ट रूपरेखा प्रदान करता है, जिसमें सुझाव दिया गया है कि शैक्षणिक वर्ष शिक्षा के सभी चरणों में 180 स्कूल दिवस या 34 सप्ताह का होना चाहिए।
    - इसमें विद्यार्थियों के लिए **29 घंटों वाले यानी साढ़े पांच दिन के स्कूली पढ़ाई कार्यक्रम** की मांग की गई है। एक कक्षा की अवधि 40 मिनट (कक्षा VIII तक) या 50 मिनट (कक्षा IX से) होगी।
- **अन्य सिफारिशें:**
    - वर्ष के अंत में एकल परीक्षा की बजाय **मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षाएं** आयोजित की जाएंगी।
    - NCF के प्री-ड्राफ्ट में **प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपराओं के एकीकरण** का प्रस्ताव है, जैसे कि **6 प्रमाण (ज्ञान प्राप्त करने के तरीके) और तैत्तिरीय उपनिषद में नैतिक विकास के लिए वर्णित पंचकोश प्रणाली** आदि।

मसौदे में ऐसे तरीके प्रस्तावित हैं, जिनके माध्यम से भारतीय शिक्षा प्रणाली में वर्तमान और भविष्य के रुझानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सुधार किया जा सकता है। ये तरीके हमें हमारे मूल से जोड़े रखेंगे तथा ये एक बहुलतावादी विश्व की बढ़ती मांगों के अनुकूल भी हैं।

**स्कूली शिक्षा के लिए NCF का महत्त्व**

- **प्रकृति में समग्र:** छात्रों को अलग-अलग स्ट्रीम्स के तहत विविध विषयों को पढ़ने का अवसर प्रदान किया जाता है।
- **सांस्कृतिक संबद्धता को आत्मसात करता है:** पाठ्यक्रम का लक्ष्य छात्रों को अपने सांस्कृतिक जुड़ाव को बेहतर ढंग से समझने में मदद करना है, ताकि वे बेहतर तरीके से इसका आनंद ले सकें और इसका प्रचार कर सकें।
- **समानता प्रदान करता है:** यह जाति, लिंग, धर्म, सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों तथा स्कूल में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर भेदभाव के खिलाफ है।
- **सीखने के स्तर में सुधार करता है:** सेमेस्टर आधारित दृष्टिकोण एक बार होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के कारण पैदा हुई चिंता को कम करता है। साथ ही, छात्रों को बेहतर तैयारी करने और सीखने में मदद करता है।
- **देश के भविष्य के लिए आदर्श स्थापित करता है:** शिक्षा शास्त्र को छात्र को बेहतर रीति से सिखाने तथा उसे कानून का पालन करने वाला आदर्श नागरिक बनाने हेतु निर्मित किया गया है।

**स्कूली शिक्षा** के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए।

**वीकली फोकस #56:** स्कूली शिक्षाः मस्तिष्क कोरा कागज होता है

## 6.2. नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क (National Credit Framework: NCrF)

### सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)** ने **नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क (NCrF)** जारी किया है।

### NCrF की पृष्ठभूमि

* **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP)-2020** के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, **केंद्र सरकार ने एक उच्च-स्तरीय समिति (2021) के गठन को मंजूरी** दी है। यह समिति सामान्य, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण/कौशल के लिए एक **राष्ट्रीय क्रेडिट संचय**[78] और **हस्तांतरण फ्रेमवर्क**[79] विकसित करेगी।

[78] National Credit Accumulation

[79] Transfer Framework

- **NCrF को एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा संयुक्त रूप से विकसित** किया गया है। इस समिति में UGC, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE), राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (NCVET), NCERT, शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, CBSE आदि के सदस्य शामिल थे।

**नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क (NCrF) के बारे में**

- यह स्कूली शिक्षा, उच्चतर शिक्षा तथा व्यावसायिक और कौशल शिक्षा के माध्यम से **अर्जित क्रेडिट्स को मूल रूप से एकीकृत करने के लिए एक समावेशी एकल मेटा फ्रेमवर्क है।**
- सभी शिक्षाओं के क्रेडिटाइजेशन और एकीकरण के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (NCrF) में उच्चतर शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल शिक्षा तथा स्कूली शिक्षा के लिए योग्यता फ्रेमवर्क शामिल होंगे, अर्थात्:
  - **राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क** (National Higher Education Qualification Framework: NHEQF),
  - **राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क** (National Skills Qualification Framework: NSQF),
  - **राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क (NCF) / राष्ट्रीय स्कूली शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क (NSEQF)** {National Curriculum Framework (NCF)/ National School Education Qualification Framework (NSEQF)}।
- यह फ्रेमवर्क स्कूली शिक्षा, उच्चतर शिक्षा और व्यावसायिक एवं कौशल शिक्षा के माध्यम से **अर्जित क्रेडिट्स को एकीकृत करने का प्रयास** करता है। इससे छात्रों के बीच **लचीलापन और गतिशीलता सुनिश्चित हो सकेगी।**
  - यह क्रेडिट सिस्टम को अपनाने में स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों द्वारा **पालन किए जाने वाले दिशा-निर्देश उपलब्ध कराएगा।**

- यह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी तथा खेल के क्षेत्र में व्यापक आधार वाली बहु-विषयक शिक्षा को सक्षम करके **शिक्षा को और अधिक समग्र** बनाता है।
- यह फ्रेमवर्क IIT, IIM, NIT और अन्य राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थानों द्वारा पालन किए जा रहे मौजूदा नियमों, दिशा-निर्देशों और योग्यता ढांचे के आधार पर बनाया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि उच्चतर शिक्षा, स्कूली शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में मल्टीपल एंट्री-मल्टीपल एग्जिट (ME-ME) विकल्प उपलब्ध, सुलभ तथा लागू हो सकें।
- इसका उद्देश्य अलग-अलग उद्योगों के बारे में छात्रों को कौशल और इन-हैंड अनुभव प्रदान करना है। इससे वे उद्योगों की जरूरतों के हिसाब से अधिक योग्य बनने के लिए बेहतर ज्ञान और कौशल प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे।

**NCrF की मुख्य विशेषताएं**

- **क्रेडिट सिस्टम:** यह शिक्षा को 8 स्तरों में विभाजित करता है-
  - स्कूली शिक्षा 1-4 स्तर के अंतर्गत आती है,
  - 4.5-8 का स्तर उच्चतर शिक्षा को संदर्भित करता है, तथा
  - व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को 1 से 8 स्तर के अंतर्गत रखा गया है।

- अकादमिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल शिक्षा के पूरा होने के बाद अर्जित क्रेडिट्स को **ऐकडेमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (ABC) में संग्रहीत किया जाएगा।**
- **क्रेडिट अर्जित करने के अलग-अलग साधन:** एक छात्र तीन अलग-अलग माध्यमों से क्रेडिट अर्जित कर सकता है:
  - शैक्षणिक शिक्षा पूरी करके,
  - व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण या कौशल कार्यक्रम से गुजरकर,
  - उद्योगों से प्राप्त प्रासंगिक अनुभव और प्रवीणता स्तर जैसी अनुभवात्मक शिक्षण को ग्रहण करके।
- **अर्जित क्रेडिट्स का एकीकरण:** इसका उद्देश्य NHEQF, NSQF और NSEQF को शामिल करके **स्कूलों, कॉलेजों, व्यावसायिक तथा कौशल शिक्षा के माध्यम से अर्जित क्रेडिट्स को एकीकृत करना है।**
- **मल्टीपल एंट्री-मल्टीपल एग्जिट (ME-ME) विकल्प:** यह एक से अधिक बार प्रवेश करने और बाहर निकलने के विकल्पों के माध्यम से **आजीवन सीखने को सक्षम** बनाता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि क्रेडिट ट्रांसफर तंत्र **एक छात्र को अपने करियर के दौरान किसी भी समय शैक्षिक पारितंत्र में प्रवेश करने, बाहर निकलने और फिर से प्रवेश करने में सक्षम** बनाता है।
  - गौरतलब है कि **मौजूदा नियमों, दिशा-निर्देशों और योग्यता ढांचे के आधार पर** तैयार इस फ्रेमवर्क का पालन IITs, IIMs, NITs और राष्ट्रीय महत्व के अन्य संस्थानों द्वारा किया जा रहा है।
- **अनुमानित सीखने के घंटे की अवधारणा:** यह उस समय को संदर्भित करती है, **जब एक औसत छात्र को सभी कक्षाओं में भाग लेने, परीक्षणों के लिए उपस्थित होने और असाइनमेंट जमा करने की आवश्यकता होती है।**
  - स्कूल, कॉलेज, व्यावसायिक और कौशल शिक्षा के लिए कुल सांकेतिक शिक्षण घंटे 1200 घंटे/वर्ष निर्धारित किए गए हैं।

**निष्कर्ष**

NEP को अधिक प्रभावी बनाने के लिए NCrF एक आवश्यक कदम है, ताकि भारत को सभी पहलुओं में बदलने के लिए जनसांख्यिकीय लाभांश का वास्तविक लाभ प्राप्त किया जा सके।

## 6.3. 2019-20 के लिए 7वां राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (NHA) अनुमान {7th National Health Accounts (NHA) Estimates (For 2019-20)}

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, 2019-20 के लिए 7वां राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (NHA)[80] अनुमान जारी किया गया है।

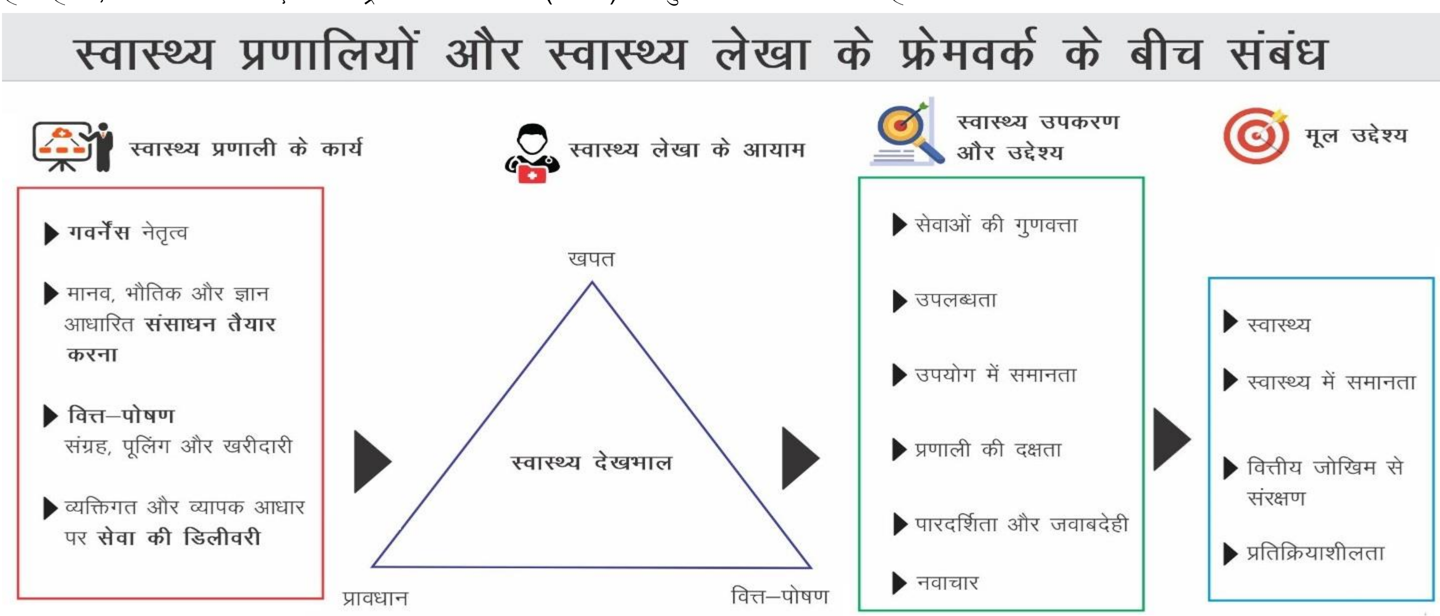


80 National Health Accounts

**राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान के बारे में**

- इसका **प्रकाशन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoH&FW)** ने किया है।
- इसे **राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (NHSRC)** ने तैयार किया है। NHSRC को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2014 में **राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा के तकनीकी सचिवालय (NHATS)** के रूप में नामित किया था। इस कार्य में इसे **NHA संचालन समिति और भारत के लिए NHA विशेषज्ञ समूह का मार्गदर्शन व समर्थन** भी प्राप्त हुआ था।
- ये अनुमान नीति निर्माताओं को देश के **अलग-अलग स्वास्थ्य वित्त-पोषण संकेतकों में प्रगति की निगरानी** करने में सक्षम बनाते हैं।
- भारत के लिए NHA की परिकल्पना **राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002** में की गई थी। यह **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के सिस्टम ऑफ हेल्थ अकाउंट्स, 2011 के फ्रेमवर्क** पर आधारित है।

**महत्वपूर्ण निष्कर्ष:**

| स्वास्थ्य संकेतक | 2013-14 की तुलना में 2019-20 के रुझान | महत्वपूर्ण तथ्य |
|---|---|---|
| **सकल घरेलू उत्पाद (GDP) और प्रति व्यक्ति आय के प्रतिशत के रूप में कुल स्वास्थ्य व्यय** | • GDP के प्रतिशत के रूप में कुल स्वास्थ्य व्यय 4% से कम होकर **3.3% हो** गया।<br>• प्रति व्यक्ति कुल स्वास्थ्य व्यय 3,638 से बढ़कर **4,863 रुपये** हो गया। | • कुल स्वास्थ्य व्यय में बाहरी निधियों सहित **सरकारी और निजी स्रोतों** द्वारा किए गए **वर्तमान और पूंजीगत व्यय** शामिल हैं। |
| **कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में वर्तमान स्वास्थ्य व्यय** | • यह 93% से **घटकर 90.52%** हो गया। | • वर्तमान स्वास्थ्य व्यय, स्वास्थ्य देखभाल उद्देश्यों के लिए **बार-बार होने वाले व्यय** को शामिल करता है। यह स्वास्थ्य देखभाल पर होने वाले सभी पूंजीगत व्यय में जुड़ जाता है। |
| **कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में सरकारी स्वास्थ्य व्यय (GHE)** | • यह 28.6% से **बढ़कर 41.41%** हो गया। | • GHE में अर्द्ध-सरकारी संगठनों और सरकारी संगठनों के माध्यम से दिए जाने वाले दान सहित **संघ, राज्य** और **स्थानीय सरकारों** द्वारा वित्त-पोषित व प्रबंधित सभी योजनाओं के तहत किए गए व्यय शामिल हैं। |
| **कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में आउट ऑफ़ पॉकेट व्यय (OOPE)** | • यह 64.2% से **घटकर 47.1%** हो गया। | • OOPE स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करते समय **परिवारों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाने वाला व्यय** है। |
| **कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य पर सामाजिक सुरक्षा व्यय (SSE)** | • यह 6% से **बढ़कर** 9.3% हो गया है। | • SSE में **केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वित्त-पोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं, कर्मचारी लाभ योजनाओं** आदि के लिए प्रीमियम के भुगतान हेतु सरकार द्वारा आवंटित वित्त शामिल है। |
| **कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में निजी स्वास्थ्य बीमा व्यय** | • **यह 3.4% से बढ़कर 7% हो गया है।** | • इसमें **स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के माध्यम से व्यय** शामिल है। इसमें परिवार या नियोक्ता एक विशेष स्वास्थ्य योजना के तहत कवर किए जाने के लिए प्रीमियम का भुगतान करते हैं। |
| **कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य के लिए बाह्य/दाता अनुदान** | • **यह 0.3% से बढ़कर 0.5% हो गया है।** | • इसमें **दानदाताओं द्वारा प्रदत्त सहायता** के रूप में देश को उपलब्ध सभी निधियां शामिल हैं। |

**सिस्टम ऑफ हेल्थ अकाउंट्स, 2011**

- यह **उपभोग, प्रावधान और वित्त-पोषण** के तीन अक्षों के अनुसार **स्वास्थ्य व्यय को वर्गीकृत** करने के लिए एक मानक प्रदान करता है।
- यह ढांचा **आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD), EUROSTAT और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** के बीच एक गहन सहयोग द्वारा तैयार किया गया है। साथ ही, एक व्यापक वैश्विक परामर्श प्रक्रिया द्वारा समर्थित है।
- यह **स्वास्थ्य रिकॉर्ड को संकलित करने में मार्गदर्शन और पद्धतिगत समर्थन** प्रदान करता है।

- उद्देश्य
  - स्वास्थ्य व्यय और स्वास्थ्य प्रणाली विश्लेषण की अंतर्राष्ट्रीय तुलना के लिए प्रासंगिक मुख्य समूहों का ढांचा प्रदान करना।
  - अलग-अलग देशों द्वारा विस्तार योग्य एक उपकरण प्रदान करना, जो स्वास्थ्य प्रणाली की निगरानी और विश्लेषण में उपयोगी डेटा उत्पन्न कर सके।
  - उपभोग व्यय पर नज़र रखने के लिए स्वास्थ्य देखभाल की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामंजस्यपूर्ण सीमाओं को परिभाषित करना।

## 6.4. विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट , 2023 (State of World Population Report 2023)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) ने **"विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2023: 8 बिलियन लोग और अनंत संभावनाएं[81]"** शीर्षक से अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की है।

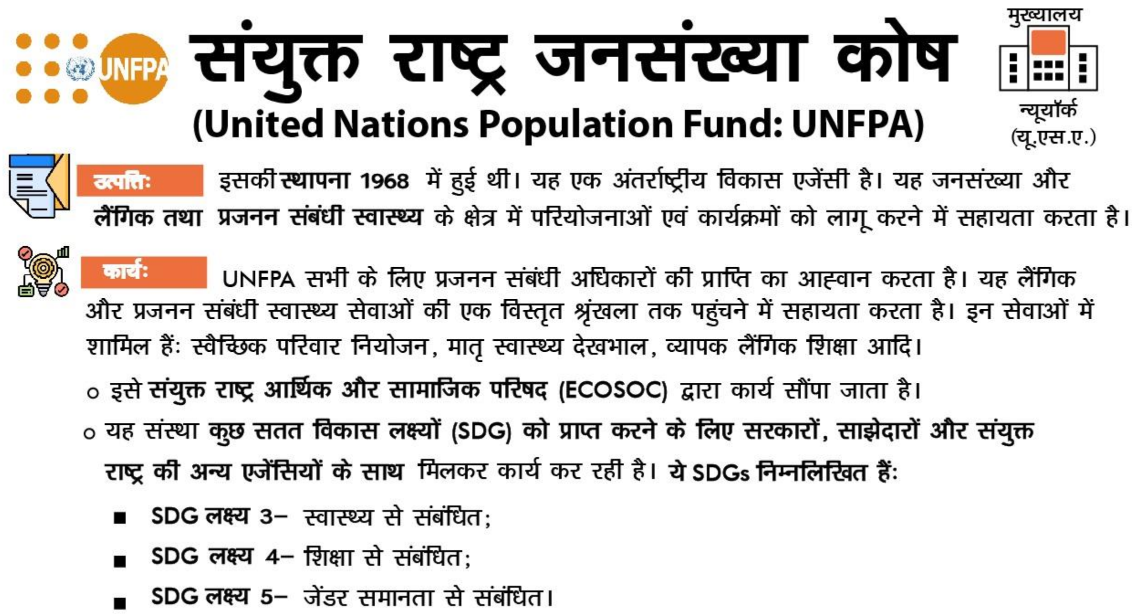


**अन्य संबंधित तथ्य**

- यह UNFPA द्वारा **प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट** है। इसमें दुनिया की आबादी और जनसांख्यिकी में होने वाले बदलावों तथा इसकी प्रवृत्तियों को शामिल किया गया है। साथ ही, उनका विश्लेषण भी किया गया है।
- यह रिपोर्ट **विशिष्ट क्षेत्रों, देशों और जनसंख्या समूहों** एवं उनके द्वारा सामना की जाने वाली विशेष चुनौतियों को भी रेखांकित करती है।
- इस रिपोर्ट में **हाल ही में मानव आबादी के 8 बिलियन तक पहुंचने** और जनसंख्या परिवर्तन से जुड़े आख्यानों पर चर्चा की गई है।

**रिपोर्ट में भारत के संबंध में प्रमुख निष्कर्ष**

- **सबसे अधिक आबादी वाला देश:** भारत की **जनसंख्या के 2023 के मध्य तक 1428.6 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान** है। इसके साथ ही भारत **वर्तमान सर्वाधिक आबादी वाले देश चीन (1425.7 मिलियन) की जगह ले लेगा।**
- **सबसे युवा देशों में से एक: भारत की लगभग 68% जनसंख्या 15-64 वर्ष आयु वर्ग की है और लगभग 26% जनसंख्या 10-24 वर्ष के बीच की है।** इस तरह भारत विश्व के **सबसे युवा आबादी वाले देशों** में से एक है।
- **वृद्ध आबादी का बढ़ना निश्चित है:**

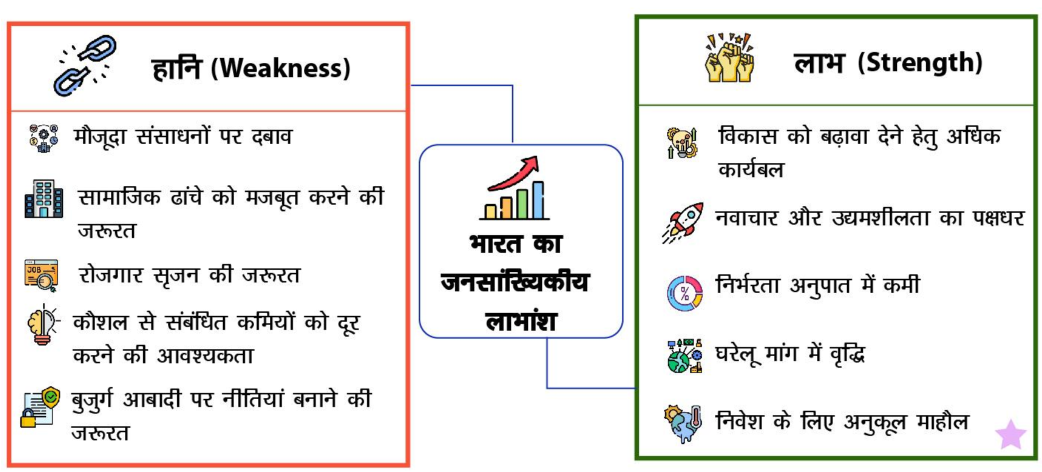


[81] World Population report 2023: 8 Billion lives infinite possibilities

वर्तमान में **7% भारतीय आबादी 65 वर्ष से अधिक आयु की है** और इस अनुपात का धीरे-धीरे बढ़ना तय है।

- **गिरती प्रजनन दर:** वर्तमान में **कुल प्रजनन दर 2.0 है**, जो 2015-16 में 2.2 से कम हो गई है।
- **जीवन प्रत्याशा में सुधार: एक भारतीय पुरुष की औसत जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष है** और **भारतीय महिला की 74 वर्ष** है।

**अन्य महत्वपूर्ण निष्कर्ष:**

- **वैश्विक जीवन प्रत्याशा 2019 में 72.8 वर्ष** तक पहुंच गई थी। इसके **2050 तक 77.2 वर्ष** तक पहुंचने की उम्मीद है।
- **कई उच्च आय वाले देशों में प्रवासन को जनसंख्या वृद्धि का एकमात्र चालक माना गया है।**
- **वर्ष 2050 तक वैश्विक जनसंख्या में 50% हिस्सेदारी केवल 8 देशों की होगी।** ये देश हैं- डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, मिस्र, इथियोपिया, **भारत,** नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया।

**रिपोर्ट में दिए गए सुझाव**

- महिलाओं और लड़कियों के लिए **लैंगिक समानता सुनिश्चित करना, उनके सशक्तीकरण एवं अधिक शारीरिक स्वायत्तता को प्रोत्साहित करना** एक संधारणीय भविष्य के प्रमुख निर्धारकों में से एक है।
- 25 वर्ष से कम आयु की लगभग आधी आबादी के साथ, भारत के पास जनसांख्यिकीय लाभांश से लाभान्वित होने का एक समयबद्ध अवसर है। **महिलाओं को यह निर्णय करने के लिए अधिक अधिकार देना कि वे बच्चे को कब और कैसे जन्म दे,** इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- रिपोर्ट लैंगिक समानता और अधिकारों को केंद्र में रखते हुए सरकारी नीतियों के निर्माण की सिफारिश करती है, जैसे **पितृत्व अवकाश कार्यक्रम, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट्स, कार्यस्थल पर लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाली नीतियां** और यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य व अधिकारों तक सार्वभौमिक पहुंच आदि।

## 6.5. वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2023 (Global Food Policy Report 2023)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (IFPRI)[82] ने **"वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2023: खाद्य संकट संबंधी प्रतिक्रियाओं पर पुनर्विचार[83] "** शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है।

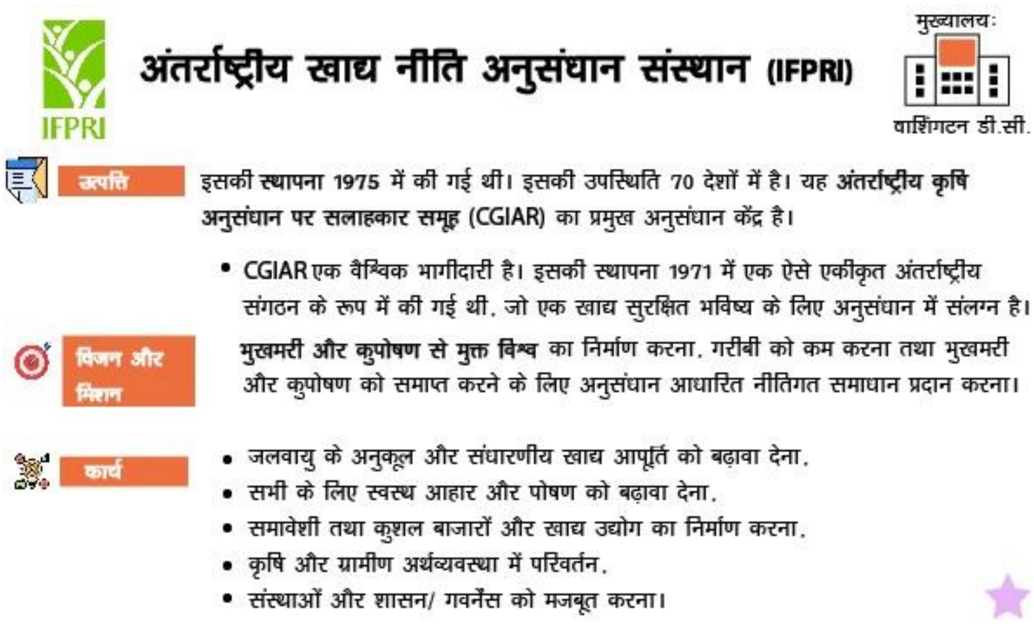


**इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र**

इस रिपोर्ट में प्रमाणों के माध्यम से यह पता लगाने की कोशिश की गई है कि **अलग-अलग नीतिगत प्रतिक्रियाओं से खाद्य संकट के तात्कालिक और दीर्घकालिक प्रभावों को कैसे कम किया जा सकता है**। साथ ही, कैसे भविष्य के लिए आजीविका, आय, खाद्य सुरक्षा और पोषण में सुधार किया जा सकता है।

- **खाद्य असुरक्षा:** वर्ष 2020-2022 के दौरान कई कारणों से **खाद्य असुरक्षा में वृद्धि** हुई है। इन कारणों में शामिल हैं: कोविड-19 महामारी, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं, नागरिक अशांति और राजनीतिक अस्थिरता।
    - **जलवायु परिवर्तन के कारण** 2050 तक **72 मिलियन से अधिक लोग** अल्पपोषित हो जाएंगे।

---

[82] International Food Policy Research Institute

[83] Global food policy report 2023: Rethinking food crisis responses

- **वैश्विक विकास की प्रगति में ठहराव:** वैश्विक विकास की प्रगति स्थिर हो गई है, यहां तक कि कुछ क्षेत्रों में तो यह विपरीत हो गई है। ऐसा महामारी के प्रकोप के कारण हुआ है। इससे **उपलब्ध भोजन की मात्रा और गुणवत्ता दोनों प्रभावित हुई है।**
- **खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि:** कोविड-19 रिकवरी में आपूर्ति संबंधी बाधाओं और रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण 2021-22 में खाद्य कीमतों में वृद्धि हुई थी। कई देशों में जरूरी खाद्य पदार्थों (Basic food basket) की कीमतों में कम-से-कम 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इससे कई लोगों के लिए भोजन अवहनीय हो गया।
- **आपदा प्रबंधन में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व:** महिलाओं की भागीदारी से आपदा प्रबंधन से जुड़े परिणामों में सुधार के प्रमाण मौजूद हैं। इसके बावजूद आपदा प्रबंधन में महिलाओं के विचारों की उपेक्षा की जाती है और उन्हें परियोजनाओं के डिजाइन में शामिल नहीं किया जाता है।
- **भुखमरी और कुपोषण का सामना करने वाली विस्थापित आबादी:** विश्व में विस्थापित लोगों के लगभग ⅘ वें हिस्से ने तीव्र भुखमरी तथा कुपोषण का सामना किया है।

| रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें | |
|---|---|
| **क्षेत्र** | **उपाय** |
| **खाद्य प्रणाली के आपूर्ति और मूल्य संबंधी आघातों के प्रति अग्रसक्रिय प्रतिक्रिया** | • खाद्य प्रणाली के आपूर्ति और मूल्य संबंधी आघातों के प्रति अधिक अग्रसक्रिय प्रतिक्रिया के साथ-साथ निम्नलिखित **तीन प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित** करना चाहिए:<br>○ खाद्य संकट का पूर्वानुमान और तैयारी;<br>○ संकट से पहले और दौरान प्रणाली को आघात सहनीय बनाना; तथा<br>○ संकट से निपटने में सहायता करना और इसमें महिलाओं, विवश प्रवासियों व अन्य कमजोर/ सुभेद्य समूहों को शामिल करना। |
| **जोखिम निगरानी** | • **अकाल की घोषणा के लिए प्रोटोकॉल को संशोधित करने की जरूरत है**, ताकि **संघर्ष प्रभावित स्थानों में भी इसकी घोषणा** की जा सके।<br>• इसके अलावा, तीव्र खाद्य असुरक्षा चेतावनी प्रणाली के साथ **मौजूदा कृषि प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों का बेहतर एकीकरण** किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण है। |
| **मानवीय प्रतिक्रिया** | • **ऐसे उपायों को अपनाया जाए** जिनमें **मानवीयता-विकास-शांति** के उद्देश्यों की झलक दिखे। इसके कुछ उदाहरण हैं: पोषण-संवेदनशील कार्यक्रम, स्थानीय खरीद का उपयोग आदि।<br>• **आपात की स्थिति में महिलाओं को सशक्त बनाना महत्वपूर्ण है**; क्योंकि वे नकारात्मक प्रभावों का सर्वाधिक सामना करती हैं। |
| **लचीली खाद्य प्रणालियों का निर्माण** | • **आघातों के प्रकार**, विशेष संदर्भ और मूल्य श्रृंखला के आधार पर **प्रभावी कदम उठाए जाएं।**<br>• **जलवायु-स्मार्ट कृषि** और **सूचकांक-आधारित बीमा** जैसी लचीली प्रणालियों का निर्माण करने वाली बेहतर एवं अभिनव प्रौद्योगिकियों व समाधानों में निवेश किया जाए। |
| **संकट से उबरने के लिए अनुकूली सुरक्षा जाल** | • सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में **शॉक-रेस्पॉन्सिव डिजाइन को शामिल करने हेतु उचित निवेश करने की जरूरत है।** इसके उदाहरण हैं: निगरानी और भविष्यवाणी करने वाली प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली में निवेश।<br>• आपातकालीन **मानवीय सहायता** और **पहले से मौजूद सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के बीच समन्वय में सुधार** करने की आवश्यकता है। |
| **सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों पर जोर देना** | • **सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना**, क्योंकि वे संकट से पहले आघात सहनीय बनने और संकट से उभरने में मदद करेंगी। |

## 6.6. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

### 6.6.1. ट्रिपल थ्रेट रिपोर्ट (Triple Threat Report)

- संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ/ UNICEF) ने **"ट्रिपल थ्रेट" शीर्षक से एक रिपोर्ट** जारी की है। इस रिपोर्ट में **बच्चों द्वारा सामना किए जाने वाले 'जल, साफ-सफाई और स्वच्छता' (WASH)**[84] से संबंधित खतरों के **'तिहरे बोझ'** का परीक्षण किया गया है।
    - WASH **सुरक्षित पेयजल तक पहुंच, बेहतर साफ-सफाई सुविधाओं तक पहुंच और स्वच्छता के बुनियादी स्तर को बनाए रखने** के लिए उपयोग की जाने वाली एक सामूहिक शब्दावली है।

---

[84] Water Sanitation & Hygiene

- **तिहरे बोझ/खतरे को निम्नलिखित के रूप में परिभाषित किया गया है:**
    - **जल या स्वच्छता संबंधी मूलभूत सेवाओं की 50 प्रतिशत से भी कम उपलब्धता होना।**
    - **शीर्ष 20 देशों** में 5 वर्ष से कम आयु के **बच्चों की सर्वाधिक मौतों के लिए असुरक्षित WASH पद्धतियों** का उत्तरदायी होना।
    - यूनिसेफ के 'चिल्ड्रेन्स क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स (CCRI)' के तहत **जलवायु और पर्यावरण संबंधी खतरों का उच्चतम जोखिम, शीर्ष 25 प्रतिशत देशों** में होना (CCRI के लिए इन्फोग्राफिक देखें)।

- **रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:**
    - विश्व स्तर पर 600 मिलियन बच्चे अभी भी **सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल की कमी का सामना** कर रहे हैं। 1.1 बिलियन बच्चों की **सुरक्षित रूप से प्रबंधित सैनिटेशन (साफ-सफाई) तक पहुंच नहीं** है। साथ ही, 689 मिलियन **हाइजीन (स्वच्छता) से जुड़ी बुनियादी सेवाओं से वंचित हैं।**
    - असुरक्षित WASH के कारण हर साल **5 वर्ष से कम आयु के 4 लाख बच्चों की मौत** हो जाती है।
    - तिहरे खतरे का बोझ **उप-सहारा अफ्रीका के 10 देशों में सबसे अधिक** है।
- **प्रमुख सिफारिशें:**
    - 2030 तक WASH से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को पूरा करने के लिए **मौजूदा निवेश को बढ़ाने की आवश्यकता** है।
    - WASH क्षेत्रक और समुदायों में **लचीलेपन को मजबूत करने की जरूरत** है।
    - जल और स्वच्छता संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए **प्रभावी एवं जवाबदेहपूर्ण समन्वय तथा क्षमता को बढ़ावा** दिया जाना चाहिए।

## 6.6.2. बाल संदिग्धों का आंकलन (Assessment of Child Suspects)

- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने बाल संदिग्धों के आंकलन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए
- उपर्युक्त दिशा-निर्देश **बरुण चंद्र ठाकुर बनाम मास्टर भोलू, 2022 मामले** में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में जारी किए गए हैं। ये दिशा-निर्देश **किशोर न्याय बोर्ड (JJB) को निम्नलिखित मामले में प्रारंभिक आंकलन करने में सक्षम बनाएंगे:**
    - यह निर्धारण करने में कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम (जे.जे.अधिनियम), 2015 के तहत **"जघन्य"** अपराध की श्रेणी में आने वाले **आपराधिक मामलों में बच्चे को नाबालिग के रूप में माना जाए अथवा नहीं।**
- हालांकि, **जे.जे.अधिनियम** बालक को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है, जिसने **18 वर्ष की आयु पूरी नहीं** की है। वर्ष 2015 में इसमें एक प्रावधान जोड़ने के लिए संशोधन किया गया था। इस संशोधन के अनुसार **16-18 वर्ष की आयु के बालक पर जघन्य अपराधों** के मामले में एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जा सकता है।
    - **JJB** यह निर्धारित करने के लिए आंकलन करता है कि **ऐसे बालक पर वयस्क या नाबालिग के रूप में मुकदमा चलाया जाए।**

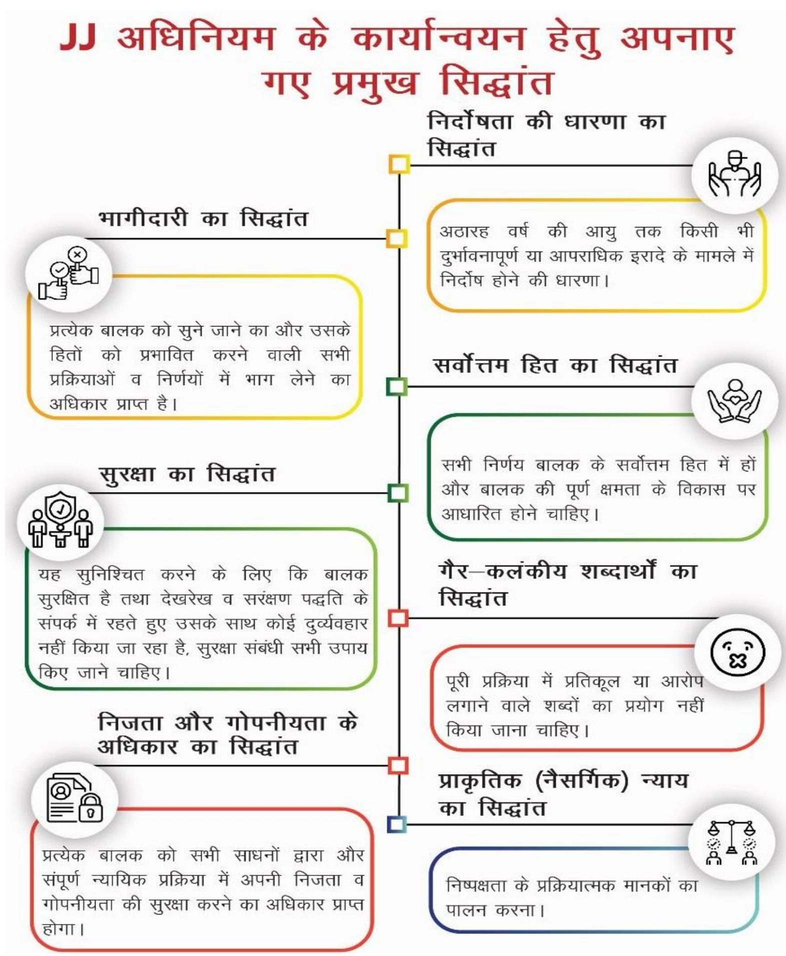

- **दिशा-निर्देशों की मुख्य विशेषताएं:**
    - **सामान्य सिद्धांत:** उन मौलिक सिद्धांतों का पालन किया जाए, जो जे.जे. अधिनियम के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करते हैं (प्रमुख सिद्धांतों के लिए इन्फोग्राफिक देखें)।
    - **प्रारंभिक आंकलन उद्देश्य: आयु और चार निर्धारकों का निर्धारण** करना। ये चार निर्धारक हैं: **बालक की शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, परिस्थितियां और कथित अपराध के परिणामों को समझने की क्षमता।**
    - **JJB की भूमिका:** यह बोर्ड बालकों के आंकलन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। यह बाल मनोवैज्ञानिकों आदि से सहायता भी ले सकता है।
    - **प्रारंभिक आंकलन का समापन:** तीन महीने की अवधि के भीतर।

### 6.6.3. सरोगेसी के लिए ट्रिपल टेस्ट (Triple Tests For Surrogacy)

- **कर्नाटक उच्च न्यायालय** ने ऐसे दंपति की मदद के लिए **"ट्रिपल टेस्ट" विकसित** किया है, जो सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के तहत **सरोगेट बच्चे** हेतु कानूनी बाधाओं का सामना कर रहे हैं।
    - उपर्युक्त कानून के तहत **केवल परोपकारी (Altruistic) सरोगेसी की ही अनुमति** दी गई है। यह कानून **वाणिज्यिक सरोगेसी को प्रतिबंधित** और दंडित करता है।
- **ट्रिपल टेस्ट के घटक:**
    - **पति का आनुवंशिक परीक्षण:** यह सुनिश्चित करने के लिए कि **बच्चा किसी विकार के साथ पैदा न हो।**
    - **दंपति का शारीरिक परीक्षण:** यह सुनिश्चित करने के लिए कि दंपति में **बच्चे की देखभाल की क्षमता है।**
    - **दंपति का आर्थिक परीक्षण:** यह सुनिश्चित करने के लिए कि **वे बच्चे के भविष्य की सुरक्षा कर सकते हैं।**

### 6.6.4. त्रुटि सुधार (Errata)

- **मार्च, 2023 मासिक समसामयिकी** पत्रिका के **आर्टिकल 6.4.1.** के चौथे बुलेट में दी गई जानकारी.. "भारत को कुल 146 देशों में 126वां स्थान मिला है".. गलत है। सही जानकारी है.. **"भारत को 137 देशों में 126वां स्थान मिला है" (2022 में यह 146 देशों में 136वें स्थान पर था)।**


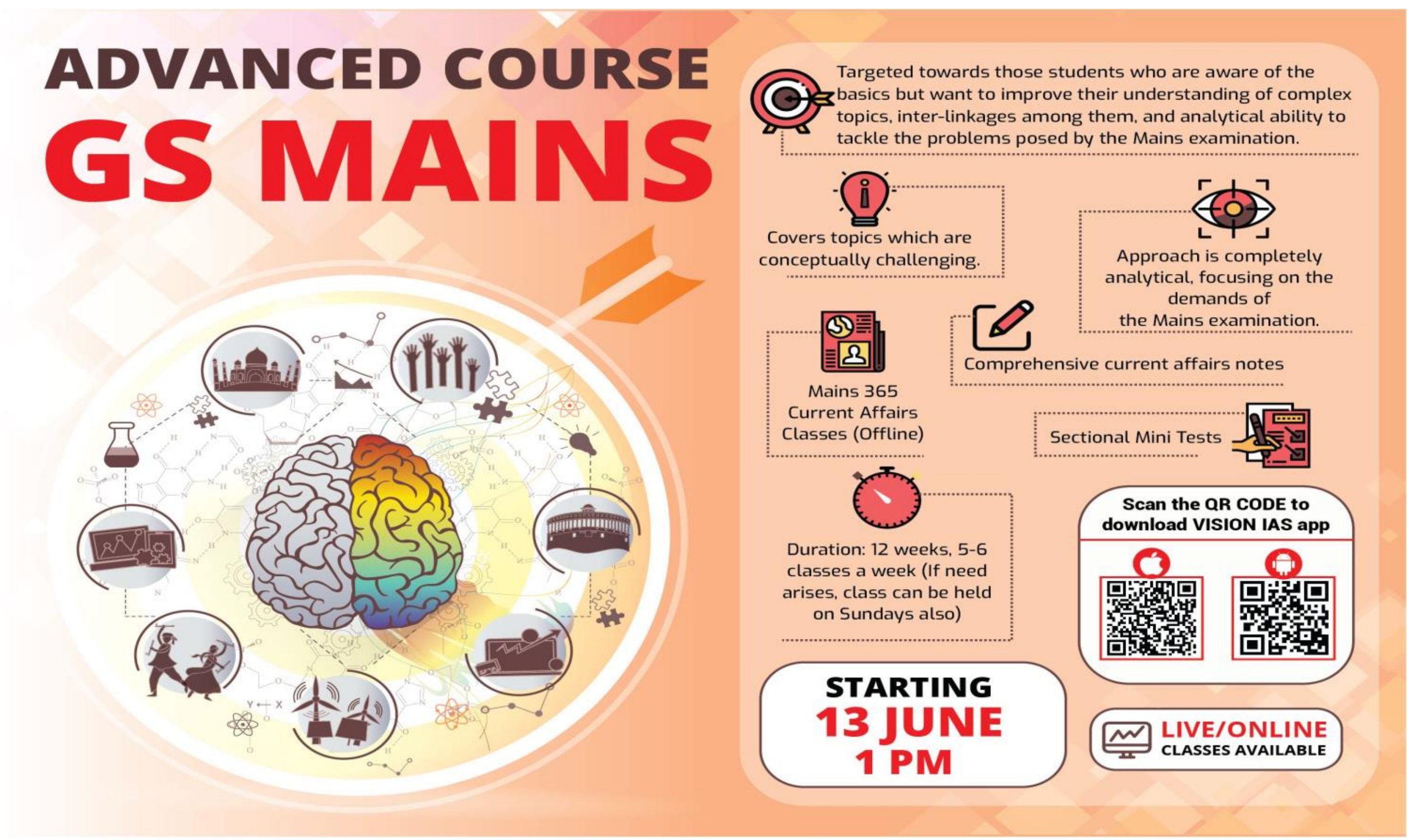

# 7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology)

## 7.1. भारतीय अंतरिक्ष नीति - 2023 (Indian Space Policy - 2023)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष नीति-2023 को मंजूरी दी है।

**अन्य संबंधित तथ्य**

- नई नीति में **अंतरिक्ष भागीदारी में निजी क्षेत्रक के बढ़ते महत्व** को रेखांकित किया गया है।
- भारत सरकार ने 2020 में अंतरिक्ष क्षेत्रक संबंधी नीति में सुधार शुरू किया था। इसके परिणामस्वरूप गैर-सरकारी संस्थाओं (NGEs)[85] को अधिक भागीदारी के अवसर प्राप्त हुए हैं। इस नीति का उद्देश्य NGEs को समान अवसर प्रदान करना है।
- इसके बाद, सरकार ने विभिन्न हितधारकों की अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए विनियामक संबंधी निश्चितता प्रदान करने की कोशिश की।
- उपर्युक्त सुधारों को लागू करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष नीति-2023 को **व्यापक, समग्र और गतिशील फ्रेमवर्क** के रूप में तैयार किया गया है।

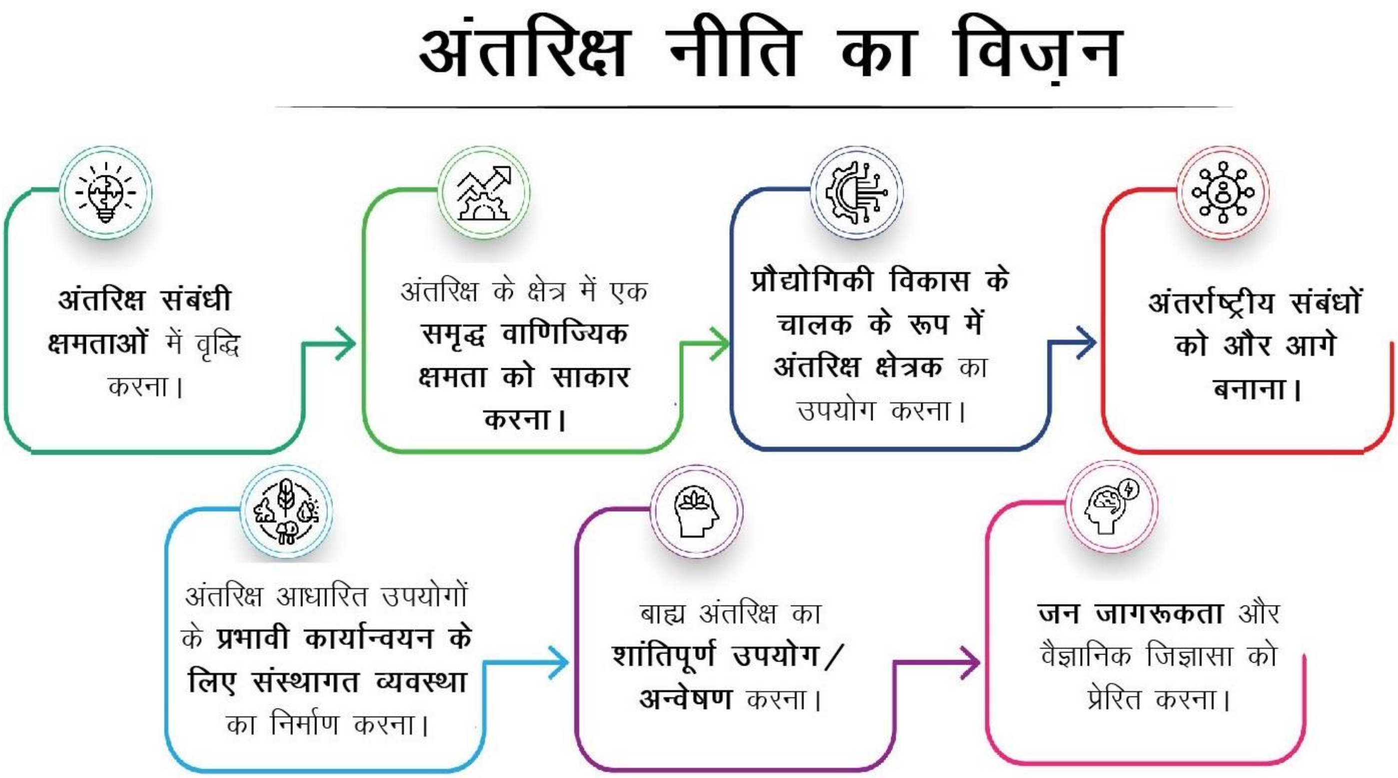


85 Non-Government Entities

**नीति में उल्लिखित रणनीति**

| हितधारक | भूमिका |
|---|---|
| **सरकार** | • अंतरिक्ष क्षेत्रक में अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास को **प्रोत्साहित करेगी।**<br>• स्थिर और **अनुमान आधारित विनियामकीय ढांचा** उपलब्ध कराया जाएगा। यह ढांचा इन-स्पेस ( IN-SPACe) संगठन के माध्यम से NGEs को एक समान अवसर प्रदान करेगा।<br>• **स्टार्ट-अप्स** को बढ़ावा देना और उनका समर्थन करना।<br>• **समग्र प्रौद्योगिकी विकास के लिए अंतरिक्ष का एक संचालक के रूप में उपयोग करना।** |
| **गैर-सरकारी संस्थाएं (NGEs)** | • राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर **अंतरिक्ष आधारित संचार सेवाएं** पेश करना।<br>• **निम्नलिखित की स्थापना और संचालन-**<br>  ○ **अंतरिक्ष में भेजी जाने वाली वस्तुओं के संचालन के लिए बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना,** उदाहरण के लिए- उपग्रह नियंत्रण केंद्र (SCCs)[86]।<br>  ○ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम।<br>• भारत में और भारत के बाहर **संचार सेवाओं के लिए अंतरिक्ष वस्तुओं की स्थापना** हेतु कक्षीय संसाधनों का उपयोग करना।<br>• उपग्रह नेविगेशन, संचार और रिमोट-सेंसिंग को बढ़ाने और उन्हें बेहतर बनाने के लिए **प्रौद्योगिकियों का व्यावसायीकरण करना।**<br>• **किसी क्षुद्रग्रह के संसाधनों या अंतरिक्ष के अन्य संसाधनों की व्यावसायिक दृष्टि से प्राप्ति के लिए प्रयास करना।** |
| **अंतरिक्ष विभाग (DoS)** | • यह भारतीय अंतरिक्ष नीति-2023 के कार्यान्वयन के लिए **नोडल विभाग** होगा।<br>• यह राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निरंतर और बेहतर भू अवलोकन क्षमता और डेटा की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।<br>• आपदा प्रबंधन, सतत विकास लक्ष्यों आदि के लिए जरूरी महत्वपूर्ण रिमोट सेंसिंग उपग्रह डेटा प्रदान करके अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में भागीदारी करेगा।<br>• यह प्रासंगिक 'अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष मलबा शमन दिशा-निर्देशों'[87] के अनुपालन में सुरक्षित और सतत अंतरिक्ष संचालन सुनिश्चित करने हेतु फ्रेमवर्क स्थापित करेगा। |
| **भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organization: ISRO)** | • **अंतरिक्ष नीति के तहत भूमिका:**<br>  ○ यह मुख्य रूप से नई अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों और उनके उपयोग से संबंधित **अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित** करेगा।<br>  ○ बाह्य **अंतरिक्ष के बारे में मानव की समझ** का विस्तार करेगा।<br>  ○ NGEs के साथ **प्रौद्योगिकियों, उत्पादों, प्रक्रियाओं तथा सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करेगा।**<br>  ○ इसरो के रिमोट सेंसिंग उपग्रहों से **ओपन डेटा एक्सेस** को सक्षम बनाएगा।<br>  ○ **मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन** करेगा और अंतरिक्ष में मानव की उपस्थिति को बनाए रखने के लिए एक दीर्घकालिक रोड-मैप विकसित करेगा।<br>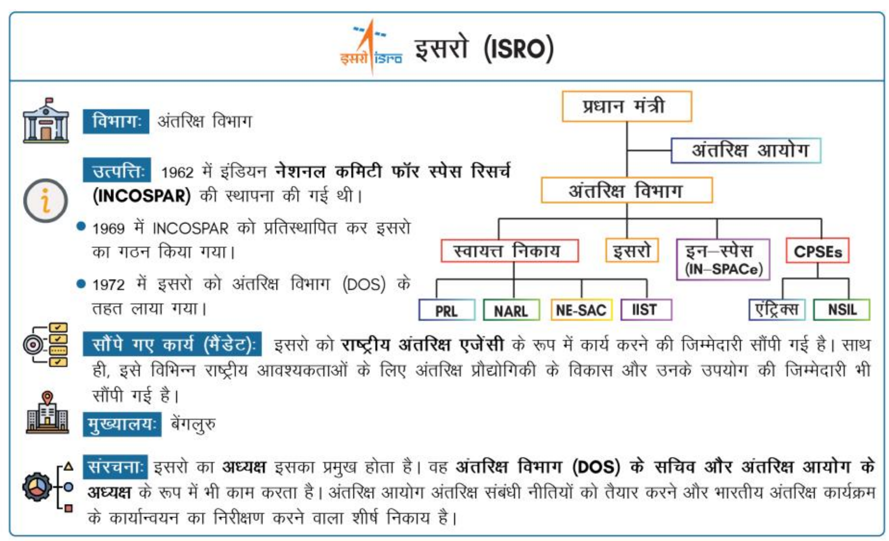<br> |
| **IN-SPACe- (भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और** | • सरकारी संस्थाओं और NGEs द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों की अनुमति के लिए **एकल खिड़की एजेंसी** के रूप में कार्य करेगा।<br>• वैश्विक स्तर पर **भारत को पसंदीदा सेवा प्रदाता के रूप में स्थापित** करने के लिए उद्योग के साथ मिलकर कार्य करेगा।<br>• सार्वजनिक व्यय का उपयोग करके सृजित सभी सुविधाओं के उपयोग के लिए एक समान अवसर सुनिश्चित करेगा। IN-SPACe के निर्णय |

---

[86] Satellite Control Centres

[87] International space debris mitigation guidelines

| | |
|---|---|
| प्राधिकरण केंद्र/ Indian National Space Promotion & Authorisation Centre) | ऐसी सुविधाओं के संचालकों के लिए बाध्यकारी होंगे।<br>• इसरो द्वारा विकसित **प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण को सुगम** बनाएगा।<br>• अंतरिक्ष गतिविधियों से हुए संभावित **नुकसान की भरपाई के संबंध में दिशा-निर्देश** निर्धारित करेगा। |
| **न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL)** | • यह सार्वजनिक व्यय की सहायता से तैयार की गई अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों और प्लेटफॉर्म्स के व्यवसायीकरण के लिए जिम्मेदार है।<br>• इसरो के मिशनों के परिचालन भाग को NSIL में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।<br>• उपयोगकर्ताओं की अंतरिक्ष-आधारित आवश्यकताओं हेतु सेवा प्रदान करना। |

**अंतरिक्ष में निजी क्षेत्रक की भागीदारी का महत्व**

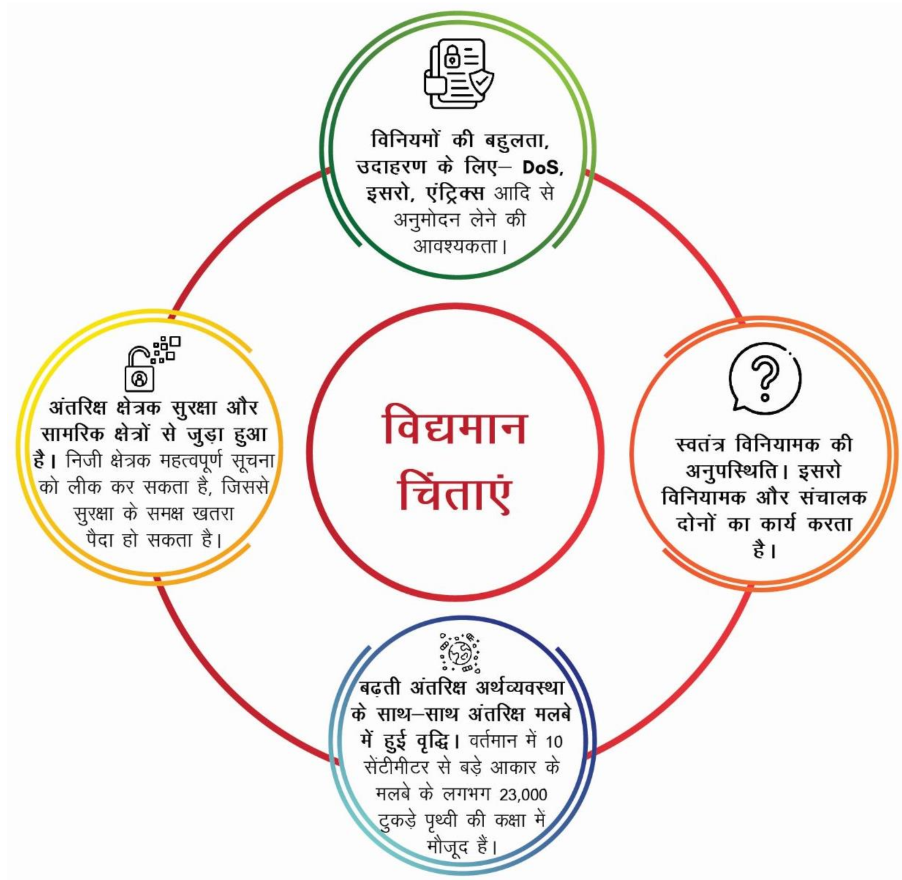


- **अनुसंधान और विकास (R&D) पर ध्यान केंद्रित करना:** इस कदम से इसरो को अत्याधुनिक R&D, अन्वेषण मिशन और मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिलेगी।
- **आपूर्ति संचालित मॉडल से मांग संचालित मॉडल में बदलाव:** कृषि से लेकर परिवहन, मौसम विभाग और यहां तक कि शहरी विकास तक लगभग हर क्षेत्रक में अब उपग्रह डेटा तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है।
  - एंड-टू-एंड अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्रक के प्रवेश से उक्त क्षेत्रकों में नई मांगों को पूरा करना संभव हो सकेगा।
- **तेजी से बढ़ता अंतरिक्ष उद्योग:** ऐसा अनुमान है कि भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्रक अगले पांच वर्षों में लगभग 48% की CAGR[88] से बढ़कर **50 अरब अमेरिकी डॉलर** तक पहुंच जाएगा।
- **वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी में बढ़ोतरी:** वर्तमान में, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में **भारत की हिस्सेदारी लगभग दो प्रतिशत** है। यह प्रमुख देशों, जैसे- अमेरिका और चीन से बहुत पीछे है।
- **अंतरिक्ष गतिविधियों में विविधता लाते हुए नए क्षेत्रों को शामिल करना:** वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में, रॉकेट और उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं का हिस्सा केवल 5% है। यह एक ऐसा क्षेत्रक है जिसमें ISRO को विशेषज्ञता प्राप्त है। वहीं दूसरी ओर, अंतरिक्ष बाजार के शेष 95% हिस्से पर सैटेलाइट-आधारित सेवाओं और ग्राउंड-आधारित सिस्टम का कब्ज़ा है।
- **नवाचार और स्वदेशीकरण: सार्वजनिक-निजी भागीदारी** व **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण** पर ध्यान केंद्रित करके, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रकों के बीच संसाधनों, ज्ञान तथा विशेषज्ञता को साझा किया जा सकता है।
- **मेक इन इंडिया को बढ़ावा:** निजी क्षेत्रक की सक्रिय भागीदारी से, भारत दुनिया के लिए एक उपग्रह विनिर्माण केंद्र और एक लॉन्च पैड गंतव्य बनने की आकांक्षा कर सकता है। इसमें लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान से लेकर भू-तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान तक शामिल होंगे।

**अंतरिक्ष क्षेत्रक में निजी क्षेत्रक की भागीदारी: वर्तमान स्थिति**

- इसरो के साथ लगभग **100 स्टार्ट-अप पंजीकृत** हैं। ये अंतरिक्ष क्षेत्रक के विभिन्न हिस्सों में मिलकर काम कर रहे हैं।

---

88 चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर/ Compound annual growth rate

- 2021 में **भारत में 350 से अधिक स्पेस टेक कंपनियां** थीं।
- 2022 में, **भारत में निजी तौर पर निर्मित पहला रॉकेट विक्रम-एस को "मिशन प्रारंभ" के तहत लॉन्च** किया गया था। इसे हैदराबाद स्थित स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया था।
- **PSLV निर्माण:** NSIL और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने PSLV के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया। **L&T** इस समूह में HAL के साथ भागीदारी कर रही है।

**अंतरिक्ष में निजी भागीदारी की दिशा में अन्य उपाय**

**NSIL और IN-SPACe के अलावा, अन्य संस्थानों में शामिल हैं;**

- **इंडियन स्पेस एसोसिएशन (ISpA):** इसे 2021 में लॉन्च किया गया था। यह शीर्ष निकाय (गैर-लाभकारी उद्योग) है, जो भारत में विशेष रूप से निजी और सार्वजनिक अंतरिक्ष उद्योग के सफल अन्वेषण, सहयोग और विकास की दिशा में काम कर रहा है।
    - यह नीतिगत उपाय करेगा, सभी हितधारकों को एक मंच पर जोड़ेगा और उनके साथ मिलकर काम करेगा तथा अंतरिक्ष डोमेन संबंधी ज्ञान व प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान में तेजी लाने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा।
- **एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड:** इसे ISRO की मार्केटिंग शाखा के रूप में निगमित किया गया है। यह उपग्रहों और प्रक्षेपण यानों हेतु ISRO के वाणिज्यिक पक्ष को संभालते हुए विदेशी ग्राहकों के साथ डील करता है।
- **अंतरिक्ष उद्यमिता और उद्यम विकास (Space Entrepreneurship & Enterprise Development: SEED):** ISRO के हित के फोकस क्षेत्रों में स्टार्ट-अप्स और MSMEs के लिए प्रतिस्पर्धी प्रारंभिक चरण प्रोत्साहन कार्यक्रम के रूप में इसकी स्थापना की गई थी।

**निष्कर्ष**

भारतीय अंतरिक्ष नीति-2023 भारत के अंतरिक्ष क्षेत्रक हेतु **एक साहसिक और महत्वाकांक्षी भविष्य के लिए मंच** तैयार करती है। साथ ही, यह नवाचार, सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए अवसर प्रदान करती है। हालांकि, यह स्वीकार करना आवश्यक है कि **वैश्विक अंतरिक्ष परिदृश्य स्थिर नहीं** है, बल्कि यह लगातार विकसित हो रहा है। इन तीव्र परिवर्तनों के साथ **तालमेल रखने के लिए भारत को अनुकूलन क्षमता और रणनीतिक दूरदर्शिता को अपनाना** चाहिए।

## 7.2. LIGO-इंडिया परियोजना (Ligo-India Project)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

केंद्रीय कैबिनेट ने **लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल-वेव ऑब्जर्वेटरी या LIGO परियोजना** के तहत एक उन्नत गुरुत्वाकर्षण-तरंग डिटेक्टर[89] के निर्माण की मंजूरी दे दी है।

**अन्य संबंधित तथ्य**

- डिटेक्टर के **घटक (Components) भारत में बनाए** जाएंगे। इससे भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स की तकनीकी विशेषज्ञता में सुधार होगा।
- इस परियोजना से उच्च तकनीकी विकास के साथ-साथ **भारत के खगोल भौतिकी अनुसंधान से संबंधित कई क्षेत्रों** को **लाभ** होगा।

**वर्तमान LIGO सुविधाएं**

- LIGO-इंडिया विश्व में अपनी तरह की तीसरी वेधशाला होगी।
- वर्तमान में, LIGO में संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर दो अलग-अलग जगहों पर स्थित प्रयोगशालाएं शामिल हैं- **एक हनफोर्ड वाशिंगटन में और दूसरा लिविंगस्टन, लुइसियाना में।**
- इन वेधशालाओं के उपकरण **इतने संवेदनशील** होते हैं कि वे भूकंप, भूस्खलन जैसी घटनाओं और यहां तक कि ट्रकों की आवाजाही से आसानी से प्रभावित हो सकते हैं और गलत रीडिंग दे सकते हैं।
- यही कारण है कि संकेतों को दोबारा सत्यापित करने के लिए **कई वेधशालाओं** की आवश्यकता होती है।
- इसके अलावा, कई डिटेक्टर गुरुत्वाकर्षण तरंगों के **सभी संभावित स्रोतों का पता लगाने** और **जानकारी की गुणवत्ता तथा सटीकता में सुधार करने में मदद** कर सकते हैं।

---

[89] Advanced gravitational-wave detector

**LIGO की सहायक सुविधाएं**

- **वर्गो (Virgo):** यह इटली में स्थित है। यह गुरुत्वाकर्षण तरंग इंटरफेरोमीटर है जिसकी लंबाई 3 कि.मी. हैं। LIGO की लंबाई 4 कि.मी. है। यह यूरोपीय गुरुत्वाकर्षण वेधशाला (EGO)[90] द्वारा वित्त पोषित है जो इटली और फ्रांस की सरकारों के बीच एक सहयोग है।
- **GEO600:** यह हनोवर, जर्मनी के पास स्थित 0.6 कि.मी. (600 मीटर) का इंटरफेरोमीटर है, जिसे जर्मन और ब्रिटिश, दोनों सरकारों द्वारा वित्त-पोषित किया गया है।
- **KAGRA:** जापान वर्तमान में कामिओका खदान के अंदर 3 कि.मी. का इंटरफेरोमीटर बना रहा है।

**इस परियोजना के बारे में**

- LIGO-इंडिया परियोजना पूरी होने पर विश्वव्यापी नेटवर्क के एक हिस्से के रूप में भारत में अवस्थित एक **उन्नत गुरुत्वाकर्षण-तरंग वेधशाला** होगी।

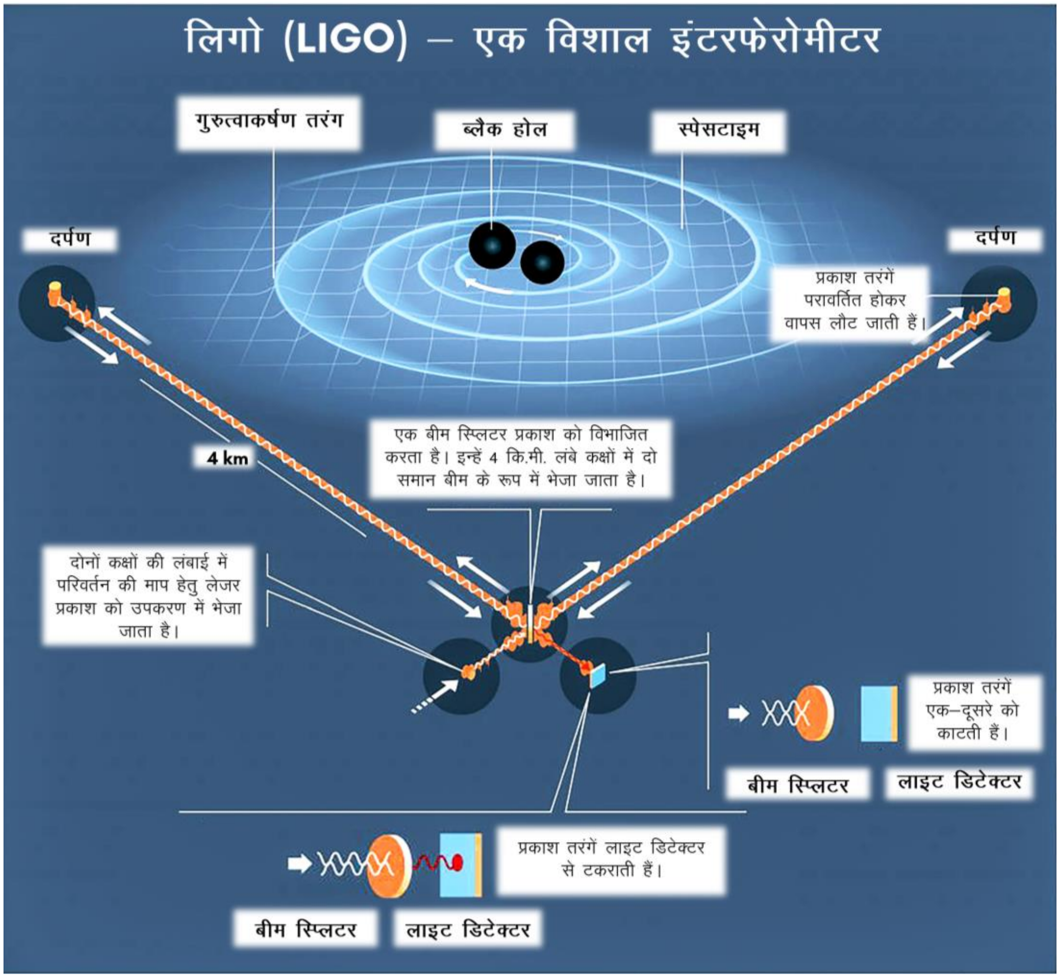


- **उत्पत्ति:** परियोजना को 2016 में "सैद्धांतिक रूप से" मंजूरी दी गई थी। इसे **2030 तक पूरा** किया जाना है।
- **स्थान:** महाराष्ट्र का हिंगोली जिला।
- **क्षमता:** यह भारतीय अनुसंधान संस्थानों के संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका में LIGO प्रयोगशाला के बीच एक **सहयोगी परियोजना** है। अमेरिका इस प्रयोगशाला के लिए आवश्यक प्रमुख घटक प्रदान करेगा।
- **इसमें शामिल संस्थान और विभाग:**
    - **परमाणु ऊर्जा विभाग;**
    - **विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग;**
    - **यू.एस. नेशनल साइंस फाउंडेशन;**
    - निर्माण, सेवा और संपदा प्रबंधन निदेशालय (Directorate of Construction, Services & Estate Management) (मुंबई)
    - अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र: खगोलविज्ञान और खगोलभौतिकी (Inter-University Centre for Astronomy and Astrophysics), पुणे
    - प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, गांधीनगर
    - राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र (Raja Ramanna Centre for Advanced Technology), इंदौर

[90] European Gravitational Observatory

**LIGO क्या है और यह कैसे काम करता है?**

- LIGO में लेजर इंटरफेरोमीटर का उपयोग करके **गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया जाएगा।**
- LIGO डिटेक्टर्स में **4-4 कि.मी. लंबाई वाले टनल के जैसे दो निर्वात कक्ष होते हैं। ये दोनों कक्ष आपस में** एक-दूसरे से समकोण ("L" आकार) पर जुड़े होते हैं। इन दोनों कक्षों के अंत में दर्पण लगे होते हैं।
- परीक्षण के दौरान दोनों कक्षों में एक साथ प्रकाश किरणें छोड़ी जाती हैं।
- सामान्य स्थिति में, छोड़ी गयी **प्रकाश किरणों को दोनों कक्षों के अंत में मौजूद दर्पण से टकराकर एक ही समय में वापस लौटना** चाहिए।
- हालांकि, यदि इन कक्षों से गुरुत्वाकर्षण तरंग गुजरती है, तो **एक कक्ष की लंबाई बढ़ जाती** है, जबकि **दूसरा कक्ष संकुचित (लंबाई में कमी)** हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप टनल के अंत में लगे दर्पण से परावर्तित होकर लौटने वाली प्रकाश किरणों में फेज डिफरेंस (कालांतर) देखने को मिलता है।
- इस फेज डिफरेंस (कालांतर) की मौजूदगी से **गुरुत्वाकर्षण तरंग की उपस्थिति** की पुष्टि होती है।

**Illustration of how mass bends space**

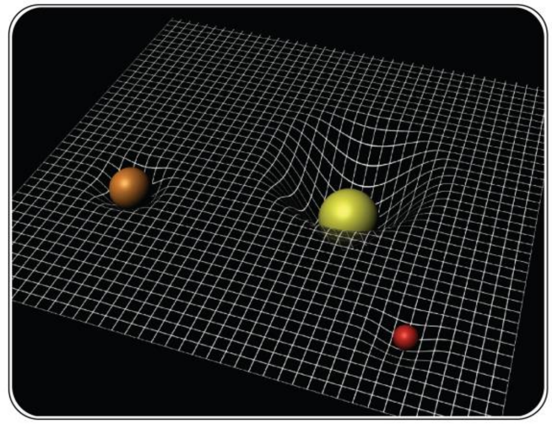

**गुरुत्वाकर्षण तरंगें क्या होती हैं?**

- गुरुत्वाकर्षण तरंगें, ब्रह्मांड में कुछ सबसे प्रचंड और ऊर्जावान प्रक्रियाओं के कारण **स्पेस-टाइम में उत्पन्न होने वाली लहरें (Ripples)** हैं।
- गुरुत्वाकर्षण तरंगें **अदृश्य** होती हैं।
- ये **प्रकाश की गति (1,86,000 मील प्रति सेकंड) से चलती** हैं।
  - गुरुत्वाकर्षण तरंगें अपने मार्ग में आने वाले सभी **माध्यमों में विस्तार और संकुचन पैदा** करती जाती हैं।
- इसकी मौजूदगी की भविष्यवाणी **आइंस्टीन** ने अपने **सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत** (1916) में की थी।
- **सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत (General theory of relativity)** के मुख्य निष्कर्षों में से एक यह है कि **द्रव्यमान वाला कोई भी पिंड स्पेस-टाइम में व्यवधान पैदा करता है।** सरल शब्दों में कहें तो अंतरिक्ष में मौजूद, द्रव्यमान वाला कोई भी पिंड स्पेस-टाइम में विस्तार और संकुचन पैदा करता है।
- किसी पिंड का द्रव्यमान जितना अधिक होता है, उसके कारण स्पेस-टाइम में उतना ही अधिक व्यवधान पैदा होता है। इसलिए **कोई तारा किसी ग्रह की तुलना में स्पेस-टाइम में अधिक व्यवधान पैदा करता है। हालांकि, ब्लैक होल किसी तारे की तुलना में स्पेस-टाइम में और अधिक व्यवधान पैदा करता है।**
- **शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण तरंगें अंतरिक्ष में घटित होने वाली अत्यंत प्रलंकारी घटनाओं के कारण पैदा होती हैं।** गुरुत्वाकर्षण तरंग पैदा करने वाली परिघटनाओं के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं:
  - जब किसी तारे में विषम रूप से विस्फोट (जिसे सुपरनोवा कहा जाता है) होता है।
  - जब दो बड़े तारे एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं।
  - जब दो ब्लैक होल एक दूसरे की परिक्रमा करते हुए एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं।
  - ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारे का विलय।

**स्पेस-टाइम के बारे में**

- हम अपनी दुनिया को त्रि-आयामी रूप में और समय को इससे पूरी तरह से एक अलग इकाई के रूप में सोचते हैं।
- लेकिन आइंस्टीन के सिद्धांत ने हमें दिखाया कि **त्रि-आयामी दुनिया और समय वास्तव में स्पेस-टाइम के चार आयामों** (Four dimensions of spacetime) का ही **हिस्सा हैं।**
- न केवल स्पेस और टाइम उपर्युक्त चार आयामों का ही हिस्सा हैं बल्कि **दोनों द्रव्यमान और ऊर्जा से प्रभावित** होते हैं। इस वजह से **स्पेस-टाइम में व्यवधान** पैदा होता है।

**क्या आप जानते हैं?**

- **गुरुत्वीय तरंग को पहली बार 2015** में अमेरिका स्थित **दो LIGO डिटेक्टर्स द्वारा खोजा गया था।**
- इस सिग्नल को **GW150914** नाम दिया गया था। इसका नामकरण गुरुत्वीय तरंग (**GW**) और अवलोकन की तिथि (2015–09–14) के आधार पर किया गया था।
- ये गुरुत्वीय तरंगें 1.3 अरब साल पहले **दो ब्लैक होल के विलय से उत्पन्न** हुई थीं। इनका द्रव्यमान, सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 29 और 36 गुना था।
- इस उपलब्धि को **2017 में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत** किया गया था।

**निष्कर्ष**

गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगने से **ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे, सुपरनोवा**, यहां तक कि **बिग बैंग** को भी समझने में मदद मिलती है। तरंगों में निहित जानकारी को प्राप्त करने से भौतिकी और खगोल विज्ञान, दोनों विषयों से जुड़े कई प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे।

## 7.3. डार्क मैटर का मानचित्रण (Dark Matter Map)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

खगोलविदों ने डार्क मैटर का सबसे विस्तृत मानचित्र तैयार किया है। इसमें **ब्रह्मांड की 'लंपीनेस' और ब्रह्मांड के फैलने की दर,** दोनों को दर्शाया गया है। यहां **'लंपीनेस' का तात्पर्य ठोस अवस्था वाले किसी पदार्थ से है, जिसका आमतौर पर कोई निश्चित आकार नहीं होता है।**

**अन्य संबंधित तथ्य**

- खगोलविदों ने **अटाकामा कॉस्मोलॉजी टेलीस्कोप (ACT) के माइक्रोवेव डिटेक्टर** की मदद से मानचित्र तैयार किया है।
- ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में आइंस्टीन के सिद्धांत में की गई भविष्यवाणियां सही है या नहीं, यह पता लगाने के लिए खगोलविदों ने ACT द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों का अवलोकन किया।
- खगोलविद ने **ब्रह्मांड विज्ञान के मानक मॉडल (SMC)**[91] की सत्यता का भी अवलोकन किया।

**बिग बैंग मॉडल**

- यह कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड (CMB) की मौजूदगी की व्याख्या करने में सक्षम एकमात्र मॉडल है।
- इस मॉडल के अनुसार, ब्रह्मांड की शुरुआत एक **अत्यंत सघन** और **गर्म चरण** से हुई है। समय के साथ धीरे-धीरे **ब्रह्मांड का विस्तार** होने से वह **ठंडा** भी होता गया। कई सैकड़ों हजारों वर्षों तक ब्रह्मांड का तापमान इतना अधिक था कि न्यूट्रल परमाणु का निर्माण नहीं हो सका।
- पदार्थ के रूप में ज्यादातर **न्यूट्रॉन** और **आवेशित कण (प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन)** अस्तित्व में थे।
- स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन्स और प्रकाश कणों (Photon) के बीच प्रत्यक्ष क्रिया हुई। इसके कारण उस समय **प्रकाश इन** स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन्स **द्वारा विक्षेपित/ परावर्तित हो जाता था।** इसका परिणाम यह हुआ कि सीधी रेखा में गति करने वाला **प्रकाश ब्रह्मांड में दूरी तक नहीं पहुंच सका।**
- इसलिए ब्रह्मांड में प्रकाश फैल नहीं सका और **ब्रह्मांड अदृश्यमान बना रहा।**
- ब्रह्मांड को परमाणु के निर्माण हेतु आवश्यक तापमान (लगभग 3,000°C) तक ठंडा होने में लगभग 30,0000 साल लग गए।
- तत्पश्चात इलेक्ट्रॉन आयनित परमाणुओं से बंधन बनाने लगे और न्यूट्रल हाइड्रोजन एवं हीलियम निर्माण होने लगा। इसके परिणामस्वरूप प्रकाश स्वतंत्र रूप से बिना किसी बाधा के ब्रह्मांड में फैलने लगा और फिर **ब्रह्मांड दृश्यमान हो पाया।**

**खगोलविदों द्वारा किए गए अवलोकन**

- **अदृश्य ब्रह्मांड: करोड़ों प्रकाश-वर्ष की दूरी तक फैले** हुए अदृश्य ब्रह्मांड (डार्क मैटर और डार्क एनर्जी) की विशेषताओं का अवलोकन किया गया।
- **कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड (CMB) विकिरण:** CMB विकिरण की पृथ्वी तक पहुंचने की 14-बिलियन-वर्ष की यात्रा के दौरान यह डार्क मैटर सहित अत्यधिक द्रव्यमान वाली ब्रह्मांड में मौजूद संरचनाओं के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से काफी प्रभावित हुआ है।
  - CMB या फॉसिल रेडिएशन बिग बैंग की परिघटना के **अवशेष** रूप में मौजूद प्रथम प्रकाश है। यह हमेशा के लिए पूरे ब्रह्मांड में स्वतंत्र रूप से संचरण कर सकता है।
  - CMB विकिरण **डार्क मैटर द्वारा विक्षेपित हो जाता है,** ठीक उसी प्रकार जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास से गुजरने वाला प्रकाश विक्षेपित हो जाता है।
- **लंपीनेस:** अवलोकन के दौरान माप से पता चला है कि ब्रह्मांड की 'लंपीनेस' SMC के तहत निर्धारित आकार के अनुरूप ही है।
- **विस्तार:** ब्रह्मांड के फैलने की दर आइंस्टीन के सिद्धांत पर आधारित हमारे SMC के अनुरूप है।

**आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत**

- **आइंस्टीन ने 1915** में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था।
- इस सिद्धांत में **आइजैक न्यूटन की अंतरिक्ष संबंधी उस अवधारणा का खंडन किया गया था,** जिसमें उन्होंने टाइम एंड स्पेस को **स्थिर बताया था।**
- हालांकि, आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार अंतरिक्ष **सघन-तरल (Fluid)** और **लचीला (Malleable)** है।
- इस सिद्धांत के अनुसार गुरुत्वाकर्षण कोई बल नहीं है, बल्कि यह टाइम एंड स्पेस में एक प्रकार का व्यवधान है। सरल शब्दों में कहें तो यह टाइम एंड स्पेस में विस्तार और संकुचन या वक्रता पैदा करता है।
- **ब्लैक होल्स** के आपस में टकराने या विलय होने से गुरुत्वाकर्षण तरंगों की लहरें पैदा होती हैं।

- **ग्रेविटेशनल लेंसिंग:** इसे CMB के संचरण को रिकॉर्ड करते समय देखा गया था।
  - इसके तहत अंतरिक्ष में अत्यधिक विशाल मात्रा में मौजूद पदार्थ (जैसे- आकाशगंगाओं का समूह आदि) प्रबल **गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र निर्मित करते हैं।** यह प्रबल गुरुत्वाकर्षण दूर स्थित आकाशगंगाओं (पृथ्वी से देखने पर आकाशगंगाओं के समूह के पीछे स्थित) से आने वाले **प्रकाश मोड़ देता है।** तत्पश्चात यह प्रकाश खींचे हुए चाप के आकार में दिखाई देता है, जिसे आइंस्टीन रिंग' कहते हैं। इस प्रकार पृथ्वी तक इन दूर स्थित आकाशगंगाओं का भी प्रकाश पहुंच जाता है।
  - **ग्रेविटेशनल लेंसिंग** डार्क मैटर का पता लगाने में मदद करता है।

---

[91] Standard Model of Cosmology

**सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत में आइंस्टीन की भविष्यवाणी**

- **अंतरिक्ष में संचरण:** द्रव्यमान और ऊर्जा का संकेंद्रण स्पेस-टाइम की संरचना में विस्तार और खिंचाव या वक्रता पैदा करता है, जिससे प्रकाश सहित इसके नजदीक से गुजरने वाले किसी भी पिंड का संचरण प्रभावित होता है।
    - उन्हें उम्मीद थी पृथ्वी से देखने पर सूर्य के लगभग पीछे मौजूद तारे से आने वाली प्रकाश की किरण सूर्य के गरूत्वाकर्षण से गुजरने पर मुड़ते हुए पृथ्वी तक पहुंचनी चाहिए।
- **ब्रह्मांड का विस्तार:** उन्होंने 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड की शुरुआत (आज की तुलना में अधिक गर्म और सघन) और भविष्य में ब्रह्मांड की संरचना तथा विकास का वर्णन करने के लिए गणितीय फ्रेमवर्क प्रदान किया था।
    - आकाशगंगाएं एक-दूसरे से दूर जा रही हैं।
    - साथ ही, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि ब्रह्मांड लंपी (Lumpy) है।

<table>
<tr><td colspan="2">ब्रह्मांड की संरचना</td></tr>
<tr><td colspan="2">डार्क मैटर<br>• सामान्य पदार्थ के विपरीत, डार्क मैटर विद्युत-चुम्बकीय बल के साथ अंतर्क्रिया नहीं करता है।<br>○ इसका अर्थ यह है कि यह प्रकाश को न तो अवशोषित, न परावर्तित और न ही उत्सर्जित करता है। इस कारण इसे खोजना बहुत मुश्किल हो जाता है।<br>• विज़िबल मैटर पर डार्क मैटर के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव या खिंचाव से ही शोधकर्ता डार्क मैटर की मौजूदगी का अनुमान लगा पाए हैं।<br>• ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मांड में 'डार्क मैटर' 'विजिबल मैटर' की तुलना में लगभग 6 गुना अधिक है अर्थात् ब्रह्मांड का लगभग 27% हिस्सा डार्क मैटर है।<br>• खगोलशास्त्री फ्रिट्ज ज़्विकी (Fritz Zwicky) ने पहली बार 1930 के दशक में "डार्क मैटर" शब्द का इस्तेमाल किया था।</td></tr>
<tr><td>डार्क एनर्जी<br>• ब्रह्मांड का लगभग 68% हिस्सा डार्क एनर्जी है। यह मुख्यतः अंतरिक्ष में निर्वात वाले क्षेत्र (Empty space) से संबद्ध होता है।<br>• यह स्पेस-टाइम के संदर्भ में संपूर्ण ब्रह्मांड में एक-समान रूप से वितरित है।</td><td>विज़िबल मैटर<br>• ब्रह्मांड का लगभग 5% हिस्सा विज़िबल मैटर है।<br>• इसमें पृथ्वी, सूर्य, अन्य तारे और आकाशगंगाएँ शामिल हैं।<br>• यह प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों के बंधन से निर्मित परमाणुओं से बना होता है।</td></tr>
</table>

**नया मानचित्र आइंस्टीन की भविष्यवाणी की पुष्टि कैसे करता है?**

- **ब्रह्मांड विज्ञान संबंधी दुविधा (Crisis in Cosmology): इसके तहत पिछले मानचित्रों से पता चला था कि ब्रह्मांड का 'लंपीनेस' उतना सघन नहीं था जितना कि ब्रह्मांड विज्ञान के मानक मॉडल (SMC) के तहत आइंस्टीन के सिद्धांत में बताया गया था। इससे SMC की दक्षता को लेकर दुविधा उत्पन्न हुई थी।**
    - **पिछले मानचित्रों के** निष्कर्ष **बैकग्राउंड लाइट** का मापन करने से प्राप्त हुए थे। **बैकग्राउंड लाइट,** CMB के बजाय आकाशगंगाओं में मौजूद तारों से उत्सर्जित होता है।
    - हालांकि, ACT के नवीनतम परिणामों के सटीक आकलन से पता चलता है ब्रह्मांड का **लंपीनेस आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुरूप है।**
- **ब्रह्मांड विज्ञान का मानक मॉडल (SMC):** इसके तहत प्राप्त परिणामों से साबित हुआ है कि ब्रह्मांड का विस्तार SMC के अनुरूप ही है।
    - **इसे "कॉनकॉर्डेंस कॉस्मोलॉजिकल मॉडल" या "ΛCDM मॉडल"** भी कहा जाता है।
    - यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि ब्रह्मांड का **निर्माण "बिग बैंग"** द्वारा विशुद्ध ऊर्जा (Pure energy) से हुआ था।
    - इसके अलावा, इसके तहत यह माना जाता है कि ब्रह्मांड लगभग 5% ऑर्डिनरी मैटर (दृश्यमान), 27% डार्क मैटर और 68% डार्क एनर्जी से मिलकर बना है।
- **CMB की उपस्थिति** से पता चलता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक **अत्यंत सघन** और **गर्म अवस्था** से हुई है। समय के साथ धीरे-धीरे **ब्रह्मांड का विस्तार** होने से वह **ठंडा** भी होता गया, तत्पश्चात CMB का उत्सर्जन हुआ। **CMB का संचरण दर्शाता है कि ब्रह्मांड का अभी भी विस्तार हो रहा है।**
    - साथ ही, ब्रह्मांड में मौजूद बड़े पिंडों द्वारा इसके विक्षेपण से यह पुष्टि होती है कि गुरुत्वाकर्षण एक बल नहीं है, बल्कि टाइम एंड स्पेस में एक प्रकार का व्यवधान या वक्रता है।

**निष्कर्ष**

ACT की मदद से की गई नवीनतम खोज ने SMC को बरकरार रखा है और ब्रह्मांड विज्ञान की गुत्थियों को काफी हद तक हल किया है। यह खगोलविदों और शोधकर्ताओं को अंतरिक्ष से संबंधित शोध के लिए नए अवसर प्रदान करेगा। अंतरिक्ष एजेंसियां, जैसे- नासा, इसरो आदि इन निष्कर्षों का उपयोग अपने अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रमों के लिए कर सकती हैं।

## 7.4. राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (National Quantum Mission: NQM)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत लगभग 6,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

### क्वांटम प्रौद्योगिकी के बारे में

**क्वांटम प्रौद्योगिकी का उद्देश्य क्वांटम भौतिकी के नियमों का उपयोग करना है,** जो एटॉमिक और सब–एटॉमिक स्तर पर पदार्थ तथा ऊर्जा के व्यवहार का वर्णन करते हैं।

यह **पारंपरिक भौतिकी से अलग है, जिसमें कोई वस्तु एक समय में एक ही स्थान पर मौजूद हो सकती है।** उदाहरण के लिए पारंपरिक कंप्यूटर द्विआधारी भौतिक अवस्था का उपयोग करके संचालित होते हैं, जिसका अर्थ है कि इनका संचालन दो स्थितियों (1 या 0) में से एक पर आधारित होता है।

**क्वांटम प्रौद्योगिकी के संभावित उपयोग**

**क्वांटम कम्प्यूटिंग**
इसमें बाइनरी की बजाय सूचना की मूलभूत इकाई के रूप में क्यूबिट्स (फनइपजे) का इस्तेमाल किया जाता है। क्यूबिट्स आम तौर पर सब–एटॉमिक स्तर के कण हैं।

**क्वांटम संचार**
इसमें डेटा को ऑप्टिकल केबल्स के जरिए प्रसारित करने के लिए क्वांटम बिट्स (आम तौर पर प्रकाश के फ़ोटॉन) का उपयोग किया जाता है। इसमें प्रयुक्त तकनीकें हैं: क्वांटम की डिस्ट्रिब्यूशन और क्वांटम रैंडम नंबर जनरेशन (फत्छळ)

**क्वांटम सिम्युलेशन**
यह विशेष रूप से तैयार किया गया क्वांटम कंप्यूटर है। इसका उद्देश्य भौतिक जगत के पदार्थों और रासायनिक अभिक्रियाओं का सिम्युलेशन करना है।

**क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी (माप–पद्धति)**
इसमें अलग–अलग कणों, जैसे– फोटॉन और इलेक्ट्रान का सेंसर के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये कण बल, गुरुत्व, विद्युत क्षेत्र आदि के मापन के लिए आधुनिक तकनीकों में अत्यंत संवेदनशील सेंसर्स के रूप में प्रयुक्त होते हैं।

**NQM मिशन के बारे में**

- **उद्देश्य:**
  - वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास (R&D) आधारित गतिविधियों को सहायता प्रदान करना, उन्हें बढ़ावा देना और उनका विस्तार करना; तथा
  - क्वांटम प्रौद्योगिकी (QT) के क्षेत्र में एक जीवंत और अभिनव संस्थागत व्यवस्था स्थापित करना।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत **विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा कार्यान्वित** किया जाएगा।
- **मिशन की अवधि:** इस मिशन को **2023 से 2031 तक संचालित** किया जाएगा।

**शब्दावली को जानें**

- **क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन:** यह संचार की एक सुरक्षित प्रौद्योगिकी है जो दो पक्षकरों के बीच यादृच्छिक गुप्त कीज/कुंजियों को साझा करना सक्षम बनाती है। ये गुप्त कीज/कुंजियां केवल उन्हें ही ज्ञात होती हैं तथा इन कीज का प्रयोग कर संदेशों को एन्क्रिप्ट या डिक्रिप्ट किया जा सकता है।
- **मैग्नेटोमीटर:** यह चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता तथा दिशा मापने वाला उपकरण है। इससे पृथ्वी पर या उसके निकट और अंतरिक्ष में मौजूद चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता तथा दिशा को मापा जाता है।

- **अन्य उद्देश्य:**
  - मिशन के तहत **8 वर्षों में 50-1000 फिजिकल क्यूबिट की क्षमता वाले मध्यवर्ती स्तर के क्वांटम कंप्यूटर विकसित** करना है।
  - अन्य देशों के साथ लंबी दूरी तक सुरक्षित क्वांटम संचार सुनिश्चित करने के साथ-साथ देश में 2,000 किलोमीटर की सीमा में ग्राउंड स्टेशनों के बीच **उपग्रह-आधारित सुरक्षित क्वांटम संचार** नेटवर्क स्थापित करना है।

- इसके अलावा, **2000 किलोमीटर से अधिक के दायरे में इंटर-सिटी क्वांटम-की-डिस्ट्रीब्यूशन** स्थापित करना है।

## प्रमुख सिद्धांत

| | |
|---|---|
| **सुपरपोज़िशन:** इसका अर्थ है कि जब तक अंतिम परिणाम (1 या 0) प्राप्त न हो जाए, प्रत्येक क्वांटम कण एक ही समय में 1 और 0 के बीच की अवस्थाओं को संदर्भित करता है। | **एंटेंगलमेंट:** यह एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें दो या दो से अधिक क्वांटम कण इस प्रकार आपस में जुड़े होते हैं कि किसी एक में किया गया परिवर्तन दूसरे कण को भी प्रभावित करता है। |

## क्यूबिट (Qubit)

जैसे **क्लासिकल** (या पारंपरिक) **कंप्यूटिंग में इंफॉर्मेशन की मूल इकाई बाइनरी बिट** होती है, ठीक वैसे ही **क्वांटम कंप्यूटिंग में इंफॉर्मेशन की मूल इकाई क्यूबिट (या क्वांटम बिट– 0 और 1 की संयुक्त अवस्था) होती है।**

**फिजिकल बनाम लॉजिकल क्यूबिट**

**फिजिकल क्यूबिट** क्वांटम इंफॉर्मेशन का भौतिक वाहक होता है। यह **दो अवस्थाओं वाली क्वांटम प्रणाली** के रूप में व्यवहार करता है। इसका उपयोग कंप्यूटर प्रणाली के घटक के रूप में किया जाता है। उदाहरण के लिए, हाइड्रोजन का परमाणु ऊर्जा के कई स्तरों पर अस्तित्व में बना रह सकता है।

**लॉजिकल क्यूबिट्स** फिजिकल क्यूबिट के समूह हैं, जो कम्प्यूटेशन के लिए एक साथ काम करते हैं।

| क्लासिकल बिट्स | | क्वांटम बिट्स (क्यूबिट्स) |
|---|---|---|
| बिट 1 | बिट 2 | क्यूबट 1 |
| एम्प्टी= "0" | फिल्ड= "1" | "0" का 1/3 और "1" का 2/3 |
| हेड = "0" | टेल = "1" | "0" या हेड आने की 50% संभावना<br>"1" या टेल आने की 50% संभावना |

- **उपयोग के क्षेत्र:**
  - परमाणु प्रणालियों (Atomic systems) के लिए **उच्च संवेदनशीलता वाले मैग्नेटोमीटर का विकास करने में;**
    - मैग्नेटोमीटर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता और दिशा को मापने वाला उपकरण है। इससे पृथ्वी पर या उसके निकट और अंतरिक्ष में मौजूद चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता और दिशा को मापा जाता है।
  - सटीक समय, संचार और नेविगेशन के लिए **परमाणु घड़ियों (Atomic Clocks) के क्षेत्र में।**
  - क्वांटम उपकरणों के निर्माण के लिए सुपरकंडक्टर्स, नवीन सेमीकंडक्टर संरचनाओं और टोपोलॉजिकल सामग्रियों जैसी क्वांटम सामग्रियों के डिजाइन करने एवं उनको मूर्त रूप देने के क्षेत्र में।
  - **क्वांटम संचार, सेंसिंग और मौसम विज्ञान (मेट्रोलॉजी) संबंधी**

**उपयोगों** के लिए सिंगल **फोटॉन सोर्स/ डिटेक्टर** तथा **एंटेंगल्ड फोटॉन सोर्स के क्षेत्र में।**

- **विषय-वस्तु (Themes):**
  - इसके तहत इस क्षेत्र से संबंधित शीर्ष शैक्षणिक तथा राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संस्थानों में निम्नलिखित **चार थीमेटिक हब्स (T-हब्स) स्थापित** किए जाएंगे:
    - क्वांटम कंप्यूटिंग,
    - क्वांटम संचार,
    - क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी, और
    - क्वांटम सामग्री और उपकरण।

**मिशन का महत्व:**

- **तकनीकी उन्नति:** NQM देश में **प्रौद्योगिकी विकास के इकोसिस्टम को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी स्तर पर ले जा सकता है।**
- **विभिन्न विषयों में मदद:** यह मिशन **ड्रग डिजाइन, अंतरिक्ष, बैंकिंग, सुरक्षा आदि में उपयोगिता सिद्ध करके संचार, स्वास्थ्य, वित्त और ऊर्जा सहित अलग-अलग क्षेत्रों** को बहुत लाभान्वित करेगा।
- **अनुसंधान और विकास:** यह क्वांटम प्रौद्योगिकी में और उसके आसपास **अनुसंधान का एक इकोसिस्टम स्थापित करने में मदद** करेगा।
- **वैश्विक नेतृत्वकर्ता:** भारत को प्रौद्योगिकी के विकास में शुरुआती लाभ मिल सकता है, जिसका फायदा उसे आगे भी हो सकता है।
  - वर्तमान में, **केवल छह अन्य देश - संयुक्त राज्य अमेरिका, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, चीन, कनाडा और फ्रांस** बड़े पैमाने पर क्वांटम प्रौद्योगिकी के विकास के क्षेत्र में काम कर रहे हैं।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा:** यह अनुकूलित **खुफिया-सूचना संग्रह, एन्क्रिप्शन, स्टेल्थ प्रौद्योगिकी, संचार जैसे क्षेत्रों में योगदान करके राष्ट्रीय सुरक्षा में सहायता** करेगा।

**आगे की राह**

राष्ट्रीय क्वांटम मिशन भविष्य के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम है। **इसकी क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिए व्यवसायों, विश्वविद्यालयों और सरकार के बीच सहयोग स्थापित किया जाना चाहिए।** यह वित्तीय और मानव संसाधन संबंधी कमियों को दूर करने में मदद करेगा। साथ ही यह **राष्ट्रीय क्वांटम अनुसंधान के लिए एक इकोसिस्टम के निर्माण में सहायता** करेगा।

**क्वांटम प्रौद्योगिकी** के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए।

**वीकली फोकस #69:** भारत में क्वांटम प्रौद्योगिकी: भावी संभावनाओं की खोज

## 7.5. ज्यूपिटर आइसी मून्स एक्सप्लोरर मिशन {JUpiter ICy Moons Explorer (JUICE) Mission}

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

यूरोपियन स्पेस एजेंसी (ESA) ने JUICE को यूरोप के स्पेसपोर्ट फ्रेंच गुयाना से एरियन-5 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया है। यह **बृहस्पति और उसके चंद्रमाओं तक की यात्रा** करेगा। इसे अपनी यात्रा में आठ साल का लंबा समय लगेगा।

**अन्य संबंधित तथ्य**

- 2031 में अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए यह अंतरिक्ष यान **शुक्र, पृथ्वी और पृथ्वी-चंद्रमा प्रणाली की गुरुत्वाकर्षण सहायता (Gravity assist) का उपयोग** करेगा।
- यह **ESA के कॉस्मिक विजन 2015-2025 कार्यक्रम में पहला व्यापक मिशन** है।
- यह पहली बार है, जब **ESA ने क्षुद्रग्रह बेल्ट से परे एक अंतरिक्ष यान** भेजा है।
- यह **23 देशों, शैक्षणिक संस्थानों और निजी कंपनियों के बीच 'वैश्विक'** सहयोग का एक **परिणाम** है।

# बृहस्पति ग्रह (Jupiter) से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर एक नज़र

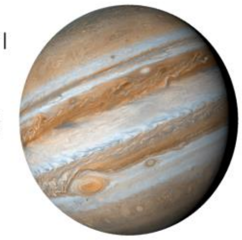

- यह सूर्य से **पांचवां** ग्रह है।
- यह सौरमंडल का **सबसे बड़ा ग्रह** है। इसका द्रव्यमान सौर मंडल के अन्य सभी ग्रहों के संयुक्त द्रव्यमान के दोगुने से भी अधिक है।
- यह **जोवियन ग्रहों** में से एक है। अन्य जोवियन ग्रह शनि, यूरेनस और नेपच्यून हैं।
  - जोवियन ग्रहों की **ठोस सतह** नहीं होती है। ये **मुख्य रूप से हाइड्रोजन** और **हीलियम** से बने होते हैं। इनके वायुमंडल में **मीथेन, अमोनिया,** जल और अन्य गैसों मौजूद हैं।
- इसके **चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक (95)** है। इसके बाद शनि ग्रह का स्थान है।
- बृहस्पति ग्रह के चारों ओर **एक धूमिल वलय प्रणाली है।**
- बृहस्पति पर हजारों वर्षों से सक्रिय **ग्रेट रेड स्पॉट (Great Red Spot)** नामक तूफान का आकार पृथ्वी से भी बड़ा है।
- **घूर्णन और सूर्य की परिक्रमा:** यह अपने अक्ष पर लगभग **10 घंटे (एक जोवियन दिन के बराबर)** में एक **घूर्णन को पूरा करता** है। यह सूर्य की एक **परिक्रमा लगभग 12 वर्ष में (एक जोवियन वर्ष के बराबर) पूरा करता है।**

**गैनिमेड (Ganymede)**

- हमारे **सौर मंडल** का सबसे बड़ा चंद्रमा है।
- **स्वयं के चुंबकीय क्षेत्र वाला एकमात्र चंद्रमा।**
- बर्फीले और **चट्टानी समुद्री** नितल के कारण यहाँ जीवन की संभावना हो सकती है।

**कलिस्टो (Callisto)**

- बृहस्पति का **दूसरा सबसे बड़ा** चंद्रमा और हमारे सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा चंद्रमा।
- बर्फ और चट्टानों वाली अत्यधिक **क्रेटर युक्त सतह** है।
- यहां **उप–सतही महासागर** की मौजूदगी के साक्ष्य मिले हैं।

**यूरोपा (Europa)**

- **चट्टानी** और **धात्विक आंतरिक भाग** के ऊपर **बर्फ** और जल की उपस्थिति।
- यूरोपा का **आणविक ऑक्सीजन ($O_2$)** से युक्त बहुत ही पतला और क्षीण **वायुमंडल** है।
- किसी भी ज्ञात ठोस पिंड की तुलना में इसकी सतह **सबसे समतल** है।

## बृहस्पति के लिए प्रमुख अंतरिक्ष मिशन

| मिशन | देश | वर्ष |
|---|---|---|
| पायनियर 10 | नासा | 1972 |
| वायेजर 1 और 2 | नासा | 1977 |
| गैलीलियो (बृहस्पति की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला मिशन) | नासा | 1989 |
| यूलिसिस | नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी | 1990 |
| जूनो | नासा | 2011 |
| यूरोपा क्लिपर | नासा | 2024 में अपेक्षित |

**JUICE मिशन के बारे में**

- **उद्देश्य:** यह **बृहस्पति और महासागरों की उपस्थिति वाले इसके तीन बड़े चंद्रमाओं** का विस्तृत अवलोकन करेगा। ये चंद्रमा हैं- गेनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा।
  - यह इन **चंद्रमाओं के मौसम, चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और अन्य तत्वों का निरीक्षण एवं विश्लेषण** करेगा।
- **मिशन की अवधि:** यह **गैस जायंट (बृहस्पति) और उसके चंद्रमाओं का अध्ययन** करने में **कम-से-कम तीन साल का समय लेगा।**
- **अंतरिक्ष यान:** इसमें **रिकॉर्ड 85 वर्ग मीटर के सौर पैनल** हैं, जो एक बास्केटबॉल कोर्ट के आकार में फैले हुए हैं।
- यह बृहस्पति के पास अधिक-से-अधिक ऊर्जा संग्रहित करेगा, जहां **सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की तुलना में 25 गुना कमजोर है।**
- **पेलोड:** इसमें **गैनीमेड लेजर अल्टीमीटर (GALA), मून एंड ज्यूपिटर इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर (MAJIS), यूवी इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ (UVS)** आदि शामिल हैं।

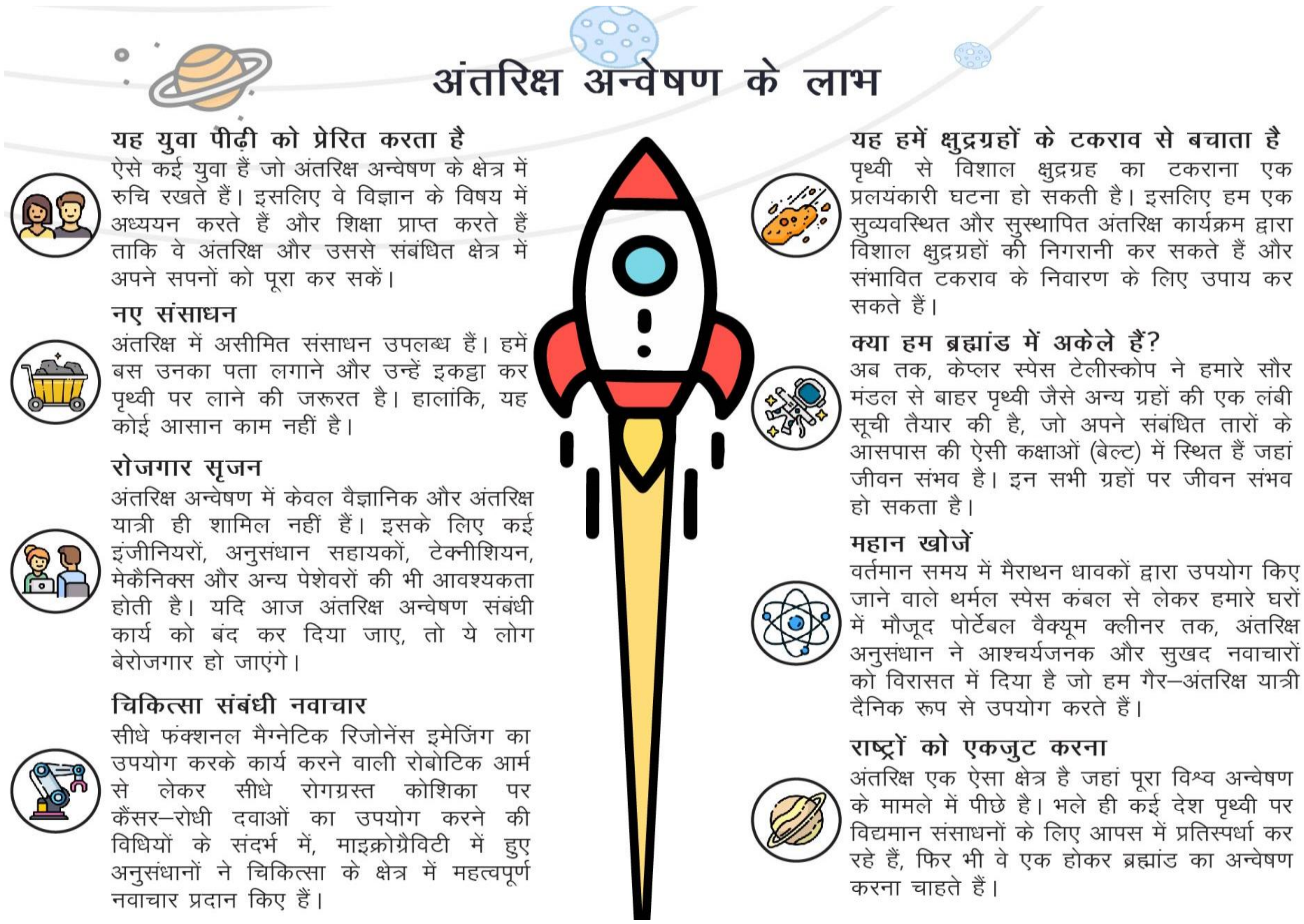


**JUICE मिशन के लाभ**

- **सौर मंडल में जीवन:** इसे बृहस्पति के **चंद्रमाओं पर जीवन के प्रमाण** मिल सकते हैं।
- **नया वैज्ञानिक ज्ञान:** यह बृहस्पति के बारे में नई जानकारी प्रदान कर सकता है।
  - साथ ही, यह **ग्रहों और चंद्रमा के गठन को समझने में मदद** करेगा।
- **अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के लिए प्रेरणा:** ऊर्जा के **नवीकरणीय स्रोत (सौर पैनल) का उपयोग करने के मामले में इसरो जैसी अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के सामने एक उदाहरण** स्थापित करेगा।

**JUICE मिशन में चुनौतियां:**

- **जटिल:** यह मिशन कई तरह के कौशलों पर निर्भर है, जो **बृहस्पति और गेनीमेड की कक्षा में अंतरिक्ष यान के प्रवेश के लिए आवश्यक** हैं।
- **चरम वायुमंडलीय स्थितियां:** इस गैसीय ग्रह के चारों ओर का तापमान -230°C तक ठंडा रहता है। यह शुक्र के निकट 250 डिग्री सेल्सियस के अत्यधिक तापमान के विपरीत है।
- **ग्रेविटी-असिस्टेड फ्लाईबाय:** शुक्र, पृथ्वी और पृथ्वी-चंद्रमा प्रणाली मिशन के प्रक्षेपवक्र को बदल सकती है।

**संबंधित सुर्ख़ियां**

**बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्रग्रह**

- **नासा के लुसी मिशन ने पहली बार बृहस्पति के चार ट्रोजन क्षुद्रग्रहों की छवियों को कैप्चर** किया है।
- छवियों से वैज्ञानिकों को यह विश्लेषण करने में मदद मिलेगी कि कैसे ट्रोजन क्षुद्रग्रह कुछ निश्चित कोणों से प्रकाश को परावर्तित करते हैं।
  - क्षुद्रग्रह प्रारंभिक सौर मंडल के अवशेष हैं, जिन्हें ट्रोजन्स भी कहा जाता है। ये ट्रोजन **दो असमान समूहों में सूर्य की परिक्रमा करते हैं।** इसमें एक समूह बृहस्पति से आगे तथा दूसरा बृहस्पति के पीछे होता है।
  - वे गुरुत्वाकर्षण संतुलन क्रिया में सूर्य और उसके सबसे बड़े ग्रह द्वारा स्थिर हैं।
- **लुसी को 2021 में ट्रोजन्स का अध्ययन करने वाले पहले अंतरिक्ष मिशन के रूप में लॉन्च किया गया था।** यह 12 साल के मिशन पर है जो बृहस्पति के नौ ट्रोजन और उसके साथ दो मुख्य बेल्ट क्षुद्रग्रहों का बारीकी से अवलोकन करेगा।

- **निगरानी:** अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में 1.7 अरब मील से अधिक की यात्रा करेगा।
- **टक्कर:** अंतरिक्ष मलबे या स्पेस जंक के कारण अंतरिक्ष यान पर स्थापित सौर पैनल्स को खतरा हो सकता है।

## 7.6. उभरते खतरों के लिए तैयारी और लचीलापन पहल (Preparedness and Resilience for Emerging Threats initiative: PRET)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** ने उभरते खतरों के लिए तैयारी और लचीलापन (PERT) पहल शुरू की है।

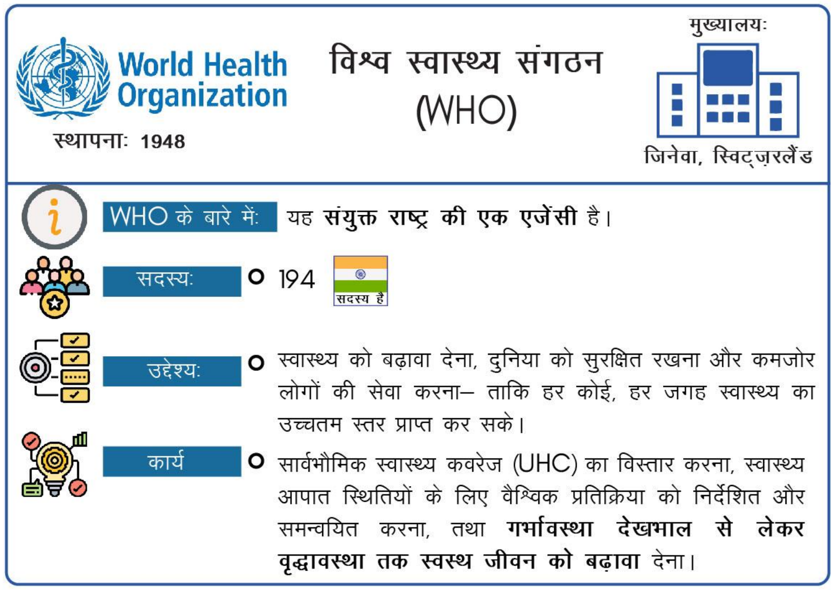


**PERT पहल के बारे में**

- PRET **रोग महामारी की तैयारी में सुधार करने के लिए एक अभिनव दृष्टिकोण** है।
  - इसके अंतर्गत यह माना गया है कि **समान प्रणालियों, क्षमताओं, ज्ञान और उपकरणों का लाभ उठाया जा सकता है** और इन्हें महामारियों के संचरण के तरीके (श्वसन, वेक्टर-जनित, खाद्य जनित आदि) के आधार पर रोगजनकों के समूहों हेतु लागू किया जा सकता है।
  - इसमें **कोविड-19 महामारी** और हाल की अन्य लोक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के दौरान स्थापित **साझा सीखने और सामूहिक कार्रवाई के लिए नवीनतम उपकरण और दृष्टिकोण शामिल** है।
  - PERT **न्याय संगतता, समावेशिता और सुसंगतता के सिद्धांतों को सर्वोच्च** महत्व देता है।
  - PRET तैयारियों को मजबूत करने के उद्देश्य से सहयोग करने के लिए **राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक हितधारकों को एक मंच प्रदान** करता है।
- PRET महामारी की तैयारी के लिए **प्रासंगिक प्रणालियों और क्षमताओं के लिए तीन स्तर निर्धारित** करता हैं जो निम्नलिखित हैं:
  - जो सभी या विविध खतरों के लिए क्रॉस-कटिंग हैं;
  - जो रोगजनकों के समूहों (श्वसन, अर्बोवायरस आदि) के लिए भी प्रासंगिक हैं और
  - जो किसी एक रोगज़नक़ के लिए विशिष्ट हैं।
- PRET पहल **अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमन (IHR)**[92] के तत्वावधान में संचालित है।
  - IHR को 2005 स्थापित किया गया था। यह WHO के सभी 194 सदस्य देशों सहित विश्व भर के 196 पक्षकार देशों का एक कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है। यह दुनिया भर में संभावित **लोक स्वास्थ्य आपात स्थितियों का पता लगाने और रिपोर्ट करने की क्षमता का निर्माण करता** है।
  - IHR उन मुख्य क्षमताओं को निर्धारित करता है जिनका **देशों को महामारियों का पता लगाने और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने में सक्षम होने की आवश्यकता** होती है।
  - **विश्व स्वास्थ्य संगठन IHR के कार्यान्वयन में समन्वय की भूमिका निभाता** है और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर देशों को उनकी क्षमता निर्माण में मदद करता है।
  - IHR के लिए जरूरी है कि सभी देशों के पास **पता लगाने; आकलन करने; रिपोर्ट; और प्रतिक्रिया** देने की क्षमता हो।
- PRET में तकनीकी कार्रवाइयां IHR की प्रमुख क्षमताओं के लिए चिन्हित की जाती हैं, जिन्हें **स्वास्थ्य आपातकालीन तैयारी, प्रतिक्रिया और लचीलापन (HEPR)**[93] के लिए पांच उप-प्रणालियों के अनुसार समूहीकृत किया जाता है।

---

[92] International Health Regulations

[93] Health Emergency Preparedness, Response and Resilience

- ○ WHO के तहत HEPR एक **लर्निंग चैनल** है जो **WHO, राष्ट्रीय समकक्षों और भागीदारों के लिए संसाधनों को इसलिए एक साथ लाता** है ताकि अतिरिक्त संसाधनों हेतु आवेदन करने के लिए राष्ट्रीय निवेश योजनाओं को विकसित करने की प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार की जा सके। इसमें महामारी निधि संसाधन भी शामिल हैं।
- PRET **महामारी समझौते के उद्देश्यों और प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए भी कार्य** कर सकता है, जिस पर वर्तमान में WHO के सदस्य देशों द्वारा वार्ता की जा रही है।

## 7.7. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

### 7.7.1. दुर्लभ भू-तत्व (Rare Earth Elements: REE)

- हैदराबाद स्थित **राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले** में 15 दुर्लभ भू-तत्वों (REEs) के बड़े भंडार खोजे हैं।
- REEs को **दुर्लभ भू ऑक्साइड्स** भी कहा जाता है। ये **चांदी के जैसे सफेद 17 नरम भारी धातुओं का एक समूह** है। ये **आवर्त सारणी** में एक साथ प्राप्त होते हैं।
  - ○ इस समूह में **यट्रियम और 15 लैंथेनाइड तत्व** शामिल हैं। **15 लैंथेनाइड तत्व हैं:** लैंथेनम, सेरियम, प्रेजोडियम, नियोडिमियम, प्रोमेथियम, समैरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, एर्बियम, थ्यूलियम, यटेरबियम और लुटेटियम।
  - ○ REEs के **सभी तत्व धातुएं** हैं। इनमें **कई समान गुण** होते हैं। इस वजह से अक्सर ये **भूगर्भिक निक्षेपों में एक साथ प्राप्त** हो जाते हैं।

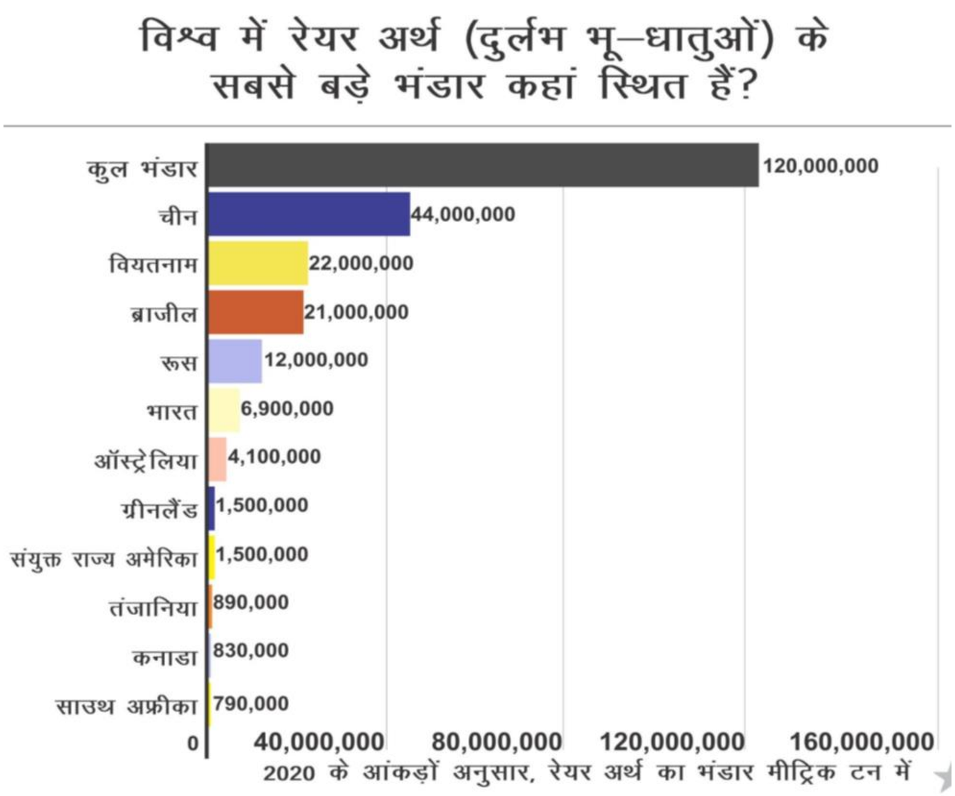


- REEs का उपयोग **अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी** में; **रक्षा प्रौद्योगिकियों** में तथा सेल-फोन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक वाहन जैसे **इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों** में व्यापक रूप से किया जाता है। इन तत्वों के ल्यूमिनेसेंट और उत्प्रेरक गुणों की वजह से इनका उपयोग अधिक है।
- इसी तरह के अन्य घटनाक्रम में खनिज और सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर के वैज्ञानिकों ने **रेड मड से प्राप्त किए जाने वाले REEs की मात्रा का अनुमान** लगाया है।
- रेड मड **बेअर प्रक्रिया के माध्यम से बॉक्साइट अयस्क से एल्यूमीनियम निकालने के क्रम में उत्पन्न विषाक्त उपोत्पाद है।**
  - ○ **रेड मड में REEs** भी होते हैं। रेड मड से REEs प्राप्त करने के लिए **दो रणनीतियां उपलब्ध हैं:** केवल **REEs निकालना या REEs समेत सभी धातुएं** (जैसे लोहा, टाइटेनियम और सोडियम) निकालना।

### 7.7.2. ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट (Blockchain Project)

- सरकार ने **वेब3 (Web3) की क्षमता का पता लगाने के लिए ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट** शुरू किया है
- इस परियोजना का शीर्षक **'राष्ट्रीय ब्लॉकचैन सेवा प्रदान करने और ब्लॉकचैन इकोसिस्टम के निर्माण के लिए एक एकीकृत ब्लॉकचैन फ्रेमवर्क का डिज़ाइन एवं विकास'** है।

- यह **वेब3 को साकार करने** की दिशा में सरकार के प्रयास का एक हिस्सा है, क्योंकि **इसमें ब्लॉकचेन एक महत्वपूर्ण भूमिका** निभाता है।
- यह **वितरित अवसंरचना पर ब्लॉकचेन-एज-ए-सर्विस (BaaS) के सुगम एकीकरण और व्यवस्थापन** के लिए ओपन एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस (APIs) के निर्माण को आसान बनाएगा।

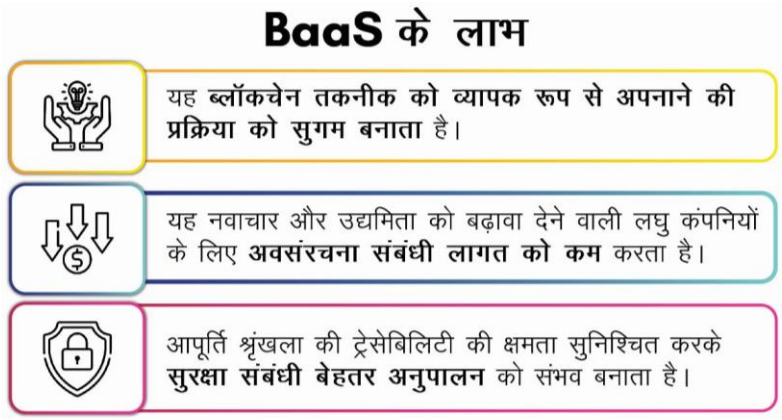


- BaaS **कंपनियों के लिए तृतीय-पक्ष क्लाउड आधारित अवसंरचना और प्रबंधन** को संदर्भित करता है।
  - यह सरकारी विभागों को ब्लॉकचेन सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है, ताकि वे ब्लॉकचेन पर अपने स्वयं के **ब्लॉकचेन ऐप्स, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और फंक्शन्स का निर्माण, प्रबंधन तथा उपयोग** कर सकें।
- यह परियोजना **राष्ट्रीय ब्लॉकचेन रणनीति, 2021** के उद्देश्यों के अनुरूप शुरू की गई है। यह रणनीति **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय** ने लॉन्च की है।
  - यह एक राष्ट्रीय ब्लॉकचेन अवसंरचना विकसित करके एक **विश्वसनीय डिजिटल प्लेटफॉर्म** निर्मित करती है।
- **ब्लॉकचेन एक वितरित या विकेन्द्रीकृत बहीखाता (ledger) तकनीक** है। यह तकनीक उपयोगकर्ताओं के बीच लेन-देन को रिकॉर्ड करने और ट्रैक करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाती है।
  - ब्लॉकचैन में **प्रत्येक लेन-देन डेटा के "ब्लॉक" के रूप में दर्ज** किया जाता है। यह ब्लॉक **इसके पहले या इसके बाद के अन्य ब्लॉक से जुड़ा हुआ** होता है।

### 7.7.3. सपोर्ट फॉर अपग्रेडेशन, प्रिवेंटिव रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट ( सुप्रीम/Supreme) {Support For Up-Gradation Preventive Repair & Maintenance of Equipment (Supreme)}

सुप्रीम को **विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने लॉन्च** किया है।

- यह **अपनी तरह का पहला कार्यक्रम** है, जिसके तहत मौजूदा **विश्लेषणात्मक उपकरण सुविधाओं (AIFs) की कार्यात्मक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मरम्मत/ उन्नयन/ रखरखाव/ रेट्रोफिटिंग या अतिरिक्त संलग्नक प्राप्त करने हेतु संस्थानों को वित्तीय सहायता** प्रदान की जाती है।
  - **वित्त-पोषण का प्रारूप: सभी निजी और सरकारी स्वामित्व वाले संस्थानों को 75:25** के अनुपात में तथा राज्य वित्त-पोषित संस्थानों को 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाएगी।
  - योजना के तहत **सहायता 3 साल के लिए** दी जाएगी।
- **विश्लेषणात्मक उपकरण** आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कई क्षेत्रों में **नमूना विश्लेषण के माध्यम से अनुसंधान करने हेतु महत्वपूर्ण** हैं।

### 7.7.4. पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल-2 (पोएम-2) {PSLV Orbital Experimental Module-2 (POEM-2)}

- इसरो ने PSLV-C55 मिशन में POEM-2 का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक प्रयोग किया।
- PSLV-C55 मिशन अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह ग्राहकों के लिए **न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) का एक समर्पित वाणिज्यिक मिशन है।**
  - **PSLV चार-चरणों वाला प्रक्षेपण यान है**। पहला और तीसरा चरण: **ठोस प्रणोदक आधारित** तथा दूसरा एवं चौथा चरण: **तरल प्रणोदक आधारित है।**
  - **NSIL , इसरो की एक वाणिज्यिक शाखा है**। इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी **भारतीय उद्योगों को उच्च प्रौद्योगिकी की आवश्यकता वाली अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों** को संपन्न करने में सक्षम बनाना है।
- **PSLV-C55 से प्रक्षेपित मुख्य पेलोड:**
  - **टीलियोस-2 (TeLEOS-2): यह एक भू-पर्यवेक्षण उपग्रह है।** इसे सिंगापुर सरकार की अलग-अलग एजेंसियों की उपग्रह इमेजिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रक्षेपित किया गया है।

- ल्यूमलाइट-4 (Lumelite-4): इसे **सिंगापुर की समुद्री नेविगेशन क्षमता को बढ़ाने** तथा वैश्विक पोत परिवहन समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए प्रक्षेपित किया गया है।

- इस मिशन में पहली बार, **PSLV के चौथे (अंतिम) चरण को ऊर्जा देने के लिए सौर पैनलों का उपयोग** किया गया है। इससे प्रयोगों का संचालन महीने भर किया जा सकेगा।
  - आम तौर पर, **रॉकेट का चौथा और अंतिम चरण** केवल कुछ दिनों के लिए ही अंतरिक्ष में रहता है। इसके बाद यह **वायुमंडल में वापस लौटकर जल** जाता है।
- PSLV में **पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल-2 (पोएम/POEM-2) प्लेटफॉर्म** शामिल है। यह **PSLV के अंतिम चरण का उपयोग करते हुए कक्षा में प्रयोग करेगा।**
  - पोएम में एक **समर्पित नेविगेशन गाइडेंस और कंट्रोल सिस्टम** है। यह सिस्टम विशिष्ट सटीकता के साथ प्लेटफॉर्म को स्थिर करने के लिए **प्लेटफॉर्म के मस्तिष्क के रूप में कार्य** करता है।
  - पोएम स्वयं के संचालन के लिए **इसमें लगे सौर पैनल्स और लिथियम-आयन बैटरी से ऊर्जा प्राप्त** करेगा।

### 7.7.5. ट्रोपोस्फेरिक एमिशंस मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन (TEMPO) इंस्ट्रूमेंट {Tropospheric Emissions Monitoring of Pollution (TEMPO) Instrument}

- नासा ने **अंतरिक्ष से वायु प्रदूषण की निगरानी** के लिए TEMPO नामक उपकरण लॉन्च किया है।
- TEMPO **वैज्ञानिकों को दिन के समय हर घंटे संपूर्ण उत्तरी अमेरिका में वायु प्रदूषकों, उनके उत्सर्जन स्रोतों तथा वायु गुणवत्ता की निगरानी करने में सक्षम** बनाएगा।
  - इसे भूमध्य रेखा से **35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर भू-स्थिर कक्षा** में स्थापित किया गया है।
  - TEMPO द्वारा ट्रैक किए गए प्रदूषकों में **नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फॉर्मलाडिहाइड और ओजोन** शामिल हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड **जीवाश्म ईंधन के दहन से** उत्पन्न होता है।
  - यह वायुमंडलीय प्रदूषण को **10 वर्ग किलोमीटर या आस-पास के स्तर के स्थानिक रेजोल्यूशन तक मापने में सक्षम** होगा।

### 7.7.6. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आयन साइक्लोट्रॉन (EMIC) तरंगे {Electromagnetic Ion Cyclotron (EMIC) Waves}

- हाल ही में, भारतीय वैज्ञानिकों ने **भारतीय अंटार्कटिक स्टेशन "मैत्री" में EMIC तरंगों** की पहचान की थी तथा इसकी विशेषताओं का अध्ययन किया था।
  - यह अध्ययन **निम्न कक्षाओं में स्थापित उपग्रहों पर विकिरण पट्टी में मौजूद ऊर्जावान कणों के प्रभाव** को समझने में मदद कर सकता है।

EMIC Waves

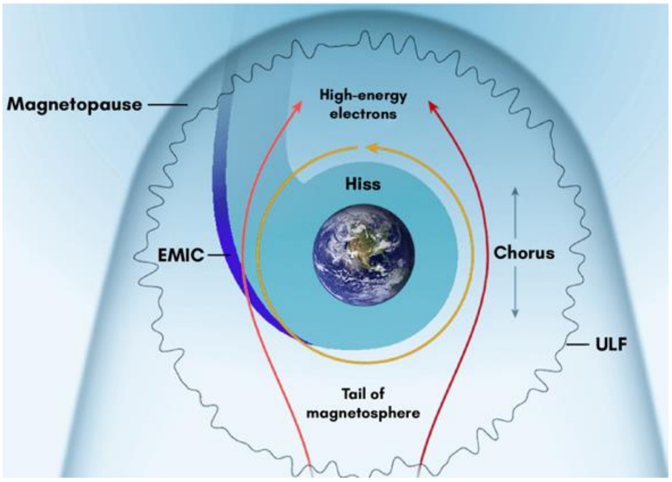


- **EMIC तरंगों के बारे में:**
  - ये तरंगें **पृथ्वी के आंतरिक चुंबकमंडल (magnetosphere)** में दर्ज किए गए **विविक्त (Discrete) विद्युत चुंबकीय उत्सर्जन** (अनुप्रस्थ प्लाज्मा तरंगें) हैं।
    - **प्लाज्मा 'पदार्थ की चौथी अवस्था'** है। अन्य तीन अवस्थाएं हैं- **ठोस, द्रव और गैस।**
    - प्लाज्मा एक **अत्यधिक गर्म (superheated) पदार्थ** है। यह पर्याप्त ऊर्जा वाली एक गैस है, जिससे **आयनित गैस बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को परमाणुओं से अलग कर दिया जाता है।**
  - ये तरंगें **भूमध्यरेखीय अक्षांशों में उत्पन्न होती हैं और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के साथ प्रसारित** होती हैं। इनके **फुटप्रिंट उच्च अक्षांश आयनमंडल (वायुमंडल की एक परत)** में प्राप्त होते हैं।
  - इन तरंगों को **अंतरिक्ष के साथ-साथ जमीन पर स्थित मैग्नेटोमीटर** में भी दर्ज किया जा सकता है।
  - ये तरंगें **किलर इलेक्ट्रॉनों की बौछारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।** ये बौछारें **अंतरिक्ष-जनित प्रौद्योगिकी/उपकरणों के लिए खतरनाक** हैं।
    - **किलर इलेक्ट्रॉन** ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनकी गति **प्रकाश की गति के निकट** होती है। ये पृथ्वी की विकिरण पट्टी का निर्माण करते हैं।
- **चुंबकमंडल** एक ग्रह के चारों ओर का वह क्षेत्र है, जिसमें अंतर्ग्रहीय (interplanetary) अंतरिक्ष के चुंबकीय क्षेत्र की बजाय **स्वयं उस ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव** होता है।

- पृथ्वी के चुंबकमंडल पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव है। यह **पृथ्वी के वायुमंडल को सूर्य से आने वाले कई प्रकार के विकिरणों से बचाता है।**

### 7.7.7. डीप लर्निंग जियोमैग्नेटिक पर्टर्बेशन (DAGGER) मॉडल {Deep Learning Geomagnetic Perturbation (DAGGER) Model}

- नासा के शोधकर्ताओं ने **DAGGER नामक एक नया कंप्यूटर मॉडल विकसित** किया है। यह **भू-चुंबकीय गड़बड़ी का पूर्वानुमान लगाने और सौर तूफानों से संबंधित चेतावनी** प्रदान करने का कार्य करेगा।
- आने वाली सौर पवनों का पूर्वानुमान लगाने के लिए यह **मॉडल उपग्रह डेटा के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एकीकृत** करेगा।
- यह पृथ्वी पर कहीं भी आने वाले **सौर तूफान की जानकारी 30 मिनट पहले प्रदान** करेगा। यह समय महत्वपूर्ण प्रणालियों को सौर तूफानों से बचाने के लिए पर्याप्त है।
- सौर पवनें सूर्य से प्रवाहित होती हैं। ये अपने साथ कई पदार्थों को धारा के रूप में साथ लाती हैं। इनके साथ सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र भी अंतरिक्ष में सक्रिय हो जाता है, जो दुनिया में मौजूदा इलेक्ट्रिकल अवसंरचना को नुकसान पहुंचा सकता है।

### 7.7.8. मैग्नेटो रेजिस्टेंस (Magneto Resistance)

- हाल ही में, **नोबेल पुरस्कार विजेता आंद्रे गीम** ने पाया कि ग्राफीन कमरे के तापमान पर एक विषम किंतु **विशाल मैग्नेटो रेजिस्टेंस (GMR)** प्रदर्शित करता है।
- GMR एक सुचालक (दो सामग्रियों के बीच मौजूद) के विद्युत प्रतिरोध का परिणाम है, जो **निकटस्थ सामग्रियों के चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित** हो रहा होता है।
  - जब सामग्रियों को **एक ही दिशा में चुम्बकित** किया जाता है, तो सुचालक में **विद्युत प्रतिरोध कम** हो जाता है।
  - जब दिशाएं एक दूसरे के **विपरीत होती हैं, तो प्रतिरोध बढ़ जाता है।**
- **GMR के अनुप्रयोग:** कंप्यूटर, बायोसेंसर, ऑटोमोटिव सेंसर, माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम और मेडिकल इमेजर्स में हार्ड डिस्क ड्राइव तथा मैग्नेटो रेजिस्टिव रैम में।
- नए अध्ययन में पाया गया है कि ग्राफीन-आधारित उपकरणों को चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाने के लिए बहुत कम तापमान पर ठंडा करने की आवश्यकता नहीं होगी, जबकि इसके विपरीत पारंपरिक समकक्ष उपकरणों में ऐसा करना पड़ता है।
- **ग्राफीन के बारे में**
  - ग्राफीन **कार्बन का एक अपरूप** है। इसमें **कार्बन परमाणुओं की एकल परत** (मोनोलेयर) होती है। ये परमाणु मधुमक्खी के षट्कोणीय छत्ते जैसी जाली में कसकर बंधे होते हैं।
  - इसे **ग्रेफाइट से प्राप्त** किया जाता है। यह विशेष भौतिक-रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करता है जैसे:
    - उच्च पृष्ठीय क्षेत्र, बेहतर जैव-अनुकूलता, प्रबल यांत्रिक शक्ति, उत्कृष्ट तापीय चालकता और तीव्र इलेक्ट्रॉन प्रवाह।
  - **इसे निम्नलिखित में उपयोग किया जाता है:**
    - ऊर्जा (सौर सेल, ईंधन सेल, सुपर कंप्यूटर आदि);
    - सेंसर, बायो-सेंसर आदि;
    - जैव-चिकित्सा (नैदानिक, दवा वितरण आदि);
    - पर्यावरणीय उपचार इत्यादि।
- 2007 में, **अल्बर्ट फर्ट और पीटर ग्रुएनबर्ग को 1988 में GMR की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार** दिया गया था।
- 2010 में, **आंद्रे गीम और कॉन्स्टेंटिन नोवोसेलोव को ग्राफीन पर उनके शोध के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार** दिया गया था।

### 7.7.9. यूरेनियम का नया समस्थानिक (New Uranium Isotope)

- पहले से अज्ञात यूरेनियम के एक **समस्थानिक, यूरेनियम- 241 की खोज** की गई है। इसके बारे में पहले जानकारी नहीं थी। इसकी **परमाणु संख्या 92 और द्रव्यमान संख्या 241 है।**
  - यूरेनियम एक **प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला रेडियोधर्मी तत्व** है।
  - प्राकृतिक रूप से, **99.2 प्रतिशत यूरेनियम U-238 के रूप में मौजूद है,** जबकि शेष हिस्सा अन्य समस्थानिकों में मौजूद है जैसे: U-235 (0.72 प्रतिशत) और U-234 (0.006 प्रतिशत) आदि।
- **सैद्धांतिक गणना** के अनुसार, इसमें **40 मिनट का आधा जीवन हो सकता है।**

- **इस नए समस्थानिक को मल्टीन्यूक्लियॉन ट्रांसफर नामक एक प्रक्रिया** के दौरान खोजा गया है। इस प्रक्रिया में दो समस्थानिकों ने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आदान-प्रदान किया था।
- **लाभ:** यह परमाणु भौतिकी की हमारी समझ को परिष्कृत करेगा, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को डिज़ाइन करने और विस्फोट करने वाले तारों के प्रतिरूपण में मदद करेगा आदि।

### 7.7.10. द स्टेट ऑफ़ द वर्ल्डस चिल्ड्रन (SOWC) 2023 रिपोर्ट {State of the World's Children (SOWC) 2023 Report}

- **यूनिसेफ ने 'द स्टेट ऑफ़ द वर्ल्डस चिल्ड्रन (SOWC) 2023: फॉर एव्री चाइल्ड, वैक्सीनेशन रिपोर्ट' जारी की है।**
- यह रिपोर्ट **बाल्यावस्था में टीकाकरण को प्राथमिकता देने का एजेंडा प्रस्तुत** करती है। इसमें समानता को बढ़ावा देने और टीकाकरण कवरेज को संधारणीय रूप से आगे बढ़ाने के लिए **टीकाकरण एजेंडा 2030 तथा गावी (Gavi) रणनीति 5.0 में शामिल वैश्विक रणनीतियों** का आधार के रूप में उपयोग किया गया है।
- **इसमें निम्नलिखित प्रमुख प्राथमिकताओं की पहचान की गई है:**
  - **निम्नलिखित के माध्यम से हर जगह प्रत्येक बच्चे को टीकाकरण उपलब्ध कराना**
    - महामारी के दौरान टीकाकरण से वंचित रह गए बच्चों का टीकाकरण करना।
      - ✓ वर्तमान में **भारत की 98 प्रतिशत आबादी टीकों को बच्चों के लिए महत्वपूर्ण** मानती है।
    - जीरो-डोज़ (अनुपलब्ध या छूटे हुए) और अधूरे-टीकाकरण वाले बच्चों की पहचान करना।
      - ✓ **भारत,** जीरो-डोज़ वाले बच्चों की सर्वाधिक संख्या वाले **शीर्ष 20 देशों में शामिल था।**
  - समुदायों से संपर्क करके टीकाकरण की मांग को बढ़ाना; लैंगिक बाधाओं से निपटना तथा स्वास्थ्य प्रणालियों में जवाबदेही पर पुनर्विचार करना।
  - टीकाकरण और स्वास्थ्य पर अधिक खर्च करना। ऐसा राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में निवेश करके और दानकर्ताओं के समर्थन को बेहतर ढंग से समन्वित करके किया जा सकता है।
  - डेटा संग्रह और रोग निगरानी में सुधार करके प्रणाली को लचीला बनाना; वैक्सीन और अन्य आपूर्ति को सुनिश्चित करना आदि।
    - भारत में, **डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म TeCHO+** (टेक्नोलॉजी इनेबल्ड कम्युनिटी हेल्थ ऑपरेशंस) और **इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क (eVIN) ने टीकाकरण कवरेज को बढ़ाया है।** साथ ही, डेटा एंट्री क्षमता में भी वृद्धि की है।

### 7.7.11. द बिग कैच-अप (The Big Catch-Up)

- **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), यूनिसेफ, वैक्सीन अलायंस गावी और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन** इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030 तथा अन्य स्वास्थ्य भागीदारों के साथ **"द बिग कैच-अप"** का क्रियान्वयन कर रहे हैं।
- यह एक लक्षित वैश्विक प्रयास है। इसका उद्देश्य **कोविड-19 महामारी के कारण बाल टीकाकरण में आई गिरावट को रोककर टीकाकरण की गति** में तेजी लाना है।
  - इस पहल में **भारत** सहित उन 20 देशों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जहां **2021 में टीकाकरण से चूक गए तीन चौथाई बच्चे रहते हैं।**
  - यह पहल **स्वास्थ्य देखभाल कार्यबल को मजबूती प्रदान करेगी, स्वास्थ्य सेवा वितरण में सुधार करेगी, टीकों की मांग का सृजन करेगी और टीकाकरण को पुनर्बहाल करने में आने वाली बाधाओं को दूर करेगी।**

### 7.7.12. शिंग्रिक्स वैक्सीन (Shingrix Vaccine)

- **ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन (GSK) फार्मा ने शिंगल्स (shingles) से बचाव के लिए भारत में "शिंग्रिक्स"वैक्सीन को लॉन्च** किया है।
  - शिंगल्स (एक प्रकार का चर्म रोग) **वेरिसेला ज़ोस्टर वायरस (VZV) के फिर से सक्रिय** होने के कारण होता है। यह वही वायरस है, जिससे **चिकन पॉक्स** होता है।
  - **मधुमेह, हृदय रोग और गुर्दे की बीमारियों से पीड़ित** लोगों में शिंगल्स होने का खतरा अधिक होता है। इसका कारण यह है कि इन बीमारियों की वजह से उनका प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है।
- शिंग्रिक्स वैक्सीन **50 वर्ष या उससे अधिक आयु के वयस्कों में शिंगल्स (हरपीज ज़ोस्टर) और पोस्ट-हर्पेटिक न्यूराल्जिया को रोकेगी।**
  - यह दुनिया की पहली **नॉन-लाइव, रिकॉम्बिनेंट सबयूनिट वैक्सीन** है। इसे **दो खुराक** में दिया जाता है। इसे इंजेक्शन के माध्यम से मांसपेशियों में लगाया जाता है।
  - इसे यूएस फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (US-FDA) और यूरोपीय आयोग ने मंजूरी दी है।

### 7.7.13. नो योर मेडिसिन (अपनी दवा को जानो) (Know Your Medicine)

- **राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA) ने 'नो योर मेडिसिन वेब और मोबाइल एप्लिकेशन' विकसित** किए हैं। इस कदम का उद्देश्य **भारत में एक स्वच्छ खेल परिवेश** बनाना है।
- **स्वच्छ खेल का मार्ग प्रशस्त** करते हुए, एप्लिकेशन खेल इकोसिस्टम में यह जांचने में मदद करेगी कि:
  - **दवाओं में कोई प्रतिबंधित पदार्थ** मौजूद है या नहीं।
  - दवाओं के उपयोग के बारे में **सूचित निर्णय** लिए जा सकते हैं।
- यह एप्लिकेशन **हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं** में उपलब्ध है। यहां यूजर्स **इमेज और टेक्स्ट विकल्पों द्वारा सर्च** कर सकते हैं। साथ ही, **दवाओं और संघटक (ingredient) विकल्पों** द्वारा भी सर्च कर सकते हैं।

### 7.7.14. सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार (International Prize in Statistics)

- भारतीय अमेरिकी **सी. आर. राव** ने 102 साल की आयु में **सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार** जीता है। इस पुरस्कार को **सांख्यिकी का नोबेल पुरस्कार** माना जाता है।
- सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को **2016 में निम्नलिखित पांच प्रमुख सांख्यिकीय संगठनों के एक समूह ने स्थापित किया था:**
  - अमेरिकन स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन,
  - इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स,
  - इंटरनेशनल बायोमेट्रिक सोसाइटी,
  - इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, और
  - रॉयल स्टैटिस्टिकल सोसाइटी।
- यह पुरस्कार **प्रत्येक दो साल** में एक बार किसी व्यक्ति या टीम को दिया जाता है।
- यह पुरस्कार **विज्ञान, प्रौद्योगिकी और मानव कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए सांख्यिकी का उपयोग करके अर्जित की गई प्रमुख उपलब्धियों के लिए** दिया जाता है।

# 8. संस्कृति (Culture)

## 8.1. उच्चतर शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपराएं (Indian Knowledge Systems in Higher Education)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने स्नातक (UG) और स्नातकोत्तर (PG) पाठ्यक्रमों के लिए उच्चतर शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपराओं (IKS)[94] को शामिल करने के लिए मसौदा दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

**अन्य संबंधित तथ्य**

- इससे पहले, 2020 में **शिक्षा मंत्रालय के तहत IKS डिवीजन** की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य 'भारतीय ज्ञान परंपरा' पर अनुसंधान को बढ़ावा देना और उसका प्रसार करना था।
- इसके अलावा, **राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क के हाल ही में जारी अंतिम संस्करण में भी भारतीय ज्ञान परंपरा में विशेषज्ञता** को जोड़ा गया है।

**भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है?**

- भारतीय ज्ञान परंपरा में शामिल हैं:
  - ज्ञान के वे सभी व्यवस्थित **पहलू जो प्राचीन काल से ही भारत में उच्च स्तर तक विकसित** हुए हैं, तथा
  - वे सभी **परंपराएं और प्रथाएं**, जो भारत के **विभिन्न समुदायों (जनजातीय समुदायों सहित) व पीढ़ियों से विकसित, परिष्कृत और संरक्षित** हैं।

*भारत में विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रमुख योगदानकर्ताओं की जानकारी के लिए परिशिष्ट देखें।*

**दिशा-निर्देशों की मुख्य विशेषताएं**

- **IKS में क्रेडिट पाठ्यक्रम:** UG और PG छात्रों को IKS में क्रेडिट पाठ्यक्रम लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यह कुल अनिवार्य क्रेडिट का कम-से-कम 5 प्रतिशत है।
  - IKS को आवंटित किए गए क्रेडिट का कम-से-कम 50 प्रतिशत प्रमुख विषय से संबंधित होना चाहिए।
- **प्रामाणिक स्रोतों पर बल: IKS को प्रामाणिक स्रोतों पर आधारित होना** चाहिए, जैसे- स्रोत ग्रंथ, ऐतिहासिक वृत्तांत, अभिलेख आदि।
- **निरंतरता पर ध्यान:** पाठ्यक्रम सामग्री के डिजाइन में प्राचीन काल से अपेक्षाकृत हाल की अवधि तक **भारतीय ज्ञान परंपराओं की निरंतरता पर** ध्यान दिया जाना चाहिए।
- **निर्देश:** IKS पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा का माध्यम **अंग्रेजी और संस्कृत के अलावा कोई भी अन्य भारतीय भाषा** हो सकती है।

**भारतीय ज्ञान परंपरा (इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम) प्रभाग**

**मंत्रालय:** शिक्षा मंत्रालय (MoE)

**उत्पत्ति:** इसे 2020 में MoE के अधीन **अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) के अंतर्गत नवाचार प्रकोष्ठ के रूप में** स्थापित किया गया था।

**विज़न:**
- **"इंडियन नॉलेज सिस्टम (IKS)"** के सभी पहलुओं पर अंतर–विषयक अनुसंधान को बढ़ावा देना,
- भविष्य के अनुसंधान और सामाजिक उपयोग के लिए **"भारतीय ज्ञान परंपरा" का संरक्षण एवं प्रसार करना।**

**कार्य:**
- अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं सहित भारत और विदेशों में विभिन्न संस्थानों द्वारा **IKS के संबंध में किए गए अंतर और अंतरा–विषयक कार्यों को सुगम बनाना और उनका समन्वय करना।**
- संस्थानों, केंद्रों आदि में **विषयवार व अंतर–विषयक अनुसंधान ग्रुप्स की स्थापना, मार्गदर्शन और निगरानी करना।**
- **भारतीय ज्ञान परंपरा** को लोकप्रिय बनाने की योजनाएं बनाना और उन्हें बढ़ावा देना।
- परियोजनाओं के वित्त–पोषण को सुगम बनाना और अनुसंधान के लिए तंत्र विकसित करना।
- **IKS के प्रचार के लिए नीतिगत सिफारिशें** करना।

[94] Indian knowledge systems

- **संस्कृत से अनुवाद:** संस्कृत स्रोतों से लिए जाने वाले तकनीकी शब्द और उद्धरण, देवनागरी लिपि के साथ-साथ अंग्रेजी में भी अनुवाद कर दिए जाने चाहिए।

**उच्चतर शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा को एकीकृत करने का महत्त्व**

- **समृद्ध विरासत का संवर्धन करना:** उदाहरण के लिए- ऑक्सफोर्ड, कैंब्रिज जैसे विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के अस्तित्व से भी **पहले भारत में नालंदा और तक्षशिला जैसे प्रतिष्ठित संस्थान** मौजूद थे।
- **भारतीय शिक्षा प्रणाली का विऔपनिवेशीकरण करना:** शिक्षा प्रणाली की औपनिवेशिक जड़ों ने हमारे अपने वैज्ञानिक विचारों की संरचना एवं आधार को समझने में बाधा के रूप में काम किया है। IKS को एकीकृत करने से **भावी अनुसंधान और सामाजिक इस्तेमाल के लिए IKS के संरक्षण तथा प्रसार में सहायता** मिलेगी।
- **वर्तमान समय में IKS का इस्तेमाल:** आयुर्वेद के ज्ञान, प्राचीन काल में जहाजों के निर्माण के ज्ञान, विमान के ज्ञान, सिंधु घाटी के शहरों की स्थापत्य कला के ज्ञान और प्राचीन भारत के राजनीतिक विज्ञान आदि का वर्तमान विश्व में भी अनुसरण किया जाता है।
  - IKS दुनिया को काम करने का 'भारतीय तरीका' सिखा सकता है।

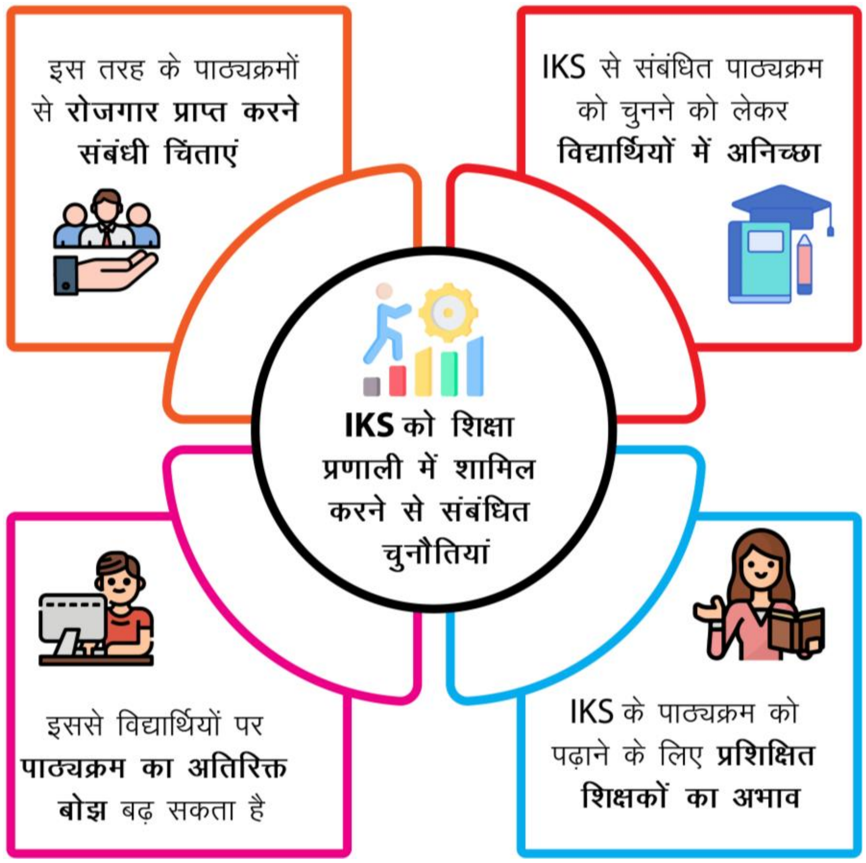


- **बहु-विषयक दृष्टिकोण:** IKS की बहु-विषयक और अंतर-अनुशासनात्मक प्रकृति छात्रों की समझ को बढ़ाऐगी। साथ ही, उन्हें जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर रूप से तैयार करेगी।
  - दुनिया की कई समस्याओं का समाधान IKS में निहित है, जैसे- जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, संधारणीय जीवन की आवश्यकता आदि।
- **सांस्कृतिक लोकाचार के करीब लाना:** पारंपरिक और समकालीन अवधारणाओं के संपर्क में आने से इंजीनियरों को उनके सांस्कृतिक लोकाचार के करीब लाया जाएगा। इससे उनके बौद्धिक ज्ञान की सीमा का विस्तार होगा और उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा।

**निष्कर्ष**

यह महत्वपूर्ण है कि IKS को **आलोचनात्मक और साक्ष्य-आधारित तरीके** से सिखाया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 यह सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के महत्त्व पर भी बल देती है कि अप्रमाणित मान्यताओं या प्रथाओं के किसी भी प्रचार से बचने हेतु IKS को वैज्ञानिक रूप से कठोर तरीके से सिखाया जाना चाहिए।

## 8.2. राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन (National Mission For Cultural Mapping: NMCM)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, सरकार ने **राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के 'मेरा गांव मेरी धरोहर' कार्यक्रम** के तहत एक लाख से अधिक गांवों की अनूठी विशेषताओं की पहचान करके उनका दस्तावेजीकरण किया है।

# ऐसे गाँवों के कुछ उदाहरण

| गाँव | महत्व |
|---|---|
| सिनौली, उत्तर प्रदेश | • सिनौली एक **हड़प्पा स्थल के साथ–साथ एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल** भी है।<br>• यह कांस्य युगीन सभ्यता से जुड़ी कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है, उदाहरण– 2018 में मिली ठोस–डिस्क वाली पहिया गाड़ी, जिसकी कुछ लोगों ने रथ के रूप में व्याख्या की है। |
| रैणी, उत्तराखंड | • यह **चिपको आंदोलन के लिए प्रसिद्ध** है।<br>• 1974 में रैणी गांव में जंगलों को बचाने के लिए एक आंदोलन शुरू हुआ था। बाद में यह चिपको आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। |
| सुकेती जीवाश्म पार्क, हिमाचल | • इसे **शिवालिक जीवाश्म पार्क** भी कहा जाता है।<br>• यहां **2.5 मिलियन वर्ष पुराने कशेरुकी जीवाश्मों का समृद्ध संग्रह** है।<br>• 1 से 1.5 मिलियन वर्ष पहले क्षेत्र में पाए जाने वाले छह प्रागैतिहासिक जानवरों के आदमकद फाइबरग्लास मॉडल्स इस पार्क में प्रदर्शित हैं। |
| पंड्रेथन, जम्मू–कश्मीर | • 4वीं सदी की **कश्मीरी संत और रहस्यवादी कवयित्री लाल देद का जन्म इसी गांव में हुआ था।** उन्हें लल्ल या लोलेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है।<br>o उनके **लेखन को 'वाख'** भी कहा जाता है<br>• यहां **8वीं सदी का एक शिव मंदिर** भी है। थल सेना की चिनार कॉर्प्स द्वारा इसका कायाकल्प किया गया और सेना ही इसका संरक्षण करती है। |
| बिश्नोई, राजस्थान | • प्रकृति के साथ सद्भावनापूर्ण तरीके से रहने के कारण यह गाँव एक केस स्टडी का विषय रहा है।<br>• ग्रामीण 29 (बीस + नौ) सिद्धांतों के एक सेट का पालन करते हैं, जिसमें **जानवरों की सुरक्षा और पेड़ों के संरक्षण से संबंधित मानदंड** भी शामिल हैं। |

**मेरा गांव मेरी धरोहर सर्वेक्षण के बारे में**

- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य **गांव, ब्लॉक या जिले को विशिष्ट बनाने हेतु** नागरिकों को शामिल करके ग्रामीण स्तर पर सांस्कृतिक पहचान का दस्तावेजीकरण करना है।
  - इसका उद्देश्य **ग्रामीण भारत की अनूठी सांस्कृतिक विरासत का दोहन** करना है।
- **तंत्र:** सामान्य सेवा केंद्रों (CSCs) के जरिए ग्राम स्तर के उद्यमी जुड़ते हैं, जो स्थानीय लोगों के साथ बैठकें करते हैं। इन बैठकों के दौरान ग्रामवासी अपने गांव के बारे में रोचक तथ्यों पर चर्चा करते हैं, जिन्हें बाद में आवेदन के जरिए अपलोड कर दिया जाता है।
  - इन रोचक तथ्यों में **गांव के दिलचस्प स्थान, रीति-रिवाज और परंपराएं, प्रसिद्ध हस्तियां, त्यौहार व मान्यताएं, कला एवं संस्कृति आदि शामिल** हो सकते हैं।

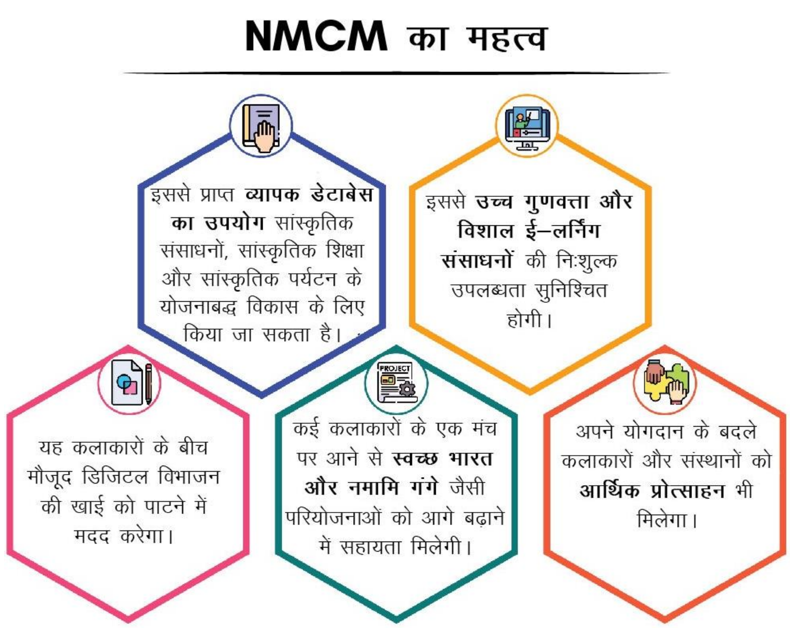


- **समन्वय:** संस्कृति मंत्रालय ने **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय** के तहत CSCs के साथ भागीदारी की है।

- **गांवों को व्यापक रूप से अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित** किया गया है। इन्हें विभाजित करने का आधार यह है कि क्या वे पारिस्थितिक, विकासात्मक और शैक्षिक रूप से महत्वपूर्ण हैं तथा क्या वे किसी ऐतिहासिक या पौराणिक घटनाओं से जुड़े हुए हैं।

**NMCM के बारे में**

- इसकी शुरुआत 2017 में **संस्कृति मंत्रालय** ने की थी।
- **मिशन के लक्ष्य:**
  - **समृद्ध भारतीय कला और सांस्कृतिक विरासत की संरचनाओं को संरक्षित करना;**
  - देश के विशाल और व्यापक सांस्कृतिक कैनवास को **वस्तुनिष्ठ सांस्कृतिक मानचित्रण में परिवर्तित** करना;
  - **कलाकार समुदाय की आकांक्षाओं को पूरा** करने के लिए एक तंत्र तैयार करना;
  - देश भर में मजबूत **'सांस्कृतिक जीवंतता'** का निर्माण करना आदि।
- **शामिल संस्थाएं:**
  - संस्कृति मंत्रालय द्वारा NMCM को संचालित करने का कार्य **CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड** को सौंपा गया है।
  - इस मिशन को **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA)** के मार्गदर्शन में क्रियान्वित किया जा रहा है।
- **व्यापक स्तर पर, मिशन के तीन महत्वपूर्ण उद्देश्य निम्नानुसार हैं:**
  - **राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरूकता अभियान:** हमारी संस्कृति हमारी पहचान अभियान- **इस कार्यक्रम का आयोजन** ब्लॉक स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक किया जाता है। यह कार्यक्रम सांस्कृतिक विरासत के बारे में स्थानीय लोगों के बीच जागरूकता का प्रसार करता है।
  - **राष्ट्रव्यापी कलाकार प्रतिभा खोज/ स्काउटिंग कार्यक्रम:** यह कार्यक्रम सांस्कृतिक प्रतिभा खोज अभियान में छिपी हुई प्रतिभाओं के साथ-साथ पारंपरिक प्रतिभाओं की भी खोज करने का प्रयास करता है।

## इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (Indira Gandhi National Centre For the Arts: IGNCA)

**मंत्रालय:** संस्कृति मंत्रालय

**उत्पत्ति:** 1987 में एक स्वायत्त संस्था के रूप में स्थापित।

**कार्य:** कला के क्षेत्र में अनुसंधान, अकादमिक अनुसंधान और कला के प्रसार के केंद्र के रूप में कार्य करना।

**संरचना:**
- **कला निधि**– संदर्भ पुस्तकालय;
- **कला कोश**– भारतीय भाषाओं में मौलिक ग्रंथों के अध्ययन और प्रकाशन के लिए समर्पित;
- **जनपद संपदा**– जीवन शैली के अध्ययन में संलग्न;
- **कलादर्शन**– यह प्रदर्शनियों के माध्यम से शोधों और अध्ययनों को दृश्य रूपों में बदलता है;
- **कल्चरल इन्फॉर्मैटिक्स**– सांस्कृतिक संरक्षण और प्रसार के लिए प्रौद्योगिकी साधनों का उपयोग करता है; और
- **सूत्रधार**– प्रशासनिक अनुभाग जो सभी गतिविधियों का समर्थन और समन्वय करने में प्रमुख आधार के रूप में कार्य करता है।

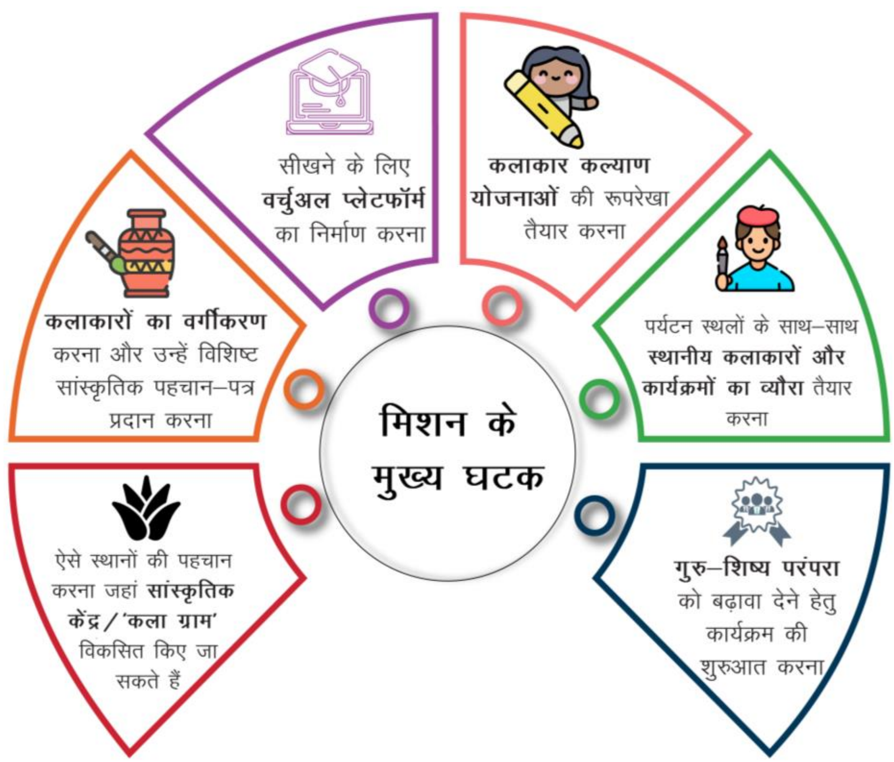

- ○ **राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्य स्थल (NCWP):** यह पूरी तरह से सुसज्जित एक ऐसा सांस्कृतिक पोर्टल है जो कलाकारों, संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों और संस्कृति मंत्रालय सहित सभी हितधारकों के लिए एक साझे संवाद कार्य स्थल के रूप में कार्य करेगा।

**निष्कर्ष**

एक बेहतर तरीके से चित्रित, प्रलेखित और डिज़ाइन किए गए डेटाबेस का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। इसकी जरूरत न केवल समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए है, बल्कि प्रदर्शन करने वाले कलाकारों को आजीविका के साधन प्रदान करने तथा उनकी आर्थिक स्थितियों में सुधार करने के लिए भी है।

## 8.3. राजा रवि वर्मा (Raja Ravi Varma)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, राजा रवि वर्मा की 175वीं जयंती मनाई गई है।

### राजा रवि वर्मा के बारे में

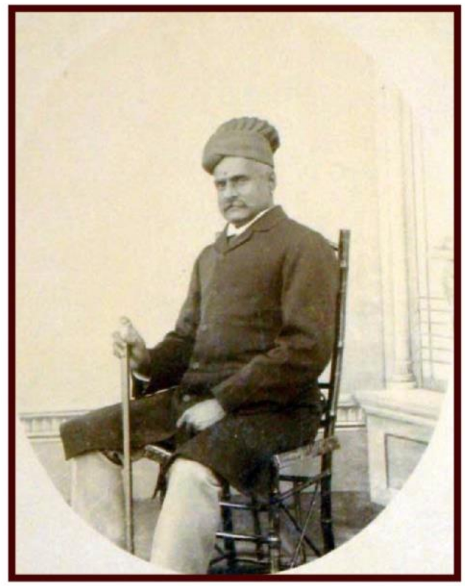

वे **"फादर ऑफ़ मॉडर्न इंडियन आर्ट (आधुनिक भारतीय चित्रकला के जन्मदाता)"** के रूप में विख्यात हैं।

वे अपनी चित्रकलाओं और कैनवस पर रंगों के इस्तेमाल के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। उन्होंने यूरोपीय तकनीक का इस्तेमाल कर भारतीय विषय–वस्तु को अपनी चित्रकारी में मुख्य स्थान दिया।

**जन्म तिथि:** 29 अप्रैल, 1848

**जन्म स्थान:** किलिमानूर, त्रावणकोर (केरल)

**मृत्यु तिथि:** 2 अक्टूबर, 1906

**व्यवसाय:** चित्रकार व कलाकार।

**पेंटिंग्स का वर्गीकरण:**
- ○ व्यक्ति चित्र (Portraits),
- ○ मानवीय आकृतियों वाले चित्र, तथा
- ○ भारतीय पौराणिक कथाओं, इतिहास व पुराण की घटनाओं से संबंधित चित्र।

**गुरु:** आलागीरी नायडू (वाटर कलर पेंटिंग यानी जलरंग चित्रकला); थियोडोर जेंसन (ऑयल पेंटिंग तकनीक यानी तेलरंग चित्रकला)

**पुरस्कार: कैसर–ए–हिंद स्वर्ण पदक** (1904) आदि।

- ○ केरल सरकार हर साल **राजा रवि वर्मा पुरस्कार** से कलाकारों को सम्मानित करती है।

**भारतीय कला में योगदान:**

- **लिथोग्राफी के प्रस्तावक:** वह भारत में **लिथोग्राफी के शुरुआती समर्थकों** में से एक थे।
  - ○ लिथोग्राफी **एक सपाट पत्थर या धातु की प्लेट पर चित्रण करने की कला** को दर्शाता है।
  - ○ उन्होंने इस तकनीक का उपयोग **हिंदू साहित्य के लोकप्रिय दृश्यों और पात्रों को चित्रित** करने के लिए किया था।
- **उन्होंने भारतीय परंपरा और यूरोपीय कला का समेकन किया था:** वे उन कुछ चित्रकारों में से एक थे, जिन्होंने **यूरोपीय अकादमिक कला की तकनीकों के साथ भारतीय परंपरा के एक सुंदर मिश्रण** को पूरा करने में सफलता प्राप्त की थी।
  - ○ वे अपनी त्रुटिहीन तकनीक से **भारतीय कला को पूरी दुनिया में विख्यात करने के लिए भी प्रसिद्ध हैं।**
- **पौराणिक कथाओं की अंतर्दृष्टि:** उन्होंने **अपने चित्रों में पौराणिक कथाओं के विषयों का चित्रण** किया था।

- इनमें से उनके द्वारा चित्रित कुछ विख्यात उदाहरण हैं- **दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग, नल व दमयंती की कथा, भगवान श्रीराम की वरुण देव पर विजय आदि।**

- **वे सामान्य जन के कलाकार थे:** वे अपने चित्रों की **सस्ती प्रतियां** जनता को उपलब्ध कराने के लिए जाने जाते थे।
  - इससे उनकी पहुंच और प्रभाव और भी बढ़ गया। हिंदू देवी-देवताओं का उनका चित्रण **निम्न जातियों के बहुत से लोगों के लिए पूजा सामग्री** बन गया, जिन्हें अक्सर मंदिर में प्रवेश करने से मना किया जाता था।

## 8.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

### 8.4.1. वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन, 2023 (Global Buddhist Summit 2023)

- वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन, 2023 **"नई दिल्ली घोषणा-पत्र" के साथ समाप्त हुआ।**
- इस **शिखर सम्मेलन का आयोजन संस्कृति मंत्रालय** ने दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से किया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य **बौद्ध धर्म से संबंधित और सार्वभौमिक चिंताओं के मामलों पर विचार** करने के लिए **दुनिया भर के बौद्ध विद्वानों, परिसंघ के नेताओं एवं बौद्ध धर्मावलंबियों** को एक मंच पर एक साथ लाना था।
- **नई दिल्ली घोषणा-पत्र की मुख्य विशेषताएं:**
  - वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में, **बौद्ध धर्म के ग्रंथ, सिद्धांत और दर्शन विभिन्न धार्मिक विश्वासों के बीच संवाद, सद्भाव और सार्वभौमिक शांति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम मार्गदर्शक साधन** हैं।
  - जीवंत विरासत के रूप में **बौद्ध तीर्थ-यात्रा के महत्व को पहचाना जाए।**
- इस शिखर सम्मेलन में **भारत की सॉफ्ट पावर रणनीति में बौद्ध धर्म की बढ़ती भूमिका** को रेखांकित किया गया।
  - गौरतलब है कि सॉफ्ट पावर रणनीति के तहत **अनुनय (Persuasion)** और **आकर्षण (Attraction) का उपयोग करके,** प्रतिस्पर्धा या संघर्ष के बिना **दूसरों के व्यवहार में परिवर्तन** लाया जाता है।
- **बौद्ध कूटनीति की दिशा में की गई अन्य पहलें:**
  - **प्रधान मंत्री बौद्ध धर्म को अपनी राजनयिक यात्राओं का नियमित हिस्सा बनाते रहे हैं** और साझी बौद्ध विरासत पर भी बल देते रहे हैं।
  - धर्मशाला में **दलाई लामा और तिब्बत की निर्वासित सरकार की उपस्थिति** ने वैश्विक बौद्ध समुदाय के बीच **भारत की छवि को मजबूत** किया है।
  - भारत ने साउथ कोरिया के **बौद्ध तीर्थयात्रियों की मेजबानी** की है।
  - अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने वाले **विशेष बौद्ध पर्यटक सर्किटों का निर्माण** किया गया है।
  - **नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार** किया गया है, आदि।

### 8.4.2. सांची (Sanchi)

- सांची देश का **पहला सौर शहर बनने जा रहा** है।
- **सांची मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची के बौद्ध स्मारक यूनेस्को के विश्व धरोहर स्मारक हैं।**
- यह **स्थल बौद्ध धर्म से संबंधित** है, लेकिन सीधे तौर पर बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है। यह स्थल **बुद्ध से ज्यादा अशोक** से संबंधित है।
  - यहां पर पहली और दूसरी ईस्वी के काल के अलग-अलग **बौद्ध स्मारक** प्राप्त होते हैं। इनमें **सांची स्तूप अधिक प्रसिद्ध** है।
  - **सांची स्तूप में 4 प्रवेश द्वार** हैं, जो विस्तृत और जटिल नक्काशी के माध्यम से **बुद्ध के जीवन को प्रदर्शित** करते हैं।
  - **यहां से गुप्त काल का मंदिर भी प्राप्त** हुआ है। यह भारत में मंदिर स्थापत्य कला के शुरुआती उदाहरणों में से एक है।

### 8.4.3. मनमदुरै मृदभांड (Manamadurai Pottery)

- **तमिलनाडु के शिवगंगई जिले के मनमदुरै मृदभांड** को भौगोलिक संकेतक (GI) टैग मिला है।
- इन मृदभांड को बनाने के लिए नेदुनकुलम, नाथपुरक्की, सुंदरनादप्पु, सेकलतुर जैसे जल निकायों से प्राप्त **एक विशेष प्रकार की मिट्टी का इस्तेमाल** किया जाता है।

- इन मृदभांडों को बनाने के लिए **मुख्य कच्चा माल मृदा और जल है।**
- **वैगई नदी** मनमदुरै गांव से होकर बहती है। यह नदी मृदभांड निर्माण के लिए इस्तेमाल होने वाली **मिट्टी का उत्तम स्रोत है।**

### 8.4.4. लद्दाख की काष्ठ नक्काशी कला (Ladakh's Wood Carvings)

- प्रधान मंत्री ने **लद्दाख की काष्ठ नक्काशी के लिए अपनी तरह के पहले भौगोलिक संकेतक (GI) टैग की प्रशंसा** की है।
- लद्दाख की काष्ठ नक्काशी कला लद्दाख क्षेत्र में सौंदर्य की दृष्टि से एक **जीवंत कला शैली** रही है।
  - GI टैग इसके **निर्यात को बढ़ावा देगा तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं का प्रचार** करेगा। साथ ही, यह उत्पादकों और हितधारकों के लिए **आर्थिक समृद्धि लाने** का कार्य भी करेगा।
- GI टैग का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों पर किया जाता है, जिनकी एक **विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती** है। इसी उत्पत्ति के कारण इन उत्पादों में **विशिष्ट गुण या प्रतिष्ठा** होती है।
  - **वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 GI के पंजीकरण व बेहतर संरक्षण** का प्रावधान करता है। यह टैग **10 वर्षों तक वैध** रहता है।

### 8.4.5. नगरी दुबराज चावल (Nagri Dubraj Rice)

- **छत्तीसगढ़ के नगरी दुबराज चावल की किस्म को भौगोलिक संकेतक** का दर्जा दिया गया है।
  - वर्ष 2019 में **छत्तीसगढ़ के जीराफूल चावल** को भी भौगोलिक संकेतक दर्जा प्रदान किया गया था। इस प्रकार दुबराज राज्य की दूसरी चावल की किस्म बन गई है, जिसे यह टैग दिया गया है।
- धमतरी जिले के नगरी में एक महिला स्वयं सहायता समूह **"माँ दुर्गा स्वसहायता समूह"** दुबराज की फसल कटाई करता है। इसी समूह ने भौगोलिक संकेतक दर्जे के लिए आवेदन किया था।

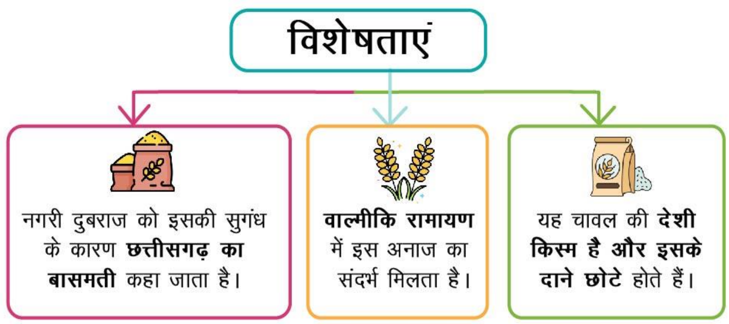


### 8.4.6. पुष्करालु/पुष्करम महोत्सव (Pushkaralu/Pushkaram Festival)

- **तेलुगु भाषी लोगों का 12 दिवसीय पुष्करालु उत्सव वाराणसी** में शुरू हुआ।
- पुष्करालु उन **12 पवित्र नदियों की पूजा** को कहा जाता है, जिनमें **भगवान पुष्कर हर 12 साल में प्रकट** होते हैं।
  - **ये 12 नदियां हैं:** गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, भीमा, ताप्ती, नर्मदा, सरस्वती, तुंगभद्रा, सिंधु और प्राणहिता।
- इस महोत्सव का आयोजन **12 वर्षों में एक बार** किया जाता है। इसे **उपर्युक्त नदियों में से किसी एक नदी के किनारे** आयोजित किया जाता है। प्रत्येक नदी एक राशि चिन्ह से जुड़ी हुई है। साथ ही, किस नदी के किनारे इसे आयोजित किया जाएगा, यह इस पर निर्भर करता है कि उस समय बृहस्पति किस राशि में है।

### 8.4.7. हक्की पिक्की (Hakki Pikki)

- इस जनजाति के कुछ सदस्य **सूडान में जारी आंतरिक युद्ध** की वजह से वहां फंसे हुए हैं।
- ये मुख्य रूप से **कर्नाटक के शिवमोगा, दावणगेरे और मैसूरु जिलों में रहते हैं।**
- ये **पारंपरिक और हर्बल दवाओं के ज्ञान को संरक्षित रखने के लिए** विख्यात हैं। इन दवाओं की अफ्रीकी देशों में अत्यधिक मांग है।
- हक्की-पिक्की को **मातृसत्तात्मक जनजातीय समूह** कहा जाता है।
- ये एक **इंडो-आर्यन भाषा** बोलते हैं। ये घर पर **"वागरी"** (मातृभाषा) में बातचीत करते हैं, लेकिन **दैनिक कामकाज करते समय कन्नड़ भाषा बोलते हैं।**
- यूनेस्को ने **"वागरी" को एंडेंजर्ड भाषा के रूप में** सूचीबद्ध किया है।

### 8.4.8. अभिलेख पटल (Abhilekh Patal)

- प्रधान मंत्री ने **राष्ट्रीय अभिलेखागार के ऐतिहासिक अभिलेखों के 1 करोड़ से अधिक पृष्ठों वाले पोर्टल "अभिलेख पटल" की प्रशंसा की है।**
- यह इंटरनेट के माध्यम से **भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार (NAI) के संदर्भ माध्यम और इसके डिजिटल संग्रह तक पहुंचने के लिए फीचर्स से परिपूर्ण एक वेब पोर्टल है।**
    - यह **NAI की एक पहल** है। इसका उद्देश्य इसके **भारतीय अभिलेखीय रिकॉर्ड्स को सभी के लिए उपलब्ध** कराना है।
- **NAI संस्कृति मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। यह भारत सरकार के गैर-वर्तमान अभिलेखों के भंडार के रूप में कार्य करता है।**

| | | |
|---|---|---|
| QUIZ SMART QUIZ | विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **संस्कृति** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। | |


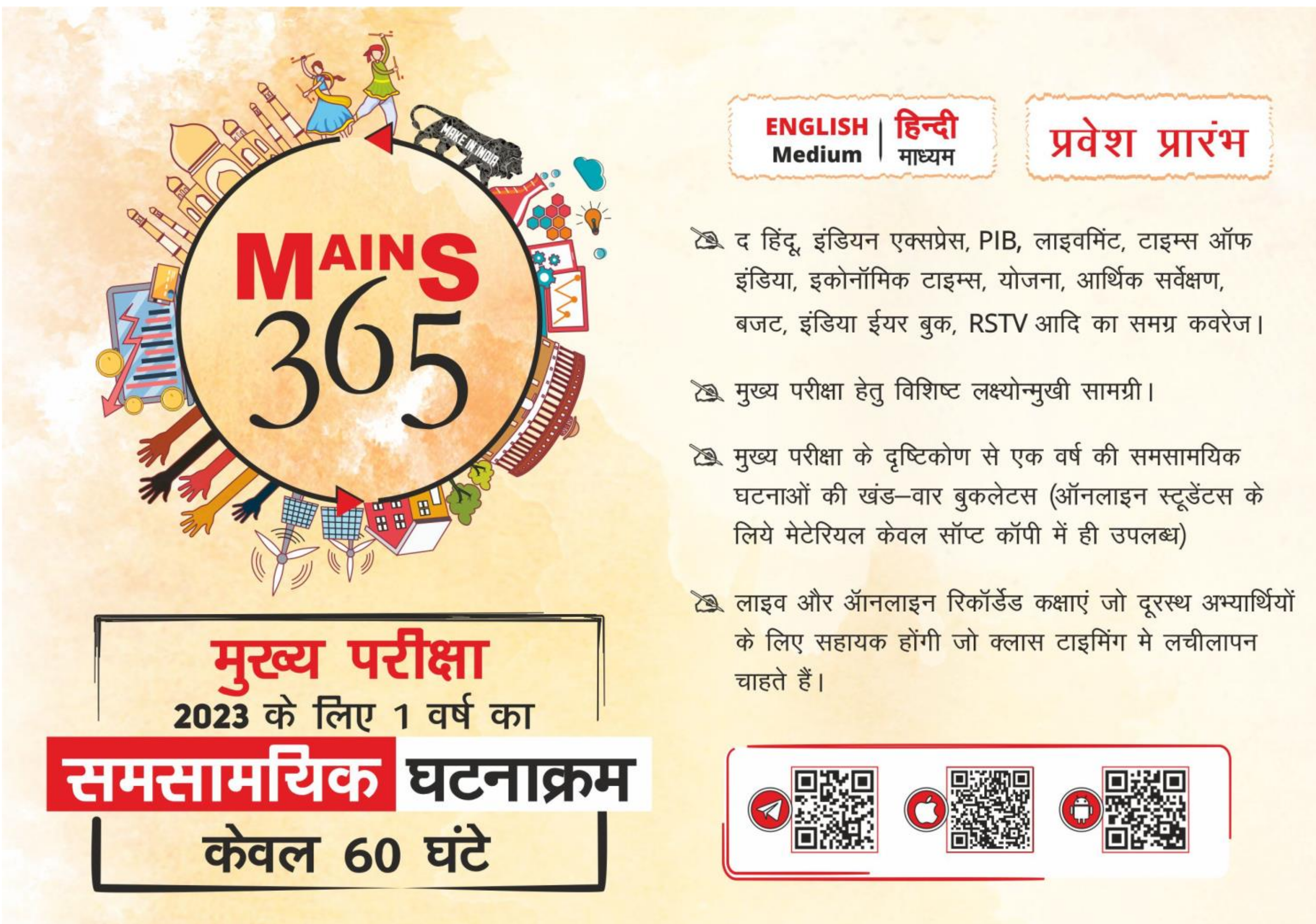

# 9. नीतिशास्त्र (Ethics)

## 9.1. प्रवासन से जुड़ी नैतिकता (Ethics of Migration)

**परिचय**

हाल ही में, विश्व बैंक ने **वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, 2023** जारी की है। इस रिपोर्ट में वैश्विक प्रवासन और शरणार्थियों का अवलोकन कर एक एकीकृत ढांचे को प्रस्तुत किया गया है। यह ढांचा प्रवासन के गंतव्य देशों और स्रोत देशों तथा स्वयं प्रवासियों (Migrants) और शरणार्थियों (Refugee) अर्थात् सभी पर सीमा-पार आवाजाही से जुड़े सकारात्मक प्रभावों को अधिकतम करने के लिए प्रस्तुत किया गया है।

**प्रवासन** को विश्व में **परिसंपत्ति और दायित्व (या बोझ) दोनों** रूपों में देखा जाता है।

परिसंपत्ति के रूप में प्रवासन का उपयोग करने और इससे जुड़े दायित्व से बचने के लिए दुनिया भर के देश **अपनी सहूलियत के अनुसार नीतियां और कानून** बनाते हैं। हालांकि, ऐसी नीतियों में अक्सर **नैतिक सिद्धांतों का अभाव** होता है।

**प्रवासन के संदर्भ में विभिन्न हितधारकों के नैतिक हित कौन-से हैं?**

| व्यक्ति (Individual) | मूल/ स्रोत देश (Origin Country) | गंतव्य देश (Destination Country) | बचाव दल के लिए (For Rescuers) | अंतर्राष्ट्रीय संगठन (International Organization) |
|---|---|---|---|---|
| **व्यक्ति** सामान्यतः बेहतर जीवन की तलाश में अपने मूल निवास को छोड़ता है। लोग यह उम्मीद करते हैं कि जिस स्थान पर वे जा रहे हैं, उन्हें **वहां के नागरिकों के समकक्ष ही माना जाएगा।** वे चाहते हैं कि उन्हें **साधन** के बजाय **साध्य** के रूप में देखा जाए। | व्यक्तियों के **"अपने क्षेत्र को छोड़कर कहीं और जाने के अधिकार"** तथा **"उनके मूल देश/ क्षेत्र द्वारा भर्ती/ रोजगार प्रक्रिया के विनियमन एवं विदेशों में काम करने वाले अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के प्रयासों"** के बीच द्वंद्व मौजूद है।<br>हालांकि, प्रवासन के चलते जहां एक ओर मूल देश को विप्रेषण (रेमिटेंस) प्राप्त होता है तो वहीं दूसरी ओर इसकी वजह से मूल देशों को प्रतिभा पलायन का भी सामना करना पड़ता है। | अधिकांश देश **केवल ऐसे प्रवासियों और शरणार्थियों** को स्वीकार करना चाहते हैं, जो **उपयोगी/ कुशल** हैं। साथ ही, ये देश एक निश्चित सीमा के बाद प्रवासियों को स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि इससे देश की जनसांख्यिकीय स्थिति बिगड़ सकती है तथा संसाधन का उपयोग पैटर्न नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है। | बचाव दल जहां एक ओर **जरूरतमंद लोगों की मदद करने की मानवीय आवश्यकता** से बंधे होते हैं तो दूसरी ओर उन्हें **हिंसा के लिए जिम्मेदार राज्य और मानव तस्करों का सहभागी** मान लिया जाता है क्योंकि वे प्रवासियों और शरणार्थियों को सीमा-पार कराने में मदद करते हैं। | इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन (IOM) जैसे संगठन इस बात की निगरानी करते हैं कि प्रवासी जहां रहते हैं, वहां उनके अधिकारों की अच्छी तरह से रक्षा हो। |

**प्रवासन और शरणार्थी नीति में शामिल नैतिक मुद्दे**

- **मानवाधिकारों का उल्लंघन:** प्रवासन नीतियां अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में निहित अधिकारों का पालन नहीं करती हैं। इन कानूनों में-
    - **मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा[95] (1948),**
    - **नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा[96] (1966),**
    - **प्रवासियों के संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का संकल्प[97] (2014)** आदि शामिल हैं।

---

[95] Universal Declaration of Human Rights

[96] International Covenant on Civil and Political Rights

[97] UN General Assembly Resolution on the Protection of Migrants

- **उपयोगितावादी दृष्टिकोण (Utilitarian Approach):** यह दृष्टिकोण प्रवासन नीतियों में एक ओर तो **कुशल कार्यबल को स्वीकार करने को प्राथमिकता** देता है, वहीं दूसरी **संकट आदि की वजह से अपना देश/ क्षेत्र छोड़ने वाले (प्रवासियों) एवं शरणार्थियों को हतोत्साहित** करता है।
    - उदाहरण के लिए- विकसित देशों में इंजीनियरों, डॉक्टरों जैसे कुशल प्रवासियों का गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है, लेकिन दूसरी ओर जब सीरिया या लेबनान से कोई निरक्षर शरणार्थी आता है, तो उन्हें देश की मुख्यधारा में शामिल नहीं किया जाता है।
- **साधन और साध्य (Means and End): श्रम अर्थशास्त्र ( Labor economics)** सीमाओं के पार श्रमिकों के उन देशों में जाने पर बल देता है जहां उनके श्रम को उनके मूल देश की तुलना में अधिक उत्पादक रूप से उपयोग किया जा सकता है। **इस सिद्धांत में मानवतावादी दृष्टिकोण अनुपस्थित है।**
- **निष्ठुरता (Apathy):** अपने गंतव्य स्थान की ओर जाते समय हजारों प्रवासियों और शरणार्थियों की अकाल मृत्यु हो जाती है। **उत्तरी अफ्रीका के शरणार्थियों का यूरोप में प्रवासन** इसका एक जीता जगता उदाहरण है।
- **संवेदनशीलता:** वैश्विक स्तर पर, **जलवायु परिवर्तन के चलते बेघर हो रहे शरणार्थियों और प्रवासियों** की हालिया चुनौतियों से निपटने के लिए नीतियां नहीं बनाई गई हैं।

**प्रवासन का मैट्रिक्स (मांग और आपूर्ति)**

गंतव्य देश अक्सर उन प्रवासियों और शरणार्थियों को प्राथमिकता देते हैं जो उनके लिए अधिक उपयोगी और फायदेमंद होते हैं (मैट्रिक्स के ऊपर दिए गए बॉक्स को देखें)। दूसरी ओर, यदि वे गंतव्य देश के मानदंडों को पूरा करने में असमर्थ होते हैं, तो ऐसे में उनके लिए अवसरों की संभावना कम हो जाएगी (नीचे बॉक्स में दिए गए कंटेंट को देखें)। यह मांग और आपूर्ति की स्थिति के साथ बदलता रहता है।

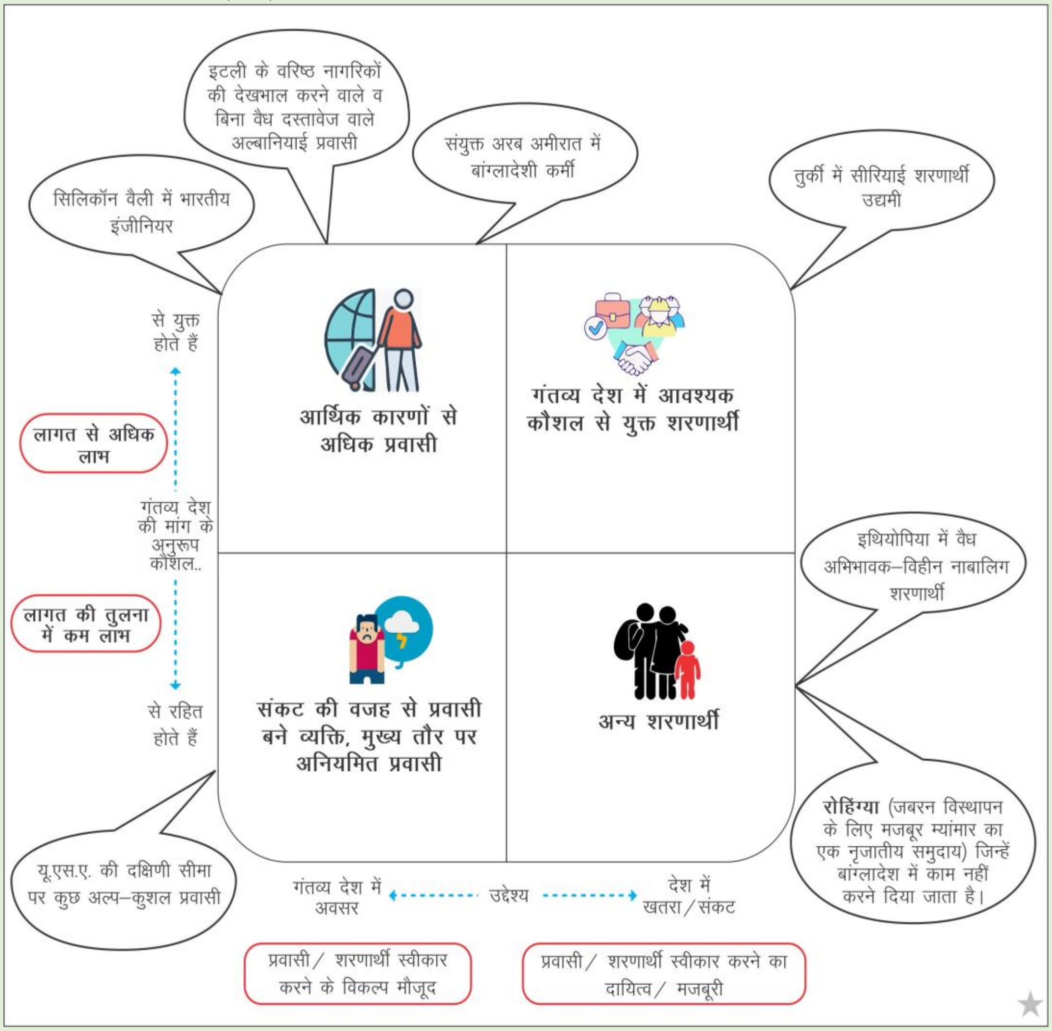


- **अस्थायी श्रम प्रवासन कार्यक्रम (TLMP)[98] की नैतिकता:** कई उच्च आय वाले देश **सामाजिक देखभाल और खाद्य उत्पादन जैसे क्षेत्रों में श्रम और कौशल प्राप्त लोगों की कमी** का सामना कर रहे हैं। इसके लिए वे कम कुशल प्रवासी श्रमिकों को अनुमति देने के क्रम में TLMP के विस्तार पर सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं।
    - TLMPs **घरेलू स्तर पर समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन** करते हैं क्योंकि इस कार्यक्रम के तहत गंतव्य देश हमेशा **अपने नागरिकों की तुलना में प्रवासियों को सीमित अधिकार देते हैं।**

[98] Temporary labor migration programs

| प्रवासन और शरणार्थियों से जुड़े नीति-निर्माण के प्रभाव | | |
|---|---|---|
| क्षेत्र | *जब प्रवासन नीति में नैतिक सिद्धांतों को शामिल नहीं किया जाता है* | *जब प्रवासन नीति में नैतिक सिद्धांतों को शामिल किया जाता है* |
| नागरिकता की स्थिति | ऐसी स्थिति में प्रवासियों/ शरणार्थियों के साथ **द्वितीय श्रेणी के नागरिक** की तरह व्यवहार किया जाता है और उन्हें अधीनस्थ माना जाता है। | इसके चलते प्रवासियों/ शरणार्थियों के साथ जीवन के **विभिन्न क्षेत्रों में समान रूप से व्यवहार** होता है। |
| अधिकार | वे **सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों** के पात्र नहीं माने जाते हैं। | वे प्रभावी तरीके से **सभी अधिकारों का लाभ** उठा सकते हैं। इससे उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने में मदद मिलती है। |
| क्षमता | विपरीत परिस्थितियों में वे अलग-अलग क्षेत्रों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। | समान अवसर मिलने के कारण वे **अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करने में सक्षम** होते हैं। भारत में यहूदी समुदाय इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। |
| गतिविधियां | प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण, वे अवैध गतिविधियों जैसे कि **आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी आदि में लिप्त** हो जाते हैं। | अपने विकास के साथ-साथ वे **समाज और देश के विकास में बड़े पैमाने पर योगदान** देते हैं। |
| शांति और सुरक्षा | समाज के साथ अनुचित एकीकरण, विभिन्न संघर्षों, जैसे- **वैचारिक, मनोवैज्ञानिक संघर्ष** आदि को जन्म देता है। उदाहरण के लिए- रोहिंग्या के पलायन का मुद्दा। | ऐसे सिद्धांतों के समावेशन से उन्हें समाज में अच्छी तरह से एकीकृत किया जा सकता है। वे समाज में **सहिष्णुता, सहानुभूति आदि के सिद्धांतों को बनाए** रखने में सहयोग करते हैं । |

**हम नीति-निर्माण में नैतिक सिद्धांतों को कैसे शामिल कर सकते हैं?**

- **नीतियों में समानता और गैर-भेदभाव संबंधी प्रावधानों को शामिल करके:** ऐसे प्रावधान **नस्ल, रंग, वंश, नृजातीय मूल जैसे कई आधारों पर भेदभाव, उपेक्षा (अपवंचन), प्रतिबंध या किसी को वरीयता देने जैसी गतिविधियों** पर रोक लगते हैं।
    - राज्यों (सरकारों) को कानूनों, नीतियों और उनके कार्यान्वयन आदि में लोगों के साथ **प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भेदभाव और असमान व्यवहार जैसी कुप्रथाओं को समाप्त** करना चाहिए।
- **मानवाधिकारों का सम्मान:** राष्ट्रों को **प्रवासियों के मानवाधिकारों के उल्लंघन से बचना** चाहिए। इसमें प्रवासियों की **मनमाने तरीके से गिरफ्तारी, यातना या सामूहिक निष्कासन जैसी कार्रवाइयों से बचना** शामिल हैं।
- **भागीदारी और समावेशन:** प्रत्येक व्यक्ति अपने **अधिकारों के उपयोग को प्रभावित करने वाले निर्णयों में सक्रिय, स्वतंत्र और सार्थक भागीदारी का हकदार** है।
    - प्रवासियों को प्रभावित करने वाले निर्णयों में उनसे परामर्श किया जाना चाहिए और प्रासंगिक सार्वजनिक नीति निर्माण में उन्हें शामिल किया जाना चाहिए।

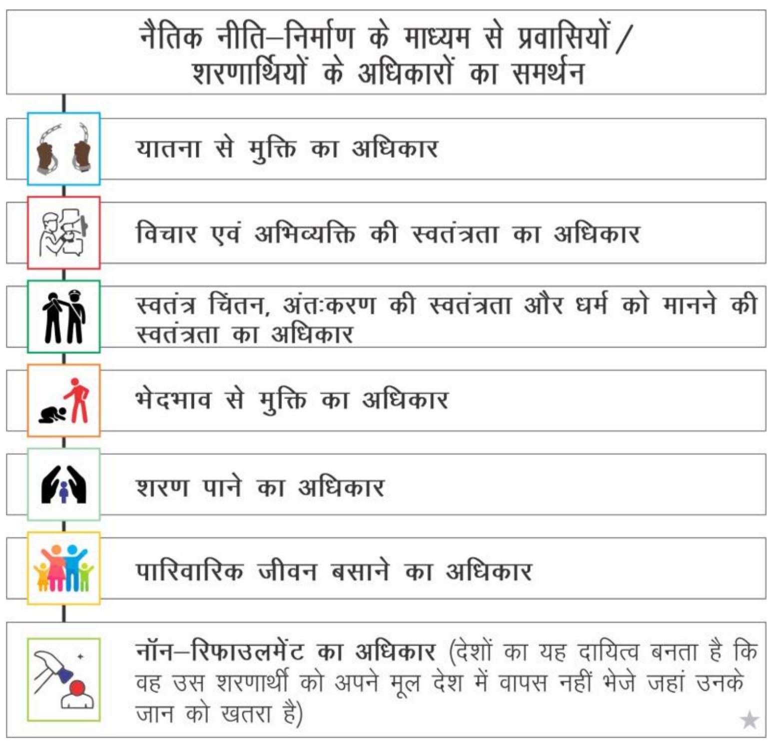


- **जन-केंद्रित दृष्टिकोण:** इसके अनुसार प्रवासी और शरणार्थी ऐसे पुरुष और महिलाएं हैं, जिन्हें अक्सर कठिन विकल्प चुनने पड़ते हैं। इसलिए वे **उचित एवं मर्यादित व्यवहार के योग्य** होते हैं। उनकी **अपनी एक पहचान, कौशल, संस्कृति और पसंद** होती है।

- **जवाबदेही और विधि का शासन:** राज्यों को अपनी **नीतियों के डिजाइन और कार्यान्वयन में पारदर्शिता** सुनिश्चित करनी चाहिए। साथ ही, राज्य को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि **अधिकार-धारकों के पास उल्लंघन के मामले में निवारण तंत्र तक पहुंच उपलब्ध** हो और वे **मानवाधिकारों का उल्लंघन होने पर प्रभावी समाधान** प्राप्त कर सकें।
    - **प्रवासन से जुड़े कानून या नियम** ऐसे होने चाहिए जिससे प्रवासियों को **न्याय प्राप्ति का पूर्ण अवसर** और मानवाधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उसके निवारण एवं कानूनी उपचार का भी अवसर मिल सके।

**निष्कर्ष**

**प्रवासन और शरणार्थियों से संबंधित नीतियों को विस्तृत और व्यापक बनाया जाना चाहिए।** ऐसी नीतियों में कमजोर और उपेक्षित लोगों के हित को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। अतः ऐसे में हम कह सकते हैं कि **सतत विकास लक्ष्य तभी प्राप्त होंगे जब विश्व के सभी लोग समृद्ध होंगे।**

**प्रवास** के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए।

**वीकली फोकस #54**: जबरन विस्थापनः एक मानवीय संकट और विकास संबंधी चुनौतियां

# 10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

## 10.1. सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (Credit Guarantee Scheme For Micro and Small Enterprises: CGMSE)

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

हाल ही में, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए **संशोधित क्रेडिट गारंटी योजना (CGMSE)** शुरू की गई है।

<table>
<tr><th>उद्देश्य</th><th>प्रमुख विशेषताएं</th></tr>
<tr><td>
<ul>
<li>ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत करना एवं MSE क्षेत्रक के लिए ऋण के प्रवाह को सुविधाजनक बनाना।</li>
<li>गिरवी (कोलैटरल)/ तीसरे पक्ष की गारंटी के बिना बैंक ऋण उपलब्ध कराना।</li>
<li>सरकारी सहायता से वंचित या सरकारी सहायता का उचित लाभ न उठाने वालों को वित्त (ऋण) प्राप्त करने में सक्षम बनाना।</li>
<li>बैंकों, MFIs आदि से नई पीढ़ी के उद्यमियों को वित्त प्राप्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करना।</li>
</ul>
</td><td>
<ul>
<li>इस योजना को औपचारिक रूप से 2000 में शुरू किया गया था।</li>
<li>केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा सिडबी ने इस योजना के क्रियान्वयन के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE) नामक एक ट्रस्ट की स्थापना की है।
<ul><li>CGTMSE की निधि में भारत सरकार और सिडबी द्वारा क्रमशः 4:1 के अनुपात में अंशदान दिया जा रहा है।</li></ul></li>
<li>पात्र उद्यम: इस योजना का लाभ उठाने के लिए मौजूदा और नए, दोनों तरह के उद्यम पात्र हैं।</li>
<li>पात्र गतिविधियां: इनमें विनिर्माण एवं सेवाएं सहित व्यापार (खुदरा/थोक व्यापार) और शिक्षण/प्रशिक्षण शामिल हैं। स्वयं सहायता समूह (SHG) और कृषि क्षेत्रक इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।</li>
</ul>
गारंटी कवर
<table>
<tr><th rowspan="2">श्रेणी (Category)<br>(ट्रेडिंग गतिविधि सहित)</th><th colspan="3">गारंटी कवरेज की अधिकतम सीमा</th></tr>
<tr><th>5 लाख रुपये तक</th><th>5 लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक</th><th>50 लाख रुपये से 5 करोड़ रुपये तक</th></tr>
<tr><td>सूक्ष्म उद्यम</td><td>85%</td><td>75%</td><td rowspan="4">75%</td></tr>
<tr><td>पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवस्थित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (MSEs) {सिक्किम, जम्मू और कश्मीर (UT) तथा लद्दाख (UT) सहित}</td><td colspan="2">80%</td></tr>
<tr><td>महिला उद्यमी या /SC/ST उद्यमी / आकांक्षी जिलों में अवस्थित MSEs/ जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट (ZED) प्रमाणित MSEs.</td><td colspan="2">85%</td></tr>
<tr><td>उधारकर्ताओं की सभी अन्य श्रेणी</td><td colspan="2">75%</td></tr>
</table>
<ul>
<li>ऋण देने वाली पात्र संस्थाएं: इनमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, चयनित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFCs), लघु वित्त बैंक (SFBs), अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक, सूक्ष्म वित्त संस्थान (MFIs) आदि शामिल हैं।</li>
<li>पात्र ऋण सुविधा: इस योजना के तहत पात्र प्रत्येक उधार मांगने वाले को 5 करोड़ रुपये तक निधि और गैर-निधि आधारित (लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी आदि) ऋण सुविधाएं प्रदान की जाती है।</li>
<li>वार्षिक गारंटी शुल्क (Annual Guarantee Fee: AGF): योजना के तहत पहले वर्ष के लिए गारंटीकृत राशि पर और शेष अवधि के लिए क्रेडिट सुविधा की बकाया राशि पर AGF शुल्क वसूल किया जाएगा।</li>
</ul>
</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| | ○ हाल ही में, **1 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए गारंटी शुल्क में 50 प्रतिशत की कमी** की गई है जिसके कारण न्यूनतम गारंटी शुल्क केवल 0.37% प्रति वर्ष के स्तर पर आ गया है।<br>• **खाता NPAs में बदले जाने पर दावा निपटान:** इसके तहत जब खाते गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) में बदल जाते हैं तो ऋण देने वाली संस्था क्रेडिट सुविधा के संबंध में गारंटी संबंधी प्रावधान को लागू कर सकती है।<br>○ हालांकि, गारंटी को लागू करने से पहले कानूनी कार्यवाही संबंधी पूर्व शर्त को अब 10 लाख रुपये (पहले 5 लाख रुपये) तक की ऋण सुविधाओं के लिए छूट दी गई है।<br>• **गारंटी की अवधि:** इस योजना के तहत गारंटी कवर सावधि ऋण/ मिश्रित ऋण की स्वीकृत अवधि तक के लिए है। कार्यशील पूंजी के मामले में, गारंटीकृत कवर **5 वर्ष या 5 वर्ष के ब्लॉक के लिए होता है।** |

## 10.2. फेम (हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण) योजना {FAME (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicle) Scheme}

**सुर्ख़ियों में क्यों?**

एक संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार **फेम योजना के दूसरे चरण** के तहत पिछले चार वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए **निर्धारित लक्ष्य का केवल 52 प्रतिशत ही पूरा** कर पाई है।

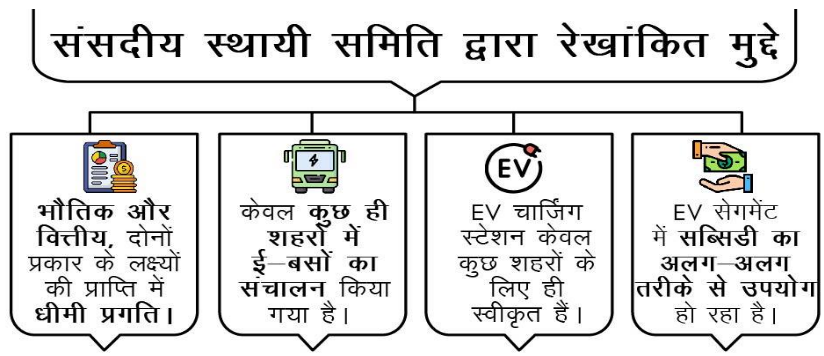


| फेम योजना के उद्देश्य | प्रमुख विशेषताएं |
|---|---|
| • हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की **मांग बढ़ाने के लिए** उन्हें अधिक वहनीय और सुलभ बनाना।<br>• **जीवाश्म ईंधन पर देश की निर्भरता** को कम करना।<br>• **वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना।** | • **मंत्रालय:** इस योजना को 2015 में **भारी उद्योग मंत्रालय** (पूर्ववर्ती भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय) के तहत शुरू किया गया था।<br>• **पृष्ठभूमि:** यह योजना **नेशनल मिशन ऑन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान (NEMMP)** का एक हिस्सा है।<br>○ NEMMP को 2013 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य वर्ष 2020 से **साल-दर-साल हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की 6-7 मिलियन बिक्री करना है।**<br>• **कार्यान्वयन:** फेम योजना निम्नलिखित कार्यक्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है:<br>○ **इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग को प्रोत्साहित करना,**<br>○ **चार्जिंग स्टेशंस के नेटवर्क की स्थापना करना और**<br>○ **योजना का प्रशासन जिसमें प्रचार, IEC (सूचना, शिक्षा और संचार)** जैसी गतिविधियां शामिल हैं।<br>• **निगरानी:** इस योजना की निगरानी भारी उद्योग विभाग के सचिव की अध्यक्षता में परियोजना कार्यान्वयन एवं अनुमोदन समिति द्वारा की जाती है।<br>**योजना के चरण**<br>• **फेम इंडिया- चरण 1 (2015-2019):** इसके चार फोकस क्षेत्र थे- **तकनीकी विकास, मांग सृजन, पायलट प्रोजेक्ट और चार्जिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना।**<br>• **फेम इंडिया - चरण 2 (2019- 2022):** यह **सार्वजनिक और साझा परिवहन के विद्युतीकरण** पर केंद्रित है।<br>○ इस योजना का उद्देश्य **इलेक्ट्रिक दोपहिया, इलेक्ट्रिक चार पहिया, हाइब्रिड चार पहिया, ई-रिक्शा और ई-बसों सहित अलग-अलग श्रेणियों के वाहनों की मांग में वृद्धि के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना** है। |

- **फेम II - पुन: डिजाइन पर आधारित (2022-2024):** योजना को **कोविड-19 महामारी से प्राप्त अनुभव तथा उद्योग जगत और उपयोगकर्ताओं** से मिले फीडबैक के आधार पर फिर से डिजाइन किया गया है।
    - पुन: डिज़ाइन की गई इस योजना का उद्देश्य अग्रिम लागत को कम करके इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग का तेजी से प्रसार करना है। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को अधिक आसान बनाने के लिए **प्रोत्साहन प्रदान करके और समग्र मांग** में वृद्धि के माध्यम से इस योजना के लक्ष्यों को प्राप्त किया जाएगा।

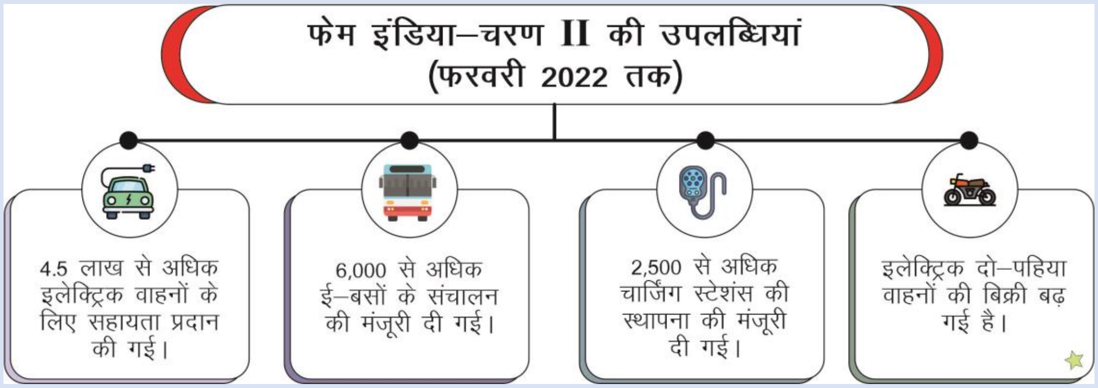


***<u>इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, कृपया मार्च, 2023 मासिक समसामयिकी के आर्टिकल 5.8. इलेक्ट्रिक वाहन (EVs) नीति, को पढ़ें।</u>***

# 11. परिशिष्ट (Appendix)

**परिशिष्ट: विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय ज्ञान परंपरा का योगदान**

| क्षेत्र | प्राचीन भारत का योगदान |
| --- | --- |
| गणित | ● **बौधायन**<br>➢ **प्रमुख कृतिः शुल्व सूत्र और श्रौत सूत्र।**<br>➢ शुल्व सूत्र गणित के उन परिणामों का एक संकलन प्रदान करता है, जिनका वैदिक सभ्यता के प्रारंभ से ही **विविध व परिष्कृत वैदिक अग्नि–वेदियों की संरचना और निर्माण** के लिए उपयोग किया जाता था।<br>➢ शुल्व सूत्र में **बौधायन प्रमेय (पाइथागोरस प्रमेय के नाम से प्रचलित)** का स्पष्ट उल्लेख मिलता है।<br>● **पिंगल राव**<br>➢ **प्रमुख कृतिः छंदशास्त्र** में द्विचर अंक प्रणाली का पहला ज्ञात विवरण मिलता है।<br>● **आर्यभट्ट**<br>➢ वे एक गणितज्ञ, खगोलशास्त्री, ज्योतिषी और भौतिक विज्ञानी थे।<br>➢ **प्रमुख कृतिः** आर्यभट्टीय आदि।<br>➢ उन्होंने वर्णमालाओं द्वारा **बड़ी दशमलव संख्याओं** को निरूपित करने की विधि का वर्णन किया था।<br>➢ उन्होंने **संख्या सिद्धांत, ज्यामिति, त्रिकोणमिति और बीजगणित (**Algebra**)** में अपना योगदान दिया था।<br>● **ब्रह्मगुप्त**<br>➢ **प्रमुख कृतिः ब्रह्मस्फुट सिद्धांतिका** के माध्यम से अरब जगत के लोगों को हमारी गणितीय प्रणाली के बारे में पता चला था।<br>➢ उन्होंने गणित में ऋणात्मक संख्याओं को प्रस्तुत किया था और शून्य पर संक्रिया करने के नियमों की शुरुआत की थी।<br>● **भास्कराचार्य**<br>➢ **प्रमुख कृतिः** उनकी पुस्तक **सिद्धांत शिरोमणि** को चार खंडों में विभाजित किया गया है। ये चार खंड हैं– लीलावती (अंकगणित/ Arithmetic), बीजगणित (Algebra), गोलाध्याय (Sphere) और ग्रहगणित (Mathematics of planets).<br>➢ उन्होंने बीजगणितीय समीकरणों को हल करने के लिए **चक्रवात विधि (चक्रीय विधि)** का प्रतिपादन किया था।<br>● **महावीराचार्य**<br>➢ **प्रमुख कृतिः गणित सार संग्रह**; यह अंकगणित पर पहली पाठ्यपुस्तक है, जो वर्तमान अंकगणित के समान है।<br>➢ वर्तमान में **संख्याओं के लघुतम समापवर्त्य (LCM)** को निकालने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है, उस विधि का महावीराचार्य ने भी वर्णन किया है।<br>● **नारायण पंडित**<br>➢ **प्रमुख कृतिः गणित कौमुदी।**<br>➢ उन्होंने 4x4 माया वर्ग (Magic square) के निर्माण के लिए **तुरगगति विधि** का प्रतिपादन किया था।<br>➢ **यजुर्वेद** में 10 से $10^{12}$ तक की घात के लिए नामों का उल्लेख मिलता है।<br>➢ **तल्लक्षणा,** बौद्ध परंपरा का एक शब्द है। यह $10^{53}$ को दर्शाता है। |
| खगोल विज्ञान | ● अंडमान में पाई जाने वाली प्रथम 'खगोलीय' वस्तुएं, पुरापाषाण युगीन अर्थात् लगभग 12,000 वर्ष पहले की हैं। ये 'खगोलीय' वस्तुएं **कैलेंडर स्टिक्स** हैं। कैलेंडर स्टिक्स पर चंद्रमा के **शुक्ल पक्ष (Waxing)** और **कृष्ण पक्ष (Waning)** को नोट किया जाता था। इसके लिए कैलेंडर स्टिक्स पर इन पक्षों के हिसाब से निशान लगाया जाता था।<br>● **आर्यभट्ट**<br>➢ उन्होंने **समय की इकाइयों और खगोलीय वृत्त (Celestial sphere) की विशेषताओं** पर चर्चा की थी। उन्होंने पृथ्वी को अंतरिक्ष में लटके हुए एक घूमते पिंड के रूप में वर्णित किया था। इसके साथ ही, उन्होंने ग्रहों की औसत स्थिति की एक तालिका भी तैयार की थी।<br>➢ इसके अलावा, उन्होंने चंद्र और सूर्य दोनों ग्रहणों की सही व्याख्या की थी। साथ ही, उन्होंने बताया कि पृथ्वी का व्यास 1,050 योजन है, जो वास्तविक गणना के लगभग निकट है।<br>● **वराहमिहिर**<br>➢ **मुख्य कृतिः पंच सिद्धांतिका।**<br>➢ उन्होंने व्यापक रूप से ज्योतिषीय आधार पर ग्रहों, ग्रहणों और राशि चक्रों के परिक्रमण की विस्तार से व्याख्या की थी।<br>**क्या आप जानते हैं?**<br> <br>• **वैक्सिंग मून या शुक्ल पक्षः** यह मुख्य रूप से **अमावस्या व पूर्णिमा के बीच** चंद्रमा पर क्रमिक रूप से अधिक सौर प्रकाश प्राप्त करने की अवधि है।<br>• **वैनिंग मून या कृष्ण पक्षः** यह मुख्य रूप से **पूर्णिमा व अमावस्या के बीच** की अवधि है। यह अवधि अमावस्या या नवचंद्र आने तक रहती है।<br>● **ब्रह्मगुप्त**<br>➢ **मुख्य कृतिः ब्रह्मस्फुट सिद्धांत,** यह रचना अलग–अलग प्रकार के खगोलीय उपकरणों से संबंधित है, जैसे–<br>▪ **जल घड़ी (घाटिका यंत्र)**: इसमें एक कटोरा होता है। इस कटोरे के नीचे छोटा–सा एक छेद होता है। इसे जल के ऊपर रखे जाने पर यह ठीक **24 मिनट (एक घटी) में डूब जाता है।** |

| क्षेत्र | प्राचीन भारत का योगदान |
|---|---|
| **खगोल विज्ञान** | ■ **शंकुक या नोमोन (Gnomon)**: इसमें एक छोटी छड़ी को लंबवत रखा जाता था। इसके माध्यम से छाया की गति का अध्ययन किया जाता था।<br>➢ इनकी कृतियों के माध्यम से **अरब जगत के लोगों ने भारतीय खगोल विज्ञान के बारे में जानकारी** प्राप्त की थी।<br>● भास्कराचार्य<br>➢ ग्रहों का मध्य मान और उनकी वास्तविक स्थिति; 'समय, दिशा व स्थान' की त्रिआयामी समस्या; ग्रहों के उदय और अस्त एवं युति (जब दो ग्रह एक ही राशि में हों); ग्रहों की गति के लिए उत्केन्द्रता (Eccentric) और अधिचक्रीय (Epicyclic) सिद्धांत आदि पर चर्चा की है।<br>● **केरल स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स**<br>➢ यह **14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच विकसित** हुआ था।<br>➢ इसके प्रमुख खगोलविदों में प्रमुख हैं– **माधव, परमेश्वर, नीलकंठ सोमयाजी** आदि।<br>➢ **माधव** ने प्रत्येक 36 मिनट में चंद्रमा की स्थिति निर्धारित करने के लिए एक प्रक्रिया और ग्रहों की गति का अनुमान लगाने के तरीकों की खोज की थी।<br>➢ **परमेश्वर,** खगोल विज्ञान की **दृग्गणित प्रणाली** के संस्थापक थे।<br>➢ **नीलकंठन सोमयाजी (1444–1544)** ने अपने **तंत्रसंग्रह में बुध और शुक्र ग्रहों के लिए आर्यभट्ट के मॉडल को संशोधित** किया था।<br>● **जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह**<br>➢ उन्होंने **जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा में जंतर मंतर नामक खगोलीय वेधशालाओं की स्थापना** करवाई थी। |
| **भारतीय चिकित्सा विज्ञान** | ● सुश्रुत<br>➢ **प्रमुख कृतिः सुश्रुत संहिता।**<br>➢ इन्हें **शल्य चिकित्सा** का जनक माना जाता है।<br>➢ उन्होंने एक मृत शरीर की सहायता से **मानव शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन** किया था।<br>➢ सुश्रुत संहिता में **1100 से अधिक रोगों का उल्लेख** किया गया है।<br>➢ **इसमें 760 से अधिक पादपों के औषधीय गुणों** को वर्णित किया गया है।<br>➢ सुश्रुत का सबसे बड़ा योगदान **राइनोप्लास्टी (प्लास्टिक सर्जरी) और नेत्र शल्य चिकित्सा (मोतियाबिंद को हटाना)** के क्षेत्र में था।<br>● चरक<br>➢ इन्हें **प्राचीन भारतीय चिकित्सा विज्ञान का जनक** माना जाता है।<br>➢ वे **कनिष्क के दरबार में राज वैद्य (शाही चिकित्सक)** थे।<br>➢ **प्रमुख कृतिः** चरक संहिता।<br>➢ वे **पाचन, चयापचय (मेटाबॉलिज्म) और रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण** बताने वाले पहले विद्वान थे।<br>● **योग और पतंजलि**<br>➢ प्राचीन भारत में योग विज्ञान **आयुर्वेद के एक संबद्ध विज्ञान** के रूप में विकसित हुआ था। यह **शारीरिक और मानसिक स्तर पर दवाओं के बिना उपचार** की एक विधि है। |
| **धातु विज्ञान** | ● **हड़प्पा के लोग सोने और चांदी का उपयोग विविध प्रकार के आभूषण बनाने** के लिए करते थे। साथ ही, यहां से कई **कांस्य मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं (जैसे एक नर्तकी की मूर्ति)।**<br>● **दिल्ली का लौह स्तंभः** 1600 वर्ष से अधिक पुराना यह लौह स्तंभ **पिटवाँ लोहे** से निर्मित है। इसे **चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया** था। यह अपने जंग **प्रतिरोधी गुणों** के लिए विख्यात है।<br>● **कणाद– छठी शताब्दी ई.पू.**<br>➢ ये भारतीय दर्शन की छह शाखाओं में से एक, **वैशेषिक दर्शन** के विद्वान थे।<br>➢ कणाद के अनुसार, **भौतिक ब्रह्मांड कणों (अणु)** से मिलकर बना है। इसे किसी भी मानव अंग के माध्यम से नहीं देखा जा सकता है और न ही उन्हें उप–विभाजित ही किया जा सकता है।<br>● वराहमिहिर<br>➢ इनकी कृति **बृहत्संहिता** के एक अध्याय में अलग–अलग अनुपातों में **सोलह मूलभूत पदार्थों के विविध अनुपातों में मिश्रण से कई इत्रों के निर्माण** का वर्णन किया गया है।<br>● **नागार्जुन– 10वीं शताब्दी**<br>➢ उन्होंने अपनी कृति **रसरत्नाकर में सोना, चांदी, टिन और तांबे जैसी धातुओं के निष्कर्षण की विधियों** की चर्चा की है। |
| **भारतीय कृषि** | ● **कावेरी नदी पर निर्मित ग्रैंड एनीकट बांध** विश्व की सबसे प्राचीन जल नियामक संरचनाओं में से एक है। इसका निर्माण **पहली–दूसरी शताब्दी** ईस्वी में किया गया था।<br>● **रामायण, महाभारत और अन्य ग्रंथों में कृषि एवं सिंचाई के महत्त्व पर बल** दिया गया है। |

# सुर्ख़ियों में रहे स्थल: विश्व

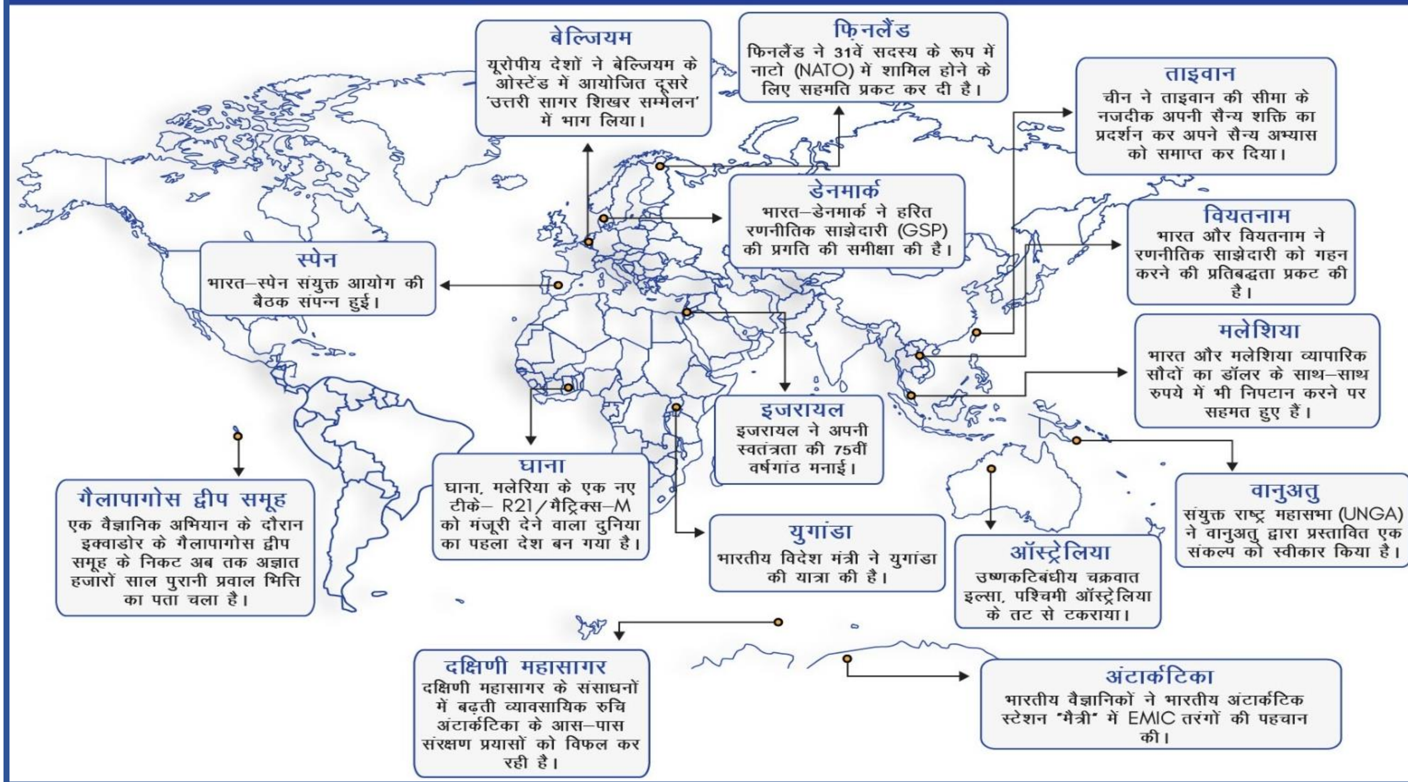


# सुर्ख़ियों में रहे स्थल: भारत

### हेमिस और थिकसे मठ
- G20 सम्मेलन के प्रतिनिधियों ने हेमिस और थिकसे मठों का दौरा किया था।

### गांधीसागर वन्यजीव अभयारण्य (मध्यप्रदेश)
- गांधीसागर अभयारण्य को चीतों के दूसरे अधिवास के रूप में विकसित किया जाएगा।

### हिंगोली
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने LIGO–इंडिया को मंजूरी प्रदान की है। यह एक गुरुत्वीय–तरंग डिटेक्टर है। इसे महाराष्ट्र के हिंगोली में स्थापित किया जाएगा।

### परम्बिकुलम टाइगर रिज़र्व (केरल)
- केरल हाई कोर्ट ने जंगली हाथी अरीकोम्पन को पराम्बिकुलम रिज़र्व में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है।

### एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान (केरल)
- एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान को अपना पहला फर्नेरियम (फ़र्न पादपों वाला वनस्पति उद्यान) मिल गया है।

### मुदुमलाई टाइगर रिज़र्व (तमिलनाडु)
- प्रधान मंत्री ने MTR में थेप्पाकडू हाथी कैंप का दौरा किया है।

### ज़ेमिथांग (अरुणाचल प्रदेश)
- एक प्रमुख बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया।

### दिबांग वन्यजीव अभयारण्य (अरुणाचल प्रदेश)
- अरुणाचल प्रदेश का स्थानीय/देशज समुदाय एक प्रस्तावित टाइगर रिज़र्व का विरोध कर रहा है।

### किबिथू गांव (अरुणाचल प्रदेश)
- केंद्रीय गृह मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के अंजॉ जिले के किबिथू गांव में VVP का शुभारंभ किया है।

### कोंगथोंग गांव (मेघालय)
- एक सांसद ने कोंगथोंग गांव की विकास रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यह भारत का एकमात्र व्हिसलिंग गांव है।

### चार बालिडांगा, राज्य बागवानी अनुसंधान एवं विकास स्टेशन परिसर, नमथिंग पोखर, अमखोई जीवाश्म पार्क (पश्चिम बंगाल)
- इन्हें जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है।

### अनंतपुर (आंध्र प्रदेश)
- यहां 15 दुर्लभ खनिजों के बड़े भंडार मिले हैं

# सुर्ख़ियों में रहे प्रमुख व्यक्ति

| व्यक्तित्व | विवरण | प्रदर्शित नैतिक मूल्य |
|---|---|---|
| <br>जगद्गुरु बसवेश्वर | • भगवान बसवेश्वर **12वीं सदी के कवि थे। उनका जन्म कर्नाटक** में हुआ था।<br>• वे दक्षिण भारत में **सामाजिक–धार्मिक सुधार, अनुभव मंडप, वचन साहित्य और लिंगायत आंदोलन** के लिए जाने जाते हैं।<br>• 13वीं शताब्दी में **पलकुरिकी सोमनाथ ने बसव पुराण** की रचना की थी। इसमें **बसवन्ना** के जीवन और विचारों का संपूर्ण विवरण है। | **समतावाद और श्रम की गरिमाः**<br>• उन्होंने आर्थिक स्थिति और धन के पदानुक्रम पर आधारित अपने समय की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर प्रश्न उठाने के लिए कविताओं की रचना की।<br>• अपनी शिक्षाओं में, उन्होंने शारीरिक श्रम की गरिमा और श्रम की मान्यता के अधिकार का समर्थन किया। |
| <br>बाबू जगजीवन राम | • प्रधान मंत्री ने बाबू जगजीवन राम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।<br>• इनका जन्म **बिहार** में हुआ था। वे एक **स्वतंत्रता सेनानी** थे। वे **अस्पृश्य मानी जाने वाली जातियों के प्रमुख नेता** थे।<br>• **योगदानः**<br>▸ वर्ष 1934 में, उन्होंने **अखिल भारतीय रविदास महासभा** और **ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग की** स्थापना की थी।<br>▸ वर्ष 1935 में, वह **हैमंड आयोग** के सामने पेश हुए थे तथा **पहली बार दलितों के लिए मतदान के अधिकार की मांग** की थी।<br>▸ उन्होंने **सविनय अवज्ञा आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन** में भाग लिया था। | **साहस और दूरदर्शिता**<br>• वह एक निडर नेता थे जो दलितों और अन्य वंचित समुदायों के साथ होने वाले अन्याय और भेदभाव के खिलाफ खड़े हुए थे।<br>• न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज के लिए उनका एक स्पष्ट दृष्टिकोण था। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन लाने और यह सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास किया कि वंचित लोगों की भी आवाज सुनी जाए। |
| <br>डॉ. केशवराव बलीराम हेडगेवार | • केशवराव का जन्म **1 अप्रैल, 1889 को नागपुर में हुआ** था।<br>• उन्होंने **अच्छे अंकों के साथ मेडिकल परीक्षा पास की और नागपुर लौट आए। डॉ. हेडगेवार ने देश और समाज के लिए इस पेशे से दूरी बना ली।**<br>• **योगदानः**<br>▸ **स्वतंत्रता सेनानी डॉ. केशवराव बलिराम हेडगेवार के लिए भारत की आजादी ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था।**<br>▸ छात्र जीवन में उन्होंने **'वंदे मातरम' आंदोलन का नेतृत्व** किया और अरविंद घोष, भाई परमानंद, सुखदेव और राजगुरु आदि महान क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। | **निःस्वार्थता और देशभक्ति**<br>• वह एक निःस्वार्थ व्यक्ति थे। उन्होंने अपना जीवन राष्ट्रीय एकता और सामाजिक उत्थान के लिए समर्पित कर दिया।<br>• वह एक सच्चे देशभक्त थे और उन्हें देश से अत्यधिक प्रेम था। उनका उद्देश्य आत्मनिर्भरता और विदेशी शासन से मुक्ति की भावना को बढ़ावा देना था। |
| <br>सी.व्हाई. चिंतामणि | • **चिरावुरी यज्ञेश्वर चिंतामणि का जन्म 10 अप्रैल, 1880** को आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में हुआ था।<br>• **योगदानः**<br>▸ वह **गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। 1898 में, वह कांग्रेस में शामिल हो गए।**<br>▸ उन्हें **विजाग स्पेक्टेटर अखबार के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया था।** उनके संपादक बनने के बाद इसका नाम बदलकर **'इंडियन हेराल्ड'** कर दिया गया।<br>▸ **द लीडर्स (राष्ट्रवादी अंग्रेजी समाचार पत्र) के पहले संयुक्त संपादक चिंतामणि** और गनेंद्रनाथ गुप्ता थे।<br>▸ **चिंतामणि ने 1918 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी,** दिनशॉ वाचा, चिमनलाल सीतलवाड़ और तेज बहादुर सप्रू **के साथ लिबरल पार्टी का निर्माण करने के लिए कांग्रेस छोड़ दी।**<br>▸ 1919 के भारत सरकार अधिनियम के लागू होने के बाद, **चिंतामणि संयुक्त प्रांत के शिक्षा मंत्री बने थे।**<br>▸ वे **1927 से 1936 तक संयुक्त प्रांत विधान परिषद में विपक्ष के नेता थे।**<br>▸ 1930 में, **उन्हें लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में एक प्रतिनिधि के रूप** में आमंत्रित किया गया था।<br>▸ **1939 में उन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था,** लेकिन उन्होंने ब्रिटिश राज की आलोचना करना कभी बंद नहीं किया। | **खुली सोच**<br>• वह विभिन्न दृष्टिकोणों को सुनने की इच्छा के लिए जाने जाते थे। वे हमेशा रचनात्मक संवाद में शामिल होने के लिए तैयार रहते थे और चीजों को अलग–अलग दृष्टिकोणों से देखने की उनकी क्षमता के लिए उनका सम्मान किया जाता था। |

| | | |
|---|---|---|
| <br>**वी.वी. सुब्रमण्य अय्यर** | • **वराहनेरी वेंकटेश सुब्रमण्य का जन्म 2 अप्रैल, 1881** को तत्कालीन मद्रास के तिरुचिरापल्ली जिले के **वरकानेरी गांव** में हुआ था।<br>• उन्होंने **लंदन में बैरिस्टर ऑफ लॉ की परीक्षा पास की लेकिन डिग्री लेने से इनकार कर दिया।**<br>• **अय्यर ने 'इंडिया हाउस' जाना शुरू किया**, जो कभी लंदन में भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए एक लोकप्रिय अड्डा हुआ करता था।<br>• **योगदानः**<br>  ▸ जब वह **पांडिचेरी** पहुंचे, **तो उन्होंने कथित तौर पर युवाओं को हथियारों का उपयोग करना सिखाया।** साथ ही, देश के अन्य क्रांतिकारियों को भी **हथियार उपलब्ध करवाए।**<br>  ▸ वह एक कुशल तमिल विद्वान भी थे।<br>    • उन्होंने **वीर सावरकर की मराठी पुस्तक "1857 का स्वातंत्र्य समर" के अंग्रेजी अनुवाद** पर काम किया। उन्होंने इस पुस्तक का पूरे भारत में गुप्त रूप से प्रचार किया।<br>    • अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाए जाने के दौरान, **उन्होंने अपने समय का उपयोग महत्वपूर्ण तमिल साहित्य का अंग्रेजी में अनुवाद करने में किया।**<br>    • अय्यर 1917 में पांडिचेरी में महात्मा गांधी से मिले और अहिंसा के समर्थक बन गए।<br>• अय्यर तमिल पत्रिका 'देस्बकथन(Desbakthan)' के संपादक थे।<br>• उन्हें आज भी आधुनिक तमिल लघुकथा का जनक माना जाता है। | **विविधता और रचनात्मकता का सम्मान**<br>• वह कई भाषाओं में धाराप्रवाह थे और संस्कृतियों एवं विचारों की विविधता का सम्मान करते थे। |
| <br>**सागरमल गोपा** | • सागरमल गोपा का जन्म 3 नवंबर 1900 को जैसलमेर रियासत में हुआ था।<br>• **योगदानः**<br>  ▸ सागरमल ने **प्रतिबंधित संगठन 'प्रजामंडल' का नेतृत्व किया** तथा जैसलमेर और आसपास के क्षेत्रों में लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए **प्रेरित किया।**<br>  ▸ 1921 में, **सागरमल महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए** और जैसलमेर के लोगों को इसमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया।<br>  ▸ सागरमल ने अपनी पुस्तक **"जैसलमेर का गुंडाराज" में जैसलमेर के शासक जवाहर सिंह** के अत्याचारों का उल्लेख किया और जनता को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। | **न्यायप्रियता और नेतृत्व क्षमता**<br>• जैसलमेर के शासक के अत्याचारों को उजागर कर वे जनता को न्याय दिलाने के लिए खड़े हुए। |
| <br>**सी.एफ. एंड्रयूज़** | • **चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयूज का जन्म 12 फरवरी, 1871 को इंग्लैंड में हुआ था।**<br>• वे 20 मार्च, 1904 को **भारत पहुंचे और दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज में दाखिला लिया।**<br>**योगदानः**<br>  ▸ उन्होंने **महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले** और अन्य प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के साथ **ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष किया।** एंड्रयूज रवींद्रनाथ टैगोर के घनिष्ठ मित्र थे।<br>  ▸ अफ्रीका में, **एंड्रयूज ने महात्मा गांधी के साथ भी निकटता से सहयोग किया।**<br>  ▸ ऐसा माना जाता है कि एंड्रयूज **महात्मा गांधी और रवींद्रनाथ टैगोर को एक साथ लाए थे।** | **न्याय के लिए प्रतिबद्धता और सहानुभूति**<br>• उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख भारतीय नेताओं के साथ सहयोग किया।<br>• वे गरीबों और शोषितों की चिंता करते थे, इसलिए उन्हें दीनबंधु कहा जाता था। |

# वीकली फोकस

## प्रत्येक सप्ताह एक मुद्दे का समग्र कवरेज

| मुद्दे | विवरण | अन्य जानकारी |
|---|---|---|
| **संवैधानिक लोकाचार II: विविधता में एकता – पंथनिरपेक्षता** | भारत का धार्मिक बहुलवाद इसके लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। पंथनिरपेक्षता का संवैधानिक लोकाचार मौजूदा असमानताओं को दूर करके और समुदायों में मौजूद विविधताओं को बनाए रखने में उनकी मदद करके इसे (पंथनिरपेक्षता को) और मजबूत करता है। यह एकजुटता या एकता की भावना को जन्म देता है जो आत्मसात करने के साथ–साथ पृथक भी है, यानी यह **विविधता/ अनेकता में एकता की तरह है।** | |
| **संवैधानिक लोकाचार III: विविधता में एकता – बहुभाषावाद** | भारत की संस्कृति की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति यहां के मेलों और त्यौहारों, कला, संगीत, नृत्य और नाटक, स्थापत्य और मूर्तिकला शैलियों, साहित्य और सबसे महत्वपूर्ण रूप से भाषाओं में चित्रित की जाती है। भारत में भाषा केवल एक समुदाय द्वारा सूचना/ ज्ञान को संप्रेषित करने या साझा करने का एक साधन नहीं है, कई मामलों में भाषा सामूहिक जीवन का प्रतीक है। | |
| **प्रौद्योगिकी गवर्नेंस: लोक नीति के नए युग का निर्माण** | चौथी औद्योगिक क्रांति की उभरती प्रौद्योगिकियां दुनिया भर में नवाचारों के केंद्र में रही हैं। जबकि ये प्रौद्योगिकियां व्यापक सामाजिक सफलताओं और आर्थिक मूल्य प्राप्त करने में मदद कर सकती हैं। इनका संभावित रूप से दुरुपयोग भी किया जा सकता है। इन नई तकनीकों को नियंत्रित करने के लिए नए सिद्धांतों, नियमों और प्रोटोकॉल की आवश्यकता होगी, जो जोखिमों को कम करते हुए नवाचार को बढ़ावा दें। यह डॉक्यूमेंट प्रौद्योगिकी गवर्नेंस की अवधारणा की व्याख्या करता है और प्रौद्योगिकी के प्रभावी नियमन में मौजूदा अंतराल को भरने के लिए सर्वोत्तम तरीके की खोज करता है। | |

**Copyright © by Vision IAS**

*All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.*

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION
अपनी तैयारी से जुड़े रहिए
सोशल मीडिया पर फॉलो करें
/c/VisionIASdelhi
/VisionIAS_UPSC
/vision_ias
/Vision_IAS
/visionias.upsc
www.visionias.in

# 8 IN TOP 10 SELECTIONS IN CSE 2021

*from various programs of VisionIAS*

## CIVIL SERVICES EXAMINATION 2020

1 AIR

SHUBHAM KUMAR

2 AIR

ANKITA AGARWAL

3 AIR

GAMINI SINGLA

4 AIR

AISHWARYA VERMA

5 AIR

UTKARSH DWIVEDI

6 AIR

YAKSH CHAUDHARY

7 AIR

SAMYAK S JAIN

8 AIR

ISHITA RATHI

9 AIR

PREETAM KUMAR

YOU CAN BE NEXT

DELHI

- **HEAD OFFICE:** Apsara Arcade, 1st Floor, 1/8-B, Near Gate 7, Karol Bagh Metro Station, Delhi
  +91 8468022022 +91 9019066066
- **Mukherjee Nagar Center:** Plot No. 857, Ground Floor, Banda Bahadur Marg (Opp Punjab & Sindh Bank), Dr. Mukherjee Nagar- 110009

JAIPUR | PUNE | AHMEDABAD | BHOPAL | GUWAHATI | HYDERABAD | RANCHI | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | CHANDIGARH

/c/VisionIASdelhi /vision_ias /visionias_upsc /VisionIAS_UPSC www.visionias.in